



39 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष

39th ANNUAL REPORT

YEAR ENDED 31st MARCH 2025



दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)



गंगा नदी पर प्रयागराज में रेलवे पुल 12 दिसंबर 2024 से चालू है
जिसे महाकुंभ 2025 के दौरान बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया।
Railway Bridge at Prayagraj, across river Ganga is operational from
12 Dec 2024 and extensively used during Mahakumbh 2025.



निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



कमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)
CMDE. RAKESH CHHILLAR (Retd.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

पूर्णकालिक निदेशक / WHOLE TIME DIRECTOR



श्री नरेश कुमार
SHRI NARESH KUMAR
निदेशक (तकनीकी) / Director (Technical)



श्री सुजीत कुमार घोष
SHRI SUJIT KUMAR GHOSH
निदेशक (वित्त) / Director (Finance)

सरकारी नॉमिनी निदेशक / GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR



श्री उदय भान सिंह
SHRI UDAI BHAN SINGH

वार्षिक प्रतिवेदन
(हिंदी)

विषय सूची

Sl No.	Particulars	Page No.
1.	निदेशक मंडल	1
2.	शेयरधारकों को सूचना	3
3.	अध्यक्ष का संदेश	7
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	9
5.	स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	35
6.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	50
7.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	53
8.	तुलन पत्र	56
9.	लाभ एवं हानि का विवरण	58
10.	नकद प्रवाह का विवरण	59
11.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	61
12.	कंपनी सूचना, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	62

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिवर्तन सहित निदेशकों की अद्यतन सूची

	नाम	अवधि
निदेशक मंडल	: कमोडोर राकेश छीलर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार निदेशक (तकनीकी)- अतिरिक्त प्रभार	27.12.2022 से 06.06.2024 तक 01.02.2025 से 13.07.2025 तक
	श्री राजीव कुमार सिंह निदेशक (तकनीकी)	31.01.2025 तक
	श्री सुजीत कुमार घोष निदेशक (वित्त)	07.06.2024 से
	श्री नरेश कुमार निदेशक (तकनीकी)	14.07.2025 से
	श्री आदित्य कुमार घोष सरकार नामांकित निदेशक	27.02.2025 तक
	श्री उदय भान सिंह सरकार नामांकित निदेशक	27.02.2025 से
	श्रीमती सरला देवी स्वतंत्र निदेशक	14.02.2025 तक
मुख्य सतर्कता अधिकारी	: सुश्री चंद्राणी गुप्ता	पूरे वर्ष
लेखा परीक्षक:	: बाटलीबाँय, पुरोहित और दरबारी चार्टर्ड अकाउंटेंट	
सॉलिसिटर	: फॉक्स एंड मंडल कोलकाता फॉक्स मंडल एंड एसोसिएट एलएलपी कोलकाता फॉक्स एंड मंडल एलएलपी नई दिल्ली	
बैंकर्स:	: भारतीय स्टेट बैंक कैनरा बैंक एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक	
पंजीकृत कार्यालय:	: 27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001, पश्चिमबंगाल	

**ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों/शेयरधारकों की पुनर्निर्धारित
39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक, जो 11 सितंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाली थी, उसे **शुक्रवार, 12 सितंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल** में निम्नलिखित व्यवसायों के संचालन के लिए आयोजित करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है:

साधारण काम-काज :

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च 2025 की तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा का विवरण, नकदी प्रवाह और टिप्पणियाँ आदि सहित इक्विटी में परिवर्तन, वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार की गयी निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ग्रहण करना, उस पर विचार करना और उसे पारित करना।
2. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए लाभांश की घोषणा करना।
3. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।
4. सरकारी आदेश द्वारा की गई निदेशकों की नियुक्ति पर ध्यान देना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता- 700001

दिनांक : 08 सितंबर 2025

प्रतिलिपि: सभी निदेशकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों को

39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 39 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 11 सितंबर 2025 को 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी: -

साधारण काम-काज :

- 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च 2025 की तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा का विवरण, नकदी प्रवाह और टिप्पणियाँ आदि सहित इक्विटी में परिवर्तन, वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार की गयी निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ग्रहण करना, उस पर विचार करना और उसे पारित करना।
- वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए लाभांश की घोषणा करना।
- वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।
- सरकारी आदेश द्वारा की गई निदेशकों की नियुक्ति पर ध्यान देना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :

27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता- 700001

दिनांक : 20 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि: सभी निदेशकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों को

द्रष्टव्य:

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और इस तरह के प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी फॉर्म इस नोटिस के साथ संलग्न है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी और तदनुसार, कंपनी की 39वीं एजीएम सदस्यों को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के विकल्प के साथ आयोजित की जाएगी, यदि आवश्यक हो और इस उद्देश्य के लिए वीसी / ओएवीएम लिंक अलग से साझा किया जाएगा।
3. वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्दिष्ट स्थल पर 39वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित होगी।



दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

प्रतिपुरुष प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सीआईएन : U70100WB1986GOI041286
 कंपनी का नाम : दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता, पं.बं. 700001, भारत

सदस्य (यों) के नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ईमेल आईडी	:	
फोलियो नं. / ग्राहक आईडी डीपी आईडी	:	
डीपी आईडी	:	लागू नहीं

मैं / हम उपर्युक्त नाम की कंपनी में शेयर के धारक होने के नाते कंपनी के सदस्य के रूप में एतद्वारा निम्नलिखित

- नाम: पता: : ईमेल आईडी:
हस्ताक्षर:..... , या उसके चूकने पर
- नाम: पता: : ईमेल आईडी:
हस्ताक्षर:..... , या उसके चूकने पर
- नाम: पता: : ईमेल आईडी:
हस्ताक्षर:..... , या उसके चूकने पर
- नाम: पता: : ईमेल आईडी:
हस्ताक्षर:..... , या उसके चूकने पर

को मेरे / हमारे तथा मेरी / हमारी ओर से, सितम्बर, 2025 को, कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता में आयोजित कंपनी के सदस्यों की 39 वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने (मतदान में) के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता/ते हूँ/ हैं और इस तरह के संकल्पों के संबंध में इसके किसी भी स्थगन निम्न रूप में दिए गए हैं।

संकल्प संख्या

- 1
- 2
- 3
- 4

.....सितम्बर, 2025 केवें दिन हस्ताक्षरित।

हस्ताक्षर: (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य : इस प्रॉक्सी फार्म के प्रभावी होने के लिए इसे विधिवत रूप से पूरा भर कर एवं बैठक के प्रारंभ होने के पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।



अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे कंपनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों वाली वार्षिक रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ पहले ही परिचालित की जा चुकी है।

आज की बैठक के औपचारिक एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा: -

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने कुल ₹19578.07 लाख की आय अर्जित की, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यह ₹26074.99 लाख थी।
- उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात लाभ) ₹ 3059.62 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 2063.03 लाख) है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में ₹11644.53 लाख की तुलना में आरक्षित निधि एवं अधिशेष ₹14291.54 लाख है (वर्ष-दर-वर्ष 23% वृद्धि) और निवल संपत्ति ₹26377.59 लाख है जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में ₹23730.58 लाख थी (वर्ष-दर-वर्ष 11% वृद्धि)।
- आलोच्य वर्ष के दौरान हमारी ऑर्डर बुक में 31 मार्च, 2025 तक ₹45390.23 लाख के मूल्य के साथ वृद्धि का रुझान रहा है। हमें आशा है कि आगामी व्यावसायिक अवसरों को देखते हुए ऑर्डर बुक में और वृद्धि होगी।

प्रमुख परियोजनाएं, प्रयागराज में गंगा नदी पर रेलवे पुल, मिजोरम में बैराबी-सैरांग लाइन पर सात रेलवे पुल और मणिपुर में इरंग और इरिंग नदियों पर दो रेल पुल कुशलतापूर्वक किए गए हैं। प्रयागराज में गंगा नदी पर रेलवे पुल 12 दिसंबर 2024 से चालू है और महाकुंभ के दौरान बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। मिजोरम में बैराबी - सैरांग लाइन भी निकट भविष्य में चालू होने की संभावना है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में अन्य परियोजनाएं भी पूरी होने वाली हैं। कंपनी ने दूरस्थ परियोजना स्थलों की निर्माण इनपुट लागत और लॉजिस्टिक चुनौतियों में बढ़ोतरी के बावजूद प्रभावी ढंग से और कुशलता से संचालन किया है और परिचालन मार्जिन / लाभप्रदता बनाए रखने में सक्षम है। चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के सफल समापन ने संगठन की संस्थागत विशेषज्ञता को बढ़ाया है।

रेलवे पुलों के मुख्य खंड में कारोबार को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही अन्य खंडों में विविधीकरण के अवसरों की तलाश की जा रही है। हाल ही में कंपनी ने अन्य व्यावसायिक खंडों - रोड-ओवर-ब्रिज (आरओबी), रेल पुलों की री-गार्डरिंग, फुट-ओवर-ब्रिज (एफओबी), औद्योगिक संरचनाएं और पुराने अपशिष्ट प्रबंधन - में एक मामूली शुरुआत की है। कंपनी आईडब्ल्यूआई के पॉटून पुलों में भी प्रवेश का प्रयास कर रही है। यह जानकारी उत्साहवर्धक है कि इन नए क्षेत्रों में 45000.00 लाख रुपये से अधिक का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कंपनी भविष्य के व्यावसायिक अवसरों और चुनौतियों के अनुरूप कार्यकुशलता बढ़ाने, ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने और संगठन के ढांचे को पुनर्गठित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।

हमारा प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विविधीकरण करके स्थिरता के साथ विकास हासिल करना है। छोटे/मध्यम/बड़े मूल्य की परियोजनाओं के लिए, अपने दम पर या प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन/गठबंधन के माध्यम से, एक मजबूत व्यावसायिक अधिग्रहण रणनीति अपनाई जा रही है। वित्तीय स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करते हुए, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण, लागत जागरूकता और अनुकूलन तथा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता, सभी प्रयासों में हमारे दृष्टिकोण का आधार हैं। कंपनी स्थिरता, विकास और लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए सही दिशा में सोच-समझकर कदम उठा रही है।

हम वर्तमान व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ-साथ कार्य के नए क्षेत्रों को पूरा करने के लिए एक विविध और बहु-कुशल टीम के साथ एक सुव्यवस्थित और चुस्त संगठन विकसित करने के अपने दृष्टिकोण पर अडिग हैं। अपनी संस्थागत विशेषज्ञता को सुदृढ़ करते हुए, हम प्रशिक्षण, उन्नत कौशल, प्रौद्योगिकियों, नवीन विधियों/प्रक्रियाओं पर जोर देते रहेंगे और इस प्रकार अपनी टीम को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। हम पर्यावरण की स्थिरता और संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और अपनी परियोजनाओं/कार्यों को करते समय पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हैं।

कंपनी डीपीई, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत तिमाही और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट बिना किसी देरी के, निर्धारित तिथि के भीतर डीपीई के पास जमा की जाती है। डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई की ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, बीबीजे ने कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन के लिए लगातार 'उत्कृष्ट' ग्रेड प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक में कॉर्पोरेट प्रशासन पर विस्तृत रिपोर्ट अलग से दी गई है। हम डीपीई/भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के अपने सहयोगियों को कंपनी के समग्र प्रबंधन में उनके बहुमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं भारी उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, आरवीएनएल, इस्कॉन, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, नियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षकों, कानूनी सलाहकारों और परामर्शदाताओं, संयुक्त उद्यम भागीदारों और सभी हितधारकों से मिले पूर्ण सहयोग के लिए भी आभारी हूँ। हम कंपनी के भविष्य के प्रयासों में उनके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

मैं, संपूर्ण निदेशक मंडल की ओर से, बीबीजे के सभी स्तरों के कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनकी प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ।

आप सभी को धन्यवाद

जय हिन्द

कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारक,

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और प्रदर्शन पर 39वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

1 वित्तीय मुख्य अंश

1.1.1 कंपनी की वित्तीय विवरणियाँ लेखांकन की परिलाभ (एकूअल) पद्धति पर आधारित होकर उन भारतीय लेखांकन मानकों (इंड ए.एस.) के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, जिन्हें कंपनियाँ (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिसूचित और लागू प्रावधानों की सीमा तक अनुपालन किया गया है।

1.1.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 बनाम 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश नीचे दिया गया है:-(₹ लाख में)

ब्यौरा	2024-2025	2023-2024
संचालन से राजस्व	18276.59	25010.37
अन्य आय	1301.48	1064.61
मूल्यहास से पहले लाभ/(हानि), वित्तीय लागत, असाधारण वस्तुएँ और कर व्यय	4178.96	3014.33
घटाएँ: मूल्यहास/ परिशोधन/ क्षति	119.49	149.72
वित्तीय लागत, असाधारण मदों और कर व्यय से पहले लाभ/(हानि)	4059.47	2864.61
घटाएँ: वित्तीय लागत	50.84	69.29
कर व्यय से पहले लाभ/(हानि)	4008.63	2795.32
घटाएँ: कर व्यय (वर्तमान और आस्थगित)	949.01	732.29
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	3059.62	2063.03

1.1.3 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की कुल आय ₹19578.07 लाख है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान यह ₹26074.99 लाख थी। उक्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात लाभ) ₹3059.62 लाख है (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2063.03 लाख)।

1.1.4 आपकी कंपनी ने परिचालन और लाभप्रदता दोनों के संदर्भ में वृद्धि को गति देने के उद्देश्य से रेलवे और अन्य ग्राहकों से लाभदायक ऑर्डर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। आपकी कंपनी ने लगातार लाभ कमाने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है।

2 पूंजी संरचना

2.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की पूंजी संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ। 31 मार्च 2025 तक अधिकृत कुल शेयर पूंजी ₹ 34810 लाख है तथा चुकता शेयर पूंजी ₹ 12086.05 लाख है।

3 सामान्य आरक्षित

3.1 31 मार्च, 2025 तक सामान्य आरक्षित निधि (प्रतिधारित आय को छोड़कर) ₹ 1473.65 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 ₹ 1473.65 लाख) है।

4 लाभांश

- 4.1 बोर्ड द्वारा सिफारिश और आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के बाद भारत सरकार को लाभांश देय होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 412.61 लाख का लाभांश का भुगतान किया।
- 4.2 लाभांश भुगतान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और भारत सरकार / निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा निर्देशित होगा या छूट, यदि कोई हो, जैसा कि डीआईपीएएम द्वारा विचार किया जा सकता है।

5 प्रबंधन, चर्चा और विश्लेषण

5.1 कंपनी का संक्षिप्त विवरण

- 5.1.1 17 सितंबर 1986 में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) के रूप में निगमित कंपनी में, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति इसकी संपूर्ण 100% इक्विटी शेयर पूंजी रखते हैं। कंपनी एमएचआई के अंतर्गत एक अनुसूची 'ग' सीपीएसई है।
- 5.1.2 कंपनी निम्नलिखित व्यवसाय में लगी हुई है:
- इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय - रेलवे, आरओबी के लिए स्टील पुल, के बारे में काम,
 - परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) व्यवसाय - सिविल निर्माण,
 - औद्योगिक संरचनाएं,
 - जैव खनन विरासत अपशिष्ट,
 - कंपनी अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी विविधता लाने का प्रयास कर रही है।
- 5.1.3 कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं।
- 5.1.4 बीबीजे की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप है और आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के तहत प्रमाणित है।

5.2 बीबीजे का विजन, मिशन और उद्देश्य:

5.2.1 दृष्टि

- उच्च गुणवत्ता के साथ पुलों और अन्य इंजीनियरिंग चमत्कारों का नवाचार, डिजाइन और निर्माण करना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और लागत प्रभावी प्रथाओं के माध्यम से इंजीनियरिंग मानक।
- सभी के प्रति देखभाल और चिंता के साथ लाभदायक, उत्पादक, रचनात्मक, अनुपालनशील और वित्तीय रूप से सुदृढ़ बने रहना हितधारकों।

5.2.2 मिशन और उद्देश्य

- विश्व स्तरीय प्रमुख इंजीनियरिंग परियोजना कार्यान्वयन संगठन बनना।
- देश के भीतर और बाहर विशिष्ट पुलों और इंजीनियरिंग चमत्कारों का निर्माण करना।
- नवोन्मेषी, उद्यमशील बनना, निरंतर मूल्य सृजन करना तथा वैश्विक मानक प्राप्त करना।
- ग्राहक संतुष्टि के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध तथा नवाचार और कौशल उन्नयन के माध्यम से संगठन एवं कर्मचारियों की क्षमताओं को निरंतर विकसित करने हेतु संकल्पित।

5.3 उद्योग संरचना और विकास

- 5.3.1 अर्थव्यवस्था की स्थिति - वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित अर्थव्यवस्था का आकलन और दृष्टिकोण नीचे दिया गया है:

"मौद्रिक नीति समिति की 54वीं बैठक के साथ जारी अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट, मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को समर्थन देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है। नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके उसे 6 प्रतिशत करने का निर्णय मुद्रास्फीति में कमी, विशेष रूप से खाद्य कीमतों में, और आर्थिक गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार के आधार पर लिया गया है। 2025-26 के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत और मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के लक्ष्य दायरे में रहने की उम्मीद के साथ, यह रिपोर्ट वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सतर्क आशावाद का संकेत देती है।"

बाह्य मोर्चे पर, मजबूत सेवा निर्यात और मजबूत धन-प्रेषण प्रवाह ने वस्तु व्यापार घाटे को कम करने में मदद की है, जिससे चालू खाता घाटा टिकाऊ स्तर पर बना हुआ है। इस बीच, बेहतर प्रणालीगत तरलता, कम अल्पकालिक उधार लागत और स्थिर विदेशी मुद्रा भंडार भारत की वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को रेखांकित करते हैं। आरबीआई ने बदलती परिस्थितियों पर कड़ी नज़र रखने और व्यापक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए समय पर, सोच-समझकर कदम उठाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

(स्रोत - <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2120509>)

5.3.2 भारतीय अवसंरचना क्षेत्र और सरकारी पहल

5.3.1.1 सरकारी पहल निम्नलिखित के माध्यम से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी:

मजबूत मांग

आकर्षक अवसर

नीति समर्थन

निवेश में वृद्धि

5.3.1.2 बुनियादी ढांचे और रेलवे के विकास के सरकारी दृष्टिकोण से निर्माण क्षेत्र को उत्कृष्ट विकास के अवसरों के साथ बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपकी कंपनी, पुल निर्माण, सिविल निर्माण और औद्योगिक संरचनाओं में अपने अनुभव, विशेषज्ञता और क्षमता/योग्यता के साथ, अपनी क्षमता का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपकी कंपनी की रणनीति, बाजार विकास के लिए निरंतर प्रयास करने और स्थापित संस्थाओं के साथ गठजोड़ के माध्यम से क्षमता बढ़ाने की है, साथ ही स्थिरता और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने में सक्षम बनाएगी। आपकी कंपनी उद्देश्य-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार रहने पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी।

5.3.1.3 आपकी कंपनी आधुनिक इन्फ्रा परियोजनाओं के प्रसार के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने तथा पीएमसी व्यवसाय में विविधीकरण के माध्यम से अन्य व्यावसायिक अवसरों की खोज करने के अलावा आगामी वर्षों में रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना से और अधिक लाभ उठाने के लिए भी तैयार है।

5.3.1.4 आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों से पारंपरिक व्यवसाय पथ से विविध क्षेत्र में वादा किए गए विकास दर के साथ इसके प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार होगा।

5.3.1.5 भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर निरंतर जोर दिए जाने तथा आपकी कंपनी की पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर आदि जैसे कठिन क्षेत्रों में काम करने की क्षमता के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में व्यापार में वृद्धि होने की उम्मीद है।

5.4 ताकत और कमजोरी

5.4.1 ताकत

- भारत में महत्वपूर्ण/विशिष्ट पुलों के क्षेत्र में सशक्त ब्रांड जागरूकता और प्रतिष्ठा, समृद्ध अनुभव। पुल, सिविल निर्माण और औद्योगिक संरचना परियोजनाओं में कार्यरत।
- दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने का दशकों का अनुभव
- जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड

- हमारे ग्राहकों, उप-ठेकेदारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित स्थायी संबंध
- उच्च योग्य और अनुभवी इंजीनियरों/अधिकारियों और अन्य कुशल कर्मचारियों के साथ लीन संगठन
- सकारात्मक नेटवर्क 2005 से लगातार लाभप्रदता।
- अल्पावधि में A1+ और दीर्घावधि में A+ क्रेडिट रेटिंग सुविधाएं उपलब्ध होना।
- उत्तर एवं उत्तर पूर्व के सुदूर एवं ऊंचे भूभाग वाले क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रमाण-पत्र।

5.4.2 कमजोरी

- कंपनी में उच्च स्तर और प्रमुख पदों पर सेवानिवृत्ति के कारण अनुभवी कर्मचारियों की संख्या में कमी,
- चूंकि कंपनी अपने छोटे आकार के कारण वित्तीय बाधाओं का सामना कर रही है, इसलिए बड़े कार्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं के प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, जिससे पुल, सड़क और सिविल निर्माण आदि में मूल्यवान व्यवसाय का नुकसान हो रहा है।
- प्रवेश करने में असमर्थता में वित्तीय एवं अन्य सीमाओं के कारण बीओटी/बीओओ और अन्य प्रमुख परियोजना निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

5.5 अवसर, जोखिम और बाधाएं

5.5.1 अवसर

- भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत अभियान', 'मेक इन इंडिया', 'स्मार्ट सिटीज मिशन', 'पीएम गति शक्ति योजना' और विभिन्न अन्य पहलों की घोषित नीतियों के परिणामस्वरूप सड़क और सिविल निर्माण आदि में मांग बढ़ेगी, जिससे निर्माण कंपनियों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे।
- उच्च बजटीय आवंटन बुनियादी ढांचे के लिए भारत सरकार द्वारा क्षेत्र में 100 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- कॉर्पोरेट कर को युक्तिसंगत बनाना, आरईआईटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना जैसी उद्योग समर्थक नीतियों और पहलों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा बुनियादी ढांचे के क्षेत्र आदि
- भारत सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और विकास कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्य के विकास कार्य।
- भूतल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर।
- प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम/सहयोग।

5.5.2 जोखिम

- बुनियादी ढांचे में भारी निवेश हुआ है एक बड़े पैमाने पर आकर्षित निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि से प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई है।
- निजी क्षेत्र की कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ मार्जिन कम हो सकता है।
- नामांकन व्यवसाय पर प्रतिबंध.
- रिवर्स नीलामी परिचालन मार्जिन को प्रभावित करती है।

5.5.3 बाधाएं

एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते, निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कंपनी की क्षमता कम होती है। छोटे आकार और वित्तीय सीमाओं के बावजूद, आपकी कंपनी ने अपनी मुख्य क्षमताओं के साथ लाभप्रदता बनाए रखी है और भारत सरकार को निरंतर लाभांश का भुगतान किया है, साथ ही भारत के उत्तर और उत्तर-पूर्वी भाग सहित बुनियादी ढांचे से जुड़ी पहलों में मामूली योगदान दिया है।

- 5.5.3.1 प्रमुख परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि के कारण वित्तीय परिसंपत्तियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे नई परियोजनाओं में भागीदारी सीमित हो जाती है।
- 5.5.3.2 उच्च मूल्य और जटिल सिविल परियोजना/ वाया-डकट/ एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए क्रेडेंशियल का अभाव।
- 5.5.4 जोखिम और चिंताएँ
- 5.5.4.1 नामांकन द्वारा व्यवसाय में प्रतिबंध, निजी क्षेत्र द्वारा कड़ी प्रतिस्पर्धा और आक्रामक बोली, सीमित वित्तीय क्षमता/टर्नओवर के मुकाबले बड़े मूल्य के ईपीसी अनुबंध तथा निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में कम परिचालन लचीलापन भविष्य के व्यावसायिक अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं।
- 5.5.4.2 कंपनी के कर्मचारी और परियोजनाएँ कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में परिचालन के जोखिमों से जूझ रहे हैं/जुड़े हुए हैं। हालांकि, कंपनी को राष्ट्रीय निर्माण कार्य में प्रतिष्ठित कार्यों को अंजाम देने पर गर्व है। कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपाय किए हैं।
- 5.5.4.3 वित्तीय विवरणों पर नोट्स के अंतर्गत जोखिम संबंधी विवरण भी उल्लिखित हैं।

5.6 वर्तमान परिचालन, स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ

- 5.6.1 व्यावसायिक माहौल को निजी क्षेत्र से आक्रामक बोली प्रक्रिया के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, रिवर्स ऑक्शन ने भी अवसरों को सीमित कर दिया है। बड़े मूल्य के ईपीसी टेंडरों के लिए उन्नत साख (तकनीकी और सीमांत वित्तीय क्षमता) की आवश्यकता होती है। इस वर्तमान परिदृश्य में मार्जिन काफी कम हो जाता है।
- 5.6.2 दक्षता बढ़ाने की दिशा में उपरोक्त पहलों के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी निकट भविष्य में ऑर्डर बुक को सुरक्षित करने और उसमें उल्लेखनीय सुधार लाने के प्रति अत्यंत आशावादी है। हम बोली लगाने, संचालन, खरीद, कार्यान्वयन और परियोजनाओं के तेज़ टर्नओवर में दक्षता बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं।
- 5.6.3 आपकी कंपनी उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के कठिन इलाकों में जटिल परियोजनाओं को शुरू करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाते हुए उच्च मूल्य के ईपीसी और अन्य अनुबंध की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यम और गठजोड़ की भी संभावना तलाश रही है।

5.7 परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

- 5.7.1 बीबीजे रेलवे के लिए स्टील पुलों के निर्माण और स्थापना, सिविल निर्माण, आरओबी और अन्य सिविल परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कार्यों में संलग्न है।
- 5.7.2 कंपनी के वर्तमान व्यवसाय का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	विवरण	उत्पाद और सेवाएं	ग्राहक / क्लाइंट
(क)	इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय - स्टील पुल	निर्माण का: स्टील पुल, पुराने पुलों का पुनर्वास, पुल गार्डरों का विनिर्माण और आपूर्ति आदि।	भारतीय रेलवे और अन्य सीपीएसई
(ख)	परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) व्यवसाय - सिविल निर्माण कार्य	निर्माण का: भवन, स्कूल परिसर, सड़क आदि।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी)
(ग)	औद्योगिक संरचना	इस्पात संरचना का निर्माण और स्थापना	मेकॉन और अन्य सीपीएसई

क्रमांक	विवरण	उत्पाद और सेवाएं	ग्राहक / क्लाइंट
(घ)	विरासत अपशिष्ट का जैव-खनन	कचरे का प्रबंधन	चंडीगढ़ नगर पालिका

5.7.3 परिचालन प्रदर्शन

5.7.3.1 31 मार्च 2025 तक ऑर्डर बुक की स्थिति रेलवे ब्रिज परियोजनाओं से ₹ 26687 लाख और औद्योगिक संरचना सहित सिविल और औद्योगिक परियोजनाओं से ₹ 18703.23 लाख है, जो कुल मिलाकर ₹ 45390.23 लाख है।

5.7.3.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, रोड ओवरब्रिज, री-गर्डरिंग, स्टेशन विकास आदि के लिए ₹ 25598.06 लाख का ऑर्डर प्राप्त हुआ।

5.7.4 विविधीकरण और भविष्य की संभावना

5.7.4.1 भविष्य का दृष्टिकोण सकारात्मक है और आगामी वर्ष में कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन की संभावना है।

5.7.4.2 आपकी कंपनी द्वारा दो व्यावसायिक मॉडलों, अर्थात् परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) और इंजीनियरिंग खरीद एवं अनुबंध (ईपीसी) के अंतर्गत उत्पाद श्रृंखला के समेकन और विविधीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। मौजूदा उत्पाद मिश्रण के अतिरिक्त, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाएँ, जो आपकी कंपनी के व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत आती हैं, और सीमित साधनों और संसाधनों के साथ, हमने कार्य की आवश्यकता के अनुरूप अनुभव, विशेषज्ञता और दक्षता के स्तर के साथ सड़क, पुल और सिविल निर्माण कार्यों के ऑर्डर पहले ही निष्पादित कर दिए हैं।

कंपनी अपनी साख (तकनीकी और वित्तीय) को बढ़ाने और उच्च मूल्य वाले पीएमसी/ईपीसी/दर अनुबंधों के लिए "भविष्य के लिए तैयार" होने की आवश्यकता के प्रति सचेत है।

कंपनी द्वारा मौजूदा उत्पाद लाइन के समेकन के साथ-साथ पुनः सक्रियण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। व्यापक काअतीत में कंपनी की उत्पाद लाइन।

इस दिशा में, कंपनी उच्च मूल्य के ऑर्डर और अधिक अवसरों के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ सहयोग/गठबंधन की निरंतर संभावनाएं तलाश रही है।

संबंधित क्षेत्रों जैसे एलिवेटेड कॉरिडोर, केबल ब्रिज, एफओबी, आरओबी, औद्योगिक संरचनाओं आदि में विविधीकरण पर काम किया जा रहा है। पूर्ण रूप से गतिविधियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

मौजूदा ऑर्डर पूरे करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को मुक्त करने तथा भविष्य के ऑर्डरों के लिए उनका लाभ उठाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सक्रिय दृष्टिकोण और संभावित चुनौतियों से जोखिम कम करने का अभ्यास किया जा रहा है। आपकी कंपनी भविष्य में उत्पादन और लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार के प्रति आशान्वित है।

5.7.4.3 उच्च मूल्य की निविदाओं के लिए बोली लगाने हेतु निर्माण उद्योग की अन्य प्रमुख कंपनियों के साथ आपकी कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन/संघ के रूप में रणनीतिक गठजोड़ पर विचार किया जा रहा है। इस नीतिगत पहल का मुख्य उद्देश्य समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियों के बीच तकनीकी-आर्थिक तालमेल के लाभों का पता लगाना है। तकनीकी रूप से अनुकूल होने के अलावा, यह प्रक्रिया समय के साथ कंपनियों और संघ के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और इसके परिणामस्वरूप लाभ में वृद्धि होगी।

5.7.5 कंपनी की योजना अपनी मुख्य क्षमता को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की है, जो इस प्रकार है:

- 1) ईपीसी व्यवसाय में वृद्धि
 - ए) संयुक्त उद्यम के माध्यम से: उच्च मूल्य की सरकारी निविदाओं में भाग लेने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ गठजोड़/संयुक्त उद्यम (जेवी)।

इस प्रयोजन के लिए, आपकी कंपनी ने क्रमशः आईटीडी सीमेंटेशन और एबीसीआई के साथ संयुक्त उद्यम गठित किए हैं जो वर्तमान में परिचालन में हैं।
 - बी) राज्य संपर्क परियोजनाओं के अंतर्गत स्टील पुलों के निर्माण, रेलवे के विभिन्न खंडों की नई लाइन/दोहरीकरण लाइन परियोजनाओं के निर्माण आदि के लिए रेलवे, आरवीएनएल, इस्कॉन आदि द्वारा आमंत्रित बोलियों में नियमित भागीदारी।
- 2) पीएमसी व्यवसाय में विपणन प्रयासों में वृद्धि:

पीएमसी व्यवसाय में पीएमसी अनुबंध प्राप्त करने और उन्हें क्रियान्वित करने के अवसरों का विविधीकरण की दिशा में अन्वेषण किया गया है। हाल ही में बीबीजे द्वारा पीएमसी व्यवसाय में एक परियोजना को क्रियान्वित करने का कार्य शुरू किया गया है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी अन्य सीपीएसई हैं।

5.8 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

5.8.1 कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा की एक पर्याप्त प्रणाली है जो प्रबंधन को वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों की प्रभावशीलता की समीक्षा करने में मदद करती है। यह यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी लेनदेन सही ढंग से अधिकृत, रिकॉर्ड और रिपोर्ट किए जाएँ।

5.9 मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध में विकास।

5.9.1 निदेशकों की रिपोर्ट में इस खंड पर अलग से चर्चा की गई है।

5.10 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण:

5.10.1 निदेशकों की रिपोर्ट में इस खंड पर अलग से चर्चा की गई है।

5.11 कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी :

5.11.1 निदेशकों की रिपोर्ट में इस खंड पर अलग से चर्चा की गई है।

5.12 चेतावनी कथन

5.12.1 इस प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'भविष्यदर्शी कथन' हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफी या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में गिरावट, भारत और विदेशों में आर्थिक परिवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, कर कानून, मुकदमेबाजी और श्रम संबंध शामिल हैं।

5.12.2 इस धारा के अंतर्गत सूचना का सामान्य स्रोत निम्नानुसार है:

- आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) - वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट।

6 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

6.1 आपकी कंपनी को दिनांक 25-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या M-03/0021/2022-23-डीपीई(एमओयू) के तहत समझौता ज्ञापन प्रक्रिया से छूट दी गई है। हालाँकि, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एक आंतरिक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7 बोर्ड, समितियाँ और संबंधित जानकारी/प्रकटीकरण

7.1 निदेशक मंडल

7.1.1 बोर्ड और अन्य समिति बैठकों की संरचना, बैठकों की तिथि, उक्त बैठकों में निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति सहित अवधि के दौरान बैठकों की संख्या और अन्य आवश्यक विवरण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत अलग से शामिल किए गए हैं, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इसका हिस्सा है।

7.2 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

7.2.1 दिनांक 31 मार्च 2025 को कंपनी में कार्यरत कार्यकारी निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे:-

- i कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त) – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (तकनीकी) अतिरिक्त प्रभार
- ii श्री सुजीत कुमार घोष – निदेशक (वित्त)
- iii श्री नवीन कुमार मिश्रा – कंपनी सचिव (सीएस)।

7.3 बोर्ड मूल्यांकन और बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

7.3.1 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के तहत सरकारी कंपनियों को अपने निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन से छूट दे दी है।

7.3.2 भारत सरकार द्वारा नियुक्त गैर-कार्यकारी बोर्ड सदस्य उद्योग, वाणिज्य और प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। बोर्ड में उनकी उपस्थिति व्यावसायिक निर्णय लेने में लाभदायक और उपयोगी रही है। निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और अन्य गतिविधियों से परिचित कराने के उद्देश्य से उन्हें कंपनी के अवलोकन पर एक प्रस्तुति दी जाती है। बोर्ड को एजेंडा पत्रों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वित्तीय प्रदर्शन, चल रही परियोजनाओं की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक संचालन संबंधी मामलों की जानकारी के माध्यम से कंपनी के समग्र मामलों से अवगत कराया जाता है।

7.4 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

7.4.1 अधिनियम की धारा 134 के अनुसार, निदेशक प्रमाणित करते हैं कि:

- (क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन है तो उसके संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;
- (ख) उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- (ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;
- (घ) वार्षिक लेखे चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किये गये हैं;
- (ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की जाती हैं तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हों तथा प्रभावी रूप से कार्य करें।

7.5 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

- 7.5.1 31 मार्च 2025 की स्थिति में दो स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित घोषणाएँ, जिसमें धारा 149 के तहत स्वतंत्र निदेशक द्वारा दी जाने वाली घोषणा भी सम्मिलित है, लागू नहीं होती।

7.6 लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति:

- 7.6.1 आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित पारदर्शिता, जवाबदेही, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर लेखा परीक्षा और अन्य बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित करती रहती है।
- 7.6.2 बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों के गठन, बैठकों, उपस्थिति और अन्य विवरणों का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इसका हिस्सा है।
- 7.6.3 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन सार्वजनिक उद्यम विभाग (कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश 2010 के तहत आवश्यकतानुसार किया गया है।
- 7.6.4 लेखा परीक्षा समिति के लिए संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत 'लेखा परीक्षा समिति की भूमिका' पर खंड 4.2 के तहत शासित होती हैं।

7.7 संबंधित पक्ष लेनदेन

- 7.7.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण माना जा सके।
- 7.7.2 संबंधित पक्ष के अंतर्गत आने वाले नियमित लेनदेन, यदि कोई हों, तो इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग में प्रकट और स्पष्ट किए गए हैं।

7.8 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण

- 7.8.1 भारत सरकार का उद्यम होने के नाते, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के तहत निर्धारित पारिश्रमिक और अन्य विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है।
- 7.8.2 आपकी कंपनी ने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) एवं 5(3) के प्रावधानों के अंतर्गत कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है।

8 सूचना एवं सतर्कता ढांचा, नीतियां, प्रक्रियाएं:

8.1 गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा

- 8.1.1 आपकी कंपनी वांछित गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों और मानकीकृत विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। निरंतर निगरानी और कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया का पालन किया जाता है। निर्माण में सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वास्तव में, निर्माण के हर पहलू में सुरक्षा को हर समय सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकताओं के अनुरूप, ISO 9001:2015 के अंतर्गत प्रमाणित है।
- 8.1.2 वार्षिक आधार पर, गुणवत्ता प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है तथा इस अवसर पर परियोजना स्थलों पर सुरक्षा की आवश्यकताओं को सुगम बनाने के लिए जागरूकता हेतु सुरक्षा के सामान्य दिशानिर्देश पढ़े जाते हैं।

8.2 कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण, जिसमें जोखिम के तत्वों की पहचान शामिल है, यदि कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरा पहुंचा सकता है।

8.2.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेट और परिचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यावसायिक कार्यप्रणाली के एक भाग के रूप में किया जाता है, न कि किसी निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में। एक अभिन्न अंग होने के नाते, कार्य करने की प्रक्रिया में जहां भी आवश्यकता हुई और जरूरी हुआ, जोखिम प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए नीतिगत पहल की गई।

8.3 निगम से संबंधित शासन प्रणाली:

8.3.1 आपकी कंपनी अपने समग्र कामकाज में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का निरंतर प्रयास करती है। कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाती है, जिसे डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है।

8.3.2 आपकी कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों का समय-समय पर बोर्ड द्वारा नामित सदस्यों द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति की प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षण किया जाता है।

8.4 सतर्कता तंत्र / विहसल ब्लोअर नीति

8.4.1 कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए अच्छी तरह से निगरानी तंत्र स्थापित किया है, जिसमें व्यावसायिकता, ईमानदारी, निष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामलों का संचालन करने के लिए विधिवत अपनाई गई विहसल ब्लोअर नीति शामिल है।

8.4.2 नीति का उद्देश्य भयमुक्त वातावरण बनाना है। विहसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यहाँ उपलब्ध है। <https://www.bbconst.com/rti/bbj-whistle-blower-policy.pdf>

8.5 सूचना का अधिकार

8.5.1 कंपनी के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र है।

8.5.2 वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 38 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का उत्तर दिया गया।

8.6 सतर्कता

8.6.1 सुश्री चंद्राणी गुप्ता, आईईएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान सतर्कता गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन किया गया।

8.7 लेखांकन नीति/मानक का पालन

8.7.1 कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लागू लेखांकन मानकों और नियमों के अनुसार तैयार किए गए थे और इसे अपनाने के बाद से उनका पालन किया जा रहा है।

- 8.7.2 वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण पर्याप्त रूप से समझाया गया है।
- 8.7.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रखरखाव निरंतर किया जाता है।

8.8 आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण

- 8.8.1 कंपनी पर्याप्त है कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक और शीघ्र वित्तीय रिपोर्टिंग सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली अनुपालन और में सुधार अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता।
- 8.8.2 कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय कानूनी, वैधानिक और नियामक अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार संचालित हो।
- 8.8.3 कंपनी के बोर्ड द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य और उस पर रिपोर्टिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक फर्म नियुक्त की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जाती है। प्रबंधन को कंपनी की लेखा परीक्षा समिति और लेखा परीक्षा समिति के साथ मिलकर काम किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षकों के सुझावों के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और इस प्रकार समग्र नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाता है।
- 8.8.4 कंपनी के पास प्रबंधन द्वारा जारी स्थापित कार्यालय प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं, जो सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को कवर करते हैं, जैसे विपणन, खरीद और कार्य, सामग्री, भंडार, लेखा और व्यक्तिगत मैनुअल आदि।
- 8.8.5 आंतरिक लेखा परीक्षा का दायरा, योजना, आंतरिक नियंत्रण तंत्र और वित्तीय एवं परिचालन प्रणाली के मुद्दों को भविष्य की सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक संरचित बनाया गया है।
- 8.8.6 प्रबंधन उचित सावधानी बरतता है और परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटि की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करता है।

9 लेखा परीक्षकों

9.1 2024-2025 के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

- 9.1.1 एमएस बाटलीबॉय पुरोहित और दरबारी, सनदी लेखाकार, कोलकाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन303086E), कोलकाता को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 9.1.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को लेखा टिप्पणियों में पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर भी इस वार्षिक रिपोर्ट के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अनुभाग में सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- 9.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सीए) के तहत आवश्यक है कि उपधारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल रिपोर्टिंग न की जाए। धारा 143 धोखाधड़ी के संबंध में।

9.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियाँ

- 9.2.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने अपनी दिनांक 31 जुलाई 2024 की टिप्पणी के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखा परीक्षण (सप्लीमेंटरी ऑडिट) न करने का निर्णय लिया है। सी एंड ए जी की उक्त टिप्पणी की प्रति कंपनी के वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा है।

9.3 सचिवीय लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

- 9.3.1 सचिवीय लेखा परीक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 9.3.2 कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू/अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया है।

10 मानव संसाधन, सीएसआर, महिला सशक्तिकरण और कल्याण गतिविधियाँ

10.1 मानव संसाधन

- 10.1.1 परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से, संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ बदलते औद्योगिक परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कठोर और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
- 10.1.2 आवश्यकतानुसार नीतियों में संशोधन किया गया, और कर्मचारी-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से कर्मचारियों को संगठन में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मान्यता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कुशल मानव संसाधन प्रणालियों के निर्माण की दिशा में कई पहल की गईं, जिससे कंपनी में पारदर्शिता और प्रभावी संचार प्रणाली में वृद्धि हुई और उचित प्रणाली के माध्यम से समझौता ज्ञापन के मानदंडों का उचित ढंग से पालन किया गया।
- 10.1.3 कर्मचारी से संबंधित किसी भी शिकायत का समय पर समाधान हेतु शिकायत समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। कर्मचारियों के कार्यात्मक और व्यवहारिक कौशल को ध्यान में रखते हुए, दक्षता बढ़ाने और कर्मचारियों में स्व-शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मॉड्यूल के अंतर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।
- 10.1.4 इसके अलावा, वर्तमान नवोन्मेषी और चुनौतीपूर्ण बाजार को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्रों में हो रहे नवीनतम रुझानों/तकनीकों और परिवर्तनों से अवगत कराने और उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की ताकि वे एक टीम के रूप में समग्र संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर क्षमता और उत्साह के साथ कार्य कर सकें। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।

10.2 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व; वर्ष के दौरान की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों पर कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में विवरण

- 10.2.1 कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत अपेक्षित सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दी गई है, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सीएसआर निधि और उसके उपयोग का विस्तृत विवरण दिया गया है।
- 10.2.2 कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है <https://www.bbjconst.com/rti/bbj-csr-policy.pdf>

10.3 महिला सशक्तिकरण

- 10.3.1 कंपनी लैंगिक समानता को निरंतर महत्व देती रही है। वेतन भुगतान, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण संबंधी पहलुओं और मातृत्व लाभ आदि जैसे मुद्दों पर महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों/वैधानिक प्रावधानों का कंपनी द्वारा पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।

10.4 समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

10.4.1 मौजूदा श्रम कानूनों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में सम्मिलित वैधानिक कल्याण सुविधाएं, सरकारी नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति के प्रति कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रावधानों के अलावा, कर्मचारियों के कल्याण के लिए कंपनी द्वारा प्रशासित की जाती हैं।

10.5 एमएसएमई को प्रोत्साहन/सहायता:

- 10.5.1 समीक्षाधीन अवधि में कुल खरीद में से अधिकांश एमएसएमई के माध्यम से की गई। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को 45 दिनों से अधिक की अवधि के लिए कुछ भी बकाया नहीं रहेगा।
- 10.5.2 सामाजिक कल्याण संगठनों को चरणबद्ध तरीके से जरूरतमंदों से सामग्री और सेवाओं की चुनिंदा सोर्सिंग/खरीद के माध्यम से सहायता और समर्थन प्रदान किया गया।

11 अन्य प्रकटीकरण

11.1 कानूनी अनुपालन

11.1.1 बोर्ड को एजेंडा नोट्स के माध्यम से नियमित आधार पर वैधानिक और अन्य अनिवार्य कानूनी अनुपालनों से अवगत कराया जाता है, जिसमें वैधानिक प्राधिकारियों से प्राप्त नोटिस, यदि कोई हो, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई शामिल है।

11.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण

11.2.1 कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधान का अनुपालन किया है। आंतरिक शिकायत समिति को यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों पर गौर करने और स्पष्ट समय सीमा के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने का अधिकार है।

11.2.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- | | | |
|-------|---|-------|
| (i) | वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या : | शून्य |
| (ii) | वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या : | शून्य |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या : | शून्य |

11.3 ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

11.3.1 समीक्षाधीन अवधि के लिए, कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं किया गया था, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों और उसके भाग के रूप में नोट्स के अंतर्गत शामिल है।

11.4 बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता:

- 11.4.1 आपकी कंपनी के पास एक सुस्पष्ट नीतिगत ढाँचा है जो सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नैतिक व्यावसायिक आचरण हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, जिसका उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय को नैतिक रूप से और जिम्मेदारी, निष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ संचालित करना है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। <https://www.bbjconst.com/rti/bbj-code-of-conduct.pdf> सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने समीक्षाधीन अवधि के लिए आचार संहिता का अनुपालन किया है।
- 11.4.2 डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुरूप आचार संहिता के अनुपालन पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

आचार संहिता पर घोषणा

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए दिनांक 14 मई 2010 को भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा जारी "कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देश, 2010" के खंड 3.4.2 के अनुसार, मैं यह घोषित करता हूँ कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने उक्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित आचार संहिता के वार्षिक आधार पर पालन की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर :

कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09832486

11.5 हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग

11.5.1 कंपनी में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार के राजभाषा विभाग की राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन और अनुपालन हेतु अपने प्रयास जारी रखा। कुछ प्रमुख अनुपालन इस प्रकार हैं:

- कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।
- त्रैमासिक हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।
- टीओएलआईसी द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया गया और हिंदी भाषा में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई।
- कंपनी में सितंबर, 2024 माह में "हिंदी पखवाड़ा" का आयोजन किया गया और इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों के बीच विभिन्न हिंदी कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

11.6 वार्षिक रिटर्न का अंश

- 11.6.1 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ विधिवत दायर वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध है -<https://www.bbjconst.com/financials.html> उपर्युक्त प्रथम पैरा में वर्णित प्रावधानों के मद्देनजर, फॉर्म संख्या एमजीटी-9 में 'वार्षिक रिटर्न का उद्घरण' समीक्षाधीन अवधि के लिए बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है।

11.7 वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों का प्रदर्शन

- 11.7.1 भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीबीसीसीपीएल) बीबीजे और गैमन इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। नामित निदेशक की स्थिति 'निष्क्रिय' होने के बाद, बीबीजे द्वारा अपने निदेशक के लिए या तो दोष को सुधारने या बीबीसीसीपीएल के गठन के लिए एसोसिएशन के लेखों और संयुक्त उद्यम समझौते के संदर्भ में निदेशकों का नया नामांकन करने का अनुरोध किया गया था। कई अनुस्मारक के बावजूद, जीआईएल द्वारा निदेशकों का कोई सुधार या नया नामांकन नहीं किया गया है। इस कारण से, निदेशकों या शेयरधारकों की बैठकें आयोजित करने में गतिरोध है क्योंकि बोर्ड या शेयरधारकों की उक्त बैठकें आयोजित करने के लिए कोई कोरम नहीं है। इस संबंध में कोई नई प्रगति नहीं हुई है।
- 11.7.2 उक्त गतिरोध के कारण फॉर्म संख्या 22ए, सक्रिय दाखिल नहीं किया जा सका और इसलिए, कंपनी की वर्तमान स्थिति निष्क्रिय, गैर-अनुपालन वाली है।
- 11.7.3 बीबीसीसीपीएल वस्तुतः एक निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका आधार दूसरे हुगली पुल के निर्माण के उद्देश्य के पूरा होने के बाद नष्ट हो गया, जिसके लिए इसे निगमित किया गया था। वर्तमान में, बीबीसीसीपीएल में कोई कर्मचारी नहीं है।
- 11.7.4 भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक सहायक कंपनी, माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा समापन आदेश पारित होने के बाद परिसमापन के अधीन है। परिसमापन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
- 11.7.5 बंद पड़े संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का वित्तीय विवरण उपलब्ध न होने के कारण समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।

11.8 पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी का संरक्षण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

11.8.1 ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण:

- 11.8.1.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। आंतरिक तंत्र के माध्यम से, ऊर्जा संरक्षण हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रणाली की समय-समय पर जाँच की जा रही है और विभिन्न स्थानों पर परियोजना स्थलों पर कार्यरत संयंत्रों से कार्बन एवं अन्य गैसों के उत्सर्जन के स्तर की निगरानी हेतु नीति बनाई जा रही है।
- 11.8.1.2 अपने संसाधनों के सीमित उपयोग, अनुबंधों की प्रकृति और विभिन्न स्थलों पर चल रही परियोजनाओं की अल्प अवधि के कारण, वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना मुश्किल हो रहा है। ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में पूंजी निवेश उक्त स्थलों पर फिलहाल यह संभव नहीं है। हालाँकि, इसके लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भविष्य में इसे व्यवहार्य तरीके से लागू किया जा सकेगा।
- 11.8.1.3 सभी नई निर्माण परियोजनाओं में सर्वोत्तम उपलब्ध बिजली बचत तकनीकों को अपनाकर ऊर्जा की खपत को न्यूनतम करने पर जोर दिया जा रहा है, एलसीडी से एलईडी लाइटिंग पर स्विच करने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा, अधिकांश परियोजनाएँ ऊर्जा मानदंडों के अनुरूप हैं, और उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण ऊर्जा कुशल हैं।
- 11.8.1.4 आपकी कंपनी समुदाय और उसके सभी लोगों के लिए पर्यावरण-अनुकूल बनी रही। संबंधित कानूनों के किसी भी उल्लंघन के लिए प्राधिकारियों या नियामकों से कभी कोई नोटिस या कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ।

11.8.2 प्रौद्योगिकी अवशोषण:

- 11.8.2.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान, शुरुआत से पीछे की ओर गणना की गई वित्तीय वर्ष 2024-2025 के कंपनी द्वारा कोई प्रौद्योगिकी आयात नहीं की गई थी।

11.8.2.2 वरिष्ठ प्रबंधन को नई तकनीकों और उत्पादों के बारे में जागरूकता प्रदान की जा रही है ताकि वे उनका उपयोग कर सकें। नई और नवीन तकनीकों पर प्रस्तुतियाँ आयोजित की जा रही हैं। कार्य की पारंपरिक प्रकृति, लागत और आकार संबंधी बाधाओं आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण, कंपनी वर्तमान में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ नहीं कर रही है।

11.8.3 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

11.8.3.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं किया गया।

12 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित अन्य प्रकटीकरण:

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणियाँ
1)	कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, और रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित हुई हों।	शून्य
2)	एक विवरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के कार्य निष्पादन तथा अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है।	बीबीजे एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 100% सरकारी शेयरधारिता है। इसके अलावा, कुछ सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण, ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होते हैं।
3)	निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति	बीबीजे एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसमें 100% सरकारी शेयरधारिता है। इसके अलावा, कुछ सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण, ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होते हैं।
4)	वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजी संरचना में कोई भी परिवर्तन	शून्य
5)	शेयरों या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम	शून्य
6)	कर्मचारी स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी शेयरों का निर्गम	शून्य
7)	डिबेंचर, बांड या किसी भी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम	शून्य
8)	वारंट जारी करना	शून्य
9)	जमा राशि का विवरण	शून्य
10)	निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ)	पिछले सात वर्षों में कोई भी लाभांश अप्रदत्त नहीं है।
11)	व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो;	शून्य
12)	उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या नहीं रह गई हैं;	शून्य
13)	अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों से संबंधित विवरण	शून्य
14)	उन जमाओं का ब्यौरा जो अधिनियम के अध्याय V की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं;	शून्य

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणियाँ
15)	नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो भविष्य में चालू व्यवसाय की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।	शून्य

पावती

निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों के अथक प्रयासों की सराहना करते हैं, जिन्होंने रिपोर्ट के दौरान कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका समर्पण और प्रतिबद्धता संगठन को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी।

बीबीजे को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विशेषकर भारी उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकारों आदि से भरपूर समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सभी हितधारकों, विशेषकर आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और व्यावसायिक भागीदारों ने संगठन की सफलता के लिए जबरदस्त समर्थन दिया है।

निदेशकगण यह आश्वासन देते हैं कि वे आपकी कंपनी की रणनीतिक योजनाओं पर निरंतर केंद्रित रहते हुए इसे उत्तरदायी रूप से उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से,
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कोमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09832486

दिनांक: 20 अगस्त, 2025

कोलकाता

कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट

यह रिपोर्ट भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

<p>कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों पर कंपनी का सिद्धांत</p>	<p>कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी के सिद्धांत का उद्देश्य दीर्घकालिक शेयरधारकों के मूल्य और कंपनी की संपत्ति बनाने की क्षमता को बढ़ाना है:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अच्छे व्यावसायिक निर्णय लेने और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करना ● कंपनी के सभी निर्णयों और गतिविधियों में पारदर्शिता और व्यावसायिकता प्राप्त करना ● प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुपालन का पालन करना ● कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करना: <ol style="list-style-type: none"> 1. कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रचलित दिशानिर्देशों का पालन करना और जहाँ तक संभव हो, उत्कृष्टता प्राप्त करना 2. कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए व्यवसाय के संचालन में उच्च नैतिक मानक स्थापित करना 3. आगे सुधार के लिए मौजूदा प्रणाली और नियंत्रणों की समय-समय पर समीक्षा करना 														
<p>निदेशक मंडल</p>	<p>कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।</p> <p>31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का विवरण नीचे दिया गया है:</p>														
<p>बोर्ड संरचना</p>	<table border="1" data-bbox="446 928 1495 1255"> <thead> <tr> <th>निदेशकों का डीआईएन</th> <th>नाम</th> <th>वर्ग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09832486</td> <td>कमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)</td> <td>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी)/ अतिरिक्त प्रभार</td> </tr> <tr> <td>09222808</td> <td>श्री उदय भान सिंह</td> <td>उप सचिव – एमएचआई (सरकार द्वारा नामित निदेशक)</td> </tr> <tr> <td>09614219</td> <td>श्री सुजीत कुमार घोष</td> <td>निदेशक (वित्त)-कार्यात्मक निदेशक</td> </tr> </tbody> </table> <p>वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए, जिसमें 31 मार्च, 2025 के बाद से रिपोर्ट की तिथि तक की अवधि शामिल है:</p> <p>श्री राजीव कुमार सिंह 31.01.2025 को बीबीजे के निदेशक तकनीकी के पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री उदय भान सिंह, उप सचिव - एमएचआई को 27.02.2025 से श्री आदित्य कुमार घोष के स्थान पर सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। बीबीजे में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती सरला देवी का कार्यकाल 14.02.2025 को समाप्त हो गया। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश संदर्भ संख्या 12 (2) / 2022.पीई.III दिनांक 06 जून 2024 के अनुसार, श्री सुजीत कुमार घोष को 07.06.2024 से प्रभावी रूप से द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश के अनुसार संदर्भ संख्या 12(1)/2020-पीई-III दिनांक 08 जुलाई 2025 के अनुसार श्री नरेश कुमार को 14.07.2025 से द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।</p> <p>कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के लिए स्वीकृत पदों में से 2 पद रिक्त हैं।</p>			निदेशकों का डीआईएन	नाम	वर्ग	09832486	कमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी)/ अतिरिक्त प्रभार	09222808	श्री उदय भान सिंह	उप सचिव – एमएचआई (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	09614219	श्री सुजीत कुमार घोष	निदेशक (वित्त)-कार्यात्मक निदेशक
निदेशकों का डीआईएन	नाम	वर्ग													
09832486	कमोडोर राकेश छीलर (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी)/ अतिरिक्त प्रभार													
09222808	श्री उदय भान सिंह	उप सचिव – एमएचआई (सरकार द्वारा नामित निदेशक)													
09614219	श्री सुजीत कुमार घोष	निदेशक (वित्त)-कार्यात्मक निदेशक													

आयोजित बैठकें (बोर्ड एवं लेखा परीक्षा समिति)	बैठक संख्या एवं बैठक की तिथि		निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति																					
	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें	167वीं बोर्ड बैठक 28-06-2024 को	सभी ने भाग लिया																					
		168वीं बोर्ड बैठक 08-08-2024 को	सभी ने भाग लिया																					
		169वीं बोर्ड बैठक 03-12-2024 को	सभी ने भाग लिया																					
		170वीं बोर्ड बैठक 21-03-2025 को	सभी ने भाग लिया																					
	लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान	73वीं बोर्ड बैठक 28-06-2024 को	सभी ने भाग लिया																					
		74वीं बोर्ड बैठक 08-08-2024 को	सभी ने भाग लिया																					
		75वीं बोर्ड बैठक 03-12-2024 को	सभी ने भाग लिया																					
		76वीं बोर्ड बैठक 21-03-2025 को	सभी ने भाग लिया																					
	बोर्ड ने सरकार द्वारा नामित निदेशक और कार्यात्मक निदेशक सहित कुल 2 सदस्यों की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। यह पुनर्गठन तब तक जारी रहेगा जब तक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं हो जाती।																							
लेखा परीक्षा समिति	भूमिका और संदर्भ की शर्तें:	<ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश के पैरा 4.2 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत निर्दिष्ट मामलों में भाग लेना। प्रबंधन, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली और जोखिम संबंधी मामलों का आकलन करना 																						
	संरचना, बोर्ड बैठकें और उपस्थिति	<table border="1"> <thead> <tr> <th>निदेशकों का नाम</th> <th colspan="2">वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कमोडोर राकेश छिल्लर</td> <td>बैठक आयोजित -04</td> <td>उपस्थित - 04</td> </tr> <tr> <td>श्री आदित्य कुमार घोष</td> <td>बैठक आयोजित -03</td> <td>उपस्थित - 03</td> </tr> <tr> <td>श्री राजीव कुमार सिंह</td> <td>बैठक आयोजित -03</td> <td>उपस्थित - 03</td> </tr> <tr> <td>श्री सुजीत कुमार घोष</td> <td>बैठक आयोजित -04</td> <td>उपस्थित - 04</td> </tr> <tr> <td>श्रीमती सरला देवी</td> <td>बैठक आयोजित -03</td> <td>उपस्थित - 03</td> </tr> <tr> <td>श्री उदय भान सिंह</td> <td>बैठक आयोजित -01</td> <td>उपस्थित - 01</td> </tr> </tbody> </table>		निदेशकों का नाम	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति		कमोडोर राकेश छिल्लर	बैठक आयोजित -04	उपस्थित - 04	श्री आदित्य कुमार घोष	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03	श्री राजीव कुमार सिंह	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03	श्री सुजीत कुमार घोष	बैठक आयोजित -04	उपस्थित - 04	श्रीमती सरला देवी	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03	श्री उदय भान सिंह	बैठक आयोजित -01	उपस्थित - 01
	निदेशकों का नाम	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति																						
कमोडोर राकेश छिल्लर	बैठक आयोजित -04	उपस्थित - 04																						
श्री आदित्य कुमार घोष	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03																						
श्री राजीव कुमार सिंह	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03																						
श्री सुजीत कुमार घोष	बैठक आयोजित -04	उपस्थित - 04																						
श्रीमती सरला देवी	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03																						
श्री उदय भान सिंह	बैठक आयोजित -01	उपस्थित - 01																						
संरचना, लेखा परीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति	<table border="1"> <thead> <tr> <th>निदेशकों का नाम</th> <th colspan="2">वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>श्री राजीव कुमार सिंह</td> <td>बैठक आयोजित -03</td> <td>उपस्थित - 03</td> </tr> <tr> <td>श्री आदित्य कुमार घोष</td> <td>बैठक आयोजित -03</td> <td>उपस्थित - 03</td> </tr> <tr> <td>श्रीमती सरला देवी</td> <td>बैठक आयोजित -03</td> <td>उपस्थित - 03</td> </tr> <tr> <td>श्री उदय भान सिंह</td> <td>बैठक आयोजित -01</td> <td>उपस्थित - 01</td> </tr> <tr> <td>श्री सुजीत कुमार घोष</td> <td>बैठक आयोजित -01</td> <td>उपस्थित - 01</td> </tr> </tbody> </table> <p>वित्तीय वर्ष 2024-25 में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें, जो अनिवार्य थीं, निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर ली गईं।</p> <p>बोर्ड ने सरकार द्वारा नामित निदेशक और कार्यात्मक निदेशक सहित कुल 2 सदस्यों की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। यह पुनर्गठन एमएचआई से स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन प्राप्त होने तक जारी रहेगा।</p>		निदेशकों का नाम	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति		श्री राजीव कुमार सिंह	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03	श्री आदित्य कुमार घोष	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03	श्रीमती सरला देवी	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03	श्री उदय भान सिंह	बैठक आयोजित -01	उपस्थित - 01	श्री सुजीत कुमार घोष	बैठक आयोजित -01	उपस्थित - 01				
निदेशकों का नाम	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति																							
श्री राजीव कुमार सिंह	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03																						
श्री आदित्य कुमार घोष	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03																						
श्रीमती सरला देवी	बैठक आयोजित -03	उपस्थित - 03																						
श्री उदय भान सिंह	बैठक आयोजित -01	उपस्थित - 01																						
श्री सुजीत कुमार घोष	बैठक आयोजित -01	उपस्थित - 01																						

सीएसआर और अन्य समिति की बैठकें	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एक बैठक अर्थात 13वीं सीएसआर समिति की बैठक 21 मार्च 2025 को आयोजित की गई। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।																		
स्वतंत्र निदेशक	<p>स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सरकारी आदेशों द्वारा की जाती है, जिनके पास अपने संबंधित क्षेत्र/पेशे में विशेषज्ञता/अनुभव होता है। स्वतंत्र निदेशक न तो प्रवर्तकों से जुड़े होते हैं और न ही उनसे संबंधित होते हैं, और न ही उनका कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध होता है, और इसके अलावा, कंपनी की कुल मतदान शक्ति का दो प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा उनके पास नहीं होता है।</p> <p>कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत अपेक्षानुसार स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा लागू नहीं होती है।</p> <p>स्वतंत्र निदेशकों की बैठक फीस कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।</p>																		
आचार संहिता	<p>बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निर्धारित आचार संहिता का मसौदा लागू कर दिया गया है।</p> <p>डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश 2010 के खंड 3.4.2 के अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा यह घोषणा कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है, निदेशकों की रिपोर्ट के प्रासंगिक भाग के तहत दी गई है।</p>																		
आम सभा की बैठकें पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण	<table border="1"> <thead> <tr> <th>अंतिम वर्ष</th> <th>बैठक संख्या और तिथि</th> <th>समय और स्थान</th> <th>विशेष संकल्प</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-2022</td> <td>36वीं एजीएम, 30 सितंबर, 2022</td> <td>15:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>2022-2023</td> <td>37वीं एजीएम, 30 सितंबर, 2023</td> <td>11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>2023-24</td> <td>38वां एजीएम, 31 अगस्त, 2024</td> <td>11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल में</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table>	अंतिम वर्ष	बैठक संख्या और तिथि	समय और स्थान	विशेष संकल्प	2021-2022	36वीं एजीएम, 30 सितंबर, 2022	15:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल	शून्य	2022-2023	37वीं एजीएम, 30 सितंबर, 2023	11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल	शून्य	2023-24	38वां एजीएम, 31 अगस्त, 2024	11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल में	शून्य		
अंतिम वर्ष	बैठक संख्या और तिथि	समय और स्थान	विशेष संकल्प																
2021-2022	36वीं एजीएम, 30 सितंबर, 2022	15:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल	शून्य																
2022-2023	37वीं एजीएम, 30 सितंबर, 2023	11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल	शून्य																
2023-24	38वां एजीएम, 31 अगस्त, 2024	11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001, पश्चिम बंगाल में	शून्य																
वार्षिक आम बैठक - 2025	सभी वार्षिक आम बैठकें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित की गईं। 39वां कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात सितंबर 2025 के भीतर आयोजित की जानी है।																		

अन्य खुलासे	निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के साथ भौतिक प्रकृति के लेन-देन जो कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकते हैं	शून्य
	संबंधित पक्ष लेनदेन	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए खातों से संलग्न, प्रकटित
	कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन या उस पर लगाए गए प्रतिबंधों का विवरण	शून्य
	व्हिसल ब्लोअर नीति और यह पुष्टि कि किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है	यह पुष्टि की जाती है कि किसी को भी लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया था
	इन दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण	1 अनुपालन किया गया। 2 कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों के लिए स्वीकृत पदों में से 2 पद रिक्त हैं।
	वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और उनके अनुपालन का विवरण	अनुपालन हेतु कोई निर्देश लंबित नहीं हैं
लेखा पुस्तकों में डेबिट किए गए व्यय की मंदा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं	शून्य	
	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय तथा निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए व्यय	शून्य
संचार के साधन	एक गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के कारण, तिमाही परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं पत्राचार के लिए पता: दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, 27, राजेंद्र नाथ मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700001 वेबसाइट: www.bbjconst.com ई-मेल: info@bbjconst.com टेलीफोन: 91 33 2248 5841-44 (ईपीबीएक्स) 91 33 2210 3961 (फैक्स)	
लेखापरीक्षा योग्यताएं	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर भी इस वार्षिक रिपोर्ट के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अनुभाग में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ रखा गया है।	
प्रशिक्षण	बोर्ड सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा कंपनी द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है।	
कॉर्पोरेट प्रशासन लेखा परीक्षा	कॉर्पोरेट प्रशासन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।	

कॉर्पोरेट प्रशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण,
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल

हमने दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “कंपनी” कहा गया है) द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देश, 2010 के खंड 8.2.1 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है (जिसे आगे “दिशा-निर्देश” कहा गया है)।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण केवल उन प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित रहा, जिन्हें कंपनी ने दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अपनाया है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी की वित्तीय विवरणियों पर किसी प्रकार की राय व्यक्त करता है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा कि दिशानिर्देशों में निर्धारित है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए सनदी लेखाकारी
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 303086E

हेमल मेहता
साझेदार

सदस्यता संख्या 063404

यूडीआईएन : 2506340YBMJMIF8820

सनदी लेखाकार

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25 जून 2025

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

[कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के अंतर्गत निर्धारित अनुलग्नक-II]

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।

कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप, बीबीजे ने अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, सितंबर, 2012 में आयोजित बोर्ड बैठक में पहली बार सीएसआर नीति को मंजूरी दी और इसके बाद कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर से संबंधित मामलों में समय-समय पर किए गए गतिशील परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए बाद में संशोधन किए, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित किया, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे:

- सीएसआर परियोजना की योजना
- आधारभूत सर्वेक्षण
- कार्यान्वयन की प्रक्रिया
- कार्यान्वयन एजेंसी के लिए वित्तपोषण, निगरानी और योग्यता मानदंड
- स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित निधि में योगदान भी शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग के सीएसआर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति
1.	श्री उदय भान सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री सुजीत कुमार घोष	निदेशक (वित्त) - सदस्य

वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या: वित्त वर्ष 2024-25 में 1 (एक) सीएसआर समिति की बैठक आयोजित की गई

वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या: सीएसआर समिति की बैठक में उपस्थिति नीचे दी गई है

21-03-2025 को आयोजित 12वें सीएसआर समिति की बैठक में निम्नलिखित सभी सदस्यों ने भाग लिया:

क्र. सं.	नाम	निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति
1.	श्री उदय भान सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक - अध्यक्ष
2.	श्री सुजीत कुमार घोष	निदेशक (वित्त) - सदस्य

3. वेब-लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर बताई गई हों।

- वेब-लिंक: <https://bbjconst.com/rti.html>

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

- लागू नहीं।

5. कंपनियों (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसार समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण तथा यदि कोई हो, तो संबंधित वित्त वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि का विवरण।

- लागू नहीं।

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	कर पूर्व लाभ (लाख रुपये)
2021-22	494.13
2022-23	1309.43
2023-24	2795.32
औसत शुद्ध लाभ	1532.96

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

30.66 लाख रुपये (जो वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के औसत शुद्ध लाभ का 2% है)

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

कोई नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो

कोई नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल सीएसआर दायित्व है **30.66 लाख रुपये**

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययि राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि। (रुपये में)		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि। (रुपये में)		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि
30.66 लाख* (वित्त वर्ष 2024-25)	शून्य		पीएम केयर्स फंड	30.66 लाख	27.03.2025 (वित्तीय वर्ष 2024-25)

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड



(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) (रुपये में) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
लागू नहीं												

(ग) वित्त वर्ष के दौरान चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य मदों पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : लागू नहीं

(घ) प्रशासनिक उपरिव्ययों में व्यय की गई राशि- लागू नहीं

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो- लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+ङ)- लागू नहीं

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो- लागू नहीं

क्र. सं.	विशिष्ट	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	30.66 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2024-25)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि *	30.66 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2024-25)
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6), यदि कोई हो, के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)
				फंड का नाम	राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि	
शून्य							

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा: **लागू नहीं**

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। **(परिसंपत्ति-वार विवरण)- शून्य**
- (क) पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि- शून्य
- (ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि- शून्य
- (ग) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि-शून्य
- (घ) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) - शून्य
11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।
- उपरोक्त बिन्दु 6 के मद्देनजर लागू नहीं।

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

दिनांक: 20 अगस्त-2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर, यह संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुपालन हेतु, दिनांक 25 जून, 2025 की पूर्व रिपोर्ट के स्थान पर तैयार की गई है।

योग्य राय

हमने दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और उस वर्ष समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरण, और स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के टिप्पणी, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के "योग्यता युक्त मत के आधार" अनुभाग में वर्णित विषय के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनियाँ अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी अपेक्षित रूप में प्रदान करते हैं और भारतीय लेखा मानकों (जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत, कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, ("भारतीय लेखांकन मानक") के साथ पठनीय हैं) तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की स्थिति 31 मार्च 2025 को, उसके लाभ (जिसमें अन्य समग्र आय शामिल है), नकदी प्रवाह और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तनों का सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

- नोट संख्या 7 के अनुसार चालू परिसंपत्तियों में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), जो कि कंपनी की एक सहायक कंपनी है, को दिया गया ₹5932.96 लाख (31 मार्च 2024 को ₹5932.96 लाख) का ऋण तथा ₹33656.29 लाख (31 मार्च 2024 को ₹33656.29 लाख) की अर्जित ब्याज राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की एक अन्य सहायक इकाई वे बर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्लूआईएल) को दिया गया ₹656.03 लाख (31 मार्च 2024 को ₹656.03 लाख) का ऋण तथा ₹350.26 लाख (31 मार्च 2024 को ₹350.26 लाख) की अर्जित ब्याज राशि भी शामिल है। नोट संख्या 16 के अनुसार, उधारियों में भारत सरकार से प्राप्त ₹6588.99 लाख (31 मार्च 2024 को ₹6588.99 लाख) का ऋण शामिल है और नोट संख्या 20 के अनुसार, अन्य वित्तीय दायित्वों में उपरोक्त भारत सरकार के ऋण पर देय ब्याज ₹34006.55 लाख (31 मार्च 2024 को ₹34006.55 लाख) शामिल है। यहां यह उल्लेखनीय है कि बीपीएमईएल वर्ष 2004 से परिसमापन की प्रक्रिया में है और कंपनी की स्वीकृत दावा राशि ₹39898.01 लाख (31 मार्च 2024 को ₹39898.01 लाख) है, जबकि डब्लूआईएल का परिसमापन सभी कार्यवाहियों की समाप्ति के उपरांत वर्ष 2020 में पूर्ण हो गया था।

उपरोक्त सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार, उक्त ऋणों एवं अर्जित ब्याज को, जो कि भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अर्जित ब्याज के समतुल्य हैं, लागत मूल्य पर दर्शाया गया है। चूंकि इस वर्ष की वित्तीय विवरणियों में इन ऋणों एवं अर्जित ब्याज पर हानि भत्ते (लॉस अलाउंस) के मूल्यांकन एवं प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है, अतः इसका कंपनी की इस वर्ष की लाभप्रदता तथा देनदारियों/परिसंपत्तियों पर विशेष वित्तीय प्रभाव स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है।

- नोट संख्या 7 "अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ" के अंतर्गत लेनदारों को अग्रिम के रूप में ₹571.56 लाख (31 मार्च 2024 को ₹571.56 लाख) विभिन्न पक्षों को दिया गया है, जिनके विरुद्ध ₹885.25 लाख (31 मार्च 2024 को ₹885.25 लाख) की एक संबंधित देनदारी वर्तमान में प्रचलित है। कंपनी ने इन राशियों को पुनः प्राप्ति योग्य (गुड) माना है और वर्ष के दौरान इनमें कोई समायोजन नहीं किया गया है। चूंकि लेनदारों को अग्रिम तथा संबंधित देनदारियों के समायोजन अभी लंबित हैं, अतः इनका कंपनी की इस वर्ष की लाभप्रदता तथा देनदारियों/परिसंपत्तियों पर विशिष्ट वित्तीय प्रभाव ज्ञात नहीं हो सका है।
- नोट संख्या 5 "निवेश" के अंतर्गत भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), जो कि पूर्व में कंपनी की सहायक कंपनी थी, में ₹486.30 लाख (31 मार्च 2024 को ₹486.30 लाख) तथा जेसप एंड कंपनी लिमिटेड में ₹2558.01 लाख (31 मार्च 2024 को ₹2558.01 लाख) का निवेश शामिल है। ये दोनों कंपनियाँ वर्तमान में परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, उपरोक्त संस्थाओं की रिपोर्टिंग तिथि पर स्थिति के बावजूद, इन निवेशों को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है। चूंकि वर्ष के दौरान इन निवेशों के मूल्य में हास का कोई मूल्यांकन अथवा उसके अनुसार कोई प्रावधान वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है, अतः इनका कंपनी की इस वर्ष की लाभप्रदता तथा देनदारियों/परिसंपत्तियों पर विशिष्ट वित्तीय प्रभाव ज्ञात नहीं हो सका है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ' अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का ज़ोर

हम वित्तीय विवरणों के टिप्पणी में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- टिप्पणी संख्या 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ-चालू में ₹26.21 लाख (31 मार्च 2024 ₹26.21 लाख) के अन्य अग्रिम शामिल हैं, जिनमें ₹1,000,000 शामिल हैं। बिक्री कर अपील के लिए जमा राशि 15.76 लाख रुपये (31 मार्च 2024 को 15.76 लाख रुपये) और वेतन अग्रिम के रूप में शेष 10.45 लाख रुपये (31 मार्च 2024 को 10.45 लाख रुपये) का समायोजन किया जा रहा है।
- टिप्पणी संख्या 13 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ शामिल करना संवैधानिक प्राधिकारियों के पास अग्रिम राशि के रूप में जमा किए गए ₹21.84 लाख (31 मार्च 2024 तक ₹21.84 लाख) बहुत पुराने हैं। कंपनी इनका समाधान और समायोजन करने की प्रक्रिया में है।
- टिप्पणी संख्या 58, कंपनी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, जो एक सहायक कंपनी है, जो परिसमापन के अधीन है और वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) एक सहायक कंपनी है, जिसे वसूली न हो पाने के मद्देनजर 07 फरवरी 2020 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के

आदेश के अनुसार बंद कर दिया गया है, दोनों को दिए गए 6588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2024 6588.99 लाख रुपये) के ऋण पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए अर्जित किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है।

इसके अलावा, कंपनी ने देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है। वर्तमान के लिए वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से 6588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2024 6588.99 लाख रुपये) के ऋण पर, जिसका उपयोग उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था।

4. टिप्पणी संख्या 54 के अनुसार, संबंधित सहायक अभिलेखों में दर्शाए गए शेषों के अनुसार, पुस्तकों में शामिल कुछ व्यापारिक प्राप्य, व्यापारिक देय, ऋण और अग्रिम आदि के शेष, संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं। हालांकि, कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं होंगी।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

“अन्य सूचना”

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्वतंत्र वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को समाहित नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या ऐसी अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई भौतिक रूप से गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं।

स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को

समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्वतंत्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है। एसएएस के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या स्वतंत्र वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा

उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "अनुलग्नक -क" में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संलग्न स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, सिवाय योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के;
 - (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है, योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर;
 - (ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, खाता पुस्तकों के अनुरूप हैं;
 - (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ें, जैसा कि योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर संशोधित किया गया है;
 - (ङ) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए 31 मार्च 2025 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार 31 मार्च 2025 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है;
 - (च) कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक-ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है;
 - (छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संशोधित

किया गया है:

- i. कंपनी ने स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है, स्वतंत्र वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी 31 और टिप्पणी 43 देखें;
- ii. कंपनी ने दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध किए हैं और वित्तीय वर्ष के अंत तक दीर्घकालिक अनुबंधों के अधूरे हिस्से पर ₹362.38 लाख की अनुमानित हानि दर्ज की है। कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है;
- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
- iv. (अ) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;
- (ब) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्त पोषण पक्ष") शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;
- (स) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (अ) और (ब) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।
- v. दौरान वर्ष कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश घोषित और भुगतान किया है और यह अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।
- vi. हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल थी, के आधार पर, कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर पूरे वर्ष एप्लिकेशन में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए काम करता रहा है। हमारी ऑडिट के दौरान, हमें ऐसा कोई मामला नहीं मिला है। एक ऑडिट का लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के ऑडिट ट्रेल को कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित किया गया है, जिस सीमा तक इसे पिछले वर्ष में सक्षम और रिकॉर्ड किया गया था।

- (ज) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार तथा दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम संलग्न अनुबंध "ग" में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086E

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 063404
यूडीआईएन: 25063404BMJMKG3167

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 05 अगस्त 2025

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

हमारी जानकारी के अनुसार तथा कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई व्याख्याओं और ऑडिट की सामान्य प्रक्रिया के दौरान परीक्षित लेखा बहियों एवं अभिलेखों के आधार पर, हम यह घोषित करते हैं कि:

- I. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:
 - (क) (अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
(ब) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
 - (ख) संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरणों का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा किया गया तथा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार इस सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। हमारे ऑडिट के दौरान यह देखा गया कि केवल वर्ष के दौरान की गई नई खरीद के मामलों को छोड़कर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरणों के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है।
 - (ग) भवन में स्थायी संरचनाएँ शामिल हैं जिनकी कीमत ₹131.46 लाख (पिछले वर्ष ₹131.46 लाख) है और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (पूर्व में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) से लाइसेंस/ किराया समझौते के तहत प्राप्त सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कोलकाता स्थित भूमि पर है। कंपनी नियमित रूप से किराया भुगतान करती है। लेकिन एक प्रति हमारे सत्यापन के लिए विलेख/ समझौते का विवरण हमें प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
 - (ङ) वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2025 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
- II. (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है और हमारी राय में प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है।
(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को ₹5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा बैंकों द्वारा मंजूर/नवीनीकृत की गई है, जो कंपनी की चालू परिसंपत्तियों की गारंटी के आधार पर दी गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा उन बैंकों के साथ दायर की गई त्रैमासिक रिपोर्ट या विवरण कंपनी की लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- III. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी (एलटीपी) या अन्य पक्षों को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, या ऋण या अग्रिम राशि, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं की है। इसलिए, आदेश का खंड 3(iii) लागू नहीं होता है।
- IV. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी राय में, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी नहीं दी है और कोई प्रतिभूति नहीं दी है जिस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हों। इसलिए, आदेश का खंड 3 (iv) लागू नहीं होता।
- V. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अर्थ के भीतर जमा मानी जाने वाली कोई जमा राशि या राशि स्वीकार नहीं की है या धारण नहीं कर रही है। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- VI. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा हमारी राय में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

VII. वैधानिक बकाया के संबंध में:

- (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए बही-खातों और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया से संबंधित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है। कुछ मामलों में देरी को छोड़कर, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, सेवा कर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च 2025 तक उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी, सिवाय नीचे बताए गए को छोड़कर।

क्र.सं	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	वह अवधि जिससे यह संबंधित है (वित्तीय वर्ष)
1	वृत्ति कर	0.66	पुराना बकाया
2	स्रोत पर एकत्रित कर	0.16	
3	देय सेवा कर (बीबीयूएनएल)	1.94	
4	स्रोत पर कर कटौती	1.45	
5	बिक्री कर	1.54	
6	आयकर	4.57	2006-07
7	आयकर	2.35	2008-09
8	आयकर	0.08	2012-13

- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांची गई बहियों और अभिलेखों के आधार पर, जैसा भी लागू हो, नीचे आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, भविष्य निधि के बकाया का विवरण दिया गया है, जो विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है और वह फोरम जहां विवाद लंबित है:

क्र. सं.	क्रानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	जिसकी अवधि (वित्त वर्ष) से संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित/खारिज किया गया है	मात्रा (लाख रुपये में)
1	डब्ल्यू.बी. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य अनुबंध कर	2011-12	वाणिज्यिक कर संयुक्त आयुक्त	4.30
2	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	कार्य अनुबंध कर	2010-11	वाणिज्यिक कर संयुक्त आयुक्त	33.25
3	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	कार्य अनुबंध कर	2011-12	वाणिज्यिक कर संयुक्त आयुक्त	30.98
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर मांग, धारा 75 के तहत उस पर ब्याज (योग्य नहीं राशि) और लगाया गया जुर्माना	2007-08 से 2011-12	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण	154.45

क्र. सं.	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	जिसकी अवधि (वित्त वर्ष) से संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित/खारिज किया गया है	मात्रा (लाख रुपये में)
5	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952	देय क्षतिपूर्ति/ब्याज	03/2000 से 04/2008	भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल ने मांग प्रस्तुत की है। कंपनी ने कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली और माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष अपील दायर की है। मांग राशि ₹96.10 लाख है और बीबीयूएनएल भविष्य निधि ट्रस्ट संगठन के पास ₹41.96 लाख की निधि है।	54.14
6	दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004	कार्य अनुबंध कर	2004-05	वाणिज्यिक कर विभाग	19.36
7	बिहार जीएसटी	टीआरएन 1 ब्याज	2017-18	अपीलीय न्यायाधिकरण	12.55
8	डब्ल्यू.बी. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य अनुबंध कर	2016-17	अपीलीय प्राधिकारी	0.21
9	आयकर	आयकर मांग	2009-10	आयकर आयुक्त (अपील)	10.65
10	आयकर	आयकर मांग	2010-11	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	0.96
11	आयकर	आयकर मांग	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील)	69.95
12	आयकर	आयकर मांग	2012-13	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	285.31
13	आयकर	आयकर मांग	2013-14	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	66.80
14	आयकर	आयकर मांग	1999-20	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	58.67
15	आयकर	आयकर मांग	2014-15	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी	4.94
16	छत्तीसगढ़ जीएसटी	अतिरिक्त आईटीसी का दावा	2019-2020	संयुक्त आयुक्त	5.15

- VIII. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं हुआ है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।
- IX. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने बैंकों से लिए गए ऋण या उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, जुटाई गई धनराशि एक छोटी सी बात पर अवधि के आधार पर नहीं किया है वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दीर्घकालीन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है।
- (ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चलता है कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।
- (च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- X. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- XI. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, हमारे द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।
- (ग) वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- XII. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- XIII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है तथा संबंधित पक्षों के लेनदेन का ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- XIV. (क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
- (ख) हमने वर्ष के दौरान और हमारे ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी को जारी की गई आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों पर विचार किया है।
- XV. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी ने अपने निदेशकों या निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XVI. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत

पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

XVII. कंपनी को वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

XVIII. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

XIX. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

XX (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी राय में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी राशि अव्ययित नहीं है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग इस वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) कंपनी के पास कोई चालू परियोजना नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

बाटलीबॉय, पुरोहित एवं दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086E

हेमल मेहता
साझेदार

सदस्यता संख्या: 063404

यूडीआईएन: 25063404BMJMKG3167

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 05 अगस्त 2025

अनुलग्नक - "ख"

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2(एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2025 तक दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है, साथ ही उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का भी लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित "स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों" के आधार पर स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार की है। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसे इस प्रकार निष्पादित करना होगा कि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित होते थे।

हमारे लेखापरीक्षा में स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी का स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी के लेन-देन और परिसंपत्तियों के निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन, जिसका स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल पाता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

राय

यह हमारे विचार में, हमारे पास उपलब्ध जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 को प्रभावी रूप से कार्यरत थे। यह आकलन कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखा परीक्षा के लिए मार्गदर्शक नोट" में बताए गए नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086E

हेमल मेहता

साझेदार

सदस्यता संख्या: 063404

यूडीआईएन: 25063404BMJMKG3167

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 05 अगस्त 2025

अनुलग्नक - "ग"

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर सम संख्या की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के निर्देश, जो वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का जवाब
<p>(I) लेखांकन सॉफ्टवेयर क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रसंस्करण से खतों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव (यदि कोई हो) का भी उल्लेख किया जाए।</p>	<p>कंपनी टैली प्राइम नामक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है और स्टॉक को छोड़कर सभी अकाउंटिंग लेनदेन इसके माध्यम से संसाधित करती है, जिसका लेखा मैनुअल रूप से किया जाता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे उपरोक्त अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अलावा कोई भी अकाउंटिंग लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है।</p>
<p>(II) ऋण पुनर्गठन क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।</p>	<p>कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/ बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।</p>
<p>(III) सरकारी निधि/अनुदान का उपयोग क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाइये।</p>	<p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि न प्राप्त हुई/ न ही प्राप्त होने वाली थी।</p>

बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 303086E

हेमल मेहता

साझेदार

सदस्यता संख्या: 063404

यूडीआईएन: 25063404BMJMKG3167

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 05 अगस्त 2025

लेखा परीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधन का जवाब

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
	योग्य राय	
1	<p>नोट संख्या 7 में वर्तमान परिसंपत्तियों में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक सहायक कंपनी को 5932.96 लाख रुपये का ऋण (31 मार्च 2024 5932.96 लाख रुपये) और अर्जित ब्याज 33656.29 लाख रुपये (31 मार्च 2024 33656.29 लाख रुपये) और कंपनी की सहायक कंपनी वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) को 656.03 लाख रुपये का ऋण (31 मार्च 2024 656.03 लाख रुपये) और अर्जित ब्याज 350.26 लाख रुपये (31 मार्च 2024 350.26 लाख रुपये) शामिल हैं। नोट संख्या-16, उधार में भारत सरकार से 6588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2024 6588.99 लाख रुपये) का ऋण शामिल है और नोट संख्या 20, अन्य वित्तीय देनदारियों में भारत सरकार के ऋणों पर देय ब्याज 34006.55 लाख रुपये (31 मार्च 2024 34006.55 लाख रुपये) शामिल हैं। बीपीएमईएल 2004 से परिसमापन के अधीन है और कंपनी के स्वीकृत दावे 39898.01 लाख रुपये (31 मार्च 2024 39898.01 लाख रुपये) हैं और सभी परिसमापन कार्यवाही पूरी होने के बाद 2020 में डब्ल्यूआईएल भंग हो गई।</p> <p>उपरोक्त सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, इस तथ्य के आधार पर कि उक्त सहायक कंपनियों को देय ऋण ब्याज सहित और भारत सरकार से ऋण उपार्जित ब्याज सहित समान हैं, कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार इन्हें लागत पर वहन किया गया है। चूंकि वर्ष के वित्तीय विवरण में ऋणों और उपार्जित ब्याज की हानि भत्ते के लिए कोई आकलन और परिणामी प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देनदारियों/परिसंपत्तियों पर इसका विशिष्ट वित्तीय प्रभाव अनिश्चित है।</p>	<p>बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को योजनागत और गैर-योजनागत उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण, संबंधित सहायक कंपनियों को संवितरित करने के लिए बीबीयूएनएल (पूर्ववर्ती होल्डिंग कंपनी) के माध्यम से भेजे जाते थे। सहायक कंपनियों की स्थिति चाहे जो भी हो, ऐसे ऋण और उस पर ब्याज की वसूली न होने की किसी भी स्थिति में, भारत सरकार के उचित निर्देशों के साथ, उसे भारत सरकार को देय ऋण और ब्याज की संगत राशि में समायोजित किया जाना चाहिए। सहायक कंपनियों को ऐसे ऋणों को लागत पर देने का संबंध कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुच्छेद 17 पर आधारित है और वर्षों से इसका निरंतर पालन किया जा रहा है।</p>

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
2	नोट संख्या 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, लेनदारों को अग्रिम राशि में विभिन्न पक्षों को ₹571.56 लाख (31 मार्च 2024 को ₹571.56 लाख) शामिल हैं, जिसके सापेक्ष ₹885.25 लाख (31 मार्च 2024 को ₹885.25 लाख) की देयता आज की तिथि तक बनी हुई है। कंपनी ने इसे अच्छा माना और वर्ष के दौरान कोई समायोजन नहीं किया गया। लेनदारों को अग्रिम राशि और संबंधित देयताओं के साथ ऐसे लंबित समायोजनों के कारण, वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देयताओं/परिसंपत्तियों पर विशिष्ट वित्तीय प्रभाव अनिश्चित है।	इस तरह के अग्रिम विभिन्न पक्षों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिए गए थे और उनके बिल आज तक असमायोजित हैं। जिन मामलों में अनुबंधों के विरुद्ध ऋण शेष असमायोजित पड़े हैं, उन्हें तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए और शेष राशि की वसूली हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी वसूली न होने या किसी लंबित समायोजन की स्थिति में, मामले-दर-मामला आधार पर उचित प्रावधान किया जाना चाहिए।
3	नोट संख्या 5 निवेश में भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक पूर्ववर्ती सहायक कंपनी में 486.30 लाख रुपये (31 मार्च 2024 486.30 लाख रुपये), जेसॉप एंड कंपनी लिमिटेड में 2558.01 लाख रुपये (31 मार्च 2024 2558.01 लाख रुपये) शामिल हैं, दोनों परिसमापन के अधीन हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, कहा गया निवेश लागत पर किया गया है। चूंकि वर्ष के दौरान वित्तीय विवरण में ऐसे निवेशों के मूल्य में हानि के लिए कोई मूल्यांकन और परिणामी प्रावधान नहीं किए गए हैं, इसलिए वर्ष के लिए कंपनी की लाभप्रदता और देनदारियों/परिसंपत्तियों पर इसका विशिष्ट वित्तीय निहितार्थ अनिश्चित है।	सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में निवेश, कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के पैरा 17 के अनुसार लागत पर वहन किए जाते हैं। पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) ने निर्दिष्ट सहायक कंपनियों में संबंधित निवेश के लिए भारत सरकार द्वारा जारी इक्विटी फंड से ऐसी सहायक कंपनियों में निवेश किया था। सहायक कंपनियों की स्थिति चाहे जो भी हो, ऐसे निवेशों के प्राप्ति योग्य मूल्य में किसी भी अंतर की स्थिति में, भारत सरकार के उचित निर्देशों के साथ, कंपनी अपनी लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन करेगी।
	विषय का महत्व	
1	नोट संख्या 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां-चालू में 26.21 लाख रुपये (31 मार्च 2024 26.21 लाख रुपये) के अन्य अग्रिम शामिल हैं, जिसमें बिक्री कर अपील के लिए जमा करने के लिए 15.76 लाख रुपये (31 मार्च 2024 15.76 लाख रुपये) और वेतन अग्रिम के रूप में 10.45 लाख रुपये (31 मार्च 2024 10.45 लाख रुपये) का शेष शामिल है, जिसका समाधान किया जा रहा है।	ऐसे अग्रिमों की एक सूची वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के नोट संख्या 49 में दी गई है। कंपनी ऐसे सभी अग्रिमों की गहन जांच करेगी और जहां भी आवश्यक हो, इसकी वसूली/समायोजन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।
2	नोट संख्या 13 अन्य वर्तमान संपत्तियों में सरकार और वैधानिक प्राधिकारियों के पास अग्रिम के रूप में जमा 21.84 लाख रुपये (31 मार्च 2024 ₹.21.84 लाख) शामिल हैं जो बहुत पुराने हैं। कंपनी इसे समायोजित करने के लिए सुलह की प्रक्रिया में है।	ऐसी जमाओं की एक सूची वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के नोट संख्या 50 में दी गई है। कंपनी ऐसी सभी जमाओं की गहन जांच करेगी और जहां भी आवश्यक हो, उनकी वसूली/समायोजन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन जवाब
3	<p>नोट संख्या 58 के अनुसार, कंपनी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, जो एक सहायक कंपनी है और परिसमापन के अधीन है, तथा वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (WIL), जो एक सहायक कंपनी है, जिसे वसूली न हो पाने के मद्देनजर 07 फरवरी, 2020 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बंद कर दिया गया है, दोनों को दिए गए 6588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2024 6588.99 लाख रुपये) के ऋणों पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए अर्जित किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है।</p> <p>साथ ही, कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 6588.99 लाख रुपये (31 मार्च 2024 6588.99 लाख रुपये) के ऋणों पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है, जिसका उपयोग उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था।</p>	<p>बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों को योजना और गैर-योजना उद्देश्य के लिए भारत सरकार के ऋण संबंधित सहायक कंपनियों को संवितरण के लिए बीबीयूएनएल (तत्कालीन होल्डिंग कंपनी) के माध्यम से भेजे जाते थे। सहायक कंपनियों की स्थिति के बावजूद, ऐसे ऋण और उस पर ब्याज की वसूली न होने की किसी भी स्थिति में, इसे भारत सरकार को उनके उचित निर्देशों के साथ देय ऋण और ब्याज की राशि के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। चूंकि सहायक कंपनियाँ परिसमापन/बंद होने के अधीन हैं, ऐसे ऋण और अग्रिमों पर ब्याज को पुस्तकों में उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए सहायक कंपनियों से ब्याज की वसूली अनिश्चित है।</p>
4	<p>नोट संख्या 54 प्रासंगिक सहायक अभिलेखों में दिखाई देने वाले शेष के अनुसार पुस्तकों में शामिल कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ऋण और अग्रिम आदि के शेष, संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन के अधीन हैं, यदि कोई भी। हालाँकि, कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं होंगी।</p>	<p>कुछ पार्टियों से पुष्टि प्राप्त हो चुकी है और लेखा परीक्षकों को दिखाई जा चुकी है। हालाँकि, लेखा परीक्षकों की उक्त टिप्पणी को आगे के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।</p>

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है, जो कि अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। यह कार्य उन्होंने अपने दिनांक 05 अगस्त 2025 के संशोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जो कि उनके पूर्व दिनांक 25 जून 2025 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को निरस्त करता है, में किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है, जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों तक कोई पहुँच नहीं रही है, तथा यह मुख्यतः वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जाँच तक सीमित रहा है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संशोधन कर, मेरे पूरक लेखा परीक्षण के दौरान उठाए गए कुछ लेखा परीक्षण अवलोकनों को सम्मिलित किया गया है। अतः, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर मुझे कोई अतिरिक्त टिप्पणी या परिशिष्ट देने की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(यशोधरा राय चौधरी)

अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (खान)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 12 अगस्त 2025

**लेखापरीक्षित
वित्तीय विवरण**

31 मार्च 2025 तक तुलन पत्र

(सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा एवं अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	टिप्पणी	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2	490.56	572.94
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	3.94	8.47
पूँजीगत कार्य प्रगतिधीन	4	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
निवेश	5	3,179.16	3,174.47
व्यापार प्राप्तियाँ	6	-	-
अन्य	7	4,839.82	5,457.91
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ शुद्ध	8	719.82	639.15
		9,233.30	9,852.93
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
भंडार	9	2,802.85	3,853.50
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्तियाँ	6	1,987.61	2,343.28
नकद और नकद के समतुल्य	10	5,190.80	2,280.41
अन्य बैंक बैलेंस	11	13,945.21	13,695.70
अन्य	7	43,579.61	43,769.24
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	12	-	456.29
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	13	6,245.06	982.49
		73,751.14	67,380.91
		82,984.44	77,233.83
कुल परिसंपत्तियाँ			
इक्विटी और देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूँजी	14	12,086.05	12,086.05
अन्य इक्विटी	15	14,291.54	11,644.53
कुल इक्विटी		26,377.59	23,730.58
गैर वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	16	192.11	217.92
अन्य वित्तीय देयताएँ	20	69.89	121.49
व्यापार देयताएँ	19		

टिप्पणी	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	323.96	323.55	
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-	
प्रावधान	17	418.34	441.98
अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	18	4,135.28	4,156.89
		5,139.58	5,261.82
वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधार	16	6,589.00	6,589.00
पट्टा देयताएँ		-	-
व्यापार देयताएँ	19	-	-
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		499.00	501.04
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	20	38,233.69	38,369.00
अन्य वर्तमान देयताएँ	18	6,013.08	2,701.14
वर्तमान कर देयताएँ	21	90.98	-
प्रावधान	17	41.52	81.26
		51,467.27	48,241.43
कुल देयताएँ			
		56,606.85	53,503.26
कुल इक्विटी और देयताएँ			
		82,984.44	77,233.83
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।			

हमारी सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या 063404

एन के मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन - AIQPM3388P

एस के घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 10659781

स्थान: कोलकाता
तारीख: 25 जून 2025

कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 09832486

31 मार्च 2025 को लाभ और हानि का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व	22	18,276.59	25,010.37
अन्य आय	23	1,301.48	1,064.61
कुल आय		19,578.07	26,074.99
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	24	556.02	6,449.10
भंडार और प्रगतिधीन कार्य में परिवर्तन	25	959.74	536.78
उप-अनुबंध और अन्य रूपांतरण शुल्क	25A	9,879.07	10,644.07
भंडार, पुर्जों और ढीले औजारों की खपत	25B	80.79	453.02
कर्मचारी हित व्यय	26	2,350.97	3,325.23
वित्त लागत	27	50.84	69.29
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	119.49	149.72
अन्य खर्चे	29	1,572.51	1,652.45
कुल खर्च		15,569.43	23,279.67
कर से पहले का लाभ		4,008.63	2,795.32
कर व्यय			
वर्तमान कर	30	1,029.68	730.29
आस्थगित कर	30	(80.67)	1.99
कुल कर व्यय		949.01	732.29
वर्ष के लिए लाभ		3,059.62	2,063.03
अन्य व्यापक आय			
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		-	-
आयकर प्रभाव	30	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर के बाद		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		3,059.62	2,063.03
प्रति इक्विटी शेयर आय (1,000 रुपये का नाममात्र मूल्य) रुपये में	37		
मूल		253.15	170.70
तनुकृत		253.15	170.70

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

हेमल मेहता
साझेदार

सदस्यता संख्या 063404

एन के मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन - AIQPM3388P

एस के घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 10659781

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25.06.2025

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 09832486

31 मार्च 2025 को नकदी प्रवाह का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
I. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पहले का लाभ	4,008.63	2,795.32
कर-पूर्व लाभ को शुद्ध नकदी प्रवाह से समायोजित करने के लिए समायोजन:		-
मूर्त संपत्तियों का मूल्यहास	113.53	142.33
अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	5.96	7.38
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	(4.67)	(2.03)
बैंक और सुरक्षा जमा पर ब्याज आय	(1,245.64)	(962.73)
आस्थगित परिसंपत्तियां	-	(19.29)
निवेश हानि	-	0.30
वित्त लागत	50.84	69.29
सरकारी अनुदान से आर्बटित आय	-	-
ब्याज आय	(4.69)	(4.47)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	2,923.96	2,026.11
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्तियां	355.67	433.35
भंडार	1,050.65	816.21
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	593.80	569.66
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	(5,262.57)	451.08
परिचालन देनदारियाँ में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		-
व्यापार देनदारियाँ	(1.64)	(2,070.67)
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	(186.91)	330.53
अन्य वर्तमान देनदारियाँ	3,311.94	672.52
प्रावधान	(63.37)	33.18
परिचालन से उत्पन्न नकदी	2,721.53	3,261.97
आयकर का भुगतान	(482.42)	(593.53)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न/(उनमें प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	2,239.11	2,668.44
II. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त (पूँजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) की खरीद	(34.76)	(47.64)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त (पूँजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) का निपटान	6.86	2.06
(निवेश)/ विमोचन बैंकों में 3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाओं का	(249.51)	(5,451.59)
प्राप्त ब्याज	1,245.64	962.73
बैंक में जमा राशि जिसकी परिपक्वता अवधि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष से अधिक हो	213.92	1,697.71
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	1,182.15	(2,836.72)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
III. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालिक उधारों से प्राप्त आय/(चुकौती), शुद्ध	(47.42)	(411.99)
अल्पकालिक उधारों से प्राप्त आय/(चुकौती), शुद्ध	-	-
ब्याज का भुगतान किया	(50.84)	(69.29)
अंतिम लाभांश	(412.61)	(177.17)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-
वित्तीय गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई शुद्ध नकदी	(510.87)	(658.46)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (I+II+III)	2,910.39	(826.74)
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	2,280.41	3,107.15
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष (नीचे टिप्पणी देखें)	5,190.80	2,280.41

टिप्पणी:

नकद और नकद समकक्ष में शामिल हैं:

हाथ में नकद	2.17	2.57
बैंकों में नकद :		
- चालू खातों पर	324.29	229.65
- तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले जमा खातों में	4,864.34	2,048.19
केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
	5,190.80	2,280.41

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या 063404

एन के मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन - AIQPM3388P

एस के घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 10659781

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25.06.2025

कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 09832486

31 मार्च 2025 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
(शेयर डेटा को छोड़कर और जहां अन्यथा कहा गया हो, सभी राशि भारतीय रुपये में लाख)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	12,08,605	12,086.05
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	12,08,605	12,086.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी	-	-
31 मार्च 2025 तक शेष राशि	12,08,605	12,086.05

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन राशि का आवंटन लंबित	इक्विटी शेयर जमा का पुनर्गठन	प्रारक्षित और अधिशेष				कुल
			पूंजी प्रारक्षित	सामान्य प्रारक्षित	प्रतिधारित आय	ऋणपत्र रिडेम्शन रिजर्व	
31 मार्च 2023 तक	-	-	0.06	1,473.65	8,181.29	103.66	9,758.66
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	2,063.03	-	2,063.03
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	12.50	(12.50)	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	(177.17)	-	(177.17)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/ (हानि) का पुनर्मापन	-	-	-	-	-	-	-
आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	0.06	1,473.65	10,079.66	91.16	11,644.53
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	3,059.62	-	3,059.62
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	(412.61)	-	(412.61)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	-	-	-	-	12.50	(12.50)	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/ (हानि) का पुनर्मापन, कर के बाद निवल	-	-	-	-	-	-	-
आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक शेष राशि	-	-	0.06	1,473.65	12,739.17	78.66	14,291.54

सामग्री लेखांकन नीतियाँ

1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

बाटलीबाँय, पुरोहित और दरबारी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

हेमल मेहता

साझेदार

सदस्यता संख्या 063404

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 25.06.2025

एन के मिश्रा

कंपनी सचिव

पैन - AIQPM3388P

कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 09832486

एस के घोष

निदेशक (वित्त)

डीआईएन - 10659781

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

1. कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क. कंपनी ओवरव्यू :

दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत में है और यह शेयरों द्वारा सीमित है (CIN: U70100WB1986GOI041286)। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता - 700001 है। कंपनी मुख्य रूप से निर्माण कार्य सहित निर्माण इंजीनियरिंग के व्यवसाय में संलग्न है।

ख. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

1. अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस), कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक) और कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान का अनुपालन करते हैं।

2. तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अनुसार, कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रोब्डवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, सिवाय अन्यथा उल्लिखित के।

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं। नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 "नकदी प्रवाह विवरण" की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण की मदों से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले टिप्पणियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

4. कार्यात्मक मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। किसी इकाई की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा होती है जिसमें वह इकाई संचालित होती है।

भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि अन्यथा कहा गया हो।

5. परिचालन चक्र

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिसंपत्तियाँ:

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है:

क) कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसकी प्राप्ति की उम्मीद है, या यह बिक्री या उपभोग के लिए है;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;

ग) रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीनों के भीतर इसकी प्राप्ति की उम्मीद है; या

घ) यह नकद या नकद समतुल्य है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीनों तक इसे विनिमय या किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया गया हो।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

देनदारियां:

किसी देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती है:

क) कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसकी प्राप्ति की उम्मीद है;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;

ग) रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीनों के भीतर इसका निपटान किया जाना है; या

घ) कंपनी को रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी लिखतों के निर्गम द्वारा निपटान में परिणत हो सकती हैं, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

वर्तमान परिसंपत्तियों/देयताओं में क्रमशः गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों/देयताओं का वर्तमान भाग शामिल होता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर - वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

6. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और वित्तीय विवरण की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियां, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक देनदारियां व आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिचालन के परिणामों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्य किए जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और किसी भी भविष्य की अवधि में जो प्रभावित होती है। लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, लेखांकन नीतियों और/या वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में शामिल की जाती है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान - आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान किस सीमा तक की जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों की हानि के सूचकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का आकलन आवश्यक है, जिनके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि - प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, अपेक्षित अवधि में देखी गई ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करता है।

प्रावधान - प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, प्रबंधन निर्णय, तथ्यों और कानूनी पहलुओं में परिवर्तन के आधार पर, कंपनी बकाया आकस्मिक देनदारियां के विरुद्ध प्रावधान की आवश्यकता का आकलन करती है। हालाँकि, वास्तविक भविष्य का परिणाम इस निर्णय से भिन्न हो सकता है।

मूल्यहास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन काल - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यहास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएँ तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ का प्रबंधन का अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित होता है, जैसे मुद्रास्फीति की मानक दरें, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन मान्यताओं में परिवर्तन डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

उचित मूल्य मापन - प्रबंधन वित्तीय साधनों (जहाँ सक्रिय बाजार भाव उपलब्ध नहीं हैं) का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है। इसमें बाजार सहभागियों द्वारा साधन का मूल्य निर्धारण करने के तरीके के अनुरूप अनुमान और मान्यताएँ विकसित करना शामिल है।

7. उचित मूल्यों का मापन

कंपनी की कई लेखा नीतियों और प्रकटीकरणों में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए उचित मूल्यों के मापन की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्यों को मूल्यांकन तकनीकों में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस प्रकार है:

- स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं)।
- स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से प्राप्त) प्रेक्षणीय हैं।
- स्तर 3: परिसंपत्ति या देनदारी के लिए इनपुट जो प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य को मापते समय, कंपनी यथासंभव प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापने के लिए प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में आते हैं, तो उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य पदानुक्रम के उसी स्तर पर पूरी तरह से वर्गीकृत किया जाता है, जहाँ निम्नतम स्तर का इनपुट, जो संपूर्ण मापन के लिए महत्वपूर्ण है, रखा जाता है।

कंपनी उस रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों के बीच स्थानांतरण को मान्यता देती है, जिसके दौरान परिवर्तन हुआ है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. राजस्व मान्यता

क) अनुबंध से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्यता दी जाती है

इंड एस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार, निर्माण और सेवा गतिविधियों से राजस्व की पहचान "समय के साथ" पद्धति के आधार पर की जाती है और कंपनी वितरण की प्रगति को मापने के लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है। जब व्यक्तिगत अनुबंधों के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो अनुबंध राजस्व और अनुबंध लागत को रिपोर्टिंग तिथि पर समापन के चरण के संदर्भ में क्रमशः राजस्व और व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और राजस्व को अनुबंध की अनुमानित कुल लागत के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर कुल लागत के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

किसी अनुबंध का अनुमानित परिणाम तब विश्वसनीय माना जाता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

- i. राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;
- ii. यह संभावना है कि अनुबंध से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;
- iii. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध के समापन के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; और

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

iv. अनुबंध के संबंध में किए गए या किए जाने वाले खर्चों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

किसी अनुबंध पर अपेक्षित हानि, यदि कोई हो, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचानी जाती है जिसमें उसका पूर्वानुमान किया जाता है, चाहे अनुबंध के पूरा होने का चरण कुछ भी हो।

अनुबंधों के परिणामस्वरूप प्राप्त राजस्व, बिलिंग से अधिक माना जाता है, अनुबंध परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है और अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम भुगतानों को अनुबंध देयता माना जाता है। अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देयताओं को वित्तीय विवरणों में चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निक्षेपागार कार्यों के लिए, अनुबंध परिसंपत्तियों को उन अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त जमा राशि को घटाकर दर्शाया जाता है।

अनुबंध परिसंपत्तियाँ, रिपोर्टिंग तिथि पर पूर्ण किए गए लेकिन बिल न किए गए कार्य के लिए कंपनी के एक निश्चित आधार पर प्रतिफल प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित हैं। इस अवधि के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों की राशि, जब भी उचित समझा गया, हानि और/या प्रावधान से प्रभावित हुई। अनुबंध देयताएँ ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित हैं, जिसके लिए समय के साथ राजस्व की पहचान की जाती है।

किए गए कार्य के लिए बिल की गई राशि, जिसका भुगतान ग्राहक द्वारा अभी तक नहीं किया जाना है, तुलन पत्र में व्यापारिक प्राप्य के रूप में दर्शाई जाती है। ग्राहकों द्वारा रखी गई प्रतिधारण राशि को अन्य चालू परिसंपत्तियों के भाग के रूप में दर्शाया जाता है और भुगतान की तिथि आने पर उसे व्यापारिक प्राप्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

ख) माल की बिक्री: माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी ने माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार क्रेता को हस्तांतरित कर दिए हों, अब बेची गई वस्तुओं पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाता, राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, यह संभावना है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और लेनदेन के संबंध में किए गए या किए जाने वाले खर्चों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ग) सेवाएँ प्रदान करना: सेवाएँ प्रदान करने से प्राप्त राजस्व तब माना जाता है जब किसी लेन-देन के परिणाम का लेन-देन के पूरा होने के चरण के संदर्भ में विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। किसी लेन-देन के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान तब लगाया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

1. राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;
2. यह संभावना है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;
3. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन के पूरा होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है; और
4. लेन-देन के संबंध में हुई या होने वाली लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

समापन का चरण, लेन-देन की अनुमानित कुल लागतों में आज तक हुई वास्तविक लागतों के अनुपात से निर्धारित होता है।

बिल न किया गया राजस्व, अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है, लेकिन बिल नहीं किया गया है।

घ) ब्याज आय: किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय तब पहचानी जाती है जब यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय अनुपात के आधार पर, बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक पहचान पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर सटीक रूप से छूट देती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ड) लाभांश आय: लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2 पट्टे

पट्टे का लेखा भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार किया जाता है जो 1 अप्रैल, 2019 से अनिवार्य हो गया है।

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के रूप में गिना जाता है तथा तदनु रूप पट्टा देयता को पट्टा प्रारंभ तिथि पर गिना जाता है।

प्रारंभ में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक राशि शामिल होती है, जिसे प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही कोई भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने या हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस स्थान पर वह स्थित है, उसे पुनर्स्थापित करने की लागत का अनुमान, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसे कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। इसे तब पुनः मापा जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन, या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के अनुमान में परिवर्तन, या खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण भविष्य के पट्टा भुगतानों में कोई परिवर्तन होता है। जब पट्टा देयता को इस प्रकार पुनः मापा जाता है, तो उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में एक संगत समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति को लागत मॉडल लागू करके मापा जाता है, अर्थात् उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की लागत में से संचित मूल्यहास और संचयी क्षति, यदि कोई हो, घटाकर। उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति का मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके आरंभ तिथि से लेकर पट्टा अवधि के अंत तक या अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन, जो भी पहले हो, तक किया जाता है। पट्टा देयता की अग्रणीत राशि, पट्टा देयता पर ब्याज द्वारा बढ़ाई जाती है और किए गए पट्टा भुगतानों द्वारा घटाई जाती है।

निम्नलिखित पट्टे से संबंधित पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है: (i) कम मूल्य के पट्टे; और (ii) वे पट्टे जो अल्पकालिक हैं।

पट्टे पर दी गई संपत्तियों को या तो परिचालन पट्टे या वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह अंतर्निहित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः हस्तांतरित कर देता है। वित्तीय पट्टे के तहत धारित संपत्ति को प्रारंभ में तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय आय को पट्टे की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है। एक पट्टा जिसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, एक परिचालन पट्टा है।

कंपनी परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में पट्टा प्राप्तियों को सीधी रेखा आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है। कंपनी परिचालन पट्टे के अधीन अंतर्निहित परिसंपत्तियों को अपनी तुलन पत्र में संबंधित परिसंपत्ति वर्ग के अंतर्गत प्रस्तुत करती है।

3 विदेशी मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (विदेशी मुद्राओं) के अलावा अन्य मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को लेन-देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनर्अनुवाद किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जाने वाली गैर-मौद्रिक मदों का पुनर्अनुवाद नहीं किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

4. उधार लेने की लागत

किसी अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित विशिष्ट उधार लागतों को उस परिसंपत्ति की लागत के एक भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए और उधार लागतें व्यय न हो जाएं। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होती है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

उधार लागत में ब्याज व्यय, छूट का परिशोधन, निधियों के उधार लेने के संबंध में वहन की गई सहायक लागतें और विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न विनिमय अंतर शामिल हैं, जहाँ तक उन्हें ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

5 आयकर

आयकर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल होते हैं। आयकर व्यय को आय विवरण में उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक वह सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, ऐसी स्थिति में उसे इक्विटी में मान्यता दी जाती है। चालू कर

चालू कर, रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी भी समायोजन का उपयोग करते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है।

चालू कर

चालू कर, रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी भी समायोजन का उपयोग करते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर की मान्यता तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके की जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और करानान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतरों के लिए प्रावधान करती है। निम्नलिखित अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर की मान्यता नहीं दी जाती है: किसी ऐसे लेनदेन में परिसंपत्तियों या देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता जो व्यावसायिक संयोजन नहीं है और जो न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है; सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश से संबंधित अंतर, इस सीमा तक कि यह संभावना है कि वे निकट भविष्य में उलट नहीं जाएँ; और सद्भावना की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न होने वाले कर योग्य अस्थायी अंतर। आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद होती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब ऑफसेट किया जाता है जब वर्तमान कर देनदारियां और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई पर, या विभिन्न कर संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, लेकिन वे वर्तमान कर देनदारियां और परिसंपत्तियों का शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहते हों या उनकी कर परिसंपत्तियाँ और देनदारियां एक साथ वसूल की जाएँ।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उन्हें उस सीमा तक कम कर दिया जाता है जहाँ तक यह संभावना न रह जाए कि संबंधित कर लाभ वसूल किया जाएगा।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

6 प्रति शेयर आय

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए प्रति शेयर मूल और तनु आय ("ईपीएस") आँकड़े प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्त शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनु आय की गणना, तनु संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ को, प्रति शेयर मूल आय निकालने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी तनु माना जाता है जब उनके इक्विटी शेयरों में रूपांतरण से प्रति शेयर शुद्ध लाभ में कमी आए।

7 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

पीपीई की प्रारंभिक लागत में उसका क्रय मूल्य, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य क्रय कर शामिल हैं, और किसी परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति और स्थान पर लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत, जिसमें प्रासंगिक उधारी लागत और विनिवेश की कोई भी अपेक्षित लागत, संचित मूल्यहास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर शामिल है, शामिल है। पीपीई के चालू होने के बाद किए गए व्यय, जैसे मरम्मत और रखरखाव, उस अवधि में लाभ-हानि विवरण में दर्ज किए जाते हैं जिसमें लागतें वहन की गई थीं।

यदि पीपीई के किसी भाग के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन अलग-अलग है, तो उन्हें पीपीई के अलग-अलग भागों (प्रमुख घटकों) के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, स्टैंड-बाय उपकरण और सेवा उपकरण जैसी सामग्री वस्तुओं को पीपीई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वे भारतीय लेखा मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निर्दिष्ट पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हैं। 10,000/- रुपये या उससे कम लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण मूल्यहास किया जाता है।

7.1 निर्माण अवधि के दौरान व्यय

निर्माण अवधि के दौरान व्यय (योग्य पीपीई के निर्माण या अधिग्रहण हेतु उधार ली गई धनराशि से संबंधित वित्तपोषण लागत सहित) को चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और निर्माण पूरा होने पर इसे संबंधित पीपीई को आवंटित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया पीपीई के अधिग्रहण या निर्माण के लिए दिए गए अग्रिमों को "अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों" के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिमों के रूप में दर्शाया जाता है।

7.2 मूल्यहास

मूल्यहास, पीपीई की मूल्यहास योग्य राशि का उसके उपयोगी जीवन काल में व्यवस्थित आवंटन है और अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन काल के दौरान लिखित मूल्य विधि के अनुसार प्रदान किया जाता है।

पीपीई के लिए मूल्यहास योग्य राशि, पीपीई की लागत में से उसके अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। पीपीई का उपयोगी जीवन वह अवधि है जिसके दौरान कंपनी द्वारा पीपीई के उपयोग के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है, या कंपनी द्वारा परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाली उत्पादन या समान इकाइयों की संख्या है।

अतिरिक्त वस्तुओं पर मूल्यहास स्थापना या अधिग्रहण की तिथि से आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है। कटौती/निपटान पर मूल्यहास कटौती/निपटान की तिथि तक आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की वहन राशि से तुलना करके किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

8 अमूर्त संपत्तियां और परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और क्षति घटाकर दर्शाया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल के दौरान, उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से, सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

परिशोधन

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

किसी पहचान योग्य अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल कई कारकों पर आधारित होता है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और संपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके 3 वर्षों की अवधि में करती है।

9 भंडार

माल-सूची का मूल्यांकन अप्रचलन को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार किया जाता है:

- कच्चा माल, घटक, निर्माण सामग्री, भंडार, पुर्जे और खुले उपकरण, भारत औसत लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर। हालांकि, इन वस्तुओं को लागत पर प्राप्ति योग्य माना जाता है यदि जिन तैयार उत्पादों में इनका उपयोग किया जाएगा, उनके लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है।
- निर्माण गतिविधि के संबंध में पूर्ण संपत्ति/प्रगतिशील कार्य, विशिष्ट रूप से पहचान योग्य लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआर४) का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है और जब वे परिस्थितियां, जिनके कारण पहले इन्वेंट्री को लागत से नीचे लिखा गया था, अब मौजूद नहीं होती हैं या जब बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के कारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट प्रमाण होता है, तो पिछली अवधि में यदि कोई कटौती हुई है, तो उसे मूल लिखी गई राशि की सीमा तक उलट दिया जाता है, ताकि परिणामी वहन राशि लागत और संशोधित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो, हो।

10 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंक में और हाथ में नकदी तथा बैंकों के पास अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जिन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और अल्पकालिक नकदी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रखे जाते हैं।

11 नकद प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह को परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में विभाजित करके तैयार किया जाता है। परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को निम्नलिखित प्रभावों के लिए असाधारण मदों को छोड़कर समायोजित किया जाता है:

- अवधि के दौरान इन्वेंट्री और गैर-नकद प्रकृति के परिचालन प्राप्य और देय लेनदेन में परिवर्तन;
- गैर-नकद मदें जैसे मूल्यहास, प्रावधान, अप्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ और हानि; और
- अन्य सभी मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश या नकदी प्रवाह का वित्तपोषण कर रहे हैं।

नकदी प्रवाह विवरण में दर्शाई गई नकदी और नकदी समकक्ष (बैंक शेष सहित) में वे मदें शामिल नहीं हैं जो तुलन पत्र की तिथि तक सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

12 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को मान्यता तब दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा।

जहाँ कंपनी को गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, वहाँ परिसंपत्ति और अनुदान का लेखा उचित मूल्य पर किया जाता है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन काल के दौरान लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

13 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों, इन्वेंटरी और आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। किसी परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) की वसूली योग्य राशि उसके उपयोग मूल्य और उसके उचित मूल्य में से विक्रय लागत घटाकर जो भी अधिक हो, वह होती है। उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई से संबंधित जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, परिसंपत्तियों को उन परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में समूहीकृत किया जाता है जो निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं और जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों ("नकदी-उत्पादक इकाई") के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं।

यदि किसी परिसंपत्ति या उसकी नकदी-उत्पादक इकाई की अनुमानित वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम है, तो आय विवरण में हानि की पहचान की जाती है। पूर्व अवधियों में पहचानी गई हानि की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इस बात के किसी भी संकेत के लिए की जाती है कि हानि कम हो गई है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हानि को उलट दिया जाता है। हानि की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जब परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उस अग्रणीत राशि से अधिक न हो जो मूल्यहास या परिशोधन को घटाकर निर्धारित की जाती है, यदि कोई हानि की पहचान नहीं की गई होती। किसी सहयोगी कंपनी में निवेश की अग्रणीत राशि का हिस्सा बनने वाली ख्याति को अलग से मान्यता नहीं दी जाती है, और इसलिए उसकी हानि के लिए अलग से जांच नहीं की जाती है। इसके बजाय, किसी सहयोगी कंपनी में निवेश की पूरी राशि की हानि के लिए एकल परिसंपत्ति के रूप में जांच की जाती है, जब वस्तुनिष्ठ प्रमाण मौजूद हों कि सहयोगी कंपनी में निवेश क्षतिग्रस्त हो सकता है।

इक्विटी लेखाकृत निवेशक के संबंध में हानि की माप निवेश की वसूली योग्य राशि की उसकी अग्रणीत राशि से तुलना करके की जाती है। आय विवरण में हानि की पहचान की जाती है, तथा यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त अनुमानों में अनुकूल परिवर्तन हुआ है तो हानि को उलट दिया जाता है।

14 कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, संबंधित सेवा प्रदान किए जाने के साथ ही व्यय किए जाते हैं। यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए देयता को मान्यता दी जाती है।

परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान, कर्मचारियों से सेवाएँ प्राप्त होने पर आय विवरण में दर्शाए जाते हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य रोजगार-पश्चात लाभों से संबंधित देयता की गणना योग्य बीमांककों की सलाह के अनुरूप अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, उच्च-गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड की ब्याज दरों का उपयोग करके अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह को घटाकर निर्धारित किया जाता है, जो उस मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं जिसमें लाभ का भुगतान किया जाएगा, और जिनकी परिपक्वता अवधि संबंधित परिभाषित लाभ दायित्व की अवधि के लगभग समान होती है। परिभाषित लाभ योजना की वर्तमान सेवा लागत, जिसे आय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, चालू वर्ष में कर्मचारी सेवा, लाभ परिवर्तनों, कटौती और निपटान के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि को दर्शाती है। पिछली सेवा लागतों को आय में तुरंत मान्यता प्राप्त है। शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है। यह लागत आय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल है। अनुभव समायोजनों और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानियाँ, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

इक्विटी में प्रभारित या जमा की जाती हैं जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

समाप्ति लाभ

समाप्ति लाभों को तब व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी, वापसी की वास्तविक संभावना के बिना, सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि से पहले रोजगार समाप्त करने, या स्वैच्छिक छंटनी को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रस्ताव के परिणामस्वरूप समाप्ति लाभ प्रदान करने की औपचारिक विस्तृत योजना के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध हो। स्वैच्छिक छंटनी के लिए समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है यदि कंपनी ने स्वैच्छिक छंटनी को प्रोत्साहित करने वाला प्रस्ताव दिया है, तो यह संभावना है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा, और स्वीकृतियों की संख्या का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व, कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पिछली अवधियों में अपनी सेवा के बदले अर्जित भविष्य के लाभ की राशि है। उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए छूट दी जाती है। पुनर्मापन को उस अवधि के लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

15 प्रावधान

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी पर कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके, और यह संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा। यदि धन के सामयिक मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधान का निर्धारण अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व दर पर छूट देकर किया जाता है जो धन के सामयिक मूल्य और देयता से संबंधित जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। जहाँ छूट का उपयोग किया जाता है, वहाँ समय बीतने के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

16 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संभवतः नहीं होगी। जहाँ कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, वहाँ कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का अंतर्वाह होगा, तो परिसंपत्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन होता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

17 वित्तीय उपकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और/या वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी संबंधित वित्तीय साधनों वाले किसी अनुबंध में पक्षकार बन जाती है। सभी वित्तीय परिसंपत्तियों, वित्तीय देयताओं और वित्तीय गारंटी अनुबंधों को प्रारंभ में लेन-देन मूल्यों पर मापा जाता है और जहाँ ये मूल्य उचित मूल्य से भिन्न होते हैं, वहाँ उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियां (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियां को छोड़कर) के अधिग्रहण या निर्गमन से संबंधित लेन-देन लागतों को, प्रारंभिक मान्यता के समय, ऐसी वित्तीय आस्तियों या देनदारियां के उचित मूल्य में, जैसा भी मामला हो, जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देनदारियां के अधिग्रहण से सीधे संबंधित लेन-देन लागतों को लाभ या हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

ब्याज मुक्त या रियायती ऋणों और अधिमान्य शेरों के रूप में सहायक कंपनियों को वित्तपोषित करने के मामले में, प्रारंभिक रूप से मापे गए उचित मूल्य से अधिक वास्तविक वित्तपोषित राशि को इक्विटी निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(i) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में उनकी संपूर्णता में या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, इस प्रकार:

1. ऋण उपकरणों में निवेश जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में नामित किया गया है - उचित मूल्य पर।
2. ऋण उपकरणों में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है (जब तक कि उसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में नामित न किया गया हो):
 - i) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को धारण करना है; और
 - ii) उपकरण की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हैं।
3. निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले ऋण उपकरणों में निवेश को बाद में अन्य व्यापक आय [एफवीटीओसीआई] के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है (जब तक कि उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट न किया गया हो)
 - i) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है; और
 - ii) उपकरण की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।
4. एफवीटीपीएल में ऋण उपकरण, यदि कोई हो, तो ऋण उपकरणों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है और सभी परिवर्तनों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।
5. सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी इक्विटी उपकरणों में निवेश को लागत घटा हानि पर मापा जाता है।
6. सहायक कंपनियों के अधिमान्य शेरों में निवेश को इक्विटी उपकरण माना जाता है यदि वे इक्विटी शेरों में परिवर्तनीय हैं या ऐसे निवेशों के मोचन के उद्देश्य से जारी किए गए इक्विटी उपकरणों की आय से मोचन योग्य हैं। उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले अधिमान्य शेरों में निवेश को एफवीटीपीएल में ऋण उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
7. इक्विटी उपकरणों में निवेश को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि संबंधित उपकरण ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे जाते हैं और कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर अपरिवर्तनीय रूप से उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का चुनाव नहीं करती है।
8. एफवीटीओसीआई पर मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज और लाभांश के रूप में आय, हानि के लिए प्रावधान और विनिमय

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

अंतर, यदि कोई हो, (ऋण उपकरण पर) को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है और उचित मूल्य में परिवर्तन (उपर्युक्त आय या व्यय के कारण) को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और अन्य इक्विटी में संचित किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों के निपटान पर, अन्य इक्विटी में पहले से संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर इक्विटी उपकरणों के मामले में, इस तरह के संचयी लाभ या हानि को निवेश के निपटान पर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

9. किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता मुख्यतः तब रद्द की जाती है जब:
 - i). परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो, या
 - ii). कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो या किसी पास-श्रू व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी महत्वपूर्ण देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण कर लिया हो; और
 - (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को लगभग पूरी तरह से हस्तांतरित कर दिया हो, या
 - (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया हो और न ही उन्हें अपने पास रखा हो, बल्कि परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया हो।
- 10) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति: कंपनी अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर क्षति हानि की पहचान करती है, जिसमें भारतीय लेखा मानक 109 के तहत अनुमत ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव के आधार पर निर्मित प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल है। निवेशों पर क्षति हानि तब पहचानी जाती है जब वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

(II) वित्तीय देयताएँ:

1. वित्तीय देयताएँ, जिनमें डेरिवेटिव और एम्बेडेड डेरिवेटिव शामिल हैं, जिन्हें एफवीटीपीएल पर मापन के लिए निर्दिष्ट किया गया है, बाद में उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को बाद में क्षति हानि भत्ते की राशि या संचयी परिशोधन के आरंभिक निवल मूल्य पर मापी गई राशि, जो भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

ऋण और उधार सहित अन्य सभी वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

2. किसी वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब संबंधित दायित्व समाप्त हो जाता है या उसे समाप्त या रद्द कर दिया जाता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय दायित्व को तुलन पत्र में शुद्ध आधार पर समायोजित और प्रस्तुत किया जाता है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का वर्तमान कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार मौजूद हो और इसका उद्देश्य या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना हो या परिसंपत्ति की वसूली और दायित्व का एक साथ निपटान करना हो।

18 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

19 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियाँ

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से उन पूर्व अवधियों की तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करके ठीक किया जाता है जिनमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियां और इक्विटी के आरंभिक शेष पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

20 परिचालन खंड

भारतीय मानक ब्यूरो (आईएसए) 108 के अनुसार, खंड संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त परिचालन खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा खंडों को संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने हेतु प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी का 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता' या भारतीय मानक ब्यूरो (आईएसए) 108 के अर्थ में 'सीओडीएम' है। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त संकेतक, लागू किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकते हैं।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड परिणामों में सीधे तौर पर खंड से संबंधित मदों के साथ-साथ वे मदें भी शामिल होती हैं जिन्हें उचित आधार पर आवंटित किया जा सकता है। गैर-आवंटित मदों में मुख्य रूप से कॉर्पोरेट व्यय, वित्तीय व्यय और आयकर व्यय शामिल होते हैं।

खंडों से सीधे संबंधित राजस्व को खंड राजस्व माना जाता है। खंडों से सीधे संबंधित व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय माना जाता है।

खंड पूंजीगत व्यय, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और सद्भावना के अलावा अन्य अमूर्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अवधि के दौरान की गई कुल लागत है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, इन्वेंटरी और अन्य परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें सीधे या उचित रूप से खंडों में आवंटित किया जा सकता है। वर्ष के लिए खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संबंधित खंडों से संबंधित परिचालनों हेतु परिसंपत्तियों के उपयोग की सीमा के आधार पर खंडों में आवंटित किया गया है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, प्रगति पर पूंजीगत कार्य, पूंजीगत अग्रिम, कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देनदारियां में किसी खंड के संबंध में सभी परिचालन देनदारियां शामिल होती हैं और इनमें मुख्य रूप से व्यापार और अन्य देय राशियां, कर्मचारी लाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देनदारियां में इक्विटी, आयकर देनदारियां, ऋण और उधारी तथा अन्य देनदारियां और प्रावधान शामिल नहीं होते हैं जिन्हें उचित रूप से खंडों में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

2 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

विवरण	इमारत	संयंत्र और मशीनरी	जहाज (स्पीड बोट)	कंप्यूटर	फर्निचर व फिक्सचर	वाहन	कुल
लागत या मानी गई लागत (सकल वहन राशि)							
31 मार्च, 2023 तक	132.63	2,336.73	2.32	92.69	75.41	3.72	2,643.49
परिवर्धन	-	45.54	-	0.38	1.72	-	47.64
घटाएँ: निपटान / समायोजन	-	(1.46)	-	-	-	-	(1.46)
31 मार्च 2024 तक	132.63	2,380.80	2.32	93.07	77.13	3.72	2,689.67
परिवर्धन	-	4.54	-	28.11	0.68	-	33.33
घटाएँ: निपटान / समायोजन	(0.00)	(49.35)	-	0.00	(0.00)	0.00	(49.35)
31 मार्च 2025 तक	132.63	2,335.99	2.32	121.18	77.81	3.72	2,673.65
संचित मूल्यहास							
31 मार्च 2023 तक	89.40	1,732.64	2.29	82.85	64.95	3.68	1,975.82
परिवर्धन	4.41	129.83	-	4.43	3.67	0.00	142.33
घटाएँ: निपटान / समायोजन	-	(1.43)	-	-	-	-	(1.43)
31 मार्च 2024 तक	93.81	1,861.04	2.29	87.29	68.62	3.68	2,116.73
परिवर्धन	4.00	100.18	-	6.47	2.88	0.00	113.53
घटाएँ: निपटान / समायोजन	-	(47.17)	-	-	-	-	(47.17)
31 मार्च 2025 तक	97.81	1,914.05	2.29	93.76	71.50	3.68	2,183.09
कुल पुस्तक मूल्य							
31 मार्च 2025 तक	34.82	421.94	0.03	27.42	6.31	0.04	490.56
31 मार्च 2024 तक	38.82	519.76	0.02	5.78	8.52	0.04	572.94
टिप्पणी:							
क) भवन निर्माण में सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से लीज/किराए पर ली गई भूमि पर स्थायी संरचनाओं के संबंध में 131.46 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 131.46 लाख रुपये) शामिल हैं।							

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

3 अमूर्त संपत्ति

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
लागत या मानी गई लागत (सकल वहन राशि)	
31 मार्च 2023 तक	46.33
परिवर्धन	-
31 मार्च 2024 तक	46.33
परिवर्धन	46.33
31 मार्च 2025 तक	1.44
संचित परिशोधन	47.77
31 मार्च 2023 तक	
वर्ष के लिए शुल्क	30.48
31 मार्च 2024 तक	7.38
वर्ष के लिए शुल्क	37.87
31 मार्च 2025 तक	37.87
कुल पुस्तक मूल्य	5.96
31 मार्च 2024 तक	43.83
31 मार्च 2025 तक	3.94
	8.47

4 क. प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी
31 मार्च 2024 तक	-
परिवर्धन	-
(स्थानांतरण करना)	-
31 मार्च 2025 तक	-

ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) आयु निर्धारण अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2025 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

5 निवेश	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर-वर्तमान निवेश		
(अ) इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश		
(क) सहायक कंपनियों (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित) भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड* 48,630 (31 मार्च 2024 : 48,630) 1000/- रुपये प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर	486.30	486.30
(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियों भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित) 300 (31 मार्च 2024 : 300) पूर्णतः चुकता 100/- रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर घटाएँ: प्रावधान	0.30 (0.30)	0.30 -
(ग) अन्य कंपनियों लगान जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित) 4,22,000 (31 मार्च 2024 : 4,22,000) 10/- रुपये प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अउद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)* 2,55,80,122 (31 मार्च 2024 : 2,55,80,122) 10/- रुपये प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर (उद्धरण रहित, लागत पर मूल्यांकित) 3,015 (31 मार्च 2024 : 3,015) वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड का पूर्णतः भुगतान किया गया इक्विटी शेयर (पहले "ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड का 5% गैर-रिडीमेबल पंजीकृत डिबेंचर स्टॉक")	42.20 2,558.01 0.16	42.20 2,558.01 0.16
(ब) डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश 99 नंबर (31 मार्च 2024: 99 नंबर) आईसीआईसीआई रिडीमेबल मनी मल्टीप्लायर बॉन्ड-2026	92.49	87.79
कुल निवेश	3179.16	3,174.47
कुल पुस्तक मूल्य		
- उद्धृत निवेश	-	-
- अनउद्धृत निवेश	3179.16	3,174.47
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं
* भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, जो भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की पूर्ववर्ती सहायक कंपनियां थीं, परिसमापन के अधीन हैं।		
6 व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर वर्तमान दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य, अच्छे माने जाते हैं घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए भत्ते	1,108.42 (1,108.42)	1,108.42 (1,108.42)
वर्तमान शोध्य माना गया संदिग्ध माना गया	3,340.51 -	3,263.01 -
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए भत्ता	(1,352.90)	(919.72)
कुल व्यापार प्राप्य	1,987.61	2,343.28

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

6 व्यापार प्राप्य (जारी)

व्यापार प्राप्य काल प्रभावन अनुसूची		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया							
क्र.सं	विवरण	देय नहीं	बिल न की गई राशि	<6 महीने	6माह-1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल	> 3 साल	कुल
31 मार्च 2025 तक									
i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - योग्य माना जाता है	662.52	-	145.71	489.59	1,001.17	200.34	841.18	3,340.51
ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	1,108.42	1,108.42
iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-
iv)	विवादित व्यापार प्राप्य - योग्य माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
v)	विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)	विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-
	घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि और संदिग्ध प्राप्य समायोजन								(2,461.32)
	कुल	-	-	-	-	-	-	-	1,987.61
31 मार्च 2024 तक									
i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - योग्य माना जाता है	-	-	2,162.46	147.92	111.44	42.99	798.20	3,263.01
ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	1,108.42	1,108.42
iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-
iv)	विवादित व्यापार प्राप्य - योग्य माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
v)	विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)	विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण क्षति	-	-	-	-	-	-	-	-
	घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि और संदिग्ध प्राप्य समायोजन								(2,028.14)
	कुल	-	-	-	-	-	-	-	2,343.28

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

7 अन्य वित्तीय संपत्ति

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर वर्तमान		
बैंक में जमा राशि जिसकी परिपक्वता अवधि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष से अधिक हो	213.92	591.00
अन्य		
सुरक्षा जमा/ईएमडी/अन्य जमा	4,679.05	4,920.06
घटाएँ: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	(53.15)	(53.15)
	<u>4,839.82</u>	<u>5,457.91</u>
वर्तमान		
ऋण और अग्रिम		
सहायक कंपनियों और अन्य को दिए गए ऋण पर भारत सरकार का प्राप्य ऋण	6,796.31	6,796.31
घटाएँ: प्रावधान	(207.25)	(138.16)
लेनदारों को अग्रिम	6,589.06	6,658.15
अन्य अग्रिम	1,034.10	1,079.22
	111.11	145.46
प्राप्य/उपार्जित ब्याज		
सहायक कंपनियों को ऋण पर	34,006.55	34,006.55
निवेश, जमा और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	745.45	625.96
अन्य		
सुरक्षा जमा/ईएमडी/अन्य जमा	1,171.10	1,262.31
घटाएँ: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	(77.76)	(8.44)
प्राप्य – अन्य	-	0.04
	<u>43,579.61</u>	<u>43,769.24</u>

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

8 आस्थगित कर परिसंपत्ति, शुद्ध

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
- वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि	591.94	506.54
- कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	108.96	118.17
कुल	700.90	624.71
आस्थगित कर देयता		
- मूर्त और अमूर्त संपत्ति	28.79	23.13
- परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(9.87)	(8.70)
आस्थगित कर परिसंपत्ति, शुद्ध	719.82	639.15

9 भंडार

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
कच्चा माल	595.05	669.76
स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं	16.90	23.74
फुटकर औजार	15.44	12.82
घटाएँ: प्रावधान	(66.64)	(54.65)
प्रगतिधीन कार्य	2,242.10	3,201.84
कुल भंडार	2,802.85	3,853.50

10 नकद और नकद के समान

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
बैंकों के पास शेष:		
- चालू खातों पर	324.29	229.65
- तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले जमा खातों में*	4,864.34	2,048.19
नकद हाथ में	2.17	2.57
कुल नकदी और नकद समकक्ष	5,190.80	2,280.41

*इसमें बैंक के पक्ष में ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित जमा राशियां 2,335.81 लाख रुपये (31 मार्च 2024, 139.15 लाख रुपये) शामिल हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

11 अन्य बैंक बैलेंस (सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
बैंकों में 3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशियाँ*	14,159.13	14,286.70
घटाएँ: 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के अंतर्गत प्रकटित बैंक में जमा राशि जिसकी परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक है	(213.92)	(591.00)
कुल अन्य बैंक शेष	13,945.21	13,695.70
*इसमें बैंक के पक्ष में ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित जमा राशियां 4,831.42 लाख रुपये (31 मार्च 2024, 6,924.87 लाख रुपये) शामिल हैं।		
12 वर्तमान कर संपत्ति	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (प्रावधान के बाद शुद्ध)	-	456.29
	-	456.29
13 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
जीएसटी खाता - (इनपुट) - संपत्ति	727.22	960.27
अन्य सरकार और वैधानिक प्राधिकारियों के साथ शेष	22.22	22.22
	749.44	982.49
अनुबंध परिसंपत्तियाँ (नीचे नोट का संदर्भ लें)	5,495.62	-
	6,245.06	982.49
वर्ष के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-		
विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में अनुबंध परिसंपत्तियाँ	-	-
जोड़ें: अवधि के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों में परिवर्तन	5,495.62	-
घटाएँ: अनुबंध प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त	-	-
घटाएँ: अनुबंध परिसंपत्तियों को अपेक्षित ऋण हानि	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध परिसंपत्तियाँ	5,495.62	-

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

14 शेयर पूंजी

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
34,81,000 (31 मार्च 2024: 34,81,000) इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000/- रुपये	34,810.00	34,810.00
जारी शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
12,08,605 (31 मार्च 2024: 12,08,605) इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000/- रुपये	12,086.05	12,086.05
अभिदत्त और पूर्णतः चुकता शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
12,08,605 (31 मार्च 2024: 12,08,605) इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1000/- रुपये	12,086.05	12,086.05
	12,086.05	12,086.05

(क) रिपोर्टिंग वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का समाधान

विवरण	31 मार्च 2025 को इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च 2024 को इक्विटी शेयरों की संख्या
वर्ष की शुरुआत में उत्कृष्ट	12,08,605	12,08,605
वर्ष के दौरान जारी	-	-
वर्ष के अंत में उत्कृष्ट	12,08,605	12,08,605

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के इक्विटी शेयरों का सममूल्य ₹1000 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश घोषित और भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) वार्षिक आम बैठकों में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) होल्डिंग या अंतिम होल्डिंग कंपनी के संबंध में शेयरधारिता पैटर्न

कंपनी के पास कोई होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी नहीं है।

(घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2025 को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च 2024 को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति और उनके मनोनीत सदस्य	12,08,605	12,08,605
	12,08,605	12,08,605

(ड) तुलन पत्र की तारीख तक शेयरों की बिक्री/विनिवेश के लिए विकल्पों और अनुबंधों/प्रतिबद्धताओं के तहत जारी करने के लिए कोई साधारण शेयर आरक्षित नहीं किए गए हैं।

(च) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड ('बीसीएल'), बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड ('बीएससीएल'), भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड ('बीबीवीएल') और आरबीएल लिमिटेड ('आरबीएल') के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा स्वीकृत पूंजी पुनर्गठन योजनाओं के परिणामस्वरूप और बीएससीएल, बीसीएल और बीबीजे के संबंध में ऋण और ब्याज को इक्विटी शेयर पूंजी और शून्य रेटेड डिबेंचर में परिवर्तित करने की अनुमति देने के लिए वित्तीय पुनर्गठन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में और उपरोक्त राशि के लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के निर्देश पर विचार करते हुए, कंपनी ने 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

(छ) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इक्विटी/अधिमान्य शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूति जारी नहीं की गई है।

(ज) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी निदेशक या अधिकारी द्वारा कोई भी कॉल बकाया नहीं है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

15 अन्य इक्विटी

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
पूंजी आरक्षित	0.06	0.06
सामान्य रिजर्व	1,473.65	1,473.65
डिबेंचर मोचन रिजर्व	78.66	91.16
प्रतिधारित कमाई	12,739.17	10,079.66
	14,291.54	11,644.53

(अ) पूंजी आरक्षित

प्रारंभिक जमा	0.06	0.06
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
जमा शेष	0.06	0.06

(ब) सामान्य रिजर्व

प्रारंभिक जमा	1,473.65	1,473.65
जोड़ें: वर्ष के दौरान स्थानान्तरण	-	-
जमा शेष	1,473.65	1,473.65

सामान्य रिजर्व कंपनी का मुफ्त रिजर्व होता है जिसे भविष्य की जरूरतें उत्पन्न होने पर पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफ़े से अलग रखा जाता है।

(स) डिबेंचर मोचन रिजर्व*

प्रारंभिक जमा	91.16	103.66
जोड़ें: वर्ष के दौरान स्थानान्तरण	(12.50)	(12.50)
जमा शेष	78.66	91.16

* कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लागू प्रावधान के अनुसार डिबेंचर की बकाया राशि के आधार पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाया था।

(द) प्रतिधारित कमाई

प्रारंभिक जमा	10,079.66	8,181.29
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	3,059.62	2,063.03
अन्य व्यापक आय	-	-
अंतिम लाभांश	(412.61)	(177.17)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-
जोड़ें: डिबेंचर मोचन रिजर्व से स्थानांतरित	12.50	12.50
घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण	-	-
जमा शेष	12,739.17	10,079.66

कुल अन्य इक्विटी

	14,291.54	11,644.53
--	------------------	------------------

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

16 उधारी

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर-वर्तमान उधार		
असुरक्षित ऋण		
पुनर्संरचना ऋणपत्र जमा(जेड आर डी) :	192.11	217.92
कुल गैर-वर्तमान उधार	192.11	217.92
वर्तमान उधार		
मांग पर चुकाने योग्य सुरक्षित ऋण		
- केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट **	-	-
भारत सरकार से अन्य ऋण और अग्रिम	6,589.00	6,589.00
कुल वर्तमान उधार	6,589.00	6,589.00

* पुनर्संरचना डिबेंचर जमा (जेडआरडी) :

भारत सरकार द्वारा 2005 में द दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (BBJ) के वित्तीय पुनर्गठन की स्वीकृत योजना के अनुसार, भारत सरकार के 3.88 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने, भारत सरकार के 10.00 करोड़ रुपये के ऋण पर बकाया ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित करने और भारत सरकार के 10.00 करोड़ रुपये के ऋण पर बकाया ब्याज को शून्य दर डिबेंचर (जेडआरडी) में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई। इस योजना के तहत, कंपनी 2007-08 से 0.50 करोड़ रुपये की समान वार्षिक किश्तों में शून्य दर डिबेंचर (जेडआरडी) का भुगतान कर रही है और 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

** केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट:

केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट मुख्य रूप से स्टॉक और बुक ऋणों के बंधक द्वारा सुरक्षित है और प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर और फिक्सचर और वाहनों सहित अचल संपत्तियों के बंधक और 22, ली रोड, कोलकाता - 700020 में कंपनी के फ्लैट के समतुल्य बंधक द्वारा संपार्थिक रूप से सुरक्षित है। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर 10.10% प्रति वर्ष है और मांग पर चुकाया जा सकता है।

17 प्रावधान

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
- ग्रेच्युटी	8.15	50.54
- अवकाश नकदीकरण	410.19	391.44
	418.34	441.98
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
- ग्रेच्युटी	15.90	-
- अवकाश नकदीकरण	25.62	81.26
	41.52	81.26

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

18 अन्य देनदारियाँ	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर वर्तमान		
डिबेंचर जमा (जेडआरडी) का पुनर्गठन	48.33	69.94
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	4,086.95	4,086.95
	4,135.28	4,156.89
वर्तमान		
वैधानिक बकाया	139.41	130.11
डिबेंचर जमा (जेडआरडी) का पुनर्गठन	24.19	26.77
ग्राहकों से अग्रिम	262.14	247.23
अन्य वर्तमान देनदारियाँ	5,587.34	2,297.03
	6,013.08	2,701.14
19 व्यापार देनदारियाँ	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
गैर वर्तमान		
व्यापार देयताएं		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	323.96	323.55
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)	-	-
	323.96	323.55
वर्तमान		
व्यापार देयताएं		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	499.00	501.04
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 36 देखें)	-	-
	499.00	501.04

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

19

व्यापार देय काल प्रभावन अनुसूची

31 मार्च 2025 तक

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया

क्र.सं.	विवरण	देय नहीं	बकाया राशि	<1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल	> 3 साल	कुल
i)	एमएसएमई							-
ii)	अन्य			494.35			328.61	822.96
iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई							-
iv)	विवादित बकाया-अन्य							-
	कुल	-	-	494.35	-	-	328.61	822.96

31 मार्च 2024 तक

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया

क्र.सं.	विवरण	देय नहीं	बकाया राशि	<1 वर्ष	1-2 साल	2-3 साल	> 3 साल	कुल
i)	एमएसएमई							-
ii)	अन्य			501.04			323.55	824.59
iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई							-
iv)	विवादित बकाया-अन्य							-
	कुल	-	-	501.04	-	-	323.55	824.59

20 अन्य वित्तीय देनदारियाँ

31 मार्च 2025 को 31 मार्च 2024 को

गैर-वर्तमान

व्यापार और सुरक्षा जमा

69.89 121.49

69.89 121.49

वर्तमान

कर्मचारी लाभ देय

107.15 121.48

भारत सरकार से उधार लेने पर अर्जित एवं देय ब्याज

34,016.12 34,016.12

डिबेंचर जमा (जेडआरडी) का पुनर्गठन

50.00 50.00

व्यापार और सुरक्षा जमा

4,060.22 4,181.39

देय अन्य

0.20 -

38,233.69 38,369.00

21 वर्तमान कर देनदारियाँ

31 मार्च 2025 को 31 मार्च 2024 को

वर्तमान कर देनदारियाँ (अग्रिम कर का शुद्ध)

90.98 -

90.98 -

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
22 परिचालन से राजस्व		
अनुबंधों से राजस्व	12,710.23	24,859.23
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	5,495.62	-
अनुबंधों से सकल राजस्व - 21,482.90 लाख रुपये (31 मार्च 2024, 29,333.89 लाख रुपये)	<u>18,205.85</u>	<u>24,859.23</u>
अन्य राजस्व:		
परियोजना प्रबंधन परामर्श	-	-
स्क्रेप की बिक्री	70.74	151.14
	<u>18,276.59</u>	<u>25,010.37</u>
23 अन्य आय		
ब्याज आय		
- बैंक और सुरक्षा जमा पर	1,245.64	962.73
- बांड पर	4.69	4.47
अन्य गैर-परिचालन आय	45.18	18.53
पूर्व अवधि समायोजन	-	21.97
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	4.67	2.03
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता वापस लिखा गया	-	41.68
बी.जी. का नकदीकरण / एस.डी. और ई.एम.डी. की जब्ती	1.30	13.21
	<u>1,301.48</u>	<u>1,064.61</u>
24 उपभोग की गई सामग्री की लागत		
कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का प्रारंभिक स्टॉक	669.76	892.13
जोड़ें: वर्ष के दौरान खरीदारी	466.49	6,117.46
	<u>1,136.25</u>	<u>7,009.59</u>
घटाएँ: कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का अंतिम स्टॉक	595.05	669.76
	<u>541.20</u>	<u>6,339.83</u>
जोड़ें: वर्ष के दौरान अन्य व्यय	14.82	109.27
	<u>556.02</u>	<u>6,449.10</u>
25 इन्वेंटरी में परिवर्तन और कार्य प्रगति पर		
कार्य प्रगति पर है		
वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी	3,201.84	3,738.62
घटाएँ: वर्ष के अंत में इन्वेंटरी	2,242.10	3,201.84
	<u>959.74</u>	<u>536.78</u>
25अ उप अनुबंध एवं अन्य रूपांतरण प्रभार		
उप-ठेका व्यय	6,055.19	8,579.54
निर्माण कार्य व्यय	792.52	2,064.53
अनुबंध व्यय	3,031.36	-
	<u>9,879.07</u>	<u>10,644.07</u>

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
25ब भंडार, पुर्जों और फुटकर औजारों की खपत भंडार, पुर्जों और फुटकर औजारों की खपत	80.79	453.02
	<u>80.79</u>	<u>453.02</u>
26 कर्मचारी लाभ व्यय वेतन, मजदूरी और बोनस भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान कर्मचारी कल्याण व्यय	2,135.37 179.99 35.61	3,007.82 270.74 46.67
	<u>2,350.97</u>	<u>3,325.23</u>
27 वित्तीय लागत बैंक ब्याज और कमीशन	50.84	69.29
	<u>50.84</u>	<u>69.29</u>
28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय मूल्यहास ऋणमुक्ति	113.53 5.96	142.33 7.38
	<u>119.49</u>	<u>149.72</u>
29 अन्य खर्च		
विज्ञापन	6.77	7.14
संदिग्ध ऋणों, प्राप्य और अन्य के लिए भत्ता	583.57	89.10
बैंक शुल्क	11.00	15.20
कार किराये का शुल्क	61.21	81.87
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 42)	30.66	22.07
माल भाड़ा अग्रेषण	43.22	32.74
बीमा	118.81	50.38
श्रम उपकर	79.20	178.58
कानूनी खर्च	72.73	76.70
सलहाकारी संस्था का शुल्क	85.05	93.61
विविध व्यय	72.37	119.27
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट 34) :		
ऑडिट फीस	0.80	0.95
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.25	0.55
अन्य	0.35	1.04
डाक, टेलीफोन और फैक्स	4.74	5.23
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	8.03	12.52
वेतन (अनुबंध)	83.40	117.03
प्लांट और क्रेन किराया शुल्क	2.15	28.83

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

बिजली और ईंधन	119.81	349.93
दरें और कर	5.24	189.21
किराया	108.69	110.20
मरम्मत और रखरखाव:		
- इमारतें	0.01	0.05
- संयंत्र और मशीनरी	0.51	1.97
- अन्य	4.24	3.31
साइट स्थापना व्यय	-	0.25
सदस्यता और दान	8.22	0.80
परीक्षण शुल्क	12.86	14.50
यात्रा खर्च	48.62	49.40
	1,572.51	1,652.45

30 कर व्यय

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्तमान आयकर:		
वर्तमान आयकर प्रभार	1,029.68	730.29
MAT क्रेडिट पात्रता		
आस्थगित कर:		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उलटाव से संबंधित	(80.67)	1.99
लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	949.01	732.29
वर्ष के दौरान ओसीआई में विचारित वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर		
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	-
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
ओसीआई पर आयकर प्रभार	-	-
घरेलू कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ के साथ कर व्यय का मिलान:		
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	4,008.63	2,795.32
लेखांकन लाभ पर वैधानिक आयकर दर 25.17% पर कर (31 मार्च 2024: 25.17%)	1,008.97	703.58
कर उद्देश्यों के लिए आरंभिक इक्विटी में ली गई वस्तुओं के संबंध में समायोजन की अनुमति है	-	-
आस्थगित कर के संबंध में समायोजन	(80.67)	1.99
अन्य	-	-
25.17% की प्रभावी कर दर पर कुल	928.30	705.58
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया कर व्यय	949.01	732.29

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

31 आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएँ

विवरण		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
i)	आकस्मिक देयताएं:		
	- विवादित बिक्री कर मांग	88.10	87.89
	- विवादित आयकर मांग	497.28	497.28
	- विवादित सेवा कर मांग	154.45	154.45
	- विवादित पीएफ मांग अपील के अधीन	54.14	54.14
	- बैंक गारंटी	6,556.09	5,960.21
	- विवादित वस्तु एवं सेवा कर मांग (TRAN 1 ब्याज) - बिहार	12.55	12.55
	- जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए (वर्ष 2019-20) के बीच अंतर के कारण विवादित वस्तु एवं सेवा कर मांग - छत्तीसगढ़	5.15	-

** इसके अतिरिक्त, 31.85 लाख रुपये के आयकर से संबंधित विवादित ब्याज मांग भी है।

*कंपनी कानूनी कार्यवाहियों और दावों के अधीन है, जो सामान्य व्यावसायिक क्रम में उत्पन्न हुए हैं, जिनमें कर अधिकारियों के समक्ष मुकदमेबाजी और ऊपर उल्लिखित मामले शामिल हैं। अनिश्चितताएँ और संभावित घटनाएँ, दावेदारों या कंपनी द्वारा, जैसा भी मामला हो, लागू की गई विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के परिणामों पर निर्भर करती हैं, और इसलिए इनका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित पेशेवर सलाहकारों को नियुक्त करती है और उसे सूचित किया गया है कि ऐसे विवादों के विरुद्ध उसकी कानूनी स्थिति मजबूत है। प्रबंधन का मानना है कि कार्यवाही के बचाव में उसके पास एक उचित मामला है और इसलिए किसी और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। अदालती मामलों का विस्तृत विवरण नोट 43 में दिया गया है।

32 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

क) निम्नलिखित तालिका संबंधित पक्ष का नाम और कंपनी के साथ उसके संबंध की प्रकृति प्रदान करती है:

नाम	संबंध
कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानि.) 27.12.2022 से	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानि.) 03.02.2023 से 06.06.2024 तक	निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार
कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानि.) 01.02.2025 से	निदेशक (तकनीकी) - अतिरिक्त प्रभार
श्री राजीव कुमार सिंह 21.05.2022 से 31.01.2025 तक	निदेशक (तकनीकी)
श्री सुजीत कुमार घोष दिनांक 07.06.2024	निदेशक (वित्त)
श्री आदित्य कुमार घोष 27.02.2025 तक	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
श्री उदय भान सिंह दिनांक 27.02.2025 से	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
श्रीमती सरला देवी 14.02.2025 तक	गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक

ख) वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन का विवरण:

विवरण		समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
i)	प्रबंध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक: -		
	निदेशक के रूप में वेतन और भत्ते	137.34	94.84
	निदेशक के रूप में भविष्य निधि में योगदान (वेतन और भत्ते में अवकाश नकदीकरण भुगतान शामिल है)	9.59	8.69
ii)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क और अन्य शुल्क	0.60	0.85

ग) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम:

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन उन शर्तों के समतुल्य किए जाते हैं जो कि आर्म्स लेंथ लेनदेन में प्रचलित होती हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

33 खंड जानकारी

भारतीय मानक ब्यूरो (इंड एएस) 108 "परिचालन खंड" ("भारतीय मानक ब्यूरो (इंड एएस) 108") व्यावसायिक उद्यमों द्वारा परिचालन और भौगोलिक खंडों के बारे में जानकारी और उत्पादों एवं सेवाओं, भौगोलिक क्षेत्रों, तथा प्रमुख ग्राहकों से संबंधित प्रकटीकरणों की रिपोर्टिंग के तरीके के लिए मानक स्थापित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो (इंड एएस) 108 में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, परिचालन खंडों और भौगोलिक खंडों की रिपोर्टिंग मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) को प्रदान की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप होनी चाहिए। सीओडीएम कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और समग्र आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है।

कंपनी मुख्य रूप से निर्माण सहित निर्माण व्यवसाय में लगी हुई है, जिसे भारतीय लेखा मानक - 108 के अनुसार 'परिचालन खंडों' पर एकमात्र रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड माना जाता है। कंपनी भारत में परिचालन कर रही है जिसे एक एकल भौगोलिक खंड माना जाता है।

34 लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.80	0.80
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.25	0.25
अन्य	0.35	1.48
कुल	1.40	2.53

35 भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण

अ) ग्रेच्युटी

कंपनी अपने कर्मचारियों को एक निश्चित अंशदान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करती है, जिसे "ग्रेच्युटी योजना" कहा जाता है। ग्रेच्युटी योजना के तहत, कम से कम पाँच वर्षों की निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति के समय पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त करने का अधिकार है, जिसकी अधिकतम सीमा 20.00 लाख रुपये है।

कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से एक समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और एलआईसी द्वारा निर्धारित परिणामी देयता कंपनी द्वारा प्रति वर्ष चुकाई जाती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का ग्रेच्युटी व्यय एलआईसी (निधि प्रशासक) द्वारा निर्धारित 15.90 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 42.39 लाख रुपये) है।

एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार, निम्नलिखित तालिकाएँ तुलना पत्र पर ग्रेच्युटी फंड के विभिन्न घटकों का सारांश प्रस्तुत करती हैं:

दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक और अंतिम शेष का मिलान:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
परिभाषित लाभ दायित्व आरंभिक शेष	542.89	499.23
वर्तमान सेवा लागत	18.22	41.79
पिछली सेवा लागत		
ब्याज लागत	39.36	33.59
भुगतान किए गए लाभ	(140.15)	(34.66)
बीमांकिक लाभ	(10.48)	2.94
अधिग्रहण समायोजन		
समाप्त शेष परिभाषित लाभ दायित्व	449.84	542.89

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:		
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	509.23	484.04
ब्याज आय	-	33.73
नियोक्ता योगदान	50.98	21.45
भुगतान किए गए लाभ	(140.15)	(34.66)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	37.64	4.67
माप अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	457.70	509.23

मान्यताओं	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.25%	7.25%
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	7.68%, 7.67%	7.68%, 7.67%
मुआवजे में वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00%, 5.50%	6.25%, 5.50%

ब) छुट्टी

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) प्रदान करती है जो 30 दिनों की दर से वार्षिक रूप से अर्जित होता है। सेवाकाल के दौरान अर्जित अवकाश (ईएल) का नकदीकरण किया जा सकता है। हालांकि, सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण की जा सकने वाली कुल छुट्टियों की संख्या 300 दिनों तक सीमित होगी। यह योजना वित्तपोषित नहीं है और इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है। वित्तीय विवरणों में वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 435.81 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 472.69 लाख रुपये) का संचित प्रावधान किया गया है।

निम्नलिखित तालिकाएँ लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ व्यय के घटकों और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियों का सारांश प्रस्तुत करती हैं:

दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक और समापन शेष का मिलान:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक शेष	472.69	458.56
वर्तमान सेवा लागत	21.02	23.22
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	26.61	28.48
भुगतान किए गए लाभ	(154.62)	(100.02)
बीमांकिक लाभ	70.11	62.45
अधिग्रहण समायोजन		
अन्त शेष	435.81	472.69
उपार्जित अवकाश नकदीकरण	428.10	473.60
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	428.10	473.60
वर्तमान प्रावधान	25.62	81.26
गैर वर्तमान प्रावधान	410.19	391.44

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

लाभ हानि खाते विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवा लागत	21.02	23.22
ब्याज लागत	26.61	28.48
पुनः माप लाभ/(हानि)		
जनसांख्यिकीय धारणा परिवर्तनों के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-
वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	-	-
अनुभव समायोजन के कारण बीमांकिक लाभ / (हानि)	70.11	62.45
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर से अधिक (कम)	-	-
कुल लागत	117.74	114.15

मान्यताओं	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.73%	6.97%
भविष्य में वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%

महत्वपूर्ण धारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण और अनुमानित लाभ दायित्व पर प्रतिशत के संदर्भ में इसका प्रभाव निम्नानुसार है:

	समाप्त वर्ष के लिए	
	छूट की दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-4.02%	4.26%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	4.31%	-4.01%
	समाप्त वर्ष के लिए	
	छूट की दर	वेतन वृद्धि दर
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की वृद्धि का प्रभाव	-3.80%	4.05%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस की कमी का प्रभाव	4.08%	-3.80%

इन संवेदनशीलताओं की गणना अनुमानित लाभ दायित्व में परिवर्तन को अलग से दिखाने के लिए की गई है, तथा यह मानते हुए कि बाजार की स्थितियों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है।

36 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 26 अगस्त 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें सिफारिश की गई है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपने ग्राहकों के साथ अपने पत्राचार में उद्यमी ज्ञापन संख्या का उल्लेख करना चाहिए, जैसा कि ज्ञापन दाखिल करने के बाद आवंटित किया गया था। तदनुसार, 31 मार्च 2025 तक ऐसे उद्यमों को देय राशि के संबंध में प्रकटीकरण कंपनी के पास प्राप्त और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वित्तीय विवरणों में किया गया है। इसके अलावा प्रबंधन के मद्देनजर, ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ('एमएसएमईडी अधिनियम') के प्रावधान के अनुसार देय हो सकता है, सामग्री होने की उम्मीद नहीं है। कंपनी को किसी भी आपूर्तिकर्ता से ब्याज के लिए कोई दावा नहीं मिला है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज।	शून्य	शून्य
ख)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;	शून्य	शून्य
ग)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन इस एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
घ)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि; और	शून्य	शून्य
ड)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, आगामी वर्षों में भी देय और बकाया ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती।	शून्य	शून्य

37 प्रति शेयर आय

मूल ईपीएस राशि की गणना इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले वर्ष के लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

तनु ईपीएस राशि की गणना इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके और सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को जोड़कर की जाती है।

निम्नलिखित तालिका प्रति शेयर मूल और तनु आय की गणना दर्शाती है:

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयर धारकों को देय वर्ष का लाभ	3,059.62	2,063.03
शेयर		
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - मूल (संख्या में)	12,08,605.00	12,08,605.00
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - तनुकृत (संख्या में)	12,08,605.00	12,08,605.00
प्रति शेयर आय		
सममूल्य ₹ 1000 प्रति शेयर आय - मूल (₹)	253.15	170.70
सममूल्य ₹ 1000 प्रति शेयर आय - तनुकृत (₹)	253.15	170.70

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

38 निष्पक्ष मूल्यांकन तकनीकें

कंपनी उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे प्रासंगिक आँकड़ों का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का मूल्यांकन करने के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ बनाए रखती है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों को उस राशि में शामिल किया जाता है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त होगी या किसी देनदारी को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान की जाएगी। कुछ उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया:

- नकदी और जमा, व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएँ और अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उनकी वहन राशि के लगभग बराबर होता है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नलिखित तालिकाएं कंपनी की परिसंपत्ति और देनदारियों के उचित मूल्य माप पदानुक्रम प्रदान करती हैं, जिन्हें नीचे वर्णित अनुसार स्तर 1 से स्तर 3 में समूहीकृत किया गया है:

- समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)। इसमें सक्रिय बाजारों में कारोबार किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य शामिल होता है और यह तुलन पत्र की तिथि पर उद्धृत बाजार मूल्यों पर आधारित होता है।
- स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा, वे इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात्, मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात्, मूल्यों से प्राप्त) (स्तर 2) अवलोकनीय हैं। इसमें उन वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य शामिल है जिनका किसी सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं होता (उदाहरण के लिए, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) और मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ये मूल्यांकन तकनीकें अवलोकनीय बाजार आँकड़ों का अधिकतम उपयोग करती हैं जहाँ वे उपलब्ध हों और कंपनी-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करती हैं। यदि किसी उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।
- परिसंपत्ति या देयता के लिए ऐसे इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (अर्थात्, अवलोकनीय नहीं इनपुट) (स्तर 3)। यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

विवरण	31 मार्च 2025 तक			31 मार्च 2024 तक		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय पूंजी						
इक्विटी उपकरणों में निवेश	-	3,086.51	-	-	3,086.51	-
डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश	-	92.66	-	-	87.95	-
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	-	3,179.17	-	-	3,174.47	-
वित्तीय देनदारियां						
ऋण को शून्य दर डिबेंचर में परिवर्तित किया गया	-	192.11	-	-	217.92	-
कुल वित्तीय देयताएँ	-	192.11	-	-	217.92	-

31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, स्तर 1 और स्तर 2 के उचित मूल्य मापनों के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ और स्तर 3 के उचित मूल्य मापनों में और उससे बाहर कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। स्तर 3 के अंतर्गत कोई लेनदेन/शेष नहीं है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

39 जोखिम प्रबंधन नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देय राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियां का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित और समर्थन प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में इन्वेंट्री, व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां, नकदी और नकद समकक्ष, और वापसी योग्य जमा राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होती हैं।

क) बाज़ार जोखिम

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव हो सकता है। बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्यतः कंपनी के अस्थिर ब्याज दरों वाले अल्पकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कंपनी परिवर्तनशील दर उधारों के संतुलित पोर्टफोलियो के माध्यम से अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी किसी भी ब्याज दर स्वैप में प्रवेश नहीं करती है।

ब्याज दर संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिका प्रभावित ऋणों और उधारों के उस हिस्से पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। अन्य सभी चर स्थिर रहने पर, कंपनी का कर-पूर्व लाभ अस्थिर दर उधारों के प्रभाव से प्रभावित होता है, जो इस प्रकार है:

	ब्याज दर में वृद्धि / कमी
31 मार्च, 2025	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%
31 मार्च, 2024 को	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%

ख) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है, जिससे वित्तीय हानि होती है। ऋण जोखिम मुख्यतः उसकी परिचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापारिक प्राप्य) और उसकी निवेश गतिविधियों, जिनमें बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों में जमा राशियां शामिल हैं, से उत्पन्न होता है।

ऋण जोखिम को उन ग्राहकों की ऋण सीमाओं और साख-योग्यता का निरंतर विश्लेषण करके नियंत्रित किया जाता है जिन्हें ऋण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण प्रदान किया गया है। व्यापारिक प्राप्य राशियों से वसूली की निगरानी प्राप्य टीम द्वारा निरंतर आधार पर की जाती है। कंपनी ऋण हानि के लिए एक भत्ता स्थापित करती है जो पिछले और हाल के वसूली रुझान के आधार पर व्यापारिक और अन्य प्राप्य राशियों के संबंध में अपेक्षित हानियों के उसके अनुमान को दर्शाता है। रिपोर्टिंग तिथि तक ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्यतः व्यापारिक प्राप्य राशियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से है। वर्ष के दौरान व्यापारिक प्राप्य राशियों के संबंध में ऋण हानि भत्ते में परिवर्तन इस प्रकार रहा:

ऋण हानि के लिए भत्ता	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक जमा	1,062.68	1,015.26
क्रेडिट हानि प्रदान की गई	583.57	89.10
ऋण हानि वापसी	-	(41.68)
जमा शेष	1,646.25	1,062.68

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ग) तरलता जोखिम

कंपनी का उद्देश्य बैंक जमा और ऋण के उपयोग के माध्यम से वित्तपोषण की निरंतरता और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाए रखना है। नीचे दी गई तालिका अनुबंधित अछूते भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का सारांश प्रस्तुत करती है:

	अग्रेषित राशि	12 महीने से कम	12 महीने के बाद	कुल
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए				
उधारी	314.62	50.00	264.62	314.62
व्यापार देयताएं	822.96	499.00	323.96	822.96
अन्य वित्तीय देनदारियां	4,287.46	4,217.57	69.89	4,287.46
वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ				
उधारी	364.62	50.00	314.62	364.62
व्यापार देयताएं	824.59	501.04	323.55	824.59
अन्य वित्तीय देनदारियां	4,474.36	4,352.87	121.49	4,474.36

भारत सरकार का 6589.00 लाख रुपये का बकाया ऋण और उस पर 34016.13 लाख रुपये का संचित ब्याज वित्तीय देनदारियों में शामिल है, जो भारत सरकार द्वारा पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल के माध्यम से अपनी सहायक कंपनियों, बीपीएमईएल और डब्ल्यूआईएल को दिए गए थे। बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है और डब्ल्यूआईएल परिसमापन के बाद बंद हो गई है। चूंकि सहायक कंपनियों से उक्त ऋण और ब्याज की वसूली अनिश्चित है, इसलिए इसे वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल में नहीं दिखाया गया है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

40 पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक स्थिर पूंजी आधार बनाए रखने की है ताकि निवेशकों, लेनदारों और बाजार का विश्वास बना रहे और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। प्रबंधन नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और ऋण-कुल इक्विटी अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करता है। ऋण-कुल इक्विटी अनुपात के लिए, ऋण को दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार माना जाता है। कुल इक्विटी में जारी शेयर पूंजी और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल होते हैं।

31 मार्च 2025, 31 मार्च 2024 तक पूंजी संरचना निम्नानुसार थी:

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय कुल इक्विटी	26,377.59	23,730.58
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	98.82%	98.49%
वर्तमान परिपक्वता सहित दीर्घकालिक उधार	314.62	364.62
अल्पकालिक उधार	-	-
कुल उधार	314.62	364.62
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	1.18%	1.51%
कुल पूंजी (इक्विटी और उधार)	26,692.22	24,095.20

41 इंड एस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार प्रकटीकरण

क 1 अप्रैल, 2018 से, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" को अपनाया है और निर्माण एवं सेवा गतिविधियों से प्राप्त राजस्व की पहचान "समय के साथ" पद्धति पर आधारित है। कंपनी वितरण की प्रगति को मापने के लिए प्रतिशत अनुपालन पद्धति का उपयोग करती है, जो कंपनी द्वारा पहले अपनाई गई नीति के अनुरूप है। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर लेन-देन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व इस प्रकार है:-

ख.	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
	परिचालन से राजस्व (अनुबंधों से सकल राजस्व - 21,482.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 29,333.89 लाख रुपये)	12,710.23	24,859.23
	अनुबंध परिसंपत्तियाँ	5,495.62	-
	अन्य राजस्व	70.74	151.14
	कुल	18,276.59	25,010.37

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

42 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
क. वर्ष के दौरान व्यय राशि की आवश्यकता	30.66	22.07
ख. विगत वर्ष के दौरान राशि में कमी	-	-
ग. कुल (क+ख)	30.66	22.07
घ. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
- किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
- उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	30.66	22.07
कुल	30.66	22.07
कमी राशि	-	-

क) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:

विवरण	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल
किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	30.66	-	30.66

ख) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:

विवरण	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल
किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	22.07	-	22.07

ग) प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1. स्वच्छ भारत कोष	-	-
2. स्वच्छ गंगा कोष	-	-
3. कौशल विकास प्रशिक्षण	-	14.98
4. शिक्षा	-	-
5. स्वास्थ्य	-	-
6. सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष	-	-
7. पीएम केयर्स फंड	30.66	7.09
कुल	30.66	22.07

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

43. अदालती मामलों का विवरण

दिनांक 31.03.2025 तक बीबीजे/बीबीएनएल से संबंधित लंबित कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति (मध्यस्थता और अदालती मामले)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
1.	बेदखली का मुकदमा सिविल सूट (सी.एस.) संख्या -482 वर्ष हिंदुस्तान कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में मोदी बिल्डिंग लिमिटेड) - बनाम - बीबीजे	1982	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: जुलाई 1982 में भवन मालिक द्वारा बेदखली का मामला दायर किया गया था -श्रीशियस स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स लिमिटेड (पीएसबीएल) का बाद में नाम बदलकर मोदी बिल्डिंग लिमिटेड (अब हिंदुस्तान कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड) के खिलाफ बीबीजे को उस परिसर से बेदखल करने का मामला दर्ज किया गया है, जहां बीबीजे का मुख्यालय स्थित है। 	बेदखली का मुकदमा	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)
2.	मनी सूट टाइटल सूट टी. एस. संख्या 91 वर्ष 2009 (टी. एस. सं. 3827 वर्ष 2016/ टी. एस. नं.0001653 (2016) बीबीएनएल (अब बीबीजे) - बनाम - जेसप एंड कंपनी लिमिटेड	2009	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: जुलाई 1982 में भवन मालिक द्वारा बेदखली का मामला दायर किया गया था -श्रीशियस स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स लिमिटेड (पीएसबीएल) का बाद में नाम बदलकर मोदी बिल्डिंग लिमिटेड (अब हिंदुस्तान कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड) के खिलाफ बीबीजे को उस परिसर से बेदखल करने का मामला दर्ज किया गया है, जहां बीबीजे का मुख्यालय स्थित है। 	बेदखली का मुकदमा	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)
3(क).	मध्यस्थता अपील एपी संख्या - 738/2010 बीबीजे - बनाम - मेसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती)	2010	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: डेहरी-ऑन-सोन और मुगलसराय के बीच छह अलग-अलग स्थानों पर कंजोडिट गडों के निर्माण से संबंधित पूर्वी रेलवे की एक परियोजना से संबंधित विवादों के लिए मेसर्स सिवटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती द्वारा प्रतिनिधित्व) और बीबीजे के बीच एक मध्यस्थता कार्यवाही हुई परियोजना वर्ष लगभग 1998 था। एकमात्र मध्यस्थ ने 14.09.2010 को प्रतिवादी - बीबीजे के विरुद्ध दावेदार (मेसर्स सिवटेक) के पक्ष में निर्णय पारित किया (जिसे 25.09.2010 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था)। निर्णय का कुल मूल्य ₹17 लाख + ब्याज था। व्यथित होकर बीबीजे ने दिनांक 10.12.2010 को माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता (मूल पक्ष) के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता अपील दायर की, जिसमें दिनांक 14.09.2010 के उक्त मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती दी गई। 	रिट याचिका	लंबित है।	मामला लंबित है एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) के समक्ष अभी भी सूचीबद्ध किया जाना है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
3(ख).	निष्पादन मामला उच्च न्यायालय, कलकत्ता ई.सी. संख्या 142 वर्ष 2022 मेसर्स सिवेटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती) - बनाम - बीबीजे	2022	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: 12 वर्ष बीत जाने के बाद, मेसर्स सिवेटेक (श्री पार्थ चक्रवर्ती द्वारा प्रतिनिधित्व) ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) में दिनांक 14.09.2010 के उपर्युक्त मध्यस्थता निर्णय को लागू करने के लिए बीबीजे के विरुद्ध वर्तमान निष्पादन वाद दायर किया। दावा की गई कुल राशि 81 लाख रुपये है (जिसमें वर्तमान निष्पादन वाद दायर करने की तिथि तक अर्जित ब्याज भी शामिल है)। उपस्थिति के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद, बीबीजे अपने सॉलिसिटर्स और वकीलों के माध्यम से कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और मामले का बचाव किया। 	81 लाख रुपये (अर्जित ब्याज सहित)	इस मामले पर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) द्वारा अभी निर्णय दिया जाना बाकी है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)
4.	मध्यस्थता अपील ए संख्या - 1, 2010 (कुंवारी प्रथम पुल अनुबंध मामला) - एन.सी. रेलवे - बनाम - बीबीजे	2010	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 12.11.2008 को एक शून्य देयता मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने उक्त निर्णय को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत माननीय ग्वालियर जिला न्यायालय में चुनौती दी। बीबीजे को कोई प्रति नहीं दी गई, इसलिए कोई भी संलग्न नहीं था। हालांकि उक्त न्यायालय ने उत्तर मध्य रेलवे के दावों को खारिज कर दिया और दिनांक 09.11.2009 को आदेश पारित किया। व्यथित होकर, उत्तर मध्य रेलवे ने जिला न्यायालय के उक्त आदेश को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के समक्ष चुनौती दी। 	शून्य देयता	मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश (ग्वालियर पीठ)
5.	बिजली का मामला विद्युत प्रमाणपत्र मामला संख्या 01/13-14 बीएसईबी - बनाम - बीबीजे	2013	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) जिसे अब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) कहा जाता है, ने गंगा ब्रिज परियोजना स्थल पर बिजली आपूर्ति के बदले बीबीजे से अवैध रूप से 54.36 लाख रुपये की मांग की। बीएसबी ने बीबीजे से 54.36 लाख रुपये की वसूली के लिए 2013-14 का इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट केस नंबर 1 दायर किया। बीबीजे को बीएसईबी की उक्त बलापूर्वक कार्रवाई के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17069/2019) दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.12.2022 के एक आदेश द्वारा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के दावे को खारिज कर दिया। दिनांक 08.12.2022 के उक्त आदेश के अनुसार, बीबीजे अब मुंगेर, बिहार में वर्तमान विद्युत मामले के निपटारे के लिए कदम उठा रहा है। 	54.36 लाख रुपये	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय न्यायालय, जिला नीलामी प्रमाणपत्र पदाधिकारी, मुंगेर, बिहार

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
	अपील का मामला नियमित अपील संख्या 129 वर्ष 2014 (डायरी संख्या 9046 वर्ष 2014) ओएमडीसी - बनाम - 1. यूको बैंक 2. टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड 3. बीपीएमईएल (परिसमापन में) 4. सचिव, भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय 5. बीबीएनएल (अब बीबीजे) [यहां भारत संघ और बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीएनएल) प्रोफार्मा प्रतिवादी हैं।]	2014	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: यूको बैंक ने डीआरटी से 04.11.2003 को बीपीएमईएल (परिसमापन में) से 1,92,12,957.92 रुपये और यूओआई से संयुक्त रूप से, अलग-अलग और व्यक्तिगत रूप से 2,16,13,312.35 रुपये के लिए एक डिक्री प्राप्त की थी, जो कि 08.05.1991 से वसूली तक "उपयुक्त प्रमाणित राशि" पर 19.5% की दर से ब्याज के साथ कुल 4,08,26,270 रुपये थी, जिसे यूको बैंक द्वारा टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया था। ● आरआईएनएल की सहायक कंपनी, उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), पहले उड़ीसा राज्य में तीन खदानों का संचालन करती थी और जब 14 अक्टूबर, 1980 को बीपीएमईएल का निगमन सरकारी कंपनी के रूप में हुआ, तो भारत सरकार ने खदानों को बीपीएमईएल के प्रशासनिक नियंत्रण में सौंपने की अधिसूचना जारी की। चूंकि ओएमडीसी उक्त खदानों का संचालन कर रही थी, इसलिए बीपीएमईएल ने पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के माध्यम से अपने सभी अधिकार और स्वामित्व ओएमडीसी को सौंप दिए थे। ● अब टीपीजी, बीपीएमईएल का सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, वसूली अधिकारी से तथा उसके बाद डीआरटी के पीठासीन अधिकारी से उक्त खदानों के कब्जे का दावा कर रहा है। ● व्यथित होकर ओएमडीसी ने पी.ओ./डीआरटी-1 द्वारा पारित सभी पूर्व आदेशों की समीक्षा/रद्द करने तथा यूको बैंक का टीपीजी आदि को असाइनमेंट रद्द करने के लिए डीआरटी के समक्ष 09.05.2014 को वर्तमान अपील दायर की, जहां यूओआई और बीबीएनएल (अब बीबीजे) प्रोफार्मा प्रतिवादी हैं। 	अपील का मामला [बीपीएमईएल (परिसमापन के अधीन) के विरुद्ध यूको बैंक की बकाया राशि के संबंध में]	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण
7(क).	मध्यस्थता अपील ए.पी.सं. 9 वर्ष 2016 जी.ए. संख्या: 120 वर्ष 2016 इंडो वेगन इंजीनियरिंग लिमिटेड. - बनाम - बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीएनएल)	2016	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: जेसॉप एंड कंपनी लिमिटेड ("जेसॉप") और अन्य के इक्विटी शेयरों से संबंधित विवादों के लिए कंपनी और इंडो वेगन इंजीनियरिंग लिमिटेड (आईडब्ल्यूईएल) के बीच मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई। ● माननीय एकमात्र मध्यस्थ - न्यायमूर्ति आलोक चक्रवर्ती (सेवानिवृत्त) ने 11.09.2015 को बीबीएनएल के पक्ष में निर्णय पारित किया और आईडब्ल्यूईएल को ब्याज सहित 41.02 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। ● व्यथित होकर आईडब्ल्यूईएल ने दिनांक 11.09.2015 के अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देते हुए दिनांक 04.01.2016 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह मध्यस्थता याचिका दायर की। 	41.02 करोड़ रुपये + ब्याज	मामला लंबित है और इसे आगे की सुनवाई के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	व्याख्या	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
7(ख).	निष्पादन मामला ई.सी. संख्या 458 वर्ष 2018 बीबीजे (पहले बीबीएनएल) - बनाम - इंडो वेगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	2018	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: उपर्युक्त अंतिम मध्यस्थता निर्णय दिनांक 11.09.2015 को बीबीएनएल (अब बीबीजे) के पक्ष में पारित किया गया था और आईडब्ल्यूईएल को ब्याज सहित 41.02 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीएनएल) ने 41.02 करोड़ रुपये + ब्याज की राशि की वसूली के लिए 19.09.2018 को यह निष्पादन आवेदन दायर किया। 	41.02 करोड़ रुपये + ब्याज	मामला लंबित है और इसे आगे की सुनवाई के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)
8.	मध्यस्थता अपील मध्यस्थता अपील संख्या 2, 2019 (जोगीधोपा पुल अनुबंध मामला) एन. एफ. रेलवे - बनाम - बीबीजे	2016	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: यह मामला असम में निर्मित जोगीधोपा पुल से संबंधित है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 02.11.2010 को बीबीजे के पक्ष में पारित अंतिम निर्णय के अनुपालन में, व्यथित होकर, एनएफ रेलवे ने अंतिम मध्यस्थता निर्णय को गुवाहाटी के माननीय जिला न्यायालय में चुनौती दी 23.07.2014 को, कामरूप, गुवाहाटी के माननीय जिला न्यायालय ने एनएफ रेलवे के दावों को खारिज कर दिया 351 दिनों की देरी के बाद, एनएफ रेलवे ने 17.10.2015 को माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता अपील दायर की (जिस 02.02.2019 को स्वीकार किया गया)। 	शून्य देयता	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम
9.	सिविल अपील पीपी अपील संख्या 6, 2017 (विक्टोरिया हाउस मामला) - बीबीजे - बनाम - केओपीटी (अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट)	2017	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: यह मामला सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(3) के तहत केओपीटी द्वारा बीबीजे के खिलाफ 'विक्टोरिया वर्क्स' में 01.04.1988 से 31.03.1989 तक अनधिकृत कब्जे के लिए 10,57,872/- रुपये की क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में किए गए दावे से संबंधित है। केओपीटी के दावे को बीबीजे ने संपदा अधिकारी के समक्ष विभिन्न आधारों पर चुनौती दी थी। 08.03.2017 के एक विवादित आदेश द्वारा केओपीटी के माननीय संपदा अधिकारी ने केओपीटी के दावों को बरकरार रखा। 08.03.2017 के उक्त आदेश से व्यथित होकर, बीबीजे ने 23.03.2017 को अलीपुर में माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष यह अपील दायर की। तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ने दिनांक 22.06.2017 के आदेश द्वारा केओपीटी के संपदा अधिकारी के दिनांक 08.03.2017 के विवादित भुगतान आदेश पर रोक लगा दी और यह रोक अभी भी जारी है। 	10.57 लाख रुपये + ब्याज	मामला अंतिम बहस के लिए लंबित है।	अलीपुर, दक्षिण 24 परगना में तृतीय अपर जिला न्यायाधीश की माननीय अदालत

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
10.	अपील का मामला - विविध आवेदन संख्या 04, 2021 (नियमित अपील संख्या 118 वर्ष 2012) भारत संघ - बनाम - यूको बैंक एवं अन्य उत्तरदाता: 1. यूको बैंक 2. टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड 3. बीपीएमईएल (परिसमापन में) 4. बीबीयूएनएल (अब बीबीजे)	2018	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: इससे पहले, भारत संघ (यूओआई) ने 01.08.2012 को मामला संख्या 118/2012 के तहत वर्तमान अपील दायर की थी। दूसरी ओर, टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बीपीएमईएल के शेयरों की कुर्की के आदेश को रद्द करने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, कोलकाता के पीठासीन अधिकारी के दिनांक 23.02.2012 के आदेश के विरुद्ध संख्या 138/2012 के तहत क्रॉस अपील दायर की थी। हालांकि, उक्त आदेश में, भारत संघ को निर्देश दिया गया था कि वह अपनी देनदारियों के निर्वहन हेतु या किसी अन्य तरीके से बीपीएमईएल के शेयरों को टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने पर विचार करें। 	अपील का मामला	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण
11(क)	मध्यस्थता अपीलमध्यस्थता मामला संख्या 30, 2022 (विविध सिविल केस संख्या 858/2017) (चंबल ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट मामला) - एन.सी. रेलवे - बनाम - बीबीजे	2018	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: बीबीजे के पक्ष में दिनांक 31.10.2008 को एक 'शून्य' देयता मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत उक्त निर्णय को (विविध सिविल वाद संख्या 858/2017) 17.11.2017 को जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायालय में चुनौती दी। बाद में यह मामला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक न्यायालय के माननीय न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। ● बीबीजे को 12.09.2022 को सम्मन प्राप्त हुआ और अब वह इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उक्त मध्यस्थता अपील का विरोध कर रहा है। 	शून्य देयता	मामला अंतिम बहस के लिए लंबित है।	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक न्यायालय के माननीय न्यायालय
11(ख)	मध्यस्थता अपील मध्यस्थता मामला संख्या 21, 2018 (चंबल द्वितीय ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट मामला) एन.सी. रेलवे - बनाम - बीबीजे	2018	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: बीबीजे के पक्ष में दिनांक 07.04.2015 को 'शून्य' देयता वाला मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत उक्त निर्णय को (मध्यस्थता प्रकरण संख्या - 21/2018) दिनांक 10.07.2018 को जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायालय में चुनौती दी। ● बीबीजे को 16.07.2018 को सम्मन प्राप्त हुआ और अब वह जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त मध्यस्थता अपील का विरोध कर रहा है। ● वर्तमान में यह मामला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष लंबित है। 	शून्य देयता	मामला अंतिम बहस के लिए लंबित है।	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक न्यायालय के माननीय न्यायालय

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
12.	विशेष अनुमति याचिका (मध्यस्थता अपील मामला) एसएलपी(सी) संख्या 8221 वर्ष 2020 (संदर्भ - ए.पी. संख्या 69 वर्ष 2019) (मनोहरपुर-बंडांडु मध्यस्थता मामला) बीबीजे - बनाम - दक्षिण पूर्व रेलवे	2020	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: दक्षिण पूर्व रेलवे के विरुद्ध बीबीजे के लगभग 7.34 करोड़ रुपये के वैध दावे से संबंधित विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, जो जीसीसी के अनुसार मध्यस्थ(यो) की नियुक्ति के बाद शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। ● वर्तमान एसएलपी 16.03.2020 को बीबीजे द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद को उचित और निष्पक्ष रूप से निपटाने के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में तत्काल नियुक्त करने के लिए दायर की गई थी। 	7.34 करोड़ रुपये + ब्याज	यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय
13.	मध्यस्थता कार्यवाही (संदर्भ: ए.पी. संख्या 188 वर्ष 2019) ए.पी.सं.330/2018 से उत्पन्न (सियालदह, हावड़ा, आसमोल और मालदा डिवीजन परियोजना) बीबीजे - बनाम - पूर्वी रेलवे और अन्य	2021	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही पूर्वी रेलवे के सियालदह, हावड़ा, आसमोल और मालदा डिवीजन परियोजना में 36 पुलों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न विवादों के लिए बीबीजे द्वारा पूर्वी रेलवे के खिलाफ दायर की गई थी। ● बीबीजे के अन्य दावों के अलावा, ई. रेलवे के खिलाफ बीबीजे का लगभग 1.20 करोड़ रुपये का एक बड़ा स्वीकृत दावा है और अन्य दावे भी हैं, जिन पर मध्यस्थता में निर्णय लिया जाना आवश्यक है। ● दिनांक 07.04.2021 के एक आदेश द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने न्यायमूर्ति इंद्रजीत चटर्जी (सेवानिवृत्त) को बीबीजे और पूर्वी रेलवे के बीच विवादों और मतभेदों का निपटारा करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। ● 01.03.2022 को, माननीय एकमात्र मध्यस्थ ने 28.02.2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी - पूर्वी रेलवे को दावेदार - बीबीजे को 1,12,75,117.67 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। 20.05.2022 को, प्रतिवादी - पूर्वी रेलवे ने बीबीजे को 1,12,75,117.67 रुपये की उक्त राशि का भुगतान किया। ● बीबीजे के शेष 12.46 करोड़ रुपये के दावे और 18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजा तथा पूर्वी रेलवे के 3.63 करोड़ रुपये के प्रति दावे अभी भी मध्यस्थता कार्यवाही के निर्णयाधीन हैं। 	12.46 करोड़ रुपये + ब्याज	यह मामला अंतिम मध्यस्थता निर्णय के लिए लंबित है।	एकमात्र मध्यस्थ - माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत चटर्जी (सेवानिवृत्त)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
14(क)	निष्प+A128+B128: B128:B133 ई.सी. संख्या 1, 2022 बीबीजे - बनाम - पूर्व मध्य रेलवे और अन्य	2022	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: मंगलसराय में 3400 सी' श्रेणी और 10500 बी' श्रेणी के अनलोडेबल बैगों की मरम्मत के लिए अनुबंध को अवैध रूप से समाप्त करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के खिलाफ बीबीजे के लगभग 40.77 करोड़ रुपये (+ 18% ब्याज) के वैध दावे के संबंध में विवाद। ● एकमात्र मध्यस्थ - माननीय न्यायमूर्ति धरणीधर झा (सेवानिवृत्त) ने बीबीजे के पक्ष में दिनांक 17.03.2021 को अंतिम निर्णय पारित किया। माननीय एकमात्र मध्यस्थ बीबीजे के अधिकांश दावों को स्वीकार कर लिया और ई.सी. रेलवे को कुल 1,00,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। 38,72,26,975.00 बीबीजे को पुरस्कार की तारीख से लेकर उसकी प्राप्ति तक कुल पुरस्कार राशि पर 12.5% ब्याज सहित। ● आज तक पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 38,72,26,975.00 रुपये की अवाई राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ● 03.01.2022 को बीबीजे ने उपर्युक्त मध्यस्थता पुरस्कार दिनांक 17.03.2021 को लागू करने के लिए पटना सदर में माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष वर्तमान निष्पादन मामला संख्या 2/2022 दायर किया। 	₹.38.72 करोड़ों + ब्याज @12.5%	मामला सुनवाई के लिए तथा रेलवे ई.सी. द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान के लिए नियत किया गया है।	बिहार के पटना सदर में माननीय जिला न्यायाधीश
14(ख)	मध्यस्थता अपील सिविल विविध मामला संख्या 45 वर्ष 2021 पूर्व मध्य रेलवे और अन्य - बनाम - बीबीजे	2021	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: मुगलसराय में 3400 सी' श्रेणी और 10500 बी' श्रेणी के अनलोडेबल बैगों की मरम्मत के लिए अनुबंध को अवैध रूप से समाप्त करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के खिलाफ बीबीजे के लगभग 40.77 करोड़ रुपये (+ 18% ब्याज) के वैध दावे के संबंध में विवाद। ● एकमात्र मध्यस्थ - माननीय न्यायमूर्ति धरणीधर झा (सेवानिवृत्त) ने बीबीजे के पक्ष में दिनांक 17.03.2021 को अंतिम निर्णय पारित किया। माननीय एकमात्र मध्यस्थ बीबीजे के अधिकांश दावों को स्वीकार कर लिया और ई.सी. रेलवे को कुल 1,00,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। 38,72,26,975.00 बीबीजे को पुरस्कार की तारीख से लेकर उसकी प्राप्ति तक कुल पुरस्कार राशि पर 12.5% ब्याज सहित। ● आज तक पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 38,72,26,975.00 रुपये की अवाई राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ● 08.07.2021 को, ई.सी. रेलवे ने वैशाली, बिहार में माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता अपील (सिविल विविध मामला संख्या 45/2021) दायर की, जिसमें उपर्युक्त मध्यस्थता पुरस्कार दिनांक 17.03.2021 को चुनौती दी गई। ● बीबीजे इस मामले में उपस्थित हुआ और इसका विरोध किया। 	₹.38.72 करोड़ों + ब्याज @12.5%	मामला सुनवाई के लिए नियत है।	वैशाली, बिहार स्थित माननीय 15वें अपर जिला न्यायाधीश

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
15.	कर्मचारी भविष्य निधि मामला (संदर्भ: अपील संख्या ईपीएफ - 09/2016) बीबीजे (पहले बीबीएनएल) - बनाम - सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता।	2023	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: एपीएफसी, आरओ, कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14(बी) और 7(क्यू) के तहत कुल 96,09,773/- रुपये की क्षति का दावा किया है। कई सुनवाई के बाद एपीएफसी, आरओ, कोलकाता ने दिनांक 15.02.2016 के आदेश के तहत उक्त अधिनियम की धारा 14(बी) के तहत उपरोक्त क्षति के लिए 66,43,791/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया। केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोलकाता (सीजीआईटी) के 21.06.2023 के आदेश द्वारा सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कोलकाता द्वारा जारी 15.02.2016 के आदेश को रद्द करते हुए मामले का निपटारा किया गया, जिसमें बीबीएनएल (अब बीबीजे) को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 बी के तहत क्षति के रूप में 66,43,791/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश दिनांक 21.06.2023 द्वारा, सीजीआईटी ने विभागीय परिपत्रों पर विचार करने और बीबीजे को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए मामले को सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कोलकाता को भी भेज दिया। इसलिए, सहायक भविष्य निधि आयुक्त- श्री अजय कुमार सिंह, ई.पी. एफ.ओ., कोलकाता ने बीबीजे के समक्ष 27.12.2023, 17.01.2024, 12.02.2024 और 21.02.2024 को सुनवाई की। उक्त सुनवाई में बीबीजे ने तर्क दिया कि बीबीजे ने कभी भी भविष्य निधि अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है और ई.पी.एफ.ओ. द्वारा बीबीजे पर लगाया गया जुर्माना गलत और गैरकानूनी है। मामला अभी भी लंबित है और ई.पी.एफ.ओ., कोलकाता द्वारा अभी तक कोई अगली तारीख तय नहीं की गई है। 	96.09 लाख रुपये	इस मामले की अंतिम सुनवाई 21.02.2024 को हुई थी और उसके बाद ईपीएफ प्राधिकरण द्वारा कोई तारीख तय नहीं की गई है।	श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (सी एंड आर) क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय, कोलकाता
16.	मध्यस्थता कार्यवाही (संदर्भ - ओ.एम.पी. (टी) (कॉम.) 73/2022) (जौनपुर परियोजना मामला) बीबीजे - बनाम - उत्तर रेलवे	2023	<ul style="list-style-type: none"> संक्षेप में तथ्य: यह विवाद जौनपुर के निकट लाखनऊ-जफराबाद खंड में उत्तर रेलवे की परियोजना से संबंधित है। बीबीजे ने पिछले मध्यस्थ न्यायाधिकरण को औपचारिक रूप से समाप्त करने और मामले को निष्पक्ष रूप से निपटाने के लिए नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान मध्यस्थता याचिका दायर की। दिनांक 20.12.2023 को, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति दीपा शर्मा (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मध्यस्थ (एकल पंच) के रूप में नियुक्त किया। 22.01.2024 को, माननीय एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष बीबीजे बनाम उत्तर रेलवे के बीच वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही की पहली बैठक हुई। 	5.35 करोड़ रुपये + ब्याज	मामला अंतिम बहस के लिए लंबित है।	एकमात्र मध्यस्थ - माननीय एकमात्र मध्यस्थ सुश्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपा शर्मा

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	ब्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
17.	निष्पादन मामला (गैबॉन परियोजना मध्यस्थता मामला) ईसी-कॉम संख्या 159/2025 ई.सी. संख्या 470 वर्ष 2023 कंसल्टेंट्स कंबाइन प्राइवेट लिमिटेड - बनाम - बीबीजे	2023	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: माननीय एकमात्र मध्यस्थ - न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त) ने 20.05.2023 को अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया, जिसमें सीसीपीएल और बीबीजे को कुछ राशि की अनुमति दी गई। ● 16.11.2023 को, सीसीपीएल ने 20.05.2023 के अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने के लिए बीबीजे के खिलाफ वर्तमान निष्पादन मामला दायर किया। ● बीबीजे उपस्थित हुआ और अब सीसीपीएल द्वारा दायर उपर्युक्त निष्पादन मामले का मुकाबला कर रहा है। ● इस बीच बीबीजे ने 20.05.2024 के मध्यस्थता निर्णय का अनुपालन कर लिया था। ● वर्तमान में सीसीपीएल, बीबीजे के विरुद्ध उपर्युक्त निष्पादन मामले में मूल राशि पर ब्याज के लिए मुकदमा लड़ रही है। बीबीजे ने सीसीपीएल के दावों का विरोध किया। 	42.21 लाख रुपये	इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष), वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा अभी तक तय नहीं किया गया है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष), वाणिज्यिक प्रभाग
18.	आज्ञापन (सेवा मामला) डब्लू.पी.ए. 5789 वर्ष 2024 बीबीजे - बनाम - 1. पश्चिम बंगाल राज्य, 2. श्री तरुण घोषाल.	2024	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: श्री तरुण घोषाल को 08.07.1996 से "गौन्टी ऑपरेटर" के पद पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बीबीजे के दिनांक 06.05.2000 के एक नोटिस द्वारा श्री तरुण घोषाल की सेवा समाप्त कर दी गई। उक्त समाप्ति के विरुद्ध श्री तरुण घोषाल ने पश्चिम बंगाल सरकार के उप सचिव के समक्ष दिनांक 28.03.2001 को एक शिकायत पत्र दायर किया। ● मामला श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया और अंत में प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण, पश्चिम बंगाल को स्थानांतरित कर दिया गया। ● 19.12.2023 को, प्रथम औद्योगिक न्यायाधिकरण, पश्चिम बंगाल ने अंतिम आदेश पारित किया, जिसमें श्री तरुण घोषाल की बर्खास्तगी को अनुचित और कानून की दृष्टि से गलत माना गया और बीबीजे के प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंचता है तो उसे समाप्ति की तिथि से बहाली की तिथि तक पूर्ण वेतन और लाभ के साथ बहाल किया जाए। ● व्यथित होकर, बीबीजे ने दिनांक 19.12.2023 के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की है। 	सेवा संबंधी मामला	यह मामला सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय की वाद सूची में नहीं आ रहा है।	माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क्रम सं	मामले का विवरण	प्रारंभ वर्ष	व्यौरा	शामिल राशि (रुपये में)	मामले की वर्तमान स्थिति	पहले लंबित
19.	मध्यस्थता कार्यवाही (एनईआरएसडीएस के अंतर्गत परियोजना) और कंसल्टिंग इंजीनियर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड - बनाम - 1. मणिपुर जनजातीय विकास निगम, 2. बीबीजे	2024	<ul style="list-style-type: none"> ● संक्षेप में तथ्य: माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2024 को पारित आदेश द्वारा [मध्यस्थता याचिका संख्या 1456/2022 में] बीबीजे को वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में जोड़ा गया है। ओशता ने एनईआरएसडीएस के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क और पुलों के विकास हेतु डीपीआर तैयार करने हेतु सलाहकार के रूप में अपने कार्य के लिए 87.64 लाख रुपये के बिलों का भुगतान न करने के लिए एमटीडीसी के विरुद्ध यह मध्यस्थता दायर की थी। ● बीबीजे उपस्थित हुआ और उसने एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि बीबीजे इस मध्यस्थता में पक्ष नहीं है और उसने पहले ही उस परियोजना के संबंध में एमटीडीसी के सभी बिलों का भुगतान कर दिया है, जिसमें ओशता शामिल थी। ● संक्षेप में तथ्य: यह मामला पूर्व मध्य रेलवे की गंडक परियोजना से संबंधित है। बीबीजे ने परियोजना पूरी कर ली, लेकिन आज तक पूर्व मध्य रेलवे बीबीजे को देय कुल 8.83 करोड़ रुपये और 18% प्रति वर्ष की दर से मुआवजा नहीं दे पाया है। ● वर्तमान याचिका बीबीजे द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद को उचित और निष्पक्ष रूप से निपटाने के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में तत्काल नियुक्त करने के लिए दायर की गई है। 	87.64 लाख रुपये + ब्याज	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	एकमात्र मध्यस्थ - माननीय श्री रमेश सिंह, अधिवक्ता
20.	मध्यस्थता याचिका (पूर्व मध्य रेलवे की गंडक परियोजना) अनुरोध मामला संख्या 19/2025 बीबीजे - बनाम - पूर्व मध्य रेलवे	2025		8.83 करोड़ रुपये प्लस 18% प्रति वर्ष मुआवजा।	मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय पटना, बिहार

विषय: बीबीजे के लंबित कानूनी मामलों की कुल संख्या (31.03.2025 तक)

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	लंबित कानूनी मामलों की संख्या
1.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	1
2.	उच्च न्यायालय	10
3.	निचली अदालतें	8
4.	मध्यस्थ न्यायाधिकरण	3
5.	कोई अन्य प्राधिकरण या मंच	2
	कुल	24

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

44 विश्लेषणात्मक अनुपात के संबंध में प्रकटीकरण

अनुपात	अंश-गणक	भाजक	31 मार्च, 2025	31 मार्च 2024	% विचरण	विचलन का कारण >25%
वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.43	1.40	2.59%	-
ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.26	0.29	-10.38%	-
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में) - (शुद्ध लाभ + मूल्यहास + दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज) / वर्ष के दौरान देय या चुकाए गए दीर्घकालिक ऋण के ब्याज और मूलधन की कुल राशि।	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	0.10	0.07	45.24%	लाभ में वृद्धि के कारण
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (%)	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक की इक्विटी	25.32%	17.07%	48.30%	लाभ में वृद्धि के कारण
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	5.49	5.87	-6.45%	-
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण बिक्री	औसत प्राप्य खाते	7.00	11.32	-38.17%	राजस्व में कमी के कारण
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुना)	शुद्ध क्रेडिट खरीदारी	औसत विविध लेनदार	13.09	12.33	6.16%	-
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (%)	संचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	88.24%	142.71%	-38.17%	राजस्व में कमी के कारण
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	परिचालन से राजस्व/शुद्ध बिक्री	16.74%	8.25%	102.95%	राजस्व में कमी के कारण
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	ब्याज और करों से पहले की कमाई	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	14.51%	11.10%	30.74%	लाभ में वृद्धि के कारण
निवेश पर प्रतिफल (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल संपत्ति	3.69%	2.67%	38.03%	लाभ में वृद्धि के कारण

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 45 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में वे वस्तुएँ शामिल हैं जो बहुत पुरानी हैं और जिनका उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका है। ऐसी संपत्तियों का लेखा-जोखा पुस्तकों में पूर्णतः मूल्यहास कर दिया गया है। 2024-25 के दौरान कंपनी ने ₹49.35 लाख (पिछले वर्ष 2023-24 - शून्य) (प्रधान लागत) मूल्य की ऐसी वस्तुओं की पहचान की और उन्हें कबाड़ के रूप में निपटाया। कंपनी ऐसी और वस्तुओं की पहचान करने की प्रक्रिया में है जिनका उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका है और उन्हें कबाड़ में डालने/बट्टे खाते में डालने के लिए तैयार है।
- 46 व्यापार प्राप्य - 38.98 लाख रुपये की गैर-वर्तमान संपत्ति (31 मार्च 2024: 38.98 लाख रुपये) लकवा परियोजना के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) से देय राशि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे 2009-10 में बंद कर दिया गया था और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में उपरोक्त कार्य से संबंधित अवधारण जमा 42.29 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 42.29 लाख रुपये) और सुरक्षा जमा 37.49 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 37.49 लाख रुपये) शामिल हैं। ठेकेदार मेसर्स फ्रंटियर इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ पुस्तकों में पड़े 126.46 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 126.46 लाख रुपये) की संगत कुल देयता के कारण राशि को अच्छा माना गया है। लकवा प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने पहले ही रु। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) से देय राशि के संबंध में 38.98 लाख (31 मार्च 2024: रु.38.98 लाख)।
- 47 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू में बयाना राशि और अन्य जमा के रूप में रु.45.41 लाख (31 मार्च 2024- रु.45.41 लाख) की राशि शामिल है, जो बहुत पुरानी है जिसके विरुद्ध रु.40.78 लाख (31 मार्च 2024- रु.40.78 लाख) की राशि देय है और अन्य वित्तीय देनदारियां - चालू में शामिल है, जिसकी पुष्टि संबंधित पक्षों द्वारा नहीं की गई है, हालांकि कंपनी ने संबंधित देनदारियां के कारण इसे अच्छा माना है।
- 48 वर्ष के लिए इन्वेंटरी में पुराने और अप्रयुक्त स्टॉक शामिल हैं, जिनमें कच्चे माल में 119.85 लाख रुपये, स्टोर स्पेयर और उपभोग्य सामग्रियों में 2.78 लाख रुपये, जो 8 वर्षों से अधिक समय से पड़े हैं, और खुले औजारों में 8.18 लाख रुपये, जो 10 वर्षों से अधिक समय से पड़े हैं और रिपोर्टिंग अवधि तक खातों में इसके लिए 58.46 लाख रुपये का संचित प्रावधान किया गया है।
- 49 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू में निम्नलिखित पक्षों को अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि शामिल है जो बहुत पुरानी है और कंपनी ने इसे चालू प्रकृति का माना है।

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1	ग्राहक से वसूलीय बिक्री कर-बीबीयूएनएल	15.76	15.76
2	वेतन अग्रिम	10.45	10.45
कुल		26.21	26.21

ग्राहक-बीबीयूएनएल से वसूली योग्य बिक्री कर वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए बिहार के वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त के समक्ष की गई अपील के विरुद्ध जमा की गई राशि को दर्शाता है।

- 50 अन्य चालू परिसंपत्तियों में निम्नलिखित पक्षों को अग्रिम के रूप में जमा की गई राशियाँ शामिल हैं, जिनकी कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है और जो बहुत पुरानी हैं। कंपनी इन्हें अच्छा और वसूली योग्य/समायोज्य मानती है और इसलिए इन्हें चालू प्रकृति का मानती है।

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1	पारिवारिक पेंशन योजना- संविदा श्रमिक	15.02	15.02
2	वर्कमेन प्रोविडेंस इंस्टीट्यूशन	6.82	6.82
कुल		21.84	21.84

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 51 व्यापारिक देयताएँ - गैर-चालू और अन्य देयताएँ: गैर-चालू में निम्नलिखित राशियाँ शामिल हैं जिनके विरुद्ध पिछले वर्षों में माल और सेवाएँ प्राप्त हुई थीं, और कंपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध इनका मिलान करने की प्रक्रिया में है। हालाँकि, कंपनी ने इन्हें दीर्घकालिक और गैर-चालू प्रकृति में देय माना है:

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1	देनदारियां का लेखा-जोखा - पूर्ण हो चुके अनुबंधों पर	1493.35	1493.35
2	देयता खाता	698.01	698.01
3	भारत सरकार देय खाता - बीबीवीएल तरलता और ब्याज	182.90	182.90
4	भारत सरकार पी/ई देय (उप.) - बीडब्ल्यूईएल	69.60	69.60
5	सब्सक्राइबर्स को देय पी/ई फंड पर ब्याज।	357.65	357.65
6	विविध लेनदार - विविध (सहायक)	2.33	2.33
7	आईटी निलंबन (अन्य) (194) देय - ओसीएल	1.04	1.04
8	बिक्री कर देय -ओसीएल	1.54	1.54
9	बीबीसीसी को देय ब्याज	2.37	2.37
10	पुराना असम्बद्ध संतुलन	6.36	6.36
	कुल	2815.15	2815.15

- 52 वर्ष के अंत में कच्चे माल, भंडार, उपभोग्य सामग्रियों आदि की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और भौतिक और पुस्तक स्टॉक के बीच विसंगतियां, यदि कोई हो, जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो वर्ष के दौरान लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटा दी गई हैं।
- 53 आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, 31.85 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 15.08 लाख रुपये) की एक निर्विवाद आयकर मांग है, जिसका खंडन करने के लिए कंपनी के पास उपयुक्त दस्तावेज़ या साक्ष्य नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी का मानना है कि भुगतान हेतु कोई भी राशि बकाया नहीं है, जिसका विरोध नहीं किया गया है और आयकर पोर्टल पर प्रदर्शित राशियाँ त्रुटिपूर्ण हो सकती हैं। कंपनी इसे ठीक कराने का प्रयास करेगी। तदनुसार, कोई देयता निर्धारित नहीं की गई है।
- 54 संबंधित सहायक अभिलेखों में दर्शाए गए शेषों के अनुसार, कुछ व्यापारिक प्राप्त्य, व्यापारिक देय, ऋण और अग्रिम आदि के शेष, संबंधित पक्षों से पुष्टि और समाधान तथा समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अधीन हैं। हालाँकि, कंपनी का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगति नहीं होगी।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- 55 भारत सरकार (जीओआई) की 2015 की स्वीकृति के अनुसार, बीबीजे (हस्तांतरक कंपनी) का कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391(2) सहपठित धारा 394 के अंतर्गत बीबीयूएनएल (हस्तांतरिती कंपनी) के साथ विलय हो गया। विलय से पहले, दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे), भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की एक सहायक कंपनी थी। कंपनी रजिस्ट्रार ने 18 नवंबर 2015 के अपने आदेश द्वारा, इस विलय के परिणामस्वरूप, कंपनी का नाम भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) से बदलकर दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे पहले बीबीयूएनएल की भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीपीएमईएल), बर्न स्टैंडर्ड एंड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसीएल), लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड और दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) जैसी सहायक कंपनियाँ थीं। ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, बीएससीएल और बीडब्ल्यूईएल को रेलवे को सौंप दिया गया, लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड और जेसप एंड कंपनी का विनिवेश कर दिया गया, बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है।
- 56 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (चालू) में बीपीएमईएल में 5932.96 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 5932.96 लाख रुपये), वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड (बीपीएमईएल की सहायक कंपनी) में 656.03 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 656.03 लाख रुपये) और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती सहायक कंपनी) में 207.25 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 207.25 लाख रुपये) प्राप्य ब्याज के साथ, बीपीएमईएल से 33,656.29 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 33,656.29 लाख रुपये), डब्ल्यूआईएल से 350.26 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 350.26 लाख रुपये) रिपोर्टिंग तिथि तक देय हैं। उक्त ऋण भारत सरकार द्वारा बीबीयूएनएल के माध्यम से अपनी सहायक कंपनियों बीपीएमईएल, डब्ल्यूआईएल और बीडब्ल्यूईएल को उनकी विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं के लिए दिए गए थे। आज की तिथि में बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है, डब्ल्यूआईएल का परिसमापन के बाद समापन हो गया और बीडब्ल्यूईएल को रेलवे को सौंप दिया गया। उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, ऐसे ऋण लागत पर लिए जाते हैं।
- 57 रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) में ₹486.30 लाख (31 मार्च 2024: ₹486.30 लाख) निवेश हैं, बीबीयूएनएल की पूर्व सहायक कंपनी जेसॉप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसीएल) में ₹2558.01 लाख (31 मार्च 2024: ₹2558.01 लाख) परिसमापन के अधीन हैं और लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (बीबीयूएनएल की पूर्व सहायक कंपनी) में ₹42.20 लाख (31 मार्च 2024: ₹42.20 लाख) निवेश हैं। उपरोक्त संस्थाओं की स्थिति के बावजूद, ऐसे निवेश लागत पर किए जाते हैं।
- 58 कंपनी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') और वेइबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल') को दिए गए 6,588.99 लाख रुपये के ऋणों पर चालू वित्त वर्ष के लिए अर्जित किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है, क्योंकि उपरोक्त सहायक कंपनियाँ परिसमापन के अधीन हैं।
- कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 6588.99 लाख रुपये के ऋणों पर, जिनका उपयोग उपरोक्त सहायक कंपनियों को ऋण देने के लिए किया गया था, वसूली न होने के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए देय किसी भी ब्याज पर विचार नहीं किया है। यदि ऐसे ऋणों पर देय ब्याज के लिए प्रावधान किया गया होता, तो चालू वित्त वर्ष की वित्तीय लागत 2153.03 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 2160.39 लाख रुपये) अधिक होती और ब्याज के रूप में भारत सरकार को देय राशि 27070.09 रुपये (31 मार्च 2024: 24917.06 लाख रुपये) अधिक होती। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष का लाभ 2153.03 लाख रुपये (31 मार्च 2024: 2160.29 लाख रुपये) कम होता।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

59 भारत सरकार के पत्र संख्या 17(12)/2000-पीई. III दिनांक 26.08.2003 के अनुसार मंजूरी के फलस्वरूप तथा कंपनी, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसप) और इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच निष्पादित "शेयर खरीद समझौते" के अनुसार, कंपनी ने जेसप एंड कंपनी के 6,81,34,428 इक्विटी शेयर (अर्थात 72%) 1818.00 लाख रुपये के मूल्य पर 29.08.2003 को इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड को बेचे/हस्तांतरित किए तथा 1818.00 लाख रुपये की पूरी बिक्री आय भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई।

60 वर्ष 2005-06 के दौरान, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में आवेदन किया। बीआईएफआर ने 31.08.2005 को जारी निर्देशों के तहत जेसप एंड कंपनी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 100, 101, 102 और 103 के प्रावधान के अनुसार अपनी इक्विटी शेयर पूंजी में कमी करने की अनुमति दी।

कंपनी ने बीआईएफआर के उपरोक्त निर्देश के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के समक्ष रण्य औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 25 के अंतर्गत अपील दायर की। कंपनी ने बीआईएफआर के उपरोक्त निर्देश के विरुद्ध एएआईएफआर के समक्ष दायर दो अन्य अपीलों में भी पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किए। इनमें से एक अपील पहले ही वापस ले ली गई थी, लेकिन एएआईएफआर ने 28.02.2008 के आदेश द्वारा कंपनी द्वारा दायर अपील के साथ-साथ दूसरी अपील को भी खारिज कर दिया। कंपनी ने एएआईएफआर के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता स्थित माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसका निपटारा आज तक लंबित है। कंपनी ने 29.08.2003 को इंडो-वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड (जेसॉप में रणनीतिक साझेदार) के साथ हुए "शेयरधारक समझौते" के अनुसार विवादों को मध्यस्थता के लिए भी भेज दिया है। परिणामी लेखांकन प्रभाव को लेखांकन मानकों और सरकारी निर्देशों के अनुपालन में अंतिम निर्णय के बाद लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा।

61 वित्तीय वर्ष 2005-06 में, अक्टूबर 2001 से अगस्त 2003 की अवधि के संबंध में वसूले गए 'सेवा शुल्क' के कारण जेसप एंड कंपनी लिमिटेड को 82.72 लाख रुपये की राशि वापस कर दी गई थी। कंपनी ने ब्याज और लागत के साथ राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है, जो आज की तारीख तक निपटान के लिए लंबित है।

62 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, कंपनी ने गैबॉन गणराज्य के बाइकेल टाउनशिप में नेबरहुड यूनिट के निर्माण के लिए "बीसीडी आईएनजीएबी कंसोर्टियम" के नाम और शैली के तहत एक कंसोर्टियम व्यवस्था में प्रवेश किया था। कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्य (कंसोर्टियम भागीदार के साथ समझौते के अनुसार) एकत्रित किया गया था और 2.75 करोड़ रुपये तक सीमित था, जिसमें बैंक गारंटी शुल्क, यात्रा, स्थापना व्यय आदि जैसे विभिन्न मदों पर किए गए वास्तविक खर्च शामिल नहीं थे। अपनी परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में, कंपनी ने कंसोर्टियम को जारी की गई समतुल्य राशि के मोबिलाइजेशन एडवांस के खिलाफ गैबॉन सरकार के पक्ष में यूएस \$ 725,000 (प्रोजेक्ट ऑर्डर मूल्य का 5%) की एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान की है। कंपनी को कंसोर्टियम से ऐसी गारंटी (वैधता अवधि समाप्त हो गई है) के लिए मार्जिन मनी प्राप्त हुई है।

परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति संतोषजनक न होने के कारण, कंपनी ने सम्मानजनक तरीके से इससे बाहर निकलने का निर्णय लिया है, जिस पर कार्य चल रहा है। मौजूदा समझौते के अनुसार, परियोजना से होने वाली किसी भी हानि और/या घाटे की स्थिति में कंपनी कंसोर्टियम भागीदार को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

बीबीजे और सीसीपीएल (कंसोर्टियम पार्टनर) के बीच मध्यस्थता कार्यवाही माननीय मध्यस्थ के समक्ष शुरू की गई थी, जिसे कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था, ताकि कंसोर्टियम से ब्याज सहित किए गए भुगतान के लिए दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ उठाए गए विभिन्न दावों को हल किया जा सके।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

मध्यस्थता कार्यवाही का निर्णय 2023-24 में प्राप्त हो गया है और बीबीजे को कंसोर्टियम और बदले में सीसीपीएल को 3.64 करोड़ रुपये, यानी 7,25,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, बीबीजे को उक्त राशि पर संचित ब्याज अपने पास रखने का आदेश दिया गया है। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीसीडी आईएनजीएबी कंसोर्टियम को यह राशि वापस कर दी है। हालांकि, सीसीपीएल ने निर्णय के बाद ब्याज का दावा करते हुए एक निष्पादन वाद दायर किया है जो कलकत्ता स्थित माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।

- 63 बीबीजे का संयुक्त उद्यम भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीसीपीएल) और पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल की सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) आज की तारीख में निष्क्रिय हैं, क्योंकि बीपीएमईएल 2004 से परिसमापन के अधीन है और बीबीसीपीएल का आधार उस उद्देश्य के पूरा होने के बाद नष्ट हो गया जिसके लिए इसे 1971 में शामिल किया गया था। आज की तारीख में दोनों कंपनियों में कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हैं और निष्क्रिय संयुक्त उद्यम / सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता के कारण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।
- 64 इंड एस 116 के अनुसार, वर्ष के दौरान कोई परिचालन पट्टा मौजूद नहीं है और इसलिए इस संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।
- 65 अन्य वैधानिक जानकारी:
- कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहाँ कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।
 - कंपनी का किसी भी कंपनी के साथ कोई लेन-देन रद्द नहीं किया गया है।
 - कंपनी का कोई भी ऐसा शुल्क या संतुष्टि ऋण नहीं है जो वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना बाकी हो।
 - कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:
 - कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या
 - अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा।
 - कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (निधि पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी:

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

- क. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देना या निवेश करना
वित्तपोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) या
- ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान करना।
- vi) कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा-पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।
- vii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- viii) कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में उचित लेखा-पुस्तकें बनाए रखती है और ये लेखा-पुस्तकें भारत में हर समय उपलब्ध रहती हैं और लेखा-पुस्तकों और खातों का बैकअप दैनिक आधार पर भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों में रखा जाता है।
66. जब भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
बाटलीबॉय, पुरोहित और दरबारी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर: 303086E

हेमल मेहता
साझेदार
सदस्यता संख्या 063404

एन के मिश्रा
कंपनी सचिव
पैन - AIQPM3388P

एस के घोष
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 10659781

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U70100WB1986GOI041286

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25.06.2025

कमोडोर राकेश छिल्लर (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 09832486

**Annual Report
(English)**

CONTENTS

Sl No.	Particulars	Page No.
1.	Board of Directors	1
2.	Notice to the Shareholders	3
3.	Chairman's Message	7
4.	Directors' Report	9
5.	Independent Auditor's Report	35
6.	Management's replies to the Auditor's Observations	50
7.	Comments of the Comptroller and Auditor General of India	53
8.	Balance Sheet	56
9.	Statement of Profit and Loss	58
10.	Statement of Cash Flows	59
11.	Statement of Changes in Equity	61
12	Company Information, Significant Accounting Policy & Notes to Financial Statement	62

UPTO DATE LIST OF DIRECTORS INCLUDING CHANGES DURING THE FINANCIAL YEAR 2024-25

	Name	Period
Bord of Directors	Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.) Chairman & Managing Director Director (Finance) - Additional Charge Director (Technical) - Additional Charge	Full Year Upto 06.06.2024 From 01.02.2025 to 13.07.2025
	Shri Rajiv Kumar Singh Director (Technical)	Upto 31.01.2025
	Shri Sujit Kumar Ghosh Director (Finance)	From 07.06.2024
	Shri Naresh Kumar Director (Technical)	From 14.07.2025
	Shri Aditya Kumar Ghosh Govt. Nominee Director	Upto 27.02.2025
	Shri Udai Bhan Singh Govt. Nominee Director	From 27.02.2025
	Smt. Sarla Devi Independent Director	Upto 14.02.2025
Chief Vigilance Officer	Ms Chandrani Gupta	Full Year
Auditors	Batliboi, Purohit & Darbari Chartered Accountants	
Solicitor	Fox & Mondal Kolkata	
	Fox Mondal & Associate LLP Kolkata	
	Fox & Mondal LLP New Delhi	
Bankers	State Bank of India Canara Bank HDFC Bank Axis Bank	
Register Office	27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001, West Bengal	

NOTICE OF RESCHEDULED 39th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF THE MEMBERS/SHAREHOLDERS OF THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Members of **The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited** which was scheduled to be held on 11th September 2025 at 11:30 a.m. at the Registered Office of the Company at **27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001, W. Bengal** has been **rescheduled** to be held on **Friday, 12th September 2025 at 11:30 a.m.** at **27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001, W. Bengal** to transact the following businesses :

Ordinary Business :

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements containing the Balance Sheet as at 31st March 2025, Statements of Profit and Loss, Cash Flows and Changes in Equity including Notes etc. forming part thereof for the financial year ended 31st March 2025 together with Report of the Board, Report of Independent Auditors & Comments of Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To Declare Dividend for the financial year 2024-25.
3. To authorize the Board of Directors of the Company to fix remuneration of the Independent Auditors, to be appointed by The Comptroller and Auditor General of India for the Financial Year 2025-26.
4. To take note of the Appointment of Directors made by Government Order.

BY ORDER OF THE BOARD

(Navin Kumar Mishra)
COMPANY SECRETARY

Regd. Office :

27, R.N.Mukherjee Road .
Kolkata – 700001

Date : 08 September 2025

Copy to : All the Directors and Statutory Auditors



NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING TO THE MEMBERS / SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 39th **Annual General Meeting** (AGM) of the Members / Shareholders of **The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited** shall be held on **Thursday, 11th September 2025** at 11:30 A. M. at the Registered Office of the Company at **27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001, W. Bengal** to transact the following business :-

Ordinary Business :

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements containing the Balance Sheet as at 31st March 2025, Statements of Profit and Loss, Cash Flows and Changes in Equity including Notes etc. forming part thereof for the financial year ended 31st March 2025 together with Report of the Board, Report of Independent Auditors & Comments of Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To Declare Dividend for the financial year 2024-25.
3. To authorize the Board of Directors of the Company to fix remuneration of the Independent Auditors, to be appointed by The Comptroller and Auditor General of India for the Financial Year 2025-26.
4. To take note of the Appointment of Directors made by Government Order.

BY ORDER OF THE BOARD

(Navin Kumar Mishra)
COMPANY SECRETARY

Regd. Office :
27, R.N.Mukherjee Road .
Kolkata – 700001

Date : 20th August 2025

Copy to : All the Directors and Statutory Auditors

NOTE :

1. **A Member entitled to attend and Vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and Vote instead of himself and such Proxy need not be a Member of the Company. Proxy Form is enclosed with this Notice.**
2. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and MCA Circulars, the Annual General Meeting will be held through Video Conferencing (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM) and accordingly, the 39th AGM of the Company shall be conducted with option to Members to participate through VC/OAVM, if so required and the VC/OAVM link for this purpose shall be shared separately.
3. The deemed venue for 39th AGM shall be the Registered Office of the Company as stated in the Notice of the AGM.



PROXY FORM

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN : U70100WB1986GOI041286
Name of the Company : THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Registered office : 27, R. N. Mukherjee Road, Modi Building, Kolkata, WB - 700001. INDIA

Name of the Member(s)	:	
Registered address	:	
E-mail Id	:	
Folio No/ Clint Id	:	
DP ID	:	Not Applicable

I/ We being the member of the Company holding.....shares in the above named Company, hereby appoint

- Name: Address : E-mail Id:
Signature:, or failing him
- Name: Address : E-mail Id:
Signature:, or failing him
- Name: Address : E-mail Id:
Signature:

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the 39th Annual General Meeting of members of the Company, to be held on - --- day, -- ----, 2025 at the Registered Office of the Company at Kolkata., and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

- 1
- 2
- 3
- 4

Affix Revenue Stamp

Signed thisday of September 2025

Signature:(Signature of Member)

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, before the commencement of the Meeting.



CHAIRMAN'S MESSAGE

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, I have great pleasure in welcoming you all to the 39th Annual General Meeting of the Members of the Company. Annual Report containing the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2025 together with Directors' Report, Auditors' Report and Comments of Comptroller & Auditor General has already been circulated for your perusal.

Before I proceed to take up the formal agenda of today's meeting, I would briefly share with you the performance of your company during the financial year 2024-25: -

- During financial year 2024-25 the Company generated total income of ₹ 19578.07 Lakh as against ₹ 26074.99 Lakh during financial year 2023-24.
- Net Profit (Profit after Tax) for the said period is ₹ 3059.62 Lakh (Previous financial year ₹ 2063.03 Lakh).
- Reserves & Surplus stand at ₹14291.54 Lakh w.r.t ₹11644.53 Lakh in FY2023 – 24 (23% growth YoY) and Net Worth is ₹26377.59 Lakh vis-à-vis ₹23730.58 Lakh in FY 2023 -24 (11% growth YoY).
- During the year under report our order book has displayed an upward trend with a value of ₹ 45390.23 Lakh as on 31 March, 2025. We are optimistic that order book will grow further considering forthcoming business opportunities.

The major projects, Railway Bridge across Ganga River at Prayagraj, seven Railway Bridges on Bairabi-Sairang Line in Mizoram and two Rail Bridges across Irang & Iring Rivers in Manipur have been undertaken efficiently. Railway Bridge across Ganga River at Prayagraj has been operational since 12 Dec 2024 and extensively used during Maha Kumbh. Bairabi – Sairang Line in Mizoram is also likely to be operational in near future. The other projects in Karnataka and Chhattisgarh are also nearing completion. The company has effectively & efficiently undertaken the operations in spite of uptrend in construction input costs and logistic challenges of remote projects sites and been able to maintain operating margins/ profitability. The successful completion of challenging projects has augmented institutionalise expertise of the organisation, boosted the confidence of the team and enhanced technical/ financial credentials of the company for future business opportunities.

Concerted efforts are being made to consolidate business in the Core Segment of Railway Bridges as well as diversification opportunities in other segments are being explored. Recently the company has made a modest beginning in other business segments - Road-over-Bridge (RoB), Re-girding of Rail Bridges, Foot-over-Bridges



(FoB), Industrial Structures and Legacy Waste Management. The company is also attempting entry in the Pontoon Bridges of IWAI. It is encouraging to note that order book of over ₹ 45000.00 Lakh has been achieved in these new verticals. The company is continuously working towards enhancing efficiencies, improving customer relationship, reconfiguring the organisation's structure to match the future business opportunities and challenges.

Our primary objectives to achieve growth with sustainability by diversifying our services across various infra sectors. A robust business acquisition strategy, for small/medium/large value projects on our own or through MoU/ Tie up with reputed entities, is being pursued. Prudent financial management, risk mitigation, cost consciousness & optimization and business competitiveness while ensuring financial stability & resilience underpin our approach in all endeavours. The Company is taking measured steps in the right direction factoring sustainability, growth and profitability.

We are steadfast in our approach to develop a lean and agile organisation with a diverse and multi-skilled team to address the current business requirements as well as new areas of work. While consolidating our institutionalised expertise, we will maintain thrust on training, enhanced skills, technologies, innovative methods/ processes and thus enabling our team to be future ready. We are also committed to sustainability and conservation of environment and adhere to the environmental standards while undertaking our projects/ operations.

The Company is committed to adhere to the corporate governance guidelines issued by DPE, Govt. of India. Quarterly and Annual compliance report under Corporate Governance guidelines are filed with DPE within the prescribed due date, without any delay. As per Grading Report of CPSEs issued by DPE, BBJ has consistently achieved 'Excellent' Grade for Corporate Governance Compliance. Detailed Report on Corporate Governance has been given separately in the annexure to Directors' Report of the Company for the financial year 2024-25. We are actively engaged in our corporate social responsibility as per extant guidelines and directives of DPE/ GoI.

I take this opportunity to express my sincere thanks and gratitude to my colleagues on the Board of Directors for their valuable support and co-operation in the overall management of the company.

I am also thankful for the whole -hearted support received from Ministry of Heavy Industries, Ministry of Railway and other Ministries /Departments of Govt. of India, State Governments, Syama Prasad Mookerjee Port, RVNL, IRCON, Financial Institutions, Banks, Regulatory & Statutory Authorities, Comptroller & Auditor General of India, Auditors, Legal Advisors & Consultants, Joint Venture Partners and all the stakeholders. We look forward for their continued support in Company's future endeavours.

I, on behalf of the entire Board of Directors, sincerely thank the employees of BBJ at all levels and would like to place on record our appreciation for their commitment, hard work and dedication.

Thank you all.

Jai Hind

Cmdr. Rakesh Chhillar (Retd.)
Chairman & Managing Director

DIRECTORS' REPORT

To
The Shareholders,
The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited.

Your Directors have pleasure in presenting the 39th Annual Report on the Company's Operation and Performance together with Audited Annual Financial Statements for the financial year ending 31st March 2025.

1 Financial Highlights

- 1.1.1 The Financial Statements of the Company are prepared on accrual basis of accounting in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and subsequent amendments thereto to the extent notified and applicable provisions under Companies Act, 2013.
- 1.1.2 A summary of Financial Performance of the company for the financial year 2024-25 vis-à-vis 2023-24 is given below:-

(₹ in Lakh)

PARTICULARS	2024-25	2023-24
Revenue from Operation	18276.59	25010.37
Other Income	1301.48	1064.61
Profit/(loss) before Depreciation, Finance Costs, Exceptional items and Tax Expense	4178.96	3014.33
Less: Depreciation/ Amortization/ Impairment	119.49	149.72
Profit /(loss) before Finance Costs, Exceptional items and Tax Expense	4059.47	2864.61
Less: Finance Costs	50.84	69.29
Profit /(loss) before Tax Expense	4008.63	2795.32
Less: Tax Expense (Current & Deferred)	949.01	732.29
Profit /(loss) for the year	3059.62	2063.03

- 1.1.3 Total income of the Company for financial year 2024-25 is ₹ 19578.07 Lakh as against the ₹ 26074.99 Lakh during financial year 2023-2024. Net Profit (Profit after Tax) for the said period is ₹ 3059.62 Lakh (Previous financial year ₹ 2063.03 Lakh).
- 1.1.4 Your Company consciously targeted remunerative orders from Railways and other Clients, aiming impetus of growth both in terms of Operation and profitability. Your company has maintained the track record of a consistent profit making CPSE.

2 Capital Structure

- 2.1 There was no change in the capital structure of the Company during financial year 2024-25. The Authorized Capital as on 31st March, 2025 is ₹ 34810 Lakh and paid-up share capital is ₹ 12086.05 Lakh.

3 General Reserves

- 3.1 General Reserves (excluding Retained earnings) as on 31st March, 2025 stands at ₹ 1473.65 Lakh (Previous financial year 2023-24 ₹ 1473.65 Lakh).

4 Dividend

- 4.1 Dividend would be payable to the Govt. of India post recommendation by the Board and subsequent approval by the Shareholders of the Company at the ensuing Annual General Meeting which shall be held as per the requirements under Companies Act, 2013. During financial year 2024-25, your Company paid dividend of ₹ 412.61 Lakh for the financial year 2023-24.
- 4.2 The dividend pay-out shall be in accordance with the Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and as directed by the Govt. of India / Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) or exemption, if any, as may be considered by DIPAM.

5 Management Discussion and Analysis

5.1 Brief Profile of the Company

- 5.1.1 Incorporated on 17th September, 1986 as a Central Public Sector Undertaking (CPSE), President of India through Ministry of Heavy Industries (MHI), Government of India holds its entire 100% equity share capital. The Company is a Schedule 'C' CPSE under MHI.
- 5.1.2 The Company is engaged in the business of:
- i Engineering Procurement & Construction (EPC) business – Steel Bridges for Railways, ROB, Regirdering Job,
 - ii Project Management Consultant (PMC) business – Civil Construction ,
 - iii Industrial Structures,
 - iv Bio mining legacy waste,
 - v Company is also endeavouring to diversifying in other related sectors.
- 5.1.3 Projects undertaken by the company are spread in different parts of the country
- 5.1.4 Quality Management System of BBJ is in accordance with requirements of Quality Policy and certified under ISO 9001:2015 certification.

5.2 VISION MISSION & OBJECTIVE OF BBJ:

5.2.1 Vision

- To innovate, design and construct Bridges and other Engineering marvels with high Engineering standard through state of art technology and cost efficient practices.
- To remain profitable, productive, creative, compliant and financially sound with care and concern for all stake holders.

5.2.2 Mission & Objective

- To become a world class premier Engineering Project implementing organization.
- To construct signature Bridges and Engineering marvels with in and outside the country.
- To be innovative, entrepreneurial, constantly creating value and attaining global benchmarks.
- Committed to total customer satisfaction and continuously enhancing capabilities of the organization and employees through innovation and skill upgradation.

5.3 Industry Structure and Developments

5.3.1 State of the Economy-Global & Indian Economy

Assessment and Outlook of Economy as stated in the Minutes of the Monetary Policy Committee Meeting, Reserve Bank of India is placed below:

“The Monetary Policy Report of April 2025, released alongside the 54th meeting of the Monetary Policy Committee, reflects a balanced approach by the Reserve Bank of India (RBI) to support growth while maintaining price stability. The decision to cut the policy repo rate by 25 basis points to 6 per cent is underpinned by easing inflation, particularly in food prices, and a gradual recovery

in economic activity. With GDP growth for 2025–26 projected at 6.5 per cent and inflation expected to remain within the 4 per cent target band, the report signals cautious optimism despite global uncertainties.

On the external front, robust services exports and strong remittance inflows have helped cushion the merchandise trade deficit, keeping the current account deficit at sustainable levels. Meanwhile, improved system liquidity, lower short-term borrowing costs, and stable foreign exchange reserves underscore the resilience of India’s financial system. The RBI has affirmed its commitment to closely monitor evolving conditions and take timely, calibrated measures to preserve macroeconomic and financial stability.”

(Source - <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2120509>)

5.3.2 Indian Infrastructure Sector & Government Initiatives

5.3.2.1 Government Initiatives shall significantly contribute to overall growth in the Infrastructure Sector through:

- Robust demand
- Attractive opportunities
- Policy support
- Increasing investments

5.3.2.2 The vision of the Govt. for development of Infrastructure and Railways is expected to boost up the Construction sector with excellent growth opportunity. Your Company, with its experience, expertise and competence/capability in Bridge Construction, Civil Construction and Industrial Structures, is well placed to leverage its strength. Your Company’s strategy to consistently endeavor towards market development and enhance capability through tie-up with established entities while maintaining focus on sustainability and growth, will enable it to create long-term value for all the stakeholders. Your Company will continue to focus on being Purpose-led and Future Ready.

5.3.2.3 Your Company is also geared up to improve its financials through proliferation in Modern Infra Projects and exploring other business opportunities through diversification in PMC business besides exploring more out of the ambitious plan of Railways in the coming years.

5.3.2.4 Steps taken by your Company will significantly improve its performance from the conventional business trajectory to the Diversified area with promised growth rate.

5.3.2.5 Continuous emphasis on infrastructure by Govt. of India and the ability of Your Company to work in difficult areas like North East, Jammu & Kashmir etc. is expected to result in enhanced business in these areas.

5.4 Strength and Weakness

5.4.1 Strength

- Strong brand awareness and reputation, rich experience in important/ signature Bridges in India. Operates in Bridge, Civil Construction and Industrial Structure projects.
- Decades of experience of working in remote and in-accessible area
- Track record of successfully completing complex projects
- Enduring relationships built on mutual trust and respect with our clients, sub-contractors, financial institutions and other stakeholders
- Lean Organization with highly qualified and experienced Engineers/Executives and other skilled employees

- Positive Net Worth. Consistent profitability since 2005.
- Having Credit rating facilities of A1+ in short term and A+ in long term instrument.
- Credentials to work in remote and high terrain areas in North & North East.

5.4.2 Weakness

- Depleting numbers of experienced employees due to superannuation at higher level and key position in the Company,
- As the company face financial constraint due to its small size, therefore, credential of major projects are not available for acquiring big works, thereby losing valuable business in Bridge, Road and Civil Constructions etc.
- Inability to enter in to BOT/BOO and other major project execution, due to financial and other limitations.

5.5 Opportunities, Threats and Constraints

5.5.1 Opportunity

- Declared Policies of Govt. of India towards ‘Atmanirbhar Bharat Abhiyan’, ‘Make in India’, ‘Smart Cities Mission’, ‘PM Gati Shakti Yojna’ and various other initiative would result in demand in road and civil construction etc. thus offering substantial opportunities for construction companies.
- Higher budgetary allocation for infrastructure sector by Govt. of India.
- Pro- industry policies and initiatives such as rationalisation of corporate tax, setting up of REITs and Infrastructure Investment Trusts would drive investment in infrastructure sector etc.
- Thrust in infrastructure work by the Govt. of India and development work in border area and North Eastern State’s development work.
- Thrust in infrastructure development for surface transport.
- Joint Ventures/Collaboration for major Indian projects.

5.5.2 Threat

- Huge investment in infrastructure has attracted large number of private sector players which has intensified competition.
- Profit margins may shrink due to increased competition from Private Sector players.
- Restriction on nomination business.
- Reverse auction affects operating margin.

5.5.3 Constraints

Company being a public sector entity has lesser flexibility vis-à-vis Private Sector competitors.. Notwithstanding and in spite of small size and financial limits, Your Company with its core competencies has maintained profitability and continuously paid Dividend to Govt. of India while making modest contribution to infrastructure initiatives including North & North East part of India.

5.5.3.1 Long gestation period of the major Projects in hand leading to locking of financial assets thereby limiting participation in new projects.

5.5.3.2 Lack of credential for high value and complex civil project/ via-duct / elevated corridor.

5.5.4 Risks and Concerns

5.5.4.1 Restriction in business by nomination, stiff competition & aggressive bidding by Private Sector, large value EPC contracts vis-à-vis limited financial capacity/Turnover coupled with lesser operational flexibility vis-à-vis Private Sector competitions may affect future business opportunities.

5.5.4.2 The Company’s employees and projects have been exposed/are exposed to risks of operating in difficult geographical terrain. It, however, takes pride in executing prestigious works in the national building task. The Company has taken measures to provide adequate safety.

5.5.4.3 Risk related details are also mentioned under Notes on Financial Statements.

5.6 Present Operations, State of Affairs and Outlook for Future

5.6.1 The business environment is facing stiff competition from Private Sector with aggressive bidding. In addition, Reverse Auction has also limited the opportunities. Large value EPC Tenders, necessitate enhanced credentials (Technical as well as Threshold Financial Capacity). In this present scenario margins are reduced substantially.

5.6.2 As a result of above initiatives towards enhanced efficiencies, Your Company is very optimistic of securing and improving the Order Book substantially in near future. We are consistently looking towards enhancing efficiencies in Bidding, Operations, procurements, executions and faster turnover of Projects.

5.6.3 Your Company is also exploring Joint Ventures and Tie-ups with reputed entities to meet the challenges of higher value EPC & other Contract while leveraging its ability to undertake complex Projects in difficult terrains of North & North Eastern India.

5.7 Discussion on Financial Performance with Respect to Operational Performance

5.7.1 BBJ is engaged in Engineering, Procurement & Construction (EPC) jobs for Construction & Erection of Steel Bridges for the Railways, civil construction, ROB and other civil projects.

5.7.2 Current business verticals of the Company are given hereunder:

SI No	Particulars	Products & Services	Customers / Clients
(a)	Engineering Procurement & Construction (EPC) business – steel bridges	Construction of: Steel Bridges, Rehabilitation of old bridges, Manufacturing & supply of bridge girders etc.	Indian Railway and other CPSEs
(b)	Project Management Consultancy (PMC) business – civil construction job	Construction of: Buildings, School Campuses, Road etc.	Kendriya Vidyalaya Sangathan, North Eastern Council (NEC)
(c)	Industrial Structure	Fabrication & erection of steel structure	MECON and other CPSEs

SI No	Particulars	Products & Services	Customers / Clients
(d)	Bio-mining of legacy waste	Waste Management	Chandigarh Municipality

5.7.3 Operational Performance

5.7.3.1 The order book position as on 31st March 2025 is ₹ 26687 Lakh from Railway Bridge projects and ₹ 18703.23 Lakh from Civil and Industrial Projects including Industrial Structure, aggregating to ₹ 45390.23 Lakh.

5.7.3.2 During financial year 2024-25, order of ₹ 25598.06 Lakh secured for Road Overbridge, Re-girdering, Station development etc.

5.7.4 Diversification & Future Out Look

5.7.4.1 The outlook for the future is positive and Company is likely to excel in the forthcoming year.

5.7.4.2 Steps are taken by your Company for consolidation and diversification of Product line under two business model viz. Project Management Consultancy (PMC) and Engineering Procurement and Contract (EPC). Civil Engineering and Construction Projects, in addition to the existing product mix, all that come within the business model of Your company and with the limited means and resources we have already executed Orders for Construction of Road, Bridge and Civil Construction works with level of experience, expertise and efficiency matching with the requirement for the job.

The Company is conscious of the need for enhancing its credentials (Technical and Financial) and be “future Ready” for high value PMC/EPC/Rate Contracts.

Steps are being taken by the Company for consolidation of the existing Product line as well as re-activation of wider Product line of the Company in the past.

Towards this, the Company is continuously exploring Collaboration/Tie ups with reputed entities for higher value orders and more opportunities.

Diversification in related Sectors as Elevated Corridors, Cable Stayed Bridges, FOBs , ROB, Industrial Structures etc. are being pursued. Efficiencies in complete spectrum of activities are being enhanced.

Steps are being taken to complete the existing orders and release the financial assets and leveraging the same for future orders. Proactive approach and de- risking of potential challenges in being practiced. Your Company is optimistic of significant improvements in Production and Profitability in future.

5.7.4.3 Strategic Tie-Up in the Form of MOU /Consortium is under consideration of your Company with other major players in Construction Industry to quote for the High Value Tenders . This policy initiative is primarily intended to explore the benefit of techno-economic synergy amongst the Companies through MOU process . Besides being technically compatible, the process would in course of time become beneficial for the Companies and the consortium and would result in value addition to the bottom line.

5.7.5 Company's plan to strengthen its core competence and venture into new verticals in the following manner :

- 1) Enhancement in EPC business
 - a) Through Joint Venture: Ties up/Joint venture (JV) with other agencies to participate in high value Govt. tenders.
For this purpose, Your Company has formed JVs with ITD Cementation and ABCI respectively which are presently in operation.
 - b) Regular participation in bids invited by Railways, RVNL, IRCON, etc. for Construction of Steel Bridges under State connectivity projects, construction of new line / doubling line projects of various sections of Railway etc.
- 2) Enhancement in Marketing efforts in PMC business:
To explore opportunities in PMC business for bagging and executing PMC contracts has been explored towards diversification. Project in PMC business has recently been undertaken by BBJ for execution. Competitors in this vertical are other CPSEs.

5.8 Internal Control Systems and their Adequacy

5.8.1 The Company has adequate system of Internal Control and Internal Audit System which helps the management to review the effectiveness of financial and operating controls. It also ensures that all transaction are authorized, recorded and reported correctly.

5.9 Developments in Human Resources, Industrial Relations

5.9.1 This section has been discussed separately in the Directors' Report.

5.10 Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation :

5.10.1 This section has been discussed separately in the Directors' Report.

5.11 Corporate Social Responsibility

5.11.1 This section has been discussed separately in the Directors' Report.

5.12 Cautionary Statement

5.12.1 Statements in this Management Discussion and Analysis Report describing the Company's objectives, projections, and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. Actual results might differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the Company's operations include a downtrend in the infrastructure sector, significant changes in economic environment in India and abroad, exchange rate fluctuations, tax laws, litigations and labour relations.

5.12.2 General Source of Information under this section has been as follows :

- Minutes of the RBI Monetary Policy Committee Meeting and India Brand Equity Foundation (IBEF) - Trust established by the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

6 Memorandum of Understanding (MoU)

6.1 Your Company has been exempted from MoU process vide OM No. M-03/0021/2022-23-DPE(MoU) dated 25-10-2022. However, an Internal MoU had been formulated following DPE Guidelines and ratified by the Board.

7 Board, Committees and Related Information/Disclosures

7.1 Board of Directors

7.1.1 Details of composition of the Board and other Committee Meetings, date of Meetings, number of Meetings during the period including presence of Directors/Members in the said Meetings and other required details, are covered separately under Corporate Governance Report, annexed to and forming part of this Report.

7.2 Key Managerial Personnel

7.2.1 Following were the Functional Directors and Key Managerial Personnel as on 31st March 2025: -

- i Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.) – Chairman & Managing Director and Director (Technical) Additional Charge
- ii Shri Sujit Kumar Ghosh– Director (Finance)
- iii Shri Navin Kumar Mishra – Company Secretary (CS).

7.3 Board Evaluation & Training of Board Members

7.3.1 Ministry of Corporate Affairs vide notification bearing no. G.S.R. 463(E) exempted Government Companies from annual evaluation of its Directors.

7.3.2 The non-executive Board members are appointed by Govt. of India into the Board are of eminent personalities having wide experience in the field of industry, commerce and administration. Their presence on the Board has been advantageous and fruitful in taking business decisions. Directors are given presentation on the overview of the company with the object to familiarize them with the Company's business and other activities. The Board is kept up-to-date about the overall affairs of the Company through Agenda papers and briefings by senior officials with respect to the Financial Performance, status of ongoing Projects and other important business operation related matters.

7.4 Directors' Responsibility Statement

7.4.1 Pursuant to Section 134 of the Act, the Directors certify that:

- (a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards as per Companies Act, 2013 have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- (b) Appropriate accounting policies have been selected and applied consistently and have made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025 and of the profit and loss of the Company for the year ended March 31, 2025;
- (c) Proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The annual accounts have been prepared on a going concern basis;
- (e) Proper systems are devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

7.5 Declaration by Independent Directors

7.5.1 Due to vacant position of 2 Independent Directors as at 31st March 2025, declaration as prescribed under Companies Act, 2013 including declaration under Section 149 from Independent Director is not applicable.

7.6 Audit Committee, Remuneration Committee and CSR Committee

7.6.1 Your Company continues to hold Meeting of Audit and other Board level Committee at regular intervals to ensure transparency, accountability, integrity as prescribed in DPE Guidelines on Corporate Governance.

7.6.2 Details of Constitution, Meetings, Attendance and other details relating to various Committees constituted by the Board are covered under Corporate Governance Report, annexed to and forming part of this Report.

7.6.3 Audit Committee of the Board has been constituted as required under the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 by Department of Public Enterprise (DPE Guidelines on Corporate Governance).

7.6.4 Terms of Reference for the Audit Committee are governed under Section 177 of the Companies Act, 2013 and Clause 4.2 on 'Role of Audit Committee' under DPE Guidelines on Corporate Governance.

7.7 Related Party Transactions

7.7.1 During the year under review, the company had not entered into any contract/ arrangement/transaction with related parties which could be considered material in accordance with provisions of related party transaction referred to in section 188(1) of the Companies Act, 2013.

7.7.2 Routine transactions covered under Related Party, if any, are disclosed & explained in the Financial Statement Section of this Report.

7.8 Disclosures as per Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

7.8.1 The Company, being a Government of India Enterprise, is exempt from disclosure requirements pertaining to remuneration and other details as prescribed under Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

7.8.2 Your Company has not paid any remuneration attracting the provisions of Rule 5(2) & 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

8 Information & Vigilance Framework, Policies, Procedures

8.1 Quality Assurance/Quality Control & Safety

8.1.1 Your Company is committed to follow the quality norms and standardized specific process as specified in the contract to maintain the desired quality. As part of the continuous appraising and to facilitate the functional requirements, a Quality Assurance/Quality Control process is followed as practice. Safety in construction is not a matter to be taken lightly. In fact, safety needs to be the top most priority in every aspect of construction at all times. The Quality Management System of the Company is Certified under ISO 9001:2015, being in accordance with the requirements of Quality Policy.

8.1.2 On annual basis, National Safety week is celebrated at Head Office, organized by Quality Cell & General Guidelines for Safety is read out for awareness on this occasion to facilitate the requirements of Safety at project sites.

8.2 STATEMENT INDICATING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A RISK MANAGEMENT POLICY FOR THE COMPANY INCLUDING IDENTIFICATION THEREIN OF ELEMENTS OF RISK, IF ANY, WHICH IN THE OPINION OF THE BOARD MAY THREATEN THE EXISTENCE OF THE COMPANY

8.2.1 The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time. Being an integral part, policy initiatives were taken to secure Risk Management wherever required and necessitated in the process of functioning .

8.3 Corporate Governance

8.3.1 Your Company constantly endeavors to adopt best practices of Corporate Governance to ensure transparency, integrity and accountability in it's overall functioning. The Corporate Governance Report is submitted along with Certificate on Compliance of conditions of Corporate Governance, duly certified by the Statutory Auditors in terms of the DPE Corporate Governance Guidelines.

8.3.2 Your company has adequate Internal Financial Control in place and such controls are tested from time to time through the process of Audit Committee constituted by Members nominated by the Board .

8.4 Vigil Mechanism / Whistle Blower Policy

8.4.1 The Company has well placed vigil mechanism for directors and employees to report genuine concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation to the Company's Code of conduct which includes the duly adopted Whistle Blower Policy to conduct of the affairs in a fair and transparent manner, by adopting the highest standards of professionalism, honesty, integrity and ethical behavior.

8.4.2 Focus of the policy is to create a fearless environment. The Whistle Blower Policy is posted on the website of the Company and available at <https://www.bbjconst.com/rti/bbj-whistle-blower-policy.pdf> .

8.5 Right To Information

8.5.1 Company has appropriate mechanism to provide information to citizens under the provisions of Right to Information (RTI) Act, 2005.

8.5.2 Total 38 applications under RTI Act were received during the financial year 2024-2025. Applications were replied within the prescribed time limit under the said Act.

8.6 Vigilance

8.6.1 Ms. Chandrani Gupta, IES, is the Chief Vigilance Officer. During the financial year 2024-2025, vigilance activities were managed effectively.

8.7 Adherence to the Accounting Policy /Standard

- 8.7.1 Financial Statements of the Company was drawn in accordance with the applicable Accounting Standards and Rules as per Companies Act, 2013 and are being followed since its adoption.
- 8.7.2 Details of significant accounting policies are adequately explained under Notes forming part of the Financial Statements.
- 8.7.3 Maintenance of cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, are made and maintained continuously.

8.8 Internal Audit and Internal Controls

- 8.8.1 The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds, accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate governance.
- 8.8.2 Company ensures that business is conducted in accordance with the legal, statutory and regulatory compliance requirements.
- 8.8.3 Firm of Chartered Accountants are appointed by the Board of the company to carry out Internal Audit Function and Reporting thereon. The Reports of Internal Audit findings are periodically submitted to management and Audit Committee of the company. Corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the overall control system as per suggestions by Internal Auditors.
- 8.8.4 The company has adequate internal control measures in the form of established office procedures issued by the management covering all important activities i.e., Marketing, Purchase and Works, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc.
- 8.8.5 The Internal Audit Scope, Plan, Internal control mechanism and issues of financial and operational system are made more structured to take on all kinds of future challenges.
- 8.8.6 The Management takes reasonable care and ensures safeguard of assets, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of accounting records and timely preparation of reliable financial information.

9 Auditors

9.1 Report of the Statutory Auditors on the Accounts of 2024-2025

- 9.1.1 M/s Batliboi Purohit & Darbari, Chartered Accountants, Kolkata, Chartered Accountants (FRN 303086E), Kolkata have been appointed as the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2024-25 by the Order of Comptroller and Auditor General of India under section 139 of the Companies Act, 2013.
- 9.1.2 Observation in the Report of the Statutory Auditors on the Annual Audited Financial Statement for the financial year 2024-25 have been adequately explained in the notes on accounts. Management Reply on the Auditors' Observation has also been placed along with the revised Report of the Statutory Auditors dated 5th August 2025 (which supersedes their earlier Audit Report dated 25th June 2025) in the Audited Financial Statement section of this Annual Report.
- 9.1.3 As required under Section 134 (3) (ca) of the Companies Act, 2013, there is no adverse reporting by the auditors under sub-section (12) of section 143 in respect of frauds.

9.2 Comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG)

9.2.1 C&AG vide their Comments dated 12th August 2025 in view of the revision made in the Statutory Auditors Report to give effect to some of observations raised during supplementary audit, C&AG have no further comments to offer upon or supplement to the Statutory Auditors' Report under section 143 (6) (b) of the Act. Copy of the Comments of C&AG forms part of the Annual Report of the Company for financial year 2024-25.

9.3 Secretarial Auditor and Audit Report

9.3.1 Provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 regarding Secretarial Audit is not applicable to the Company.

9.3.2 The Company has secured compliance of applicable / mandatory Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

10 Human Resources, CSR, Women Empowerment & Welfare Activities

10.1 Human Resources

10.1.1 With a view to attain the operational excellence, rigorous and constant efforts are being carried out to meet the organization expectations as well as keeping pace with the changing industrial scenario.

10.1.2 Policies were modified as needed, focusing on recognizing employees as an important resources in the Organization through Employee Centric Approach. Many initiatives were taken towards creation of proficient HR Systems leading to increased transparency and effective communication system in the Company and MoU parameters were properly addressed through proper system in place.

10.1.3 Any grievances related the employee are to be taken up by Grievance Committee for resolving in time. In keeping with the functional and behavioral skills of the employees, training under different modules were arranged at various levels to enhance proficiency and to encourage the self-learning among employees.

10.1.4 Furthermore, in view of the present innovative and challenging market, your Company arranged need based Training Programs to make officials / employees aware of latest trends / techniques and changes that are taking place in their respective functional areas and to enhance their knowledge so that they work with improved potential and zeal to achieve the overall organizational goal as a team. Industrial Relation remained cordial throughout the year under review.

10.2 Corporate Social Responsibilities; details about the policy developed and implemented by the Company on Corporate Social Responsibility initiatives taken during the year

10.2.1 Annual Report on CSR as required under The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 is placed as Annexure to this Report, elaborating the CSR fund and its utilization during reporting period.

10.2.2 CSR Policy of the Company is available at the Web-site of the Company at <https://www.bbconst.com/rti/bbj-csr-policy.pdf>

10.3 Empowerment of Women

10.3.1 The Company continues to accord due importance to gender equality. All necessary measures/ statutory provisions for safeguarding the interests of women employees in issues like payment of wages, hours of work, health, safety, welfare aspects and maternity benefits etc. are being followed by the Company in its letter and spirit.

10.4 Welfare of Weaker Sections of The Society

10.4.1 Statutory welfare facilities as incorporated in extant Labour Laws and Rules made thereunder are administered by the company for welfare of the employees apart from the provisions of welfare and social justice towards reservation policy for SC, ST, OBC, EWS and Differently Abled respectively in line with the Govt. Policies and Guidelines.

10.5 Encouragement / Assistance to MSME

10.5.1 Out of total purchase for the period under review, most were made through MSMEs. Nothing remains unpaid to the MSME suppliers at the end of the financial year 2024-2025 for a period of over 45 days.

10.5.2 Aids and Supports were extended to the Social Welfare Organizations through selective sourcing / procurement of materials and services from them in need in phased manner.

11 Other Disclosures

11.1 Legal Compliances

11.1.1 Board is apprised of the statutory and other mandatory legal compliances on regular basis through Agenda Notes including notices, if any, received from statutory authorities and the remedial action taken by the Company to meet those requirements.

11.2 Disclosures under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act 2013

11.2.1 The company has complied with the provision relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. The Internal Complaints Committee is empowered to look into all complaints of sexual harassment and facilitate free and fair enquiry process with clear timelines.

11.2.2 Details of cases as required under the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 is given hereunder :

(i)	number of complaints filed during the financial year :	Nil
(ii)	number of complaints disposed of during the financial year :	Nil
(iii)	number of complaints pending as at the end of the financial year :	Nil

11.3 Particulars of Loans, Guarantees or Investments

11.3.1 For the period under review, no Loans, Guarantees and Investments were made by the Company which requires approval under Section 186 of the Companies Act, 2013. Details of Loans, Guarantees and Investments are covered under financial statements and Notes forming part thereof.

11.4 Code of conduct for Board Members and Senior Management Personnel

- 11.4.1 Your Company has well defined policy framework which lays down procedures to be adhered to by all Board Members and Senior Management for ethical professional conduct with the objective to conduct the Company's business ethically and with responsibility, integrity, fairness, transparency and honesty. The Code is available on the Company's website <https://www.bbjconst.com/rti/bbj-code-of-conduct.pdf>. All Directors and senior management personnel have complied with the Code of Conduct for the period under review.
- 11.4.2 Declaration by Chairman & Managing Director on compliance with the Code of Conduct in line with Guidelines on Corporate Governance for CPSEs by DPE

Declaration on Code of Conduct

In terms of Clause 3.4.2 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 dated 14th May, 2010 issued by the DPE, I hereby declare that all Board members and senior management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct as prescribed under said Guidelines on an annual basis for the financial year 2024-25.

Signature :

Cmde.Rakesh Chhillar (Retd.)
Chairman & Managing Director
DIN: - 09832486

11.5 Progressive use of Hindi

- 11.5.1 Measures taken for effective implementation of Hindi in the Company

During the period under review, the Company continued its effort for proper implementation and compliance of the Official Language Policy of the Rajbhasha Vibhag, Government of India. Few major compliances are as follows :

- Quarterly meetings of Official Language Implementation Committee of the company were held regularly.
- Quarterly Hindi Workshops were also organized.
- Participation in meeting called by TOLIC for their review and ensured participation in various competitions held by TOLIC in Hindi Language.
- "Hindi Pakhwada" in the month of Sept, 2024 was organised in the Company and during the said fortnight various Hindi workshops and competitions between the employees of the company were held. To encourage the employees, prizes were also distributed among the winners of these competitions.

11.6 Extract of Annual Return

- 11.6.1 Web link of annual return duly filed with the Ministry of Corporate Affairs are available at following web-link - <https://www.bbjconst.com/financials.html>. In view of the provisions stated in above first para, 'Extract of the annual return' in Form No. MGT-9 does not form part of Board Report for the period under review.

11.7 Performance of Subsidiaries, Associates And Joint Venture Companies During The Year

- 11.7.1 Bhagirathi Bridge Construction Company Private Limited (BBCCPL) is the Joint Venture Company, jointly promoted by BBJ and Gammon India Limited (GIL). After status of nominee Director as 'Inactive', request was made by BBJ for either rectifying the defect for its Director or make fresh nomination of Directors in terms of Articles of Association and the Joint Venture Agreement for formation of BBCCPL. Despite several reminders, no rectification or fresh nomination of Directors are made by GIL. Due to this reason, there is deadlock in holding Meetings of Directors or Shareholders since there is no quorum for holding the said Meetings of Board or Shareholders. There has been no new development in this regard.
- 11.7.2 Form No. 22A, Active could not be filed due to said deadlock and therefore, the present status of the Company is inactive, non-compliant.
- 11.7.3 BBCCPL is virtually defunct Joint Venture Company, with its substratum lost after completion of the purpose of Construction of Second Hooghly Bridge, for which it was incorporated. Presently, there are no employees on the roll of BBCCPL.
- 11.7.4 Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd. (BPMEL) a subsidiary is under liquidation upon passing of winding-up order by Hon'ble High Court at Kolkata. The Process of liquidation is yet to complete.
- 11.7.5 Due to non availability of Financial Statement of the defunct JV/subsidiary consolidated Financial Statement is not prepared.

11.8 Environment and Pollution Control, Conservation of Energy and Technology & Foreign Exchange Earnings and Outgo**11.8.1 Conservation of Energy, Environment And Pollution Control :**

- 11.8.1.1 Environment and Pollution Control continued to receive specific attention during the year under review. Through internal mechanism, steps are being taken for conservation of energy through periodical checking of system and its policy to monitor the level of emission of Carbon and other gases from the Plants in use at it Project sites at various locations.
- 11.8.1.2 With limited deployment of its resources, nature of contracts & short duration of its Projects going on at various sites, use of alternate source through capital investment in energy conservation equipment at said sites and is not feasible for the time being. However, avenues are explored for utilizing alternate sources of energy in feasible manner in future.
- 11.8.1.3 The stress is given to minimize the energy consumption in all new construction projects by adopting to the best available power saving technologies switching over from LCDs to LED lightings has already been accomplished. Besides most of the projects executed are in line with the Energy norms, the equipment used are all energy efficient.
- 11.8.1.4 Your Company remained eco-friendly to the Community and it's people at large. No Notice or Show Cause was ever received from the Authorities or Regulators for any non compliance of relevant Laws.

11.8.2 Technology Absorption:

11.8.2.1 During the last three years reckoned backward from the beginning of the financial year 2024-2025 there was no import of technology by the Company.

11.8.2.2 Awareness about the new technologies and products is being imparted to the senior management for utilizing the same. Presentations on the new and innovative technologies are being organized. Due to various factors viz. conventional nature of job, cost and size constraints etc., Research & Development activities are not presently taken up by the Company.

11.8.3 Foreign Exchange Earnings and Outgo

11.8.3.1 During the period under review there was no foreign exchange transaction undertaken by Your Company.

12 Other Disclosures as Prescribed under Companies Act 2013

Sl. No.	Particulars	Comments
1)	Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report	Nil
2)	A statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its committees and individual directors.	BBJ is a Private Limited Company, with 100% Government shareholding. Moreover, on account of exemption given to specified Government Companies, these provision are not applicable to BBJ.
3)	Company's Policy on Directors' appointment and remuneration	BBJ is a Private Limited Company, with 100% Government shareholding. Moreover, on account of exemption given to specified Government Companies, these provision are not applicable to BBJ.
4)	Any changes in the capital structure of the company during the year	Nil
5)	Issue of shares or other convertible securities	Nil
6)	Issue of Employee Stock Options or Sweat Equity Shares	Nil
7)	Issue of debentures, bonds or any non-convertible securities	Nil
8)	Issue of warrants	Nil
9)	Details of Deposits	Nil
10)	Investor Education And Protection Fund (IEPF)	There is no unpaid Dividend in respect of the last seven years.
11)	the change in the nature of business, if any;	Nil
12)	the names of companies which have become or ceased to be its Subsidiaries, joint ventures or associate companies during the year;	Nil

Sl. No.	Particulars	Comments
13)	the details relating to deposits, covered under Chapter V of the Act	Nil
14)	the details of deposits which are not in compliance with the requirements of Chapter V of the Act;	Nil
15)	the details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.	Nil

ACKNOWLEDGEMENT

Directors commend the indefatigable efforts of the employees at all levels which has contributed immensely to the growth of the Company during Reported . Their dedication and commitment will stand the organization in good stead to meet the challenges in future.

BBJ has also enjoyed unstinting support and guidance from all the Ministries of the Government of India, particularly the Ministry of Heavy Industries , State Governments etc. All the stakeholders, especially the suppliers, customers and business partners, have extended tremendous support towards the success of the Organization.

The Directors assure of their unwavering focus on the strategic plans of your Company to steer it responsibly to stellar heights.

For and on behalf of the Board of Directors,
The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited

Cmdr. Rakesh Chhillar (Retd.)
Chairman & Managing Director
DIN: -09832486

Date: 20th August, 2025
Kolkata

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

This Report is in accordance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, Govt. of India.

<p>Company's Philosophy on Guidelines on Corporate Governance</p>	<p>The Company's Philosophy on Corporate Governance is aimed at enhancing long term Shareholders value and capacity of the Company to generate wealth through :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Assisting top Management in taking sound business decisions and prudent Financial Management ● Achieving transparency and professionalism in all decisions and activities of the Company ● Adhering to Compliances of disclosure requirement ● Achieving excellence in Corporate Governance by : <ol style="list-style-type: none"> 1. Conforming to the prevalent guidelines on Corporate Governance and excelling in wherever possible 2. Setting high ethical standards in conduct of business complying with laws and regulations 3. Reviewing periodically the existing system and controls for further improvements 														
<p>Board of Directors</p>	<p>All Directors of the Board of the Company are appointed on behalf of the President of India by the Ministry of Heavy Industries, Govt. of India.</p> <p>The details of Directors on the Board of the Company during the Financial Year ended 31st March, 2025 are given hereunder :</p>														
<p>Board Composition</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIN of Directors</th> <th>Name</th> <th>Category</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09832486</td> <td>Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)</td> <td>Chairman & Managing Director and Director (Technical)/ Additional Charge</td> </tr> <tr> <td>09222808</td> <td>Shri Udai Bhan Singh,</td> <td>Deputy Secretary – MHI (Govt. Nominee Director)</td> </tr> <tr> <td>09614219</td> <td>Shri Sujit Kumar Ghosh</td> <td>Director (Finance)-Functional Director</td> </tr> </tbody> </table>	DIN of Directors	Name	Category	09832486	Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)	Chairman & Managing Director and Director (Technical)/ Additional Charge	09222808	Shri Udai Bhan Singh,	Deputy Secretary – MHI (Govt. Nominee Director)	09614219	Shri Sujit Kumar Ghosh	Director (Finance)-Functional Director	<p>Following changes occurred in the Board of Directors during FY 2024-25 including period after 31st March, 2025 till the date of Report:</p> <p>Shri Rajiv Kumar Singh Superannuated as Director Technical, BBJ on 31.01.2025.</p> <p>Shri Udai Bhan Singh, Deputy Secretary – MHI has been appointed as Govt. Nominee Director vice Shri Aditya Kumar Ghosh w.e.f. 27.02.2025.</p> <p>Tenure of Smt. Sarla Devi as Non-official Independent Director, BBJ ended on 14.02.2025.</p> <p>Pursuant to the order of Ministry of Heavy Industries, Government of India vide Order Ref. No. 12 (2) / 2022.PE.III dated 06th June 2024, Shri Sujit Kumar Ghosh has been appointed with effect from 07.06.2024 as Director (Finance) in the Board of The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited for a period of five years from the date of assumption of the charge of the post or till the date of his superannuation, whichever is earlier.</p> <p>Pursuant to the order of Ministry of Heavy Industries vide Reference No. 12(1)/2020-PE-III dated 08th July 2025 Shri Naresh Kumar has been appointed with effect from 14.07.2025 as Director (Technical) in the Board of Directors of The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited for a period of five years from the date of assumption of the charge of the post or till the date of his superannuation, whichever is earlier.</p> <p>2 nos. of Sanctioned Strength for Non-official Independent Director in the Board of Directors of the Company are vacant.</p>	
DIN of Directors	Name	Category													
09832486	Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)	Chairman & Managing Director and Director (Technical)/ Additional Charge													
09222808	Shri Udai Bhan Singh,	Deputy Secretary – MHI (Govt. Nominee Director)													
09614219	Shri Sujit Kumar Ghosh	Director (Finance)-Functional Director													

Meetings Held (Board & Audit Committee)	Board Meetings held during the Financial Year 2024-25	Meeting No. & Date of Meeting		Directors' / Members Attendance
		167th Board Meeting on 28-06-2024		Attended by all
		168th Board Meeting on 08-08-2024		Attended by all
		169th Board Meeting on 03-12-2024		Attended by all
		170th Board Meeting on 21-03-2025		Attended by all
	Audit Committee Meetings held During financial year 2024-25	73rd Meeting on 28-06-2024		Attended by all
74th Meeting on 08-08-2024		Attended by all		
75th Meeting on 03-12-2024		Attended by all		
76th Meeting on 21-03-2025		Attended by all		
		Board has Re-constituted Audit Committee of total 2 Members comprising Government Nominee Director & Functional Director. This re-constitution shall continue till Independent Directors are appointed in the Board.		
Audit Committee	Role and the Terms of Reference :	<ul style="list-style-type: none"> To attend the Matters specified under para 4.2 of the Guideline on Corporate Governance for Public Enterprises and Section 177 of the Companies Act, 2013. To act as link between the Management ,the Statutory and Internal Auditors and the Board of Directorss To assesses financial reporting system and Risk related matters 		
Composition , Board Meetings & Attendance	Name of Directors	Board Meetings attendance during FY 2024-25		
	Cmde. Rakesh Chhillar	Meeting held -04	Attended - 04	
	Shri Aditya Kumar Ghosh	Meeting held -03	Attended – 03	
	Shri Rajiv Kumar Singh	Meeting held -03	Attended – 03	
	Shri Sujit Kumar Ghosh	Meeting held -04	Attended - 04	
	Smt. Sarla Devi	Meeting held -03	Attended – 03	
	Shri Udai Bhan Singh	Meeting held -01	Attended - 01	
Composition , Audit Committee Meetings & Attendance	Name of Directors	Audit Committee Meetings attendance during FY 2023-24		
	Shri Rajiv Kumar Singh	Meeting held -03	Attended – 03	
	Shri Aditya Kumar Ghosh	Meeting held -03	Attended – 03	
	Smt. Sarla Devi	Meeting held -03	Attended – 03	
	Shri Udai Bhan Singh	Meeting held -01	Attended – 01	
	Shri Sujit Kumar Ghosh	Meeting held -01	Attended – 01	
All the recommendations in the financial year 2024-25, made by Audit Committee of the Board, which were mandatorily required, were accepted by the Board of Directors.				

	<p>Board has Re-constituted Audit Committee of total 2 Members comprising Government Nominee Director & Functional Director.</p> <p>This re-constitution shall continue till nomination of Independent Directors is received from MHI.</p>																
CSR and other Committee Meetings	<p>During Financial Year 2024-25, one Meeting i.e. 13th CSR Committee Meeting was held on 21st March 2025. All the Members were present in this Meeting.</p>																
Independent Directors	<p>Independent Directors are appointed by the Govt. Orders, having expertise/experience in their respective field/profession. The Independent Directors are neither connected nor related to the Promoters and do not have pecuniary relationship with the Company and further do not hold two percent or more of the total voting power of the Company.</p> <p>Due to vacant position of Non-official Independent Director in the Board of Directors of the Company, declaration from the Independent Directors as per the requirement under Section 149 of the Companies Act, 2013 is not applicable.</p> <p>The sitting Fees of Independent Directors are within the limits prescribed under the Companies Act, 2013.</p>																
Code of Conduct	<p>The Draft Code of Conduct for Members of the Board and Senior Management as laid down has been Implemented.</p> <p>In terms of Clause 3.4.2 of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by the DPE, the declaration by C&MD that all Board members and senior management personnel have affirmed compliance with the code on an annual basis for the FY 2024-25 is given under relevant portion of the Directors' Report.</p>																
General Body Meetings Particulars of last three Annual General Meetings (AGM)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fin. Year</th> <th>Meeting No. and Date</th> <th>Time & Venue</th> <th>Special Resolution</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-2022</td> <td>36th AGM, September 30, 2022</td> <td>15:30 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal</td> <td>Nil</td> </tr> <tr> <td>2022-2023</td> <td>37th AGM, September 30, 2023</td> <td>11:00 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal</td> <td>Nil</td> </tr> <tr> <td>2023-24</td> <td>38th AGM, August 31, 2024</td> <td>11:00 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal</td> <td>Nil</td> </tr> </tbody> </table>	Fin. Year	Meeting No. and Date	Time & Venue	Special Resolution	2021-2022	36th AGM, September 30, 2022	15:30 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal	Nil	2022-2023	37th AGM, September 30, 2023	11:00 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal	Nil	2023-24	38th AGM, August 31, 2024	11:00 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal	Nil
	Fin. Year	Meeting No. and Date	Time & Venue	Special Resolution													
	2021-2022	36th AGM, September 30, 2022	15:30 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal	Nil													
	2022-2023	37th AGM, September 30, 2023	11:00 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal	Nil													
2023-24	38th AGM, August 31, 2024	11:00 Hours at the Registered Office of the Company at 27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001, W. Bengal	Nil														
<p>All AGMs were held within the prescribed time limit under the Companies Act, 2013.</p>																	
Annual General Meeting – 2025	<p>39th Annual General Meeting of the Members of the Company is scheduled to be held within the prescribed period as per the requirement of the Companies Act 2013 i.e. within September 2025.</p>																

Other Disclosures	Transactions of material nature with Directors or their relatives that may have potential conflict with the Interest of the Company	Nil
	Related Party Transactions	Disclosed, attached to Accounts for the year ended March 31, 2025
	Details of non-compliances by Company or strictures imposed on it	Nil
	Whistle Blower Policy and affirmation that no personnel has been denied access to Audit Committee	It is affirmed that none was denied access to the Audit Committee
	Details of Compliance of the requirements of these Guidelines	Complied. In the Board of Directors of the Company, 2 nos. of Sanctioned Strength for Non-official Independent Directors are vacant.
	Details of Presidential Directives issued by Central Govt. & their Compliance during the year & last three years	No Directives are pending for compliance
	Items of Expenses debited in Books of Accounts not for business purposes	Nil
	Expenditure incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors & Top Management	Nil
Means of Communications	<p>Being an Unlisted Government Company, quarterly Results are not required to be published in the News Papers. Annual Audited Financial Results are displayed on the Company's website Address for Correspondence: The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited, 27, Rajendra Nath Mukherjee Road. Kolkata – 700001, West Bengal. Web-site : www.bbjconst.com e-mail : info@bbjconst.com Telephone : 91 33 2248 5841-44 (EPBX) 91 33 2210 3961 (FAX)</p>	
Audit Qualifications	Management Reply on the Auditors' Observation has also been placed along with the Report of Statutory Auditors in the Audited Financial Statement section of this Annual Report.	
Training	Policy for Training of Board Members is approved by the Board and is followed by the Company.	
Corporate Governance Audit	Certificate of the Statutory Auditors on Corporate Governance is received and annexed to the Directors' Report.	



AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To ,
The Members,
The Braithwaite Burn and Jessop Construction Co. Ltd.,
27, R.N.Mukherjee Road,
Kolkata-700001, West Bengal

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by The Braithwaite Burn and Jessop Construction Co. Ltd. (hereinafter referred to as “the Company”) for the financial year ended March 31, 2025 as stipulated in Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs), 2010 issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India (hereinafter referred to as “the Guidelines”).

Compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination has been limited to review of the procedures and implementation thereof, adopted by the Company, for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guidelines. It is neither an Audit nor an expression of opinion of financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we hereby certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance during Financial Year 2024-25, as stipulated in Guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Batliboi, Purohit & Darbari

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration Number 303086E

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN: 2506340YBMJMIF8820

Chartered Accountants

Place: **Kolkata**

Date: 25 June 2025

ANNEXURE TO THE DIRECTORS' REPORT

Format For The Annual Report on CSR Activities to be Included in the Board's Report For Financial Year Commencing on or After 1st Day of April, 2020

[Annexure –II as prescribed under Rule 8 of The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014]

1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

In alignment with the vision of the Company, BBJ through its CSR initiatives, approved CSR Policy in the Board Meeting held on Sept., 2012 for the first time and made subsequent amendments thereafter to keep pace with dynamic changes made from time to time in the CSR related matters under the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder, addressing various areas which inter-alia included the following:

- Planning of the CSR Project
- Baseline Survey
- Process of Implementation
- Funding, Monitoring and Qualifying Criteria for executing agency
- In the areas of Health, Education, Sanitation and Public Health etc. including contribution to the Fund notified under the provisions of the Companies Act, 2013.

CSR Guidelines of the Department of Public Enterprises read with guidelines as prescribed under the provisions of the Companies Act, 2013 have been complied.

2. Composition of CSR Committee:

Composition of CSR Committee is as under :-

Sl. No.	Name of Director	Designation / Nature of Directorship
1.	Shri Udai Bhan Singh	Government Nominee Director - Chairman
2.	Shri Sujit Kumar Ghosh	Director (Finance) - Member

Number of meetings of CSR Committee held during the year: 1 (One) CSR Committee Meetings was held in the FY 2024-25

Number of meetings of CSR Committee attended during the year: Attendance in CSR Committee Meeting is given hereunder:

12th CSR Committee Meeting held on 21-03-2025 was attended by all the Members as follows:

S.No.	Name	Designation / Nature of Directorship
1.	Shri Udai Bhan Singh	Government Nominee Director - Chairman
2.	Shri Sujit Kumar Ghosh	Director (Finance) - Member

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

- Weblink: <https://bbjconst.com/rti.html>

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).

- Not Applicable.

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any
 - Not applicable
6. Average net profit of the company as per section 135(5).
The average net profit of the company as per section 135(5) for immediately preceding three Financial Years is as follows:

Financial Year	Profit Before Tax (Rupees Lakhs)
2021-22	494.13
2022-23	1309.43
2023-24	2795.32
Average Net Profit	1532.96

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)
Rs. 30.66 Lakhs (which is 2% of Average Net Profit of FY 2021-22 , 2022-23 & 2023-24)
- (b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.
None
- (c) Amount required to be set off for the financial year, if any
None
- (d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c).
Total CSR obligation for the financial year 2024-25 is **Rs.30.66 Lakhs**
8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6). (in Rs.)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5). (in Rs.)		
	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
30.66 Lakhs* (FY 2024-25)	<i>Nil</i>		PM Cares Fund	30.66 Lakhs	27.03.2025 (FY 2024-25)

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No)	Location of the project		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.)	Amount spent in the current financial Year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.)	Mode of Implementation - Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration number
Not Applicable												

- (c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year: **N.A.**
 (d) Amount spent in Administrative Overheads- **N.A.**
 (e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable- **N.A.**
 (f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e)- **N.A.**
 (g) Excess amount for set off, if any- **N.A.**

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	Rs.30.66 Lakhs (FY 2024-25)
(ii)	Total amount spent for the Financial Year *	Rs.30.66 Lakhs (FY 2024-25)
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	Nil
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	Nil

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.).	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				Name of the Fund	Amount (in Rs.)	Date of transfer.	
Not Applicable							

- (b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s): **Not Applicable**



10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year **(asset-wise details)- NIL**
- (a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s)- Nil
 - (b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset- Nil
 - (c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc-Nil
 - (d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset)-Nil
11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5).
- Not Applicable in view of point 6 above.

(Charman & Managing Director).

(Chairperson, CSR Committee).

Date : 20th August 2025

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION CO. LTD.

Report on the Audit of the standalone financial statements

Revised Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

On the basis of the observation made by the Comptroller and Auditor General of India, this revised audit report has been prepared to substitute the earlier report dated 25 June, 2025 to comply with the observations by the Comptroller and Auditor General of India.

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited** (“the Company”), which comprise the Balance sheet as at 31 March 2025, the Statement of Profit and Loss, (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (“the Act”) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, (“Ind AS”) and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2025, and its profit(including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. *Note No.7 current assets include loan of Rs.5932.96 lakhs (31 March 2024 Rs.5932.96 lakhs) and interest accrued Rs.33656.29 lakhs (31 March 2024 Rs.33656.29 lakhs) to Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd (BPMEL), a subsidiary company and loan of Rs.656.03 lakhs (31 March 2024 Rs.656.03 lakhs) and interest accrued Rs.350.26 lakhs (31 March 2024 Rs.350.26 lakhs) to Weigh bird India Ltd (WIL), a subsidiary of the company. Note No.16, Borrowings includes loan from GOI Rs.6588.99 lakhs (31 March 2024 Rs.6588.99 lakhs) and Note No.20, Other Financial Liabilities, includes interest payable Rs.34006.55 lakhs (31 March 2024 Rs.34006.55 lakhs) on said GOI loans. BPMEL is under liquidation*

since 2004 with company's admitted claims of Rs. 39898.01 lakhs (31 March 2024 Rs.39898.01 lakhs) and WIL dissolved in 2020 after completion of all liquidation proceedings.

Notwithstanding the status of above subsidiaries, based on facts that loans due to said subsidiaries along with interest and loans from GOI along with accrued interest representing same, as per internal assessment made by the company same have been carried at cost. As no assessment and consequent provision for loss allowance of loans and accrued interest have been made in the financial statement for the year its specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.

2. Note No.7 Other Financial Assets, Advance to Creditors comprises Rs.571.56 lakhs (31 March 2024 Rs.571.56 lakhs) to different parties against which a corresponding liability of Rs.885.25 lakhs (31 March 2024 Rs.885.25 lakhs) stands on date. Company considered the same as good and no adjustments have been made during the year. Due to pending such adjustments, with advance to creditors and corresponding liabilities, specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.
3. Note no.5 Investments includes Rs.486.30 lakhs (31 March 2024 Rs.486.30 lakhs) in Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd (BPMEL), an erstwhile subsidiary company, Rs.2558.01 lakhs (31 March 2024 Rs.2558.01 lakhs) in Jessop & Co. Ltd, both are under liquidation. Based on internal assessment made by the management, notwithstanding the status of above entities as at the reporting date, said investments have been carried at cost. As no assessment and consequent provisions for impairment in the value of such investments have been made in the financial statement during the year its specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements' section of our report. We are independent of the Company in accordance with the 'Code of Ethics' issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following matters in the Notes to the financial statements:

1. Note No.7 Other Financial Assets-Current includes other advances of Rs.26.21 lakhs (31 March 2024 Rs.26.21 lakhs) comprises of Rs. 15.76 lakhs (31 March 2024 Rs. 15.76 lakhs) for deposit against sales tax appeal and balance of Rs. 10.45 lakhs (31 March 2024 Rs. 10.45 lakhs) as salary advance which is under reconciliation.

2. Note No.13 Other Current Assets includes deposited as advance with Statutory Authorities Rs.21.84 lakhs (31 March 2024 Rs.21.84 lakhs) which are very old. The Company is in process of reconciliation and adjusting the same.
3. Note No.58, the company has not considered any interest accrued for current financial year on loans of Rs.6588.99 lakhs (31 March 2024 Rs.6588.99 lakhs) granted both to Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd. a subsidiary, which is under liquidation and to Weigh bird India Ltd. (WIL) a subsidiary, closed as per Calcutta High court Order dated 07 February 2020 in view of non-recoverability thereof.

Also, the company has not considered any interest payable for current financial year on loans of Rs.6588.99 lakhs (31 March 2024 Rs.6588.99 lakhs) from the Government of India, which was used for granting loans to the aforesaid subsidiary companies.
4. Note No.54, balances of some trade receivables, trade payables, loans and advances etc. incorporated in the books as per balances appearing in the relevant subsidiary records, are subject to confirmation from the respective parties and consequential adjustments arising from reconciliation, if any. The Company however is of the view that there will be no material discrepancies in this regard.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

“Other Information”

The Company’s Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report but does not include the standalone financial statements and our auditor’s report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether such other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management for the standalone financial statements

The Company’s Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and

other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions

are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements for the financial year ended 31 March 2025 and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the accompanying standalone financial statements except for the matters described in Basis for Qualified Opinion Section;
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books except for the possible effect of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section;
 - (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended except for the possible effect of the matter described in the Basis for Qualified

Opinion section;

- (e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31 March 2025 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2025 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;
- (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to standalone financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure B” to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company’s internal financial controls with reference to standalone financial statements;
- (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed impact of pending litigations on its financial position in standalone financial statements refer note 31 and note 43 to standalone financial statement;
 - ii. The Company has entered into long term construction contracts and has accounted for foreseeable loss of Rs.362.38 lakhs as at the end of financial year on unexecuted portion of long-term contracts. The company has not entered into any derivative contract;
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv.
 - (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity (“Intermediaries”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

- (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause(i) and (ii) of Rule11(e), as provided under(a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. During the year by the company has declared and paid dividend for the year 2023-24 and is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.
- vi. Based on our examination which included test checks, the company has used accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated during the year for all relevant transactions recorded in the application. During the course of our audit, we have not come across any instance of audit trail feature being tampered with respect to the accounting software. Additionally, the audit trail of previous year has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention to the extent it was enabled and recorded in the previous year.
- (h) As required by sub-section (5) of section 143 of the Act and in terms of directions issued by the Comptroller and Auditor General of India during audit of annual accounts of The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited, we give a report in the attached Annexure “C”

For Batliboi, Purohit & Darbari
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration Number: 303086E

Hemal Mehta
Partner
Membership No. 063404
UDIN: 25063404BMJMKG3167

Place: **Kolkata**
Date: 5August2025

ANNEXURE "A" TO THE AUDITORS' REPORT**ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025**

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

To the best of our information and according to the explanations provided to us by the Company and the books of account and records examined by us in the normal course of audit, we state that:

I. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment and Intangible Assets:

- (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.
- (B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.
- (b) Plant, property & equipment were physically verified by the management during the year and according to the information and explanation given to us no material discrepancies were noticed on such verification. It has been observed during our audit that the locations of the Plant, Property & Equipment are not mentioned in the Fixed Assets Register excepts in cases of new Purchase during the year.
- (c) Building includes permanent structures amounting to Rs. 131.46 lakh (Previous year Rs. 131.46 lakh) on land at Circular Garden Reach Road, Kolkata obtained under License/Rent Agreement from Shyma Prasad Mukherjee Port Trust (Earlier Kolkata Port Trust). The company is regular in payment of rental but copy of the deed/agreement has not been furnished to us for our verification.
- (d) The Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment and intangible assets during the year.
- (e) No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at 31 March 2025 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made there under.

- II.**
- (a) According to the information and explanations given to us, the management of the Company has conducted physical verification of inventory at reasonable intervals during the year and in our opinion the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate.
 - (b) According to the information and explanations given to us, the Company has a working capital limit in excess of ₹ 5 crore sanctioned/renewed by banks on the basis of security of current assets and the quarterly returns or statements filed by the company with such banks are in agreement with the books of accounts of the Company.

- III. According to the information and explanations given to us, the Company has not made any investment in, provided any guarantee or security or granted any loans or advance in the nature of loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties during the year. Hence, clause 3(iii) of the Order is not applicable.
- IV. According to the information and explanations given to us and in our opinion, the Company has not given any loans, made any investment, provided any guarantees and given any security to which the provision of section 185 and 186 of the Company Act 2013 are applicable. Hence, clause 3 (iv) of the order is not applicable.
- V. According to the information and explanations given to us and in our opinion, the Company has not accepted or is not holding any deposit or amounts which are deemed to be deposits within the meaning of sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rule, 2014. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.
- VI. According to the information and explanations given to us and in our opinion, the maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013 for the business activities carried out by the Company. Accordingly, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.
- VII. In respect of statutory dues:

- (a) According to the information and explanations given to us and the books and records examined by us, the company is regular in depositing with the appropriate authorities the undisputed statutory dues relating to Provident Fund, Employees State Insurance, Income tax, Sales Tax, Wealth Tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Goods and Services Tax, Cess and other statutory dues as applicable to it have been regularly deposited during the year by the Company with the appropriate authorities except for delay in few cases.

According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of Income tax, Service Tax, Goods and Services Tax, Cess and other material statutory dues were in arrears as at 31 March 2025 for a period of more than six months from the date they became payable except as stated below.

S. No	Nature of Dues	Amount (Rs. in Lakh)	Period to which it Relates (FY)
1	Professional Tax	0.66	Old Dues
2	Tax Collected on Source	0.16	
3	Service Tax Payable (BBUNL)	1.94	
4	Tax Deducted at Source	1.45	
5	Sales Tax	1.54	
6	Income Tax	4.57	2006-07
7	Income Tax	2.35	2008-09
8	Income Tax	0.08	2012-13

- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of the books and records examined by us, as may be applicable, given herein below are the details of dues of income tax, sales tax, service tax, provident fund which have not been deposited on account of disputes and the forum where the dispute is pending:

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of Dues	Period of which relates (F.Y)	Forum where dispute is pending/dismissed	Amount (in Rs. Lakh)
1	W.B. Value Added Tax Act, 2003	Works Contract Tax	2011-12	Joint Commissioner of Commercial Taxes	4.30
2	Bihar Value added Tax Act, 2005	Works Contract Tax	2010-11	Joint Commissioner of Commercial Taxes	33.25
3	Bihar Value added Tax Act, 2005	Works Contract Tax	2011-12	Joint Commissioner of Commercial Taxes	30.98
4	Finance Act, 1994	Service tax Demand, Interest thereon under section 75 (amount not qualified) and penalty imposed	2007-08 to 2011-12	The Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal	154.45
5	Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952	Damages/ Interest payable	03/2000 to 04/2008	Provident Fund Commissioner, RO, Kolkata, West Bengal has raised the demand. The Company has preferred an appeal before Employees Provident Fund Appellate Tribunal New Delhi and before Hon'ble High Court, Calcutta. Demand amount is Rs. 96.10 lakhs & fund with BBUNL Provident Fund Trust Organisation Rs. 41.96 lakhs	54.14
6	Delhi Value Added Tax Act, 2004	Works Contract Tax	2004-05	Commercial Tax Department	19.36
7	Bihar GST	TRAN 1 Interest	2017-18	Appellate Tribunal	12.55
8	W.B. Value Added Tax Act, 2003	Works Contract Tax	2016-17	Appellate Authority	0.21
9	Income Tax	Income Tax Demand	2009-10	Commissioner of Income Tax (Appeal)	10.65
10	Income Tax	Income Tax Demand	2010-11	Jurisdiction Assessing Officer	0.96
11	Income Tax	Income Tax Demand	2011-12	Commissioner of Income Tax (Appeal)	69.95
12	Income Tax	Income Tax Demand	2012-13	Jurisdiction Assessing Officer	285.31
13	Income Tax	Income Tax Demand	2013-14	Jurisdiction Assessing Officer	66.80
14	Income Tax	Income Tax Demand	1999-2000	Income Tax Appellate Tribunal	58.67
15	Income Tax	Income Tax Demand	2014-15	Jurisdiction Assessing Officer	4.94

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of Dues	Period of which relates (F.Y)	Forum where dispute is pending/dismissed	Amount (in Rs. Lakh)
16	Chhattisgarh GST	Excess ITC claimed	2019-2020	Joint Commissioner	5.15

- VIII. According to the information and explanation given to us and in our opinion, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).
- IX. (a) According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not defaulted in repayment of its loans or borrowings to banks or in the payment of the interest thereon.
- (b) According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
- (c) According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not taken any term loan during the year and hence, reporting under clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable.
- (d) According to the information and explanation given to us and in our opinion, on an overall examination of the standalone financial statements of the Company, funds raised on short- term basis have, not been used during the year for long-term purposes by the Company.
- (e) According to the information and explanation given to us and in our opinion, an overall examination of the standalone financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiary companies or joint ventures.
- (f) According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not raised any loans during the year and hence reporting on clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.
- X. (a) According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.
- (b) According to the information and explanation given to us and in our opinion, during the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally) and hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.
- XI. (a) According to the information and explanation given to us and in our opinion, no fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.
- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by us in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.
- (c) There are no whistle-blower complaints received during the year by the company.
- XII. The Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.
- XIII. According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 with respect to applicable transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the standalone financial statements as required by the applicable accounting standards.
- XIV.(a) In our opinion the Company has an adequate internal audit system commensurate with the size and

the nature of its business.

- (b) We have considered, the internal audit reports issued to the Company during the year and till the date of our audit report.
- XV. According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected with its directors and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- XVI. According to the information and explanation given to us and in our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b), (c) and (d) of the Order is not applicable.
- XVII. The Company has not incurred cash losses during the financial year and the immediately preceding financial year.
- XVIII. There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.
- XIX. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the standalone financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- XX (a) According to the information and explanation given to us and in our opinion, there are no unspent amounts towards Corporate Social Responsibility (CSR) requiring a transfer to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act in compliance with second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act. Accordingly, reporting under clause 3(xx)(a) of the Order is not applicable for the year.
- (b) The Company has no ongoing projects. Accordingly, reporting under clause 3(xx)(b) of the Order is not applicable for the year

For Batliboi, Purohit & Darbari

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration Number: 303086E

Place: **Kolkata**

Date: 5 August 2025

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN: 25063404BMJMKG3167

Annexure –B

ANNEXURE B TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(Referred to in paragraph 2(f) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls with reference to standalone financial statements of **The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited** (“the Company”) as of 31 March 2025 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to standalone financial statements based on “the internal control with reference to standalone financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls with reference to standalone financial statements of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to standalone financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to standalone financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls with reference to standalone financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to standalone financial statements

A company's internal financial control with reference to standalone financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with reference to standalone financial statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to standalone financial statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to standalone financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to standalone financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements and such internal financial controls with reference to standalone financial statements were operating effectively as at 31 March 2025, based on the internal control with reference to standalone financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Batliboi, Purohit & Darbari

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration Number: 303086E

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN: 25063404BMJMKG3167

Place: **Kolkata**

Date: 5 August 2025

Annexure - C

ANNEXURE C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

CAG's directions to statutory auditor under section 143(5) of the Companies Act 2013 applicable to the financial statements of Government Companies for the year 2024-25.

Directions u/s 143(5) of the companies Act, 2013	Auditor's reply on action taken on the directions
<p>(I) Accounting software Whether the company has system in place to process all the accounting transaction through IT system? If yes, the implication of processing of accounting transaction outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implication, if any, may be stated.</p>	<p>The company is using accounting software named Tally Prime and processes all the accounting transactions through it except Stock which is being accounted for manually. According to information and explanation given to us, no accounting transactions are processed outside the aforesaid accounting software, which is currently in use by the company.</p>
<p>(II) Debt restructuring Whether there is any restructuring of an existing loans or cases of waiver/ write off of debts/ loans / interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.</p>	<p>There were no restructuring of an existing loans or cases of waiver/ write off of debts/ loans / interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan.</p>
<p>(III) Treatment of Govt. Fund/ Grant Whether funds received/ receivable for specific scheme from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and condition? List the cases of deviation.</p>	<p>According to information and explanation given to us, no funds received/receivable for specific scheme from central/state agencies during the year.</p>

For Batliboi, Purohit & Darbari

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration Number: 303086E

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN: 25063404BMJMKG3167

Place: **Kolkata**

Date: 5 August 2025

MANAGEMENT'S REPLIES TO THE AUDITOR'S OBSERVATIONS

SL NO	Audit Observations	Management Replies
	Qualified Opinions	
1	<p>Note No.7 current assets include loan of Rs.5932.96 lakhs (31 March 2024 Rs.5932.96 lakhs) and interest accrued Rs.33656.29 lakhs (31 March 2024 Rs.33656.29 lakhs) to Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd (BPMEL), a subsidiary company and loan of Rs.656.03 lakhs (31 March 2024 Rs.656.03 lakhs) and interest accrued Rs.350.26 lakhs (31 March 2024 Rs.350.26 lakhs) to Weigh bird India Ltd (WIL), a subsidiary of subsidiary of the company. Note No-16, Borrowings includes loan from GOI Rs.6588.99 lakhs (31 March 2024 Rs.6588.99 lakhs) and Note No.20, Other Financial Liabilities, includes interest payable Rs.34006.55 lakhs (31 March 2024 Rs.34006.55 lakhs) on said GOI loans. BPMEL is under liquidation since 2004 with company's admitted claims of Rs. 39898.01 lakhs (31 March 2024 Rs.39898.01 lakhs) and WIL dissolved in 2020 after completion of all liquidation proceedings.</p> <p>Notwithstanding the status of above subsidiaries, based on facts that loans due to said subsidiaries along with interest and loans from GOI along with accrued interest representing same, as per internal assessment made by the company same have been carried at cost. As no assessment and consequent provision for loss allowance of loans and accrued interest have been made in the financial statement for the year its specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.</p>	<p>GOI loans to erstwhile subsidiaries of BBUNL (now BBJ) towards Plan and Non-Plan purposes were routed through BBUNL (erstwhile Holding Company) for disbursement to respective subsidiaries. Irrespective of status of subsidiaries, in case of any eventuality of non-realizability of such loan and interest thereon, same to be adjusted with the corresponding amount of loan and interest payable to GOI, with appropriate directives from GOI. Regarding carrying of such loans to subsidiaries at cost is based on company's Significant Accounting Policies at Para.17 and the same is being followed consistently over the years.</p>

SL NO	Audit Observations	Management Replies
2	<p>Note No.7 Other Financial Assets, Advance to Creditors comprises Rs.571.56 lakhs (31 March 2024 Rs.571.56 lakhs) to different parties against which a corresponding liability of Rs.885.25 lakhs (31 March 2024 Rs.885.25 lakhs) stands on date. Company considered the same as good and no adjustments have been made during the year. Due to pending such adjustments, with advance to creditors and corresponding liabilities, specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.</p>	<p>Such advances were given to different parties for executing projects and their bills remain unadjusted till date. For cases where credit balances are lying unadjusted against the contracts same to be adjusted accordingly and for rest, necessary follow-up to be made for their recoveries. In case of any non-recovery or any pending adjustment, appropriate provision to be made on case-to-case basis.</p>
3	<p>Note no.5 Investments includes Rs.486.30 lakhs (31 March 2024 Rs.486.30 lakhs) in Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd (BPMEL), an erstwhile subsidiary company, Rs.2558.01 lakhs (31 March 2024 Rs.2558.01 lakhs) in Jessop & Co. Ltd, both are under liquidation. Based on internal assessment made by the management, notwithstanding the status of above entities as at the reporting date, said investments have been carried at cost. As no assessment and consequent provisions for impairment in the value of such investments have been made in the financial statement during the year its specific financial implication on company's profitability and liabilities/assets for the year is unascertained.</p>	<p>Investments in equity instruments of subsidiaries, associates and joint venture are carries at cost as per company's Significant Accounting Policies Para.17. Erstwhile BBUNL (now BBJ) made investments into such subsidiaries out of equity fund released by GOI for corresponding investments into specified subsidiary. Irrespective of status of subsidiaries, in case of any differences in realizable value of such investments, with appropriate directives from GOI, the company will make necessary adjustments into its books of accounts.</p>
Emphasis of Matters		
1	<p>Note No.7 Other Financial Assets-Current includes other advances for Rs.26.21 lakhs (31 March 2024 Rs.26.21 lakhs) comprises of Rs.15.76 lakhs (31 March 2024 15.76 lakhs) for deposit against sales tax appeal and balance of Rs. 10.45 lakhs (31 March 2024 Rs. 10.45 Lakhs) as salary advance which is under reconciliation.</p>	<p>A list of such advances is given to Note No.49 of Notes forming part of Financial Statements. Company will thoroughly inquire into all such advances and wherever appropriate necessary follow-up be made for its recovery/adjustment.</p>
2	<p>Note No.13 Other Current Assets includes deposits as advance with Statutory Authorities Rs.21.84 lakhs (31 March 2024 Rs.21.84 lakhs) which are very old. The company is in process of reconciliation adjusting the same.</p>	<p>A list of such deposits is given to Note No.50 of Notes forming part of Financial Statements. Company will thoroughly inquire into all such deposits and wherever appropriate necessary follow-up be made for their recovery/adjustment.</p>

SL NO	Audit Observations	Management Replies
3	<p>Note No,58, the company has not considered any interest accrued for current financial year on loans of Rs.6588.99 lakhs (31 March 2024 Rs.6588.99 lakhs) granted both to Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd. a subsidiary, which is under liquidation and to Weigh bird India Ltd. (WIL) a subsidiary, closed as per Calcutta High court Order dated 07th February, 2020 in view of non-recoverability thereof.</p> <p>Also, the company has not considered any interest payable for current financial year on loans of Rs.6588.99 lakhs (31 March 2024 Rs.6588.99 lakhs) from the Government of India, which was used for granting loans to the aforesaid subsidiary companies.</p>	<p>GOI loans to erstwhile subsidiaries of BBUNL (now BBJ) towards Plan and Non-Plan purpose were routed through BBUNL (then Holding Company) for disbursement to respective subsidiaries. Irrespective of status of subsidiaries, in case of any eventuality of non-realizability of such loan and interest thereon, same to be adjusted with the corresponding amount of loan and interest payable to GOI, with their appropriate directives. As the subsidiaries are under liquidation/ closed, interest on such loan and advances have not been provided into books. Since, realization of interest is uncertain from subsidiary companies.</p>
4	<p>Note No.54, balances of some trade receivables, trade payables, loans and advances etc. incorporated in the books as per balances appearing in the relevant subsidiary records, are subject to confirmation from the respective parties and consequential adjustments arising from reconciliation, if any. The Company however is of the view that there will be no material discrepancies in this regard.</p>	<p>Confirmation from some parties have since been received and shown to the Auditors. However, observation of the auditors is noted for further compliance.</p>

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE
COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS
OF THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION
COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025**

The preparation of financial statements of The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 05 August 2025 which supersedes their earlier Audit Report dated 25 June 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revision made in the statutory auditor's report, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Audit General of India

(Yashodhara Ray Chaudhari)
Additional Deputy Comptroller
and Auditor General (Mines) Kolkata

Place: Kolkata
Date: 12 August 2025

**Audited
Financial
Statements**

Balance Sheet as at 31st March'2025

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

	Note	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Assets			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	2	490.56	572.94
Intangible assets	3	3.94	8.47
Capital work-in-progress	4	-	-
Financial assets			
Investments	5	3,179.16	3,174.47
Trade receivables	6	-	-
Others	7	4,839.82	5,457.91
Deferred tax assets, net	8	719.82	639.15
		9,233.30	9,852.93
Current assets			
Inventories	9	2,802.85	3,853.50
Financial assets			
Trade receivables	6	1,987.61	2,343.28
Cash and cash equivalents	10	5,190.80	2,280.41
Other bank balances	11	13,945.21	13,695.70
Others	7	43,579.61	43,769.24
Current Tax Assets	12	-	456.29
Other Current Assets	13	6,245.06	982.49
		73,751.14	67,380.91
Total assets		82,984.44	77,233.83
Equity and Liabilities			
Equity			
Equity share capital	14	12,086.05	12,086.05
Other equity	15	14,291.54	11,644.53
Total equity		26,377.59	23,730.58
Non-current liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	16	192.11	217.92
Other financial liabilities	20	69.89	121.49
Trade payables	19		

	Note	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		323.96	323.55
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-	-
Provisions	17	418.34	441.98
Other non-current liabilities	18	4,135.28	4,156.89
		5,139.58	5,261.82
Current liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	16	6,589.00	6,589.00
Lease Liabilities		-	-
Trade payables	19	-	-
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		499.00	501.04
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note 36)		-	-
Other financial liabilities	20	38,233.69	38,369.00
Other current liabilities	18	6,013.08	2,701.14
Current tax liabilities	21	90.98	-
Provisions	17	41.52	81.26
		51,467.27	48,241.43
Total liabilities		56,606.85	53,503.26
Total equity and liabilities		82,984.44	77,233.83
Material accounting policies	1		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For BATLIBOI, PUROHIT & DARBARI
Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 303086E

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN : 25063404BMJMIE5079

for and on behalf of the Board of Directors of
**The Braithwaite Burn and Jessop Construction
Company Limited**

CIN: U70100WB1986GOI041286

N K Mishra

Company Secretary

PAN - AIQPM3388P

S K Ghosh

Director (Finance)

DIN - 10659781

Place: Kolkata

Date: 25.06.2025

Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)

Chairman & Managing Director

DIN - 09832486

Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March'2025

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

	Note	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
Revenue from operations	22	18,276.59	25,010.37
Other income	23	1,301.48	1,064.61
Total income		19,578.07	26,074.99
Expenses			
Cost of materials consumed	24	556.02	6,449.10
Changes in inventories and work in progress	25	959.74	536.78
Sub Contract & other conversion charges	25A	9,879.07	10,644.07
Consumption of Stores, Spares & Loose Tools	25B	80.79	453.02
Employee's benefit expenses	26	2,350.97	3,325.23
Finance costs	27	50.84	69.29
Depreciation and amortisation expense	28	119.49	149.72
Other expenses	29	1,572.51	1,652.45
Total expense		15,569.43	23,279.67
Profit before tax		4,008.63	2,795.32
Tax expenses			
Current tax	30	1,029.68	730.29
Deferred tax	30	(80.67)	1.99
Total tax expense		949.01	732.29
Profit for the year		3,059.62	2,063.03
Other comprehensive income			
Items that will not be reclassified to profit or loss		-	-
Items that will be reclassified to profit or loss		-	-
Income-tax effect	30	-	-
Other comprehensive income for the year, net of tax		-	-
Total comprehensive income for the year		3,059.62	2,063.03
Earnings per equity share (nominal value of INR 1,000) in INR	37		
Basic		253.15	170.70
Diluted		253.15	170.70
Material accounting policies	1		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For BATLIBOI, PUROHIT & DARBARI
Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 303086E

Hemal Mehta
Partner
Membership No. 063404
UDIN : 25063404BMJMIE5079

N K Mishra
Company Secretary
PAN - AIQPM3388P

for and on behalf of the Board of Directors of
**The Braithwaite Burn and Jessop Construction
Company Limited**

CIN: U70100WB1986GOI041286

S K Ghosh
Director (Finance)
DIN - 10659781

Place: Kolkata
Date: 25.06.2025

Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)
Chairman & Managing Director
DIN - 09832486

Statement of Cash Flows for the year ended 31st March'2025

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
I. Cash flows from operating activities		
Profit before tax	4,008.63	2,795.32
<i>Adjustments to reconcile profit before tax to net cash flows:</i>		-
Depreciation of tangible assets	113.53	142.33
Amoritsation of intangible assets	5.96	7.38
Profit on sale Property, Plant & Equipment (Net)	(4.67)	(2.03)
Interest income on bank and Security Deposits	(1,245.64)	(962.73)
Deferred Assets	-	(19.29)
Investment impairment	-	0.30
Finance costs	50.84	69.29
Apportioned Income from Government Grant	-	-
Interest income	(4.69)	(4.47)
Operating profit before working capital changes	2,923.96	2,026.11
<i>Changes in working capital:</i>		
Adjustment for (increase)/decrease in operating assets		
Trade receivables	355.67	433.35
Inventories	1,050.65	816.21
Other financial assets	593.80	569.66
Other current assets	(5,262.57)	451.08
Adjustment for (increase)/decrease in operating liabilities		
Trade payables	(1.64)	(2,070.67)
Other financial liabilities	(186.91)	330.53
Other current liabilities	3,311.94	672.52
Provisions	(63.37)	33.18
Cash generated from operations	2,721.53	3,261.97
Income taxes paid	(482.42)	(593.53)
Net cash generated from/(used in) operating activities	2,239.11	2,668.44
II. Cash flows from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment and intangibles (including capital work in progress)	(34.76)	(47.64)
Disposal of property, plant and equipment and intangibles (including capital work in progress)	6.86	2.06
(Investments in)/ redemption of term deposits with Banks with original maturities of more than 3 months	(249.51)	(5,451.59)
Interest received	1,245.64	962.73
Deposits with Bank having maturity if more than one year from the balance sheet date	213.92	1,697.71
Net cash used in investing activities	1,182.15	(2,836.72)

	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
III. Cash flows from financing activities		
Proceeds from/(repayment of) long-term borrowings, net	(47.42)	(411.99)
Proceeds from/(repayment of) short-term borrowings, net	-	-
Interest paid	(50.84)	(69.29)
Final dividend	(412.61)	(177.17)
Tax on final dividend	-	-
Net cash provided by financing activities	(510.87)	(658.46)
Net increase in cash and cash equivalents (I+II+III)	2,910.39	(826.74)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	2,280.41	3,107.15
Cash and cash equivalents at the end of the year (refer note below)	5,190.80	2,280.41

Note:
Cash and cash equivalents comprise:

Cash on hand	2.17	2.57
Balances with banks:		-
- On current accounts	324.29	229.65
- In deposit accounts with Original Maturity of less than three months	4,864.34	2,048.19
Overdraft from Canara Bank	-	-
	5,190.80	2,280.41

Significant accounting policies 1

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For BATLIBOI, PUROHIT & DARBARI
Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 303086E

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN : 25063404BMJMIE5079

for and on behalf of the Board of Directors of

**The Braithwaite Burn and Jessop Construction
 Company Limited**

CIN: U70100WB1986GOI041286

N K Mishra

Company Secretary

PAN - AIQPM3388P

S K Ghosh

Director (Finance)

DIN - 10659781

Place: Kolkata
Date: 25.06.2025
Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)

Chairman & Managing Director

DIN - 09832486

Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2025

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

a. Equity Share Capital

	No. of shares	Amount
Balance as at 1 April 2023	12,08,605	12,086.05
Balance as at 31 March 2024	12,08,605	12,086.05
Add: Issued during the year	-	-
Balance as at 31 March 2025	12,08,605	12,086.05

b. Other equity

Particulars	Share application money pending allotment	Restructuring Equity Share Deposit	Reserves and Surplus				Total
			Capital Reserve	General reserve	Retained earnings	Debenture Redemption Reserve	
As at 31 March 2023	-	-	0.06	1,473.65	8,181.29	103.66	9,758.66
Profit for the year	-	-	-	-	2,063.03	-	2,063.03
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	12.50	(12.50)	-
Final dividend	-	-	-	-	(177.17)	-	(177.17)
Tax on final dividend	-	-	-	-	-	-	-
Other comprehensive income							
Re-measurement gains/ (losses) on defined benefit plans	-	-	-	-	-	-	-
Income-tax effect	-	-	-	-	-	-	-
As at 31 March 2024	-	-	0.06	1,473.65	10,079.66	91.16	11,644.53
Profit for the year	-	-	-	-	3,059.62	-	3,059.62
Final dividend	-	-	-	-	(412.61)	-	(412.61)
Tax on final dividend	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	12.50	(12.50)	-
Other comprehensive income							
Re-measurement gains/ (losses) on defined benefit plans, net of tax	-	-	-	-	-	-	-
Income-tax effect	-	-	-	-	-	-	-
Balance as of 31 March 2025	-	-	0.06	1,473.65	12,739.17	78.66	14,291.54

Significant accounting policies

1

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For BATLIBOI, PUROHIT & DARBARI
Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 303086E

for and on behalf of the Board of Directors of
The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited

CIN: U70100WB1986GOI041286

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN : 25063404BMJMIE5079

N K Mishra

Company Secretary

PAN - AIQPM3388P

S K Ghosh

Director (Finance)

DIN - 10659781

Place: Kolkata

Date: 25.06.2025

Cmdr. Rakesh Chhillar (Retd.)

Chairman & Managing Director

DIN - 09832486

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

1 Company Information and Material Accounting Policies

A. Company Overview

The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Limited ('the Company') is a Company domiciled in India and limited by shares (CIN: U70100WB1986GOI041286). The address of the Company's registered office is 27, R. N. Mukherjee Road, Modi Building, Kolkata - 700001. The Company is primarily involved in business of construction engineering including fabrication work.

B. Basis of preparation of financial statements

1 Statement of Compliance

These financial statements are prepared on accrual basis of accounting and comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and subsequent amendments thereto, the Companies Act, 2013 (to the extent notified and applicable) and applicable provisions of the Companies Act, 1956.

2 Basis of preparation

These financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS), under historical cost convention on accrual basis as per provision of the Companies Act, except as otherwise as mentioned

3 Presentation of financial statements

The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are prepared and presented in the format prescribed in the Schedule III to the Companies Act, 2013 ("the Act"). The Statement of Cash Flows has been prepared and presented as per the requirements of Ind AS 7 "Statement of Cash Flows". The disclosure requirements with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the financial statements.

4 Functional currency

The financial statements are presented in Indian rupees, which is the functional currency of the Company. Functional currency of an entity is the currency of the primary economic environment in which the entity operates.

All financial information presented in INR has been rounded to the nearest lakhs (upto two decimals), except as stated otherwise.

5 Operating cycle

All the assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013.

Assets:

An asset is classified as current when it satisfies any of the following criteria:

- a) it is expected to be realized in, or is intended for sale or consumption in, the Company's normal

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

operating cycle;

- b) it is held primarily for the purpose of being traded;
- c) it is expected to be realized within twelve months after the reporting date; or
- d) it is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date.

Liabilities:

A liability is classified as current when it satisfies any of the following criteria:

- a) it is expected to be settled in the Company's normal operating cycle;
- b) it is held primarily for the purpose of being traded;
- c) it is due to be settled within twelve months after the reporting date; or
- d) the Company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date. Terms of a liability that could, at the option of the counterparty, result in its settlement by the issue of equity instruments do not affect its classification.

Current assets/ liabilities include the current portion of non-current assets/ liabilities respectively. All other assets/ liabilities are classified as non-current. Deferred tax assets/liabilities are classified as non-current.

6 Critical accounting judgements and key sources of estimation uncertainty

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires the management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses and disclosure of contingent liabilities and contingent assets at the date of financial statement and the results of operation during the reporting period. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimates are revised and in any future period affected. Information about critical judgements in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements is included in the accounting policies and/or the notes to the financial statements.

In order to enhance understanding of the financial statements, information about significant areas of estimation, uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements is as under:

Recognition of deferred tax assets – The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized.

Evaluation of indicators for impairment of assets – The evaluation of applicability of indicators of impairment of assets requires assessment of several external and internal factors which could result in deterioration of recoverable amount of the assets.

Impairment of financial assets – At each balance sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding financial assets.

Provisions – At each balance sheet date the management judgment, changes in facts and legal aspects, the

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Company assesses the requirement of provisions against the outstanding contingent liabilities. However, the actual future outcome may be different from this judgement.

Useful lives of depreciable/ amortisable assets – Management reviews its estimate of the useful lives of depreciable/amortisable assets at each reporting date, based on the expected utility of the assets. Uncertainties in these estimates relate to technical and economic obsolescence that may change the utility of assets.

Defined benefit obligation (DBO) – Management’s estimate of the DBO is based on a number of underlying assumptions such as standard rates of inflation, mortality, discount rate and anticipation of future salary increases. Variation in these assumptions may significantly impact the DBO amount and the annual defined benefit expenses.

Fair value measurements – Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available). This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument.

7 Measurement of fair values

A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair values, for both financial and non-financial assets and liabilities.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs used in the valuation techniques as follows:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data as far as possible. If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability fall into different levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.

The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting period during which the change has occurred.

C. Material accounting policies

1 Revenue recognition

a) Revenue from construction contract is recognised as follows

In accordance with IndAS 115 “Revenue from Contracts with customers”, Revenue is recognised from construction and service activities is based on “over time” method and the company uses the output method to measure progress of delivery.

When the outcome of individual contracts can be estimated reliably, contract revenue and contract cost are recognised as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion at the reporting date. Costs are recognised as incurred and revenue is recognised on the basis of proportion of total cost at the

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

reporting date to the estimated total cost of the contract.

The estimated outcome of a contract is considered reliable when all the following conditions are satisfied:

- i. the amount of revenue can be measured reliably;
- ii. it is probable that the economic benefits associated with the contract will flow to the Company;
- iii. the stage of completion of the contract at the end of the reporting period can be measured reliably; and
- iv. the costs incurred or to be incurred in respect of the contract can be measured reliably.

Expected loss, if any, on a contract is recognised as expense in the period in which it is foreseen, irrespective of the stage of completion of the contract.

Contracts result in revenue recognised in excess of billings are considered as Contract Assets and advance payments received against Contracts are considered as Contract Liability. Contract Assets and Contract Liabilities are presented as part of Current Assets and Current Liabilities in Financial Statements. For depository works, Contract assets are shown net of deposit received against those contracts.

Contract Assets relate to Company's right to consideration on certain definite basis for work completed but not billed at the reporting date. The amount of Contract Assets during the period was impacted by impairment and / or provisions whenever felt appropriate. Contract Liabilities relate to advance consideration received from customers for which revenue is recognised over time.

Amounts billed for work performed but yet to be paid by the customer are disclosed in the Balance Sheet as trade receivables. The amount of retention money held by the customers is disclosed as part of other current assets and is reclassified as trade receivables when it becomes due for payment.

- b) **Sale of Goods:** Revenue from sale of goods is recognised when the Company has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods, it no longer retains control over the goods sold, the amount of revenue can be measured reliably, it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company and the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.
- c) **Rendering of services:** Revenue from rendering services is recognised when the outcome of a transaction can be estimated reliably by reference to the stage of completion of the transaction. The outcome of a transaction can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied:
 1. the amount of revenue can be measured reliably;
 2. it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company;
 3. the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and
 4. the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.

Stage of completion is determined by the proportion of actual costs incurred to-date, to the estimated total costs of the transaction.

Unbilled revenue represents value of services performed in accordance with the contract terms but not billed.

- d) **Interest Income:** Interest income from a financial asset is recognised when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

accrued on a time proportion basis, by reference to the principal outstanding and the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial assets to that asset's net carrying amount on initial recognition.

- e) **Dividend Income:** Dividend income is recognised when the Company's right to receive the dividend is established.

2 Leases

Leases are accounted as per Ind AS 116 which has become mandatory from April 1, 2019.

Assets taken on lease are accounted as right-of-use assets and the corresponding lease liability is accounted at the lease commencement date.

Initially the right-of-use asset is measured at cost which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments, discounted using the Company's incremental borrowing rate. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or a rate, or a change in the estimate of the guaranteed residual value, or a change in the assessment of purchase, extension or termination option. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in the Statement of Profit and Loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The right-of-use asset is measured by applying cost model i.e. right-of-use asset at cost less accumulated depreciation and cumulative impairment, if any. The right-of-use asset is depreciated using the straight-line method from the commencement date to the end of the lease term or useful life of the underlying asset whichever is earlier. Carrying amount of lease liability is increased by interest on lease liability and reduced by lease payments made.

Lease payments associated with following leases are recognised as expense on straight-line basis: (i) Low value leases; and (ii) Leases which are short-term.

Assets given on lease are classified either as operating lease or as finance lease. A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an underlying asset. Initially asset held under finance lease is recognised in balance sheet and presented as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Finance income is recognised over the lease term, based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on Company's net investment in the lease. A lease which is not classified as a finance lease is an operating lease.

The Company recognises lease receipts in case of assets given on operating leases as income on a straight-line basis. The Company presents underlying assets subject to operating lease in its balance sheet under the respective class of asset.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

3 Foreign currencies

In preparing the financial statements of the Company, transactions in currencies other than the company's functional currency (foreign currencies) are recognised at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated. Exchange differences on monetary items are recognised in profit or loss in the period in which they arise.

4 Borrowing costs

Specific borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of such asset till such time the asset is ready for its intended use and borrowing costs are being incurred. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

Borrowing cost includes interest expense, amortization of discounts, ancillary costs incurred in connection with borrowing of funds and exchange difference arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment to the Interest cost.

5 Income Tax

Income tax expense consists of current and deferred tax. Income tax expense is recognized in the income statement except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in equity.

Current tax

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the balance sheet method, providing for temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognized for the following temporary differences: the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit; differences relating to investments in subsidiaries and jointly controlled entities to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future; and taxable temporary differences arising upon the initial recognition of goodwill. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date. Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realized simultaneously.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary difference can be utilized. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized.

6 Earnings per share

The Company presents basic and diluted earnings per share (“EPS”) data for its ordinary shares. The basic earnings per share is computed by dividing the net profit attributable to equity shareholders for the period by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit attributable to equity shareholders for the year relating to the dilutive potential equity shares, by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and the weighted average number of equity shares which could have been issued on the conversion of all dilutive potential equity shares. Potential equity shares are deemed to be dilutive only if their conversion to equity shares would decrease the net profit per share.

7 Property, plant and equipment

The initial cost of PPE comprises its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, and any directly attributable costs of bringing an asset to working condition and location for its intended use, including relevant borrowing costs and any expected costs of decommissioning, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Expenditure incurred after the PPE have been put into operation, such as repairs and maintenance, are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which the costs are incurred.

If significant parts of an item of PPE have different useful lives, then they are accounted for as separate items (major components) of PPE.

Material items such as spare parts, stand-by equipment and service equipment are classified as PPE when they meet the definition of PPE as specified in Ind AS 16 – Property, Plant and Equipment. Property, Plant and Equipment costing Rs.10,000/- or less are fully depreciated in the year of acquisition

7.1 Expenditure during construction period

Expenditure during construction period (including financing cost related to borrowed funds for construction or acquisition of qualifying PPE) is included under Capital Work-in-Progress, and the same is allocated to the respective PPE on the completion of their construction. Advances given towards acquisition or construction of PPE outstanding at each reporting date are disclosed as Capital Advances under “Other non-current Assets”.

7.2 Depreciation

Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of PPE over its useful life and is provided as per the Written Down Value Method over the useful lives as prescribed in Schedule II to the Act.

Depreciable amount for PPE is the cost of PPE less its estimated residual value. The useful life of PPE is the period over which PPE is expected to be available for use by the Company, or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the Company.

Depreciation on additions is provided on a pro-rata basis from the date of installation or acquisition. Depreciation on deductions/disposals is provided on a pro-rata basis up to the date of deduction/disposal.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount. These are included in the Statement of Profit & Loss.

8 Intangible assets and amortisation

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and impairment. Intangible assets are amortized over their respective estimated useful lives on a straight-line basis, from the date that they are available for use.

Amortization

The estimated useful life of an identifiable intangible asset is based on a number of factors including the effects of obsolescence, demand, competition and other economic factors (such as the stability of the industry and known technological advances) and the level of maintenance expenditures required to obtain the expected future cash flows from the asset.

The Company amortizes computer software using the straight-line method over the period of 3 years.

9 Inventories

Inventories are valued after providing for obsolescence, as under:

- (i) Raw materials, components, construction materials, stores, spares and loose tools at lower of weighted average cost or net realisable value. However, these items are considered to be realisable at cost if the finished products in which they will be used, are expected to be sold at or above cost.
- (ii) Completed property/work-in-progress in respect of construction activity at lower of specifically identifiable cost or net realisable value.

Assessment of net realisable value (NRV) is made at the end of each reporting period and when the circumstances that previously caused inventories to be written-down below cost no longer exist or when there is clear evidence of an increase in net realisable value because of changed economic circumstances, the write-down, if any, in the past period is reversed to the extent of the original amount written-down so that the resultant carrying amount is the lower of the cost and the revised net realisable value.

10 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the Balance Sheet comprise cash at bank and in hand and short-term deposits with banks that are readily convertible into cash which are subject to insignificant risk of changes in value and are held for the purpose of meeting short-term cash commitments.

11 Statement of Cash Flows

Statement of Cash Flows is prepared segregating the cash flows into operating, investing and financing activities. Cash flow from operating activities is reported using indirect method, adjusting the profit before tax excluding exceptional items for the effects of:

- (i) changes during the period in inventories and operating receivables and payables transactions of a non-cash nature;
- (ii) non-cash items such as depreciation, provisions, unrealised foreign currency gains and losses; and

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

(iii) all other items for which the cash effects are investing or financing cash flows.

Cash and cash equivalents (including bank balances) shown in the Statement of Cash Flows exclude items which are not available for general use as at the date of Balance Sheet.

12 Government grants

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all attached conditions will be complied with.

Where the Company receives non-monetary grants, the asset and the grant are accounted at fair value and recognised in the statement of profit and loss over the expected useful life of the asset.

13 Impairment of non financial assets

The carrying amounts of the Company's non-financial assets, inventories and deferred tax assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset's recoverable amount is estimated. The recoverable amount of an asset or cash-generating unit (as defined below) is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset or the cash-generating unit. For the purpose of impairment testing, assets are grouped together into the smallest group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows of other assets or groups of assets (the "cash-generating unit").

An impairment loss is recognized in the income statement if the estimated recoverable amount of an asset or its cash-generating unit is lower than its carrying amount. Impairment losses recognized in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized. Goodwill that forms part of the carrying amount of an investment in an associate is not recognized separately, and therefore is not tested for impairment separately. Instead, the entire amount of the investment in an associate is tested for impairment as a single asset when there is objective evidence that the investment in an associate may be impaired.

An impairment loss in respect of equity accounted investee is measured by comparing the recoverable amount of investment with its carrying amount. An impairment loss is recognized in the income statement, and reversed if there has been a favorable change in the estimates used to determine the recoverable amount.

14 Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognized for the amount expected to be paid if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Defined contribution plans

The Company's contributions to defined contribution plans are charged to the income statement as and when the services are received from the employees.

Defined benefit plans

The liability in respect of defined benefit plans and other post-employment benefits is calculated using the projected unit credit method consistent with the advice of qualified actuaries. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related defined benefit obligation. The current service cost of the defined benefit plan, recognized in the income statement in employee benefit expense, reflects the increase in the defined benefit obligation resulting from employee service in the current year, benefit changes, curtailments and settlements. Past service costs are recognized immediately in income. The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the income statement. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Termination benefits

Termination benefits are recognized as an expense when the Company is demonstrably committed, without realistic possibility of withdrawal, to a formal detailed plan to either terminate employment before the normal retirement date, or to provide termination benefits as a result of an offer made to encourage voluntary redundancy. Termination benefits for voluntary redundancies are recognized as an expense if the Company has made an offer encouraging voluntary redundancy, it is probable that the offer will be accepted, and the number of acceptances can be estimated reliably.

Other long-term employee benefits

The Company's net obligation in respect of other long term employee benefits is the amount of future benefit that employees have earned in return for their service in the current and previous periods. That benefit is discounted to determine its present value. Re-measurements are recognized in the statement of profit and loss in the period in which they arise.

15 Provisions

A provision is recognized if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. Where discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

16 Contingent liabilities & contingent assets

A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. Where there is a possible obligation or a present

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

Contingent assets are not recognised in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and related income are recognised in the period in which the change occurs.

17 Financial instruments

Financial assets and/or financial liabilities are recognised when the company becomes party to a contract embodying the related financial instruments. All financial assets, financial liabilities and financial guarantee contracts are initially measured at transaction values and where such values are different from the fair value, at fair value. Transaction costs that are attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from as the case may be, the fair value of such financial assets or liabilities, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognised immediately in the statement of Profit or Loss.

In case of funding to subsidiary companies in the form of interest free or concession loans and preference shares, the excess of the actual amount of the funding over initially measured fair value is accounted as an equity investment.

(i) Financial assets:

All recognised financial assets are subsequently measured in their entirety either at amortised cost or at fair value depending on the classification of the financial assets as follows:

1. Investments in debt instruments that are designated as fair value through profit or loss (FVTPL) - at fair value.
2. Investments in debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at - at amortised cost (unless the same designated as fair value through profit or loss):
 - i) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect contractual cash flows; and
 - ii) The contractual terms of instrument give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
3. Investment in debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income [FVTOCI] (unless the same are designated as fair value through profit or loss)
 - i) The asset is held within a business model whose objective is achieved both by collecting contractual cash flows and selling financial assets; and
 - ii) The contractual terms of instrument give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
4. Debt instruments at FVTPL is a residual category for debt instruments, if any, and all changes are recognised in profit or loss.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

5. Investment in equity instruments issued by subsidiary, associate and joint venture companies are measured at cost less impairment.
6. Investment in preference shares of the subsidiary companies are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares or are redeemable out of the proceeds of equity instruments issued for the purpose of redemption of such investments. Investment in preference shares not meeting the aforesaid conditions are classified as debt instruments at FVTPL.
7. Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the related instruments are not held for trading and the Company irrevocably elects on initial recognition to present subsequent changes in fair value in Other Comprehensive Income.
8. For financial assets that are measured at FVTOCI, income by way of interest and dividend, provision for impairment and exchange difference, if any, (on debt instrument) are recognised in profit or loss and changes in fair value (other than on account of above income or expense) are recognised in other comprehensive income and accumulated in other equity. On disposal of debt instruments at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in other equity is reclassified to profit or loss. In case of equity instruments at FVTOCI, such cumulative gain or loss is not reclassified to profit or loss on disposal of investments.
9. A financial asset is primarily derecognised when:
 - i). the right to receive cash flows from the asset has expired, or
 - ii). the company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass-through arrangement; and
 - (a) the company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or
 - (b) the company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount measured at the date of derecognition and the consideration received is recognised in Profit or Loss.

10. Impairment of financial assets: The company recognises impairment loss on trade receivables using expected credit loss model, which involves use of a provision matrix constructed on the basis of historical credit loss experience as permitted under Ind AS 109. Impairment loss on investments is recognised when the carrying amount exceeds its recoverable amount.

(ii) Financial liabilities:

1. Financial liabilities, including derivatives and embedded derivatives, which are designated for measurement at FVTPL are subsequently measured at fair value. Financial guarantee contracts are subsequently measured at the amount of impairment loss allowance or the amount recognised at inception net of cumulative amortisation, whichever is higher.

All other financial liabilities including loans and borrowings are measured at amortised cost using Effective Interest Rate (EIR) method.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

2. A financial liability is derecognised when the related obligation expires or is discharged or cancelled.

A financial asset and a financial liability is offset and presented on net basis in the balance sheet when there is a current legally enforceable right to set-off the recognised amounts and it is intended to either settle on net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

18 Dividends

Dividends and interim dividends payable to Company's shareholders are recognized as changes in equity in the period in which they are approved by the shareholders' meeting and the Board of Directors respectively.

19 Material prior period errors

Material prior period errors are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. If the error occurred before the earliest period presented, the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest period presented, are restated.

20 Operating segments

In accordance with Ind AS 108, the operating segments used to present segment information are identified on the basis of internal reports used by the Company's Management to allocate resources to the segments and assess their performance. The Board of Directors is collectively the Company's 'Chief Operating Decision Maker' or 'CODM' within the meaning of Ind AS 108. The indicators used for internal reporting purposes may evolve in connection with performance assessment measures put in place.

Segment results that are reported to the CODM include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items comprise mainly corporate expenses, finance expenses and income tax expenses.

Revenue directly attributable to the segments is considered as segment revenue. Expenses directly attributable to the segments and common expenses allocated on a reasonable basis are considered as segment expenses.

Segment capital expenditure is the total cost incurred during the period to acquire property, plant and equipment, and intangible assets other than goodwill.

Segment assets comprise property, plant and equipment, intangible assets, trade and other receivables, inventories and other assets that can be directly or reasonably allocated to segments. For the purpose of segment reporting for the year, property, plant and equipment have been allocated to segments based on the extent of usage of assets for operations attributable to the respective segments. Segment assets do not include investments, income tax assets, capital work in progress, capital advances, corporate assets and other current assets that cannot reasonably be allocated to segments.

Segment liabilities include all operating liabilities in respect of a segment and consist principally of trade and other payables, employee benefits and provisions. Segment liabilities do not include equity, income tax liabilities, loans and borrowings and other liabilities and provisions that cannot reasonably be allocated to segments.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

2 Property, plant and equipment

Particulars	Buildings	Plant and Machinery	Ship (Speed Boat)	Computers	Furniture and Fixtures	Vehicles	Total
Cost or Deemed Cost (Gross Carrying Amount)							
As at 31 March 2023	132.63	2,336.73	2.32	92.69	75.41	3.72	2,643.49
Additions	-	45.54	-	0.38	1.72	-	47.64
Less: Disposal / Adjustments	-	(1.46)	-	-	-	-	(1.46)
As at 31 March 2024	132.63	2,380.80	2.32	93.07	77.13	3.72	2,689.67
Additions	-	4.54	-	28.11	0.68	-	33.33
Less: Disposal / Adjustments	(0.00)	(49.35)	-	0.00	(0.00)	0.00	(49.35)
As at 31 March 2025	132.63	2,335.99	2.32	121.18	77.81	3.72	2,673.65
Accumulated depreciation							
As at 31 March 2023	89.40	1,732.64	2.29	82.85	64.95	3.68	1,975.82
Additions	4.41	129.83	-	4.43	3.67	0.00	142.33
Less: Disposal / Adjustments	-	(1.43)	-	-	-	-	(1.43)
As at 31 March 2024	93.81	1,861.04	2.29	87.29	68.62	3.68	2,116.73
Additions	4.00	100.18	-	6.47	2.88	0.00	113.53
Less: Disposal / Adjustments	-	(47.17)	-	-	-	-	(47.17)
As at 31 March 2025	97.81	1,914.05	2.29	93.76	71.50	3.68	2,183.09
Net Book Value							
As at 31 March 2025	34.82	421.94	0.03	27.42	6.31	0.04	490.56
As at 31 March 2024	38.82	519.76	0.02	5.78	8.52	0.04	572.94
Note:							
a) Building includes Rs. 131.46 lakhs (Previous Year - Rs. 131.46 lakhs) in respect of permanent structures on lease/ rented land from Syama Prasad Mukherjee Port at Circular Garden Reach Road, Kolkata.							

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

3 Intangible assets

Particulars	Computer Software
Cost or Deemed Cost (Gross Carrying Amount)	
As at 31 March 2023	46.33
Additions	-
As at 31 March 2024	46.33
Additions	46.33
As at 31 March 2025	1.44
Accumulated amortisation	
As at 31 March 2023	30.48
Charge for the year	7.38
As at 31 March 2024	37.87
Charge for the year	37.87
As at 31 March 2025	5.96
Net Book Value	
As at 31 March 2025	3.94
As at 31 March 2024	8.47

4 a. Capital Work in Progress (CWIP)

Particulars	CWIP
As at 31 March 2024	-
Additions	-
(Transfer)	-
As at 31 March 2025	-

b. Capital Work in Progress (CWIP) ageing schedule

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
As at 31 March 2025					
Projects in progress	-	-	-	-	-
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-
As at 31 March 2024					
Projects in progress	-	-	-	-	-
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

5 Investments	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Non-current investments		
(A) Investments in Equity Instruments		
(a) Subsidiary companies (Unquoted, Valued at Cost)		
Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd*	486.30	486.30
48,630 (31 March 2024 : 48,630) Equity Shares of Rs 1000/- each fully paid-up		
(b) Joint Venture companies		
Bhagirathi Bridge Construction Company Limited (Unquoted, Valued at Cost)	0.30	0.30
300 (31 March 2024 : 300)Equity Shares of Rs 100/- each fully paid-up		
Less: Provision	(0.30)	-
(c) Other companies		
Lagan Jute Machinery Co Ltd. (Unquoted, Valued at Cost)	42.20	42.20
4,22,000 (31 March 2024 : 4,22,000) Equity Shares of Rs 10/- each fully paid-up		
Jessop & Co. Ltd. (Unquoted, Valued at Cost)*	2,558.01	2,558.01
2,55,80,122 (31 March 2024 : 2,55,80,122) Equity Shares of Rs 10/- each fully paid-up		
(Unquoted, Valued at Cost)		
3,015 (31 March 2024 : 3,015)fully paid Equity share of Woodlands Multispeciality Hospital Ltd (earlier “5% Non -Redeemable Registered Debenture Stock of East India Clinic Ltd.”)	0.16	0.16
(B) Investments in debentures or bonds		
99 No. (31 March 2024: 99 No.) ICICI Redeemable Money Multiplier Bond-2026	92.49	87.79
Total investments	3179.16	3,174.47
Aggregate book value of		
- quoted investments	-	-
- unquoted investments	3179.16	3,174.47
Aggregate market value of quoted investments	N/A	N/A
* Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd. (BPMEL) and Jessop & Co. Ltd, earstwhile subsidiaries of Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd (BBUNL), are under liquidation.		
6 Trade receivables (Unsecured)	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Non-current		
Long Term Trade Receivables, considered good	1,108.42	1,108.42
Less: Allowances for doubtful receivables	(1,108.42)	(1,108.42)
	-	-
Current		
Considered good	3340.51	3,263.01
Considered doubtful	-	-
	3340.51	3,263.01
Less: Allowance for doubtful receivables	(1352.90)	(919.72)
	-	-
Total trade receivables	1987.61	2,343.28

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

6 Trade receivables (contd.)

Trade receivable ageing schedule		Outstanding for following periods from due date of payment							
Sl. No	Particulars	Not due	Unbilled amount	< 6 months	6month-1 year	1-2 years	2-3 years	> 3 years	Total
	As at March 31,2025								
i)	Undisputed Trade Receivables – considered good	662.52	-	145.71	489.59	1,001.17	200.34	841.18	3,340.51
ii)	Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	1,108.42	1,108.42
iii)	Undisputed Trade Receivables – Credit Impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
iv)	Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
v)	Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)	Disputed Trade Receivables – Credit Impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
	Less: Expected Credit loss and doubtful receivable adjustment								(2,461.32)
	Total	-	-	-	-	-	-	-	1,987.61
	As at March 31,2024								
i)	Undisputed Trade Receivables – considered good	-	-	2,162.46	147.92	111.44	42.99	798.20	3,263.01
ii)	Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	1,108.42	1,108.42
iii)	Undisputed Trade Receivables – Credit Impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
iv)	Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
v)	Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-	-
vi)	Disputed Trade Receivables – Credit Impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
	Less: Expected Credit loss and doubtful receivable adjustment								(2,028.14)
	Total	-	-	-	-	-	-	-	2,343.28

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

7 Other Financial Assets

	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Non-current		
Deposits with Bank having maturity of more than one year from the balance sheet date	213.92	591.00
Others		
Security Deposit/EMD/Other Deposits	4,679.05	4,920.06
Less: Allowance for doubtful deposits	(53.15)	(53.15)
	4,839.82	5,457.91
Current		
Loans & Advances		
GOI Loan receivable on loan to subsidiary companies and others	6,796.31	6,796.31
Less: Provisions	(207.25)	(138.16)
Advances to Creditors	6,589.06	6,658.15
Other advances	1,034.10	1,079.22
	111.11	145.46
Interest Receivable/Accrued		
On loans to subsidiary companies	34,006.55	34,006.55
Accrued Interest on Investment, Deposit & Term Deposits	745.45	625.96
Others		
Security Deposit/EMD/Other Deposits	1,171.10	1,262.31
Less: Allowance for doubtful deposits	(77.76)	(8.44)
Receivables - Others	-	0.04
	43,579.61	43,769.24

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
8 Deferred tax asset, net		
Deferred tax asset		
- Expected credit loss on financial assets	591.94	506.54
- Provision for employee benefits	108.96	118.17
Total	700.90	624.71
Deferred tax liability		
- Tangible and Intangible assets	28.79	23.13
- Financial assets at amortised cost	(9.87)	(8.70)
Deferred tax asset, net	719.82	639.15
9 Inventories	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Raw materials	595.05	669.76
Stores, Spare Parts & Consumables	16.90	23.74
Loose Tools	15.44	12.82
Less: Provisions	(66.64)	(54.65)
Work in progress	2,242.10	3,201.84
Total inventories	2,802.85	3,853.50
10 Cash and cash equivalents	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Balances with banks:		
- On current accounts	324.29	229.65
- In deposit accounts with Original Maturity of less than three months*	4,864.34	2,048.19
Cash in hand	2.17	2.57
Total cash and cash equivalents	5,190.80	2,280.41

*Includes deposits marked lien in favour Bank Rs.2335.81 Lakhs (31 March 2024 Rs.139.15 Lakhs).

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

11 Other Bank balances	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Term deposits with Banks with original maturities of more than 3 months*	14,159.13	14,286.70
Less: Deposits with Bank disclosed under 'other financial assets' having maturity of more than 12 months	(213.92)	(591.00)
Total other Bank balances	13,945.21	13,695.70
*Includes deposits marked lien in favour Bank Rs. 4,831.42 lakhs (31 March 2024 Rs.6,924.87 lakhs).		
12 Current tax assets	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Current tax assets (Net of provision)	-	456.29
	-	456.29
13 Other Current Assets	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
GST A/C - (INPUT) - ASSETS	727.22	960.27
Others Balance with Government and Statutory Authorities	22.22	22.22
	749.44	982.49
Contract Assets	5,495.62	-
	6,245.06	982.49

Changes in Contract Assets during the year are as follows:-

Particulars

Contract Assets at the beginning of the Reporting Period	-	-
Add: Contract Assets during the Period	5,495.62	-
Less: Recognised as Contract Receivable	-	-
Less: Expected Credit Loss to Contract Assets	-	-
Contract Assets at the end of the Reporting Period	5,495.62	-

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

14 Share Capital	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Authorised Share Capital		
Equity Share Capital		
34,81,000 (31 March 2024: 34,81,000) equity shares of Rs.1000/- each	34,810.00	34,810.00
Issued Share Capital		
Equity Share Capital		
12,08,605 (31 March 2024: 12,08,605) equity shares of Rs.1000/- each	12,086.05	12,086.05
Subscribed and fully paid-up Share Capital		
Equity Share Capital		
12,08,605 (31 March 2024: 12,08,605) equity shares of Rs.1000/- each	12,086.05	12,086.05
	12,086.05	12,086.05

(a) Reconciliation of shares outstanding at the beginning and end of the reporting year

Particulars	No. of equity shares	No. of equity shares
Outstanding at the beginning of the year	12,08,605	12,08,605
Issued during the year	-	-
Outstanding at the end of the year	12,08,605	12,08,605

(b) Terms / rights attached to the equity shares

Equity shares of the Company have a par value of ₹ 1000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The Company declares and pays dividend in Indian rupees. The dividend proposed by the Board of Directors (except interim dividend) is subject to the approval of the shareholders in the Annual General Meetings. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

(c) Shareholding Pattern with respect of Holding or Ultimate Holding Company

The Company does not have any Holding Company or Ultimate Holding Company.

(d) Details of shareholders holding more than 5% shares in the Company

Particulars	No. of equity shares held	No. of equity shares held
President of India and its nominees	12,08,605	12,08,605
	12,08,605	12,08,605

(e) No ordinary shares have been reserved for issue under options and contracts/ commitments for the sale of shares/ disinvestment as at the Balance Sheet date.

(f) Consequent to Capital Restructuring Schemes sanctioned by Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) in respect of Braithwaite & Co. Ltd. ('BCL'), Burn Standard Co. Ltd. ('BSCL'), Bharat Brakes & Valves Ltd. ('BBVL') and RBL Ltd. ('RBL') and pursuant to approval of the Government of India for financial restructuring allowing conversion of loans & interest into equity share capital & Zero Rated Debentures in respect of BSCL, BCL and BBJ and in consideration of the direction of Department of Investment and Public Asset Management for the aforesaid amount, the company has issued equity shares to President of India on 28th April, 2017.

(g) No securities convertible into Equity/ Preference shares have been issued by the Company during the year.

(h) No calls are unpaid by any Director or Officer of the Company during the year.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

15 Other equity	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Capital Reserve	0.06	0.06
General Reserve	1,473.65	1,473.65
Debenture Redemption Reserve	78.66	91.16
Retained Earnings	12,739.17	10,079.66
	14,291.54	11,644.53
(a) Capital Reserve		
Opening balance	0.06	0.06
Additions during the year	-	-
Closing balance	0.06	0.06
(b) General Reserve		
Opening balance	1,473.65	1,473.65
Add: Transfers during the year	-	-
Closing balance	1,473.65	1,473.65
General Reserve are free reserves of the company which are kept aside out of company's profits to meet the future requirements as and when they arise.		
(c) Debenture Redemption Reserve*		
Opening balance	91.16	103.66
Add: Transfers during the year	(12.50)	(12.50)
Closing balance	78.66	91.16
* The Company had created Debenture Redemption Reserve (DRR) on the basis of outstanding amount of Debentures in terms of the applicable provision under Companies Act'2013		
(d) Retained Earnings		
Opening balance	10,079.66	8,181.29
Profit/(loss) for the year	3,059.62	2,063.03
Other comprehensive income	-	-
Final dividend	(412.61)	(177.17)
Tax on final dividend	-	-
Add: Transferred from Debanture redemption Reserve	12.50	12.50
Less: Transfers to general reserve	-	-
Closing balance	12,739.17	10,079.66
Total other equity	14,291.54	11,644.53

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

16 Borrowings	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Non-current Borrowings		
Unsecured loans		
Restructuring Debenture Deposit (ZRD)*	192.11	217.92
Total non-current borrowings	192.11	217.92
Current Borrowings		
Secured loans repayable on demand		
- Overdraft from Canara Bank **	-	-
Other Loans and advances from the Government of India	6,589.00	6,589.00
Total current borrowings	6,589.00	6,589.00

*** Restructuring Debenture Deposit (ZRD) :**

As per approved scheme of Financial restructuring of The Braithwaite Burn and Jessop Construction Company Ltd (BBJ) by GOI in 2005, allowed conversion of GOI loan amounting to Rs.3.88 crore into Equity, conversion of interest outstanding on GOI loan amounting to Rs.10.00 crore into Equity and conversion of interest outstanding on GOI loan amounting to Rs.10.00 crore to Zero Rate Debenture (ZRD). In pursuance company is repaying Zero Rated Debentures (ZRD) in equal yearly installments of Rs.0.50 crore since 2007-08 and has issued Equity shares to President of India on 28th April, 2017.

**** Overdraft from Canara Bank:**

Overdraft from Canara Bank is primarily secured by hypothecation of stock and book debts and collaterally secured by hypothecation of Fixed assets including Plant and Machinery, Furniture and Fixtures and Vehicles and Equitable mortgage of the Company's Flat at 22, Lee Road, Kolkata - 700020. The overdraft having interest rate 10.10% p.a. is repayable on demand.

17 Provisions	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Non-Current		
Provision for employee benefits		
- Gratuity	8.15	50.54
- Leave Encashment	410.19	391.44
	418.34	441.98
Current		
Provision for employee benefits		
- Gratuity	15.90	-
- Leave Encashment	25.62	81.26
	41.52	81.26

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

18 Other liabilities	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024
Non-current		
Restructuring Debanture Deposits (ZRD)	48.33	69.94
Other Non Current Liabilities	4,086.95	4,086.95
	4,135.28	4,156.89
Current		
Statutory Dues	139.41	130.11
Restructuring Debanture Deposits (ZRD)	24.19	26.77
Advance from customers	262.14	247.23
Other Current Liabilities	5,587.34	2,297.03
	6,013.08	2,701.14
19 Trade payables	As at	As at
	31 March 2025	31 March 2024
Non-current		
Trade payables		
- Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	323.96	323.55
- Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note 36)	-	-
	323.96	323.55
Current		
Trade payables		
- Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	499.00	501.04
- Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note 36)	-	-
	499.00	501.04

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

19 Trade payable
Trade payable ageing schedule
As on March 31, 2025
Outstanding for following periods from due date of payment

S.no	Particulars	Not due	Unbilled amount	< 1 year	1-2 years	2-3 years	> 3 years	Total
i)	MSME	-	-	-	-	-	-	-
ii)	Others	-	-	494.35	-	-	328.61	822.96
iii)	Disputed dues-MSME	-	-	-	-	-	-	-
iv)	Disputed dues-Other	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	494.35	-	-	328.61	822.96

As on March 31, 2024
Outstanding for following periods from due date of payment

S.no	Particulars	Not due	Unbilled amount	< 1 year	1-2 years	2-3 years	> 3 years	Total
i)	MSME	-	-	-	-	-	-	-
ii)	Others	-	-	501.04	-	-	323.55	824.59
iii)	Disputed dues-MSME	-	-	-	-	-	-	-
iv)	Disputed dues-Other	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	501.04	-	-	323.55	824.59

20 Other financial liabilities

As at
31 March 2025 As at
31 March 2024

Non-current

Trade and Security Deposits

	69.89	121.49
	69.89	121.49

Current

Employee Benefits Payable

	107.15	121.48
--	--------	--------

Interest accrued & due on borrowing from GOI

	34,016.12	34,016.12
--	-----------	-----------

Restructuring Debanture Deposits (ZRD)

	50.00	50.00
--	-------	-------

Trade and Security Deposits

	4,060.22	4,181.39
--	----------	----------

Payable Others

	0.20	-
--	------	---

	38,233.69	38,369.00
--	-----------	-----------

21 Current tax liabilities

As at
31 March 2025 As at
31 March 2024

Current tax liabilities (Net of advance tax)

	90.98	-
	90.98	-

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

22	Revenue from operations	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
	Revenue from Contracts	12,710.23	24,859.23
	Contract Assets	5,495.62	-
	Gross Revenue from Contracts - Rs.21,482.90 Lakhs (31 March 2024 Rs.29,333.89 Lakhs)	<u>18,205.85</u>	<u>24,859.23</u>
	Other Revenue:		
	Project Management Consultancy	-	-
	Sale of Scrap	70.74	151.14
		<u>18,276.59</u>	<u>25,010.37</u>
23	Other income	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
	Interest income		
	- on bank and Security Deposits	1,245.64	962.73
	- on bonds	4.69	4.47
	Other Non-operating income	45.18	18.53
	Prior Period Adjustment	-	21.97
	Profit on sale Property, Plant & Equipment (Net)	4.67	2.03
	Allowance for doubtful receivables written back	-	41.68
	Encashment of B.G / Forfiture of S.D. & E.M.D.	1.30	13.21
		<u>1,301.48</u>	<u>1,064.61</u>
24	Cost of materials consumed	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
	Opening Stock of Raw Materials and Consumables	669.76	892.13
	Add : Purchases during the year	466.49	6,117.46
		<u>1,136.25</u>	<u>7,009.59</u>
	Less : Closing Stock of Raw Materials and Consumables	595.05	669.76
		<u>541.20</u>	<u>6,339.83</u>
	Add : Other expenses during the year	14.82	109.27
		<u>556.02</u>	<u>6,449.10</u>
25	Changes in inventories and Work in progress	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
	Work in progress		
	Inventories at the beginning of the year	3,201.84	3,738.62
	Less : Inventories at the end of the year	2,242.10	3,201.84
	(Increase) / Decrease in Inventories	<u>959.74</u>	<u>536.78</u>
25A	Sub Contract & other conversion charges	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
	Sub Contracting Expenses	6,055.19	8,579.54
	Fabrication Work Expenses	792.52	2,064.53
	Contract Expenses	3,031.36	-
		<u>9,879.07</u>	<u>10,644.07</u>

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

		For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
25B	Consumption of Stores, Spares & Loose Tools		
	Consumption of Stores, Spares & Loose Tools	80.79	453.02
		80.79	453.02
26	Employee benefits expense		
	Salaries, wages and bonus	2,135.37	3,007.82
	Contribution to provident and other funds	179.99	270.74
	Staff welfare expenses	35.61	46.67
		2,350.97	3,325.23
27	Finance costs		
	Bank interest and commissions	50.84	69.29
		50.84	69.29
28	Depreciation and Amortisation expense		
	Depreciation	113.53	142.33
	Amortization	5.96	7.38
		119.49	149.72
29	Other expenses		
	Advertisement	6.77	7.14
	Allowance for doubtful debts, receivables & others	583.57	89.10
	Bank Charges	11.00	15.20
	Car Hire Charges	61.21	81.87
	Corporate Social Responsibility (Note 42)	30.66	22.07
	Freight & forwarding	43.22	32.74
	Insurance	118.81	50.38
	Labour Cess	79.20	178.58
	Legal Expenses	72.73	76.70
	Consultancy Fees	85.05	93.61
	Miscellaneous Expenses	72.37	119.27
	Payment to Auditors (Note 34) :		
	<i>Audit Fee</i>	0.80	0.95
	<i>Tax Audit Fee</i>	0.25	0.55
	<i>Others</i>	0.35	1.04
	Postage, Telephone & Fax	4.74	5.23
	Printing and stationery	8.03	12.52
	Wages (Con)	83.40	117.03

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
Plant & Crane Hire Charge	2.15	28.83
Power & Fuel	119.81	349.93
Rates and taxes	5.24	189.21
Rent	108.69	110.20
Repair & Maintenance :		
- Buildings	0.01	0.05
- Plant & Machinery	0.51	1.97
- Others	4.24	3.31
Site Establishment expenses	-	0.25
Subscription & Donation	8.22	0.80
Testing Charges	12.86	14.50
Travelling Expenses	48.62	49.40
	1,572.51	1,652.45
30 Tax expenses		
	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
Current income tax:		
Current income tax charge	1,029.68	730.29
MAT credit entitlement		
Deferred tax:		
Relating to originating and reversal of temporary differences	(80.67)	1.99
Income tax expense recognised in the statement of profit or loss	949.01	732.29
Deferred tax related to items considered in OCI during the year		
Items that will not be reclassified to profit or loss	-	-
Items that will be reclassified to profit or loss	-	-
Income tax charge to OCI	-	-
Reconciliation of tax expense with the accounting profit multiplied by domestic tax rate:		
Accounting profit before income tax	4,008.63	2,795.32
Tax on accounting profit at statutory income tax rate 25.17% (31 March 2024: 25.17%)	1,008.97	703.58
Adjustments in respect of items taken to opening equity allowed for tax purposes	-	-
Adjustments in respect of deferred tax	(80.67)	1.99
Others	-	-
Total at the effective tax rate of 25.17%	928.30	705.58
Tax expense reported in the statement of profit and loss	949.01	732.29

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

31 Contingent liabilities and commitments

Particulars		As at 31-Mar-2025	As at 31-Mar-2024
i)	Contingent liabilities:		
	- Disputed Sales Tax demand	88.10	87.89
	- Disputed Income Tax demand	497.28	497.28
	- Disputed Service Tax demand	154.45	154.45
	- Disputed PF demand under appeal	54.14	54.14
	- Bank Guarantee	6,556.09	5,960.21
	- Disputed Goods and Service Tax demand (TRAN 1 Interest) - BIHAR	12.55	12.55
	- Disputed Goods and Service Tax demand due to differences between GSTR 3B & GSTR 2A (Year 2019-20) - Chattisgarh	5.15	-

** In addition, there is disputed interest demand pertaining to Income tax of Rs.31.85 Lakhs

*The Company is subject to legal proceedings and claims, which have arisen in the ordinary course of business including litigation before tax authorities and including matters mentioned above. The uncertainties and possible eventualities are dependent on the outcome of the different legal processes which have been invoked by the claimants or the Company, as the case may be, and therefore cannot be predicted accurately. The Company engages reputed professional advisors to protect its interests and has been advised that it has strong legal positions against such disputes. The Management believes that it has a reasonable case in its defense of the proceedings and accordingly no further provision is required. Further details of court cases is provided in note 43.

32 Related party disclosures

a) The following table provides the name of the related party and the nature of its relationship with the Company:

Name	
Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.) from 27.12.2022	Chairman & Managing Director
Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.) from 03.02.2023 to 06.06.2024	Director (Finance) - Additional Charge
Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.) from 01.02.2025	Director (Technical) - Additional Charge
Shri Rajiv Kr. Singh from 21.05.2022 to 31.01.2025	Director (Technical)
Shri Sujit Kumar Ghosh from 07.06.2024	Director (Finance)
Shri Aditya Kumar Ghosh Upto 27.02.2025	Part time Official Director
Shri Udai Bhan Singh from 27.02.2025	Part time Official Director
Smt. Sarala Devi Upto 14.02.2025	Non Official independent Director

b) Details of all transactions with related parties during the year:

Particulars		For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
i)	Remuneration of Managing/Whole-time Directors: -		
	Salaries and Allowances as Director	137.34	94.84
	Contribution to provident fund as Director	9.59	8.69
	(Salaries and allowances include leave encashment payment)		
ii)	Sitting Fees & Other Fees to Non Official independent Director	0.60	0.85

c) Terms and conditions of transactions with related parties:

The transactions with related parties are made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

33 Segment information

Ind AS 108 “Operating Segment” (“Ind AS 108”) establishes standards for the way that business enterprises report information about operating and geographical segments and related disclosures about products and services, geographic areas, and major customers. Based on the “management approach” as defined in Ind AS 108, Operating segments and geographical segments are to be reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the Chief Operating Decision Maker (CODM). The CODM evaluates the Company’s performance and allocates resources on overall basis

The Company is primarily engaged in the business of construction including fabrication, which as per Indian Accounting Standard - 108 on ‘ Operating Segments ‘ is considered to be the only reportable business segment. The Company is operating in India which is considered as a single geographical segment.

34 Auditors’ remuneration include:

Particulars	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
Statutory audit fee	0.80	0.80
Tax audit fee	0.25	0.25
Others	0.35	1.48
Total	1.40	2.53

35 Disclosure as per Ind AS 19 ‘Employee benefits’

a) Gratuity

The Company provide its employees with benefits under a defined contribution plan, referred to as the “Gratuity Plan”. The Gratuity Plan entitles an employee, who has rendered at least five years of continuous service, to receive 15 days salary for each year of completed service as Gratuity at the time of retirement/exit, restricted to a sum of Rs.20.00 Lakhs.

The Company has taken a Group Gratuity Policy from LIC of India and the resultant liability as determined by LIC has been remitted by the Company every year.

Gratuity expenditure of the Company for the financial year 2024-25 amounts to Rs.15.90 Lakhs (31 March 2024: Rs.42.39 Lakhs) determined by LIC(the Fund Administrator).

As per actuarial valuation, following tables summarize the different components of Gratuity fund as on balance sheet:

Reconciliation of opening and closing balances of the present value of the obligation:

Particulars	As at 31-Mar-2025	As at 31-Mar-2024
Opening defined benefit obligation	542.89	499.23
Current service cost	18.22	41.79
Past service cost		
Interest cost	39.36	33.59
Benefits paid	(140.15)	(34.66)
Actuarial gain	(10.48)	2.94
Acquisition Adjustment		

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Closing balance defined benefit obligation	449.84	542.89
<i>Changes in Fair Value of Plan Assets as at :</i>		
Fair value of Plan Assets at Beginning of period	509.23	484.04
Interest Income	-	33.73
Employer Contributions	50.98	21.45
Benefits Paid	(140.15)	(34.66)
Return on Plan Assets excluding Interest Income	37.64	4.67
Fair value of Plan Assets at End of measurement period	457.70	509.23

Assumptions	As at 31-Mar-2025	As at 31-Mar-2024
Discount rate (per annum)	7.25%	7.25%
Expected Return on Plan Asset	7.68%, 7.67%	7.68%, 7.67%
Rate of Compensation Increase(Salary Inflation)	9.00%, 5.50%	6.25%, 5.50%

b) Leave

The Company provides for earned leave benefit (including compensated absences) to the employees of the Company which accrue annually at the rate of 30 days. Earned leave (EL) is en-cashable while in service. However, total number of leave that can be encashed on superannuation shall be restricted to 300 days. The scheme is unfunded and liability for the same is recognised on the basis of actuarial valuation. Accumulated provision of Rs. 435.81 Lakhs (31 March 2024: Rs. 472.69 Lakhs) have been made on the basis of actuarial valuation at the year end in the Financial Statements. The following tables summarize the components of net benefit expense recognised in the statement of profit or loss and the amounts recognised in the balance sheet:

Reconciliation of opening and closing balances of the present value of the obligation:

Particulars	As at 31-Mar-2025	As at 31-Mar-2024
Opening balance	472.69	458.56
Current service cost	21.02	23.22
Past service cost	-	-
Interest cost	26.61	28.48
Benefits paid	(154.62)	(100.02)
Actuarial gain	70.11	62.45
Acquisition Adjustment	-	-
Closing balance	435.81	472.69
Accrued leave Encashment	428.10	473.60
Fair value of plan assets at the end of the year	-	-
Net liability recognised in the balance sheet	428.10	473.60
Current provision	25.62	81.26
Non current provision	410.19	391.44

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Expenses recognised in statement of profit and loss	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
Service cost	21.02	23.22
Interest cost	26.61	28.48
Re-measurement gains/ (losses)		
Actuarial gain / (loss) due to demographic assumption changes	-	-
Actuarial gain / (loss) due to financial assumption changes	-	-
Actuarial gain / (loss) due to experience adjustments	70.11	62.45
Return on plan assets greater (less) than discount rate	-	-
Total cost	117.74	114.15

Assumptions	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
Discount rate (per annum)	6.73%	6.97%
Future salary increases	7.00%	7.00%

A quantitative sensitivity analysis for significant assumption and its impact in percentage terms on projected benefit obligation are as follows:

	For the year ended	
	Discount rate	Salary escalation rate
Impact of increase in 50 bps on projected benefit obligation	-4.02%	4.26%
Impact of decrease in 50 bps on projected benefit obligation	4.31%	-4.01%
	For the year ended	
	Discount rate	Salary escalation rate
Impact of increase in 50 bps on projected benefit obligation	-3.80%	4.05%
Impact of decrease in 50 bps on projected benefit obligation	4.08%	-3.80%

These sensitivities have been calculated to show the movement in projected benefit obligation in isolation and assuming there are no other changes in market conditions.

36 Dues to Micro, small and medium enterprises

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has issued an office memorandum dated 26 August 2008 which recommends that the Micro and Small Enterprises should mention in their correspondence with its customers the Entrepreneurs Memorandum Number as allocated after filing of the Memorandum. Accordingly, the disclosure in respect of the amounts payable to such enterprises as at 31 March 2025 has been made in the financial statements based on information received and available with the Company. Further in view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 ('The MSMED Act') is not expected to be material. The Company has not received any claim for interest from any supplier.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Particulars		For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
a)	the principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year.	Nil	Nil
b)	the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;	Nil	Nil
c)	the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this MSMED Act	Nil	Nil
d)	the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and	Nil	Nil
e)	the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act.	Nil	Nil

37 Earnings per share

Basic EPS amounts are calculated by dividing the profit for the year attributable to equity holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted EPS amounts are calculated by dividing the profit attributable to equity holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year plus the weighted average number of equity shares that would be issued on conversion of all the dilutive potential equity shares into equity Shares.

The following table sets out the computation of basic and diluted earnings per share:

Particulars	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2024
Profit for the year attributable to equity share holders	3,059.62	2,063.03
Shares		
Weighted average number of equity shares outstanding during the year – basic (in nos)	12,08,605.00	12,08,605.00
Weighted average number of equity shares outstanding during the year – diluted (in nos)	12,08,605.00	12,08,605.00
Earnings per share		
Earnings per share of par value ₹ 1000 – basic (₹)	253.15	170.70
Earnings per share of par value ₹ 1000 – diluted (₹)	253.15	170.70

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

38 Fair valuation techniques

The Company maintains policies and procedures to value financial assets or financial liabilities using the best and most relevant data available. The fair values of assets and liabilities are included at the amount that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The following methods and assumptions were used to estimate certain fair values:

- Fair value of cash and deposits, trade receivables, trade payables and other current financial assets and liabilities approximate their carrying amounts .

Fair Value hierarchy

The following tables provide the fair value measurement hierarchy of Company's asset and liabilities, grouped into Level 1 to Level 3 as described below:

- Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (level 1). It includes fair value of financial instruments traded in active markets and are based on quoted market prices at the balance sheet date.
- Inputs, other than quoted prices included within level 1, that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (level 2). It includes fair value of the financial instruments that are not traded in an active market (for example, over-the-counter derivatives) and are determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on the company specific estimates. If all significant inputs required to fair value of an instrument are observable, then the instrument is included in level 2.
- Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (level 3). If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Particulars	As at 31st March, 2025			As at 31st March, 2024		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
Financial Assets						
Investment in equity instruments	-	3,086.51	-	-	3,086.51	-
Investments in debentures or bonds	-	92.66	-	-	87.95	-
Total Financial Assets	-	3,179.17	-	-	3,174.47	-
Financial Liabilities						
Loan converted to Zero Rate Debenture	-	192.11	-	-	217.92	-
Total Financial Liabilities	-	192.11	-	-	217.92	-

During the year ended 31 March 2025 and 31 March 2024, there were no transfers between Level 1 and Level 2 fair value measurements and no transfer into and out of Level 3 fair value measurements. There is no transaction / balance under Level 3.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

39 Risk management policies

The Company's principal financial liabilities comprise loans and borrowings, trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance and support Company's operations. The Company's principal financial assets include inventory, trade and other receivables, cash and cash equivalents and refundable deposits that derive directly from its operations.

a) Market risk

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's short-term debt obligations with floating interest rates.

The Company manages its interest rate risk by having a balanced portfolio of variable rate borrowings. The Company does not enter into any interest rate swaps.

Interest rate sensitivity

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans and borrowings affected. With all other variables held constant, the Company's profit before tax is affected through the impact on floating rate borrowings, as follows:

	Increase/decrease in interest rate
March 31, 2025	
INR	+1%
INR	-1%
March 31, 2024	
INR	+1%
INR	-1%

b) Credit risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The credit risk arises principally from its operating activities (primarily trade receivables) and from its investing activities, including deposits with banks and financial institutions and other financial instruments.

Credit risk is controlled by analysing credit limits and creditworthiness of customers on a continuous basis to whom credit has been granted after obtaining necessary approvals for credit. The collection from the trade receivables are monitored on a continuous basis by the receivables team.

The Company establishes an allowance for credit loss that represents its estimate of expected losses in respect of trade and other receivables based on the past and the recent collection trend. The maximum exposure to credit risk as at reporting date is primarily from trade receivables and other financial assets. The movement in allowance for credit loss in respect of trade receivables during the year was as follows:

Allowance for credit loss	As at 31-Mar-2025	As at 31-Mar-2024
Opening balance	1,062.68	1,015.26
Credit loss provided	583.57	89.10
Credit loss reversed	-	(41.68)
Closing balance	1,646.25	1,062.68

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

c) Liquidity risk

The Company's objective is to maintain a balance between continuity of funding and flexibility through the use of bank deposits and loans.

The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments:

	Carrying Amount	Less than 12 months	After 12 Month	Total
Year ended 31 March 2025				
Borrowings	314.62	50.00	264.62	314.62
Trade payables	822.96	499.00	323.96	822.96
Other Financial Liabilities	4,287.46	4,217.57	69.89	4,287.46
Year ended 31 March 2024				
Borrowings	364.62	50.00	314.62	364.62
Trade payables	824.59	501.04	323.55	824.59
Other Financial Liabilities	4,474.36	4,352.87	121.49	4,474.36

There is outstanding GOI loan of Rs.6589.00 Lakhs and accumulated interest of Rs.34016.13 Lakhs on such loan included in financial liabilities which were given by GOI through erstwhile BBUNL to its subsidiaries namely BPMEL and WIL. BPMEL is under liquidation and WIL winded up (post liquidation). As the recoverability of the said loan and interest is uncertain from subsidiaries, has not been shown into the maturity profile of financial liabilities.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

40 Capital management

The Company's policy is to maintain a stable capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of the business. Management monitors capital on the basis of return on capital employed as well as the debt to total equity ratio.

For the purpose of debt to total equity ratio, debt considered is long-term and short-term borrowings. Total equity comprise of issued share capital and all other equity reserves.

The capital structure as of 31 March 2025, 31 March 2024 was as follows:

Particulars	31 March 2025	31 March 2024
Total equity attributable to the equity shareholders of the Company	26,377.59	23,730.58
As a percentage of total capital	98.82%	98.49%
Long term borrowings including current maturities	314.62	364.62
Short term borrowings	-	-
Total borrowings	314.62	364.62
As a percentage of total capital	1.18%	1.51%
Total capital (equity and borrowings)	26,692.22	24,095.20

41 Disclosure pursuant to IndAS 115 "Revenue from Contracts with Customers"

A Effective 1 April, 2018, the company adopted Ind AS 115 "Revenue from contracts with customer" and recognition from construction and service activities is based on "over time" method and the company uses the output method to measure progress of delivery using the Percentage Completion method, which is in line with the policy used by the company earlier. There is no significant transaction impact on the financials of the company.

During the year revenues earned by the Company are as follows:-

B	Particulars	31 March 2025	31 March 2024
	Revenue from operations (Gross Revenue from Contracts -Rs.21,482.90 Lakhs (Previous Year-Rs.29,333.89 Lakhs))	12,710.23	24,859.23
	Contract Assets	5,495.62	-
	Other Revenue	70.74	151.14
	TOTAL	18,276.59	25,010.37

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

42 Corporate Social Responsibility Expenses (CSR)

As per Section 135 of the Companies Act, 2013 read with guidelines issued by Department of Public Enterprises, GOI, the Company is required to spend, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the Company made during the three immediately preceding financial years in accordance with its CSR Policy. The details of CSR expenses for the year are as under:

Particulars	31 March 2025	31 March 2024
A. Amount required to be spent during the year	30.66	22.07
B. Shortfall amount of previous year	-	-
C. Total(A+B)	30.66	22.07
D. Amount spent during the year on:		
- Construction/acquisition of any asset	-	-
- On purposes other than above	30.66	22.07
Total	30.66	22.07
Shortfall amount	-	-

a) Amount spent during the year ended 31 March 2025:

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
Construction/acquisition of any asset	-	-	-
On purposes other than above	30.66	-	30.66

b) Amount spent during the year ended 31 March 2024:

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
Construction/acquisition of any asset	-	-	-
On purposes other than above	22.07	-	22.07

c) Break-up of the CSR expenses under major heads is as under:

Particulars	31 March 2025	31 March 2024
1. Swachh Bharat Kosh	-	-
2. Clean Ganga Fund	-	-
3. Skill Development Training	-	14.98
4. Education	-	-
5. Health	-	-
6. Armed Forces Flag Day Fund	-	-
7. PM CARES FUND	30.66	7.09

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Total	30.66	22.07
--------------	--------------	--------------

43. Details of Court Cases

Present status of pending Legal Cases (Arbitration & Court Cases) concerning BBJ/BBUNL as on 31.03.2025

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
1.	Eviction Suit Civil Suit (C.S.) No. – 482 of 1982 Between Hindustan Consultancy And Services Ltd. (previously Modi Building Ltd.) – Versus – BBJ	1982	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : Eviction case was filed in July, 1982 by the Building Owner – Precious Stocks & Bonds Ltd. (PSBL) later on renamed as Modi Building Ltd. (now Hindustan Consultancy And Services Ltd.) for eviction of BBJ from the premises where the Head Office of BBJ is located. 	Eviction Suit	The matter is pending for hearing.	The Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side).
2.	Money Suit Title Suit T. S. No. 91 of 2009 (T. S. No 3827 of 2016/ T. S. No. 0001653 of 2016) Between – BBUNL (now BBJ) – Versus – Jessop & Co. Ltd.	2009	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : This Money Suit was filed by BBUNL (now BBJ) on 27.11.2009 for recovery of service charges from Jessop & Co. Ltd. for the period from Sept'01 to Aug'03 of Rs.82,71,520 wrongly refunded by the Company in 2005 along with interest, costs, etc. 	Rs.82.71 Lakhs	Matter is pending for hearing.	The Learned Court of First Civil Judge (Senior Division), at Alipore, 24 PGs (S).
3(a).	Arbitration Appeal AP No. – 738 of 2010 Between – BBJ – Versus – M/s. Civitech (Mr. Partha Chakraborty)	2010	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : An Arbitration proceedings were held between one M/s. Civitech (represented by Mr.Partha Chakraborty) and BBJ for the disputes relating to one Project of Eastern Railway for construction of composite girders at six different locations between Dehri-on-Sone and Mughalsarai. The project year was about 1998. The Sole Arbitrator passed the Award on 14.09.2010 (which had been corrected by an Order dated 25.09.2010) in favour of the Claimant (M/s.Civitech) against the respondent - BBJ. Total value of Award was Rs.17 Lakhs + interest. Being aggrieved BBJ filed the present Arbitration Appeal on 10.12.2010 before the Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side) challenging the said Arbitration Award dated 14.09.2010. 	Rs.17 Lakhs + interest	The matter is yet to be fixed by the Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side).	The Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side).

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
3(b).	Execution Case High Court, Calcutta E.C No. 142 of 2022 Between – M/s. Civitech (Mr. Partha Chakraborty) – Versus – BBJ	2022	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : After passing of 12 years, M/s.Civitech (represented by Mr.Partha Chakraborty) filed the present Execution Case against BB before the Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side) for enforcing the above mentioned Arbitration Award dated 14.09.2010. The total claimed amount is Rs.81 Lakhs (which includes interest accrued till the date of filing of the present Execution Case). BBJ after receiving the notice for appearance, duly appeared before the Hon'ble High Court at Calcutta through BBJ's Solicitors & Counsels and defending the matter. 	Rs.81 Lakhs (including Interest accrued)	The matter is yet to be fixed by the Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side).	The Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side).
4.	Arbitration Appeal AA No. – 1 of 2010 (Kunwari 1st Bridge Contract matter) Between – N.C. Railway – Versus – BBJ	2010	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : One 'Nil' liability Arbitration Award was passed on 12.11.2008 by the Arbitral Tribunal. North Central Railways challenged the said Award u/s.34 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 before the Learned Gwalior District Court. No copy was served upon BBJ, hence none was engaged. The said Court however rejected Claims of North Central Railways and passed Order dated 09.11.2009. Being aggrieved, North Central Railways challenged the said Order of the Learned District Court before the Gwalior Bench of the Hon'ble MP High Court. 	Zero liability	The matter is pending for final hearing.	The Hon'ble High Court of M.P. (Gwalior Bench)
5.	Electricity Matter Electricity Certificate Case No. 01/13-14 Between BSEB – Versus – BBJ	2013	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : The Bihar State Electricity Board (BSEB) now called as the Bihar State Power Holding Company Ltd. (BSPHCL) illegally demanded Rs.54.36 Lakhs from BBJ against supply electricity at Ganga Bridge Project Site. BESB filed this Electric Certificate Case No. 1 of 2013-14 for recovery of Rs.54.36 Lakhs from BBJ. BBJ was compelled to file a Writ Petition (CWJC No. 17069 of 2019) before the Hon'ble Patna High Court against the said coercive action of BSEB. By an Order dated 08.12.2022, the Hon'ble High Court at Patna set aside the claim of the Bihar State Power Holding Company Ltd. (BSPHCL). In terms of the said Order dated 08.12.2022, BBJ is now taking steps to dispose of the present Electricity Case at Munger, Bihar. 	Rs.54.36 Lakhs	The matter is pending for hearing.	The Learned Court of District Auction Certificate Officer, Munger, Bihar.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
6.	<p>Appeal Matter Regular Appeal No. 129 of 2014 (Diary No. 9046 of 2014)</p> <p>Between – OMDC – Versus – 1. UCO Bank 2. TPG Equity Management & Pvt. Ltd. 3. BPMEL (in Liquidation) 4. The Secretary Government of India, Ministry of Heavy Industries 5. BBUNL (now BBJ) [Here Union of India and BBJ (erstwhile BBUNL) are proforma Respondents.]</p>	2014	<ul style="list-style-type: none"> • Facts in brief : UCO Bank had obtained a decree from DRT on 04.11.2003 for Rs.1,92,12,957.92 from BPMEL (in Liquidation) and Rs.2,16,13,312.35 from UOI jointly, severally and personally totaling Rs.4,08,26,270/- with interest @ 19.5% on the “aforesaid certified amounts” from 08.05.1991 till realization which was assigned by UCO Bank to TPG Equity Management Pvt. Ltd. • Orissa Mineral Development Co. Ltd. (OMDC), the subsidiary of RINL, earlier maintained the operations of three mines in Orissa State and when BPMEL was incorporated on 14.10.1980 as Govt. Company, Govt. Of India issued the notification to vest the mines under administrative control of BPMEL. Since OMDC was operating the said mines, BPMEL had vested all their rights and title to OMDC through a Power of Attorney (POA). • Now TPG being the secured creditor of BPMEL, is claiming the possession of the said mines from the Recovery Officer and thereafter from Presiding Officer, DRT. • Being aggrieved OMDC filed the present Appeal on 09.05.2014 before the DRAT for reviewing/ cancelling all earlier orders passed by P.O/DRT-I and cancelling of assignment of UCO Bank to TPG etc., where UOI and BBUNL (now BBJ) are proforma Respondents. 	Appeal Matter [regarding dues of UCO Bank against BPMEL (under Liquidation)]	The matter is pending for hearing.	The Learned Debt Recovery Appellate Tribunal.
7(a).	<p>Arbitration Appeal A.P.No. 9 of 2016 G.A No:120 of 2016</p> <p>Between – Indo Wagon Engineering Ltd. – Versus – BBJ (erstwhile BBUNL)</p>	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Facts in brief : An Arbitration proceedings were held between the Company and Indo Wagon Engineering Ltd (IWEL) for the disputes relating to equity shares of Jessop & Co. Ltd. (“Jessop”) and others. • The Hon’ble Sole Arbitrator - Justice Aloke Chakrabarti (Retired) passed the Award on 11.09.2015 in favour of BBUNL and directed IWEL to pay a sum of Rs.41.02 Crore along interest. • Being aggrieved IWEL filed this Arbitration Petition before the Hon’ble High Court on 04.01.2016 challenging the said final Arbitration Award dated 11.09.2015. 	Rs.41.02 Crores + interest	The matter is pending and yet to be listed before the Hon’ble High Court at Calcutta (Original Side) for further hearing.	The Hon’ble High Court at Calcutta (Original Side).

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
7(b).	Execution Case E.C No. 458 of 2018 Between – BBJ (erstwhile BBUNL) – Versus – Indo Wagon Engg. Co. Ltd.	2018	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : To execute the above mentioned final Arbitration Award dated 11.09.2015 passed in favour of BBUNL (now BBJ) and directed IWEL to pay a sum of Rs.41.02 Crore along interest. BBJ (erstwhile BBUNL) filed this Execution Application on 19.09.2018 for recovery of awarded sum of Rs.41.02 Crores + interest. 	Rs.41.02 Crores + interest	The matter is pending and yet to be listed before the Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side) for further hearing.	The Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side).
8.	Arbitration Appeal Arb. Appeal No.2 of 2019 (Jogighopa Bridge Contract matter) Between – N.F. Railway – Versus – BBJ	2016	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : The matter is related to Jogighopa Bridge constructed at Assam. In compliance with the final Award passed on 02.11.2010 by the Arbitral Tribunal in favour of BBJ. Being aggrieved NF Railway challenged the final Arbitration Award dated before the Learned District Court at Gauhati. On 23.07.2014, the Learned District Court, Kamrup, Gauhati dismissed the claims of NF Railway. After delay of 351 days NF Railway filed the present Arbitration Appeal on 17.10.2015 (admitted on 02.02.2019) before the Hon'ble Gauhati High Court. 	Zero liability	The matter is pending for hearing.	The Hon'ble Gauhati High Court, Assam.
9.	Civil Appeal PP Appeal No. 6 of 2017 (Victoria House matter) Between – BBJ – Versus – KoPT (now Syama Prasad Mookerjee Port)	2017	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : This matter is relating to a claim by KoPT under the provision of Section 7(3) of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act 1971, against BBJ regarding payment of damages amounting to Rs.10,57,872/- for unauthorized occupation from 01.04.1988 to 31.03.1989 at 'Victoria Works'. The claim of KoPT was challenged by BBJ before the Estate Officer on different grounds. By an impugned Order dated 08.03.2017 the Learned Estate Officer of KoPT upheld the claims of KoPT. Being aggrieved by the said Order dated 08.03.2017, BBJ filed this Appeal before the Learned District Judge at Alipore on 23.03.2017. The Learned District Judge by an Order dated 22.06.2017 stayed the impugned payment Order dated 08.03.2017 of the Estate Officer of KoPT and the stay is still continuing. 	Rs.10.57 Lakhs + interest	The matter is pending for final argument.	The Learned Court of 3rd Addl. District Judge at Alipore, South 24 Parganas.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
10.	Appeal matter – Misc. Application No. 04 of 2021 (Regular Appeal No. 118 of 2012) Between – Union of India – Versus – UCO Bank & Ors. Respondents: 1.UCO Bank 2.TPG Equity Management & Pvt. Ltd. 3.BPMEL (in Liquidation) 4.BBUNL (now BBJ)	2018	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : Earlier Union of India (UoI) filed the present Appeal vide Case No. 118 of 2012 on 01.08.2012. On the other hand TPG Equity Management Pvt. Ltd. filed cross Appeal vide No.138 of 2012 against the Order dated 23.02.2012 of the Ld. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Kolkata for setting aside the order of attachment of the shares of BPMEL. However, in the said Order, Union of India was directed to consider transfer of the shares of BPMEL to TPG Equity Management Pvt. Ltd., in discharge of their liability or by any other way. 	Appeal Matter	The matter is pending for hearing.	The Learned Debt Recovery Appellate Tribunal.
11(a).	Arbitration Appeal Arbitration Case No. 30 of 2022 (Misc. Civil Case No. 858 of 2017) (Chambal 1st Bridge Contract matter) Between – N.C. Railway – Versus – BBJ	2018	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : A 'Nil' liability Arbitration Award dated 31.10.2008 was passed in favour of BBJ. North Central Railways challenged the said Award u/s.34 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 (Misc. Civil Case No. 858 of 2017) on 17.11.2017 before the Learned Court of the District Court, Allahabad, U.P. Later on the matter was transferred to the Learned Court of Commercial Court at Allahabad, U.P. BBJ received the summons on 12.09.2022 and now contesting the said Arbitration Appeal before the Learned Court of Commercial Court at Allahabad, U.P. 	Zero liability	The matter is pending for final argument.	The Learned Court of Commercial Court at Allahabad, U.P.
11(b).	Arbitration Appeal Arbitration Case No. 21 of 2018 (Chambal 2nd Bridge Contract matter) Between – N.C. Railway – Versus – BBJ	2018	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : A 'Nil' liability Arbitration Award dated 07.04.2015 was passed in favour of BBJ. North Central Railways challenged the said Award u/s.34 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 (Arbitration Case No. -21 of 2018) on 10.07.2018 before the Learned Court of the District Court, Allahabad, U.P. BBJ received the summons on 16.07.2018 and now contesting the said Arbitration Appeal before the Learned Court of the District Court, Allahabad, U.P. Presently the matter is pending before the Learned Court of Commercial Court at Allahabad, U.P. 	Zero liability	The matter is pending for final argument.	The Learned Court of Commercial Court at Allahabad, U.P.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
12.	Special Leave Petition (Arbitration Appeal Matter) SLP(C) No. 8221 of 2020 (Ref. - A.P. No. 69 of 2019) (M a n o h a r p u r Bondamunda - Arbitration matter) Between - BBJ - Versus - South Eastern Railway	2020	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : The dispute regarding BBJ's legitimate claim of about Rs.7.34 Crore against S.E.Railway was referred for Arbitration which is going to be initiated very soon after appointment of Arbitrator(s) as per GCC. The present SLP was filed on 16.03.2020 by BBJ before Hon'ble Supreme Court of India on for immediate appointment of an independent person as an Arbitrator to adjudicate the dispute properly & impartially. 	Rs.7.34 Crore + interest	The matter is pending for hearing before the Hon'ble Supreme Court of India.	The Hon'ble Supreme Court of India.
13.	Arbitration Proceeding (Ref. : A.P. No. 188 of 2019 Arising out of A.P.No.330 of 2018) (Sealdah, Howrah, Asansol and Malda Division Project Between - BBJ - Versus - Eastern Railway & other	2021	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : The present Arbitration proceeding was filed by BBJ against Eastern Railway for the disputes aroused during the execution of 36 number of Bridges at Sealdah, Howrah, Asansol and Malda Division Project of Eastern Railway. Apart from other Claims of BBJ, there is a huge admitted claim of BBJ about Rs.1.20 Crore against E.Railway and also other claims which are required to be adjudicated in Arbitration. By an Order dated 07.04.2021, the Hon'ble High Court at Calcutta appointed Mr. Justice Indrajit Chatterjee (Retired) as the Sole Arbitrator to adjudicate the disputes and differences between BBJ and Eastern Railway. On 01.03.2022, the Learned Sole Arbitrator passed an Interim Order dated 28.02.2022 directing the Respondent - Eastern Railway to pay a sum of Rs.1,12,75,117.67p to the Claimant - BBJ. On 20.05.2022, the Respondent - Eastern Railway paid the said Amount of Rs. Rs.1,12,75,117.67p to BBJ. The remaining BBJ's Claims of Rs.12.46 Crore and further compensation @18% p.a. and Eastern Railway's Counter Claim of Rs.3.63 Crore are still under adjudication of the Arbitration Proceedings. 	Rs.12.46 Crore + interest	The matter is pending for passing of final Arbitration Award.	The Sole Arbitrator - Hon'ble Mr. Justice Indrajit Chatterjee (Retired).

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
14.	Execution case E.C. No.1 of 2022 Between BBJ – Versus – East Central Railways and Others	2022	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : The dispute regarding BBJ's legitimate claim of about Rs 40.77 Crore (+ 18% Interest) against East Central Railway for illegal termination from contract for "repairing of 3400 'C' Category & 10500 'B' Category Unloadable wagons at Mughalsarai." The Sole Arbitrator – Hon'ble Mr. Justice Dharmidhar Jha (Retired) passed a Final Award dated 17.03.2021 in favour of BBJ. The Hon'ble Sole Arbitrator allowed most of the claims of BBJ and directed the E.C.Railways to pay a total awarded amount of Rs.38,72,26,975.00 to BBJ along with interest @12.5% on the total awarded amount from the date of Award to the realization of the same. Till date the payment of Awarded amount of Rs.38,72,26,975.00 has not been made by East Central Railway. On 03.01.2022 BBJ filed the present Execution case No.2 of 2022 before the Learned District Judge at Patna Sadar for enforcement of the above mentioned Arbitration Award dated 17.03.2021. 	Rs.38.72 Crores + interest @12.5%	The matter is fixed for hearing and payment of Awarded sum by E.C. Railway.	The Learned District Judge at Patna Sadar, Bihar.
14(b)	Arbitration Appeal Civil Misc. Case No.45 of 2021 Between East Central Railways and Others – Versus – BBJ	2021	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : The dispute regarding BBJ's legitimate claim of about Rs 40.77 Crore (+ 18% Interest) against East Central Railway for illegal termination from contract for "repairing of 3400 'C' Category & 10500 'B' Category Unloadable wagons at Mughalsarai." The Sole Arbitrator – Hon'ble Mr. Justice Dharmidhar Jha (Retired) passed a Final Award dated 17.03.2021 in favour of BBJ. The Hon'ble Sole Arbitrator allowed most of the claims of BBJ and directed the E.C.Railways to pay a total awarded amount of Rs.38,72,26,975.00 to BBJ along with interest @12.5% on the total awarded amount from the date of Award to the realization of the same. Till date the payment of Awarded amount of Rs.38,72,26,975.00 has not been made by East Central Railway. On 08.07.2021, E.C.Railway filed the present Arbitration Appeal (Civil Misc. Case No.45 of 2021) before the Learned District Judge at Vaishali, Bihar challenging the above mentioned Arbitration Award dated 17.03.2021. BBJ appeared in the matter and contesting the same. 	Rs.38.72 Crores + interest @12.5%	The matter is fixed for hearing.	The Learned 15th Additional District Judge at Vaishali, Bihar

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
15.	<p>Employees Provident Fund Matter (Ref.: Appeal No. EPF – 09 of 2016)</p> <p>Between – BBJ (erstwhile BBUNL)</p> <p>– Versus – Asstt. Provident Fund Commissioner, R.O, Kolkata.</p>	2023	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : APFC, R.O, Kolkata has made a damage claim under Section 14(B) and 7(Q) of the Employees' Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952 for totalling 96,09,773/- After several hearing the APFC, R.O, Kolkata again directed vide order dated 15.02.2016 to deposit Rs.66,43,791/- towards above damage u/s 14(B) of the said Act. By an Order dated 21.06.2023 of the Central Government Industrial Tribunal, Kolkata (CGIT) the matter was disposed of by setting aside the Order dated 15.02.2016 issued by the Assistant Provident Fund Commissioner, Kolkata wherein BBUNL (now BBJ) was directed to pay Rs.66,43,791/- as damage under Section 14B of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952. By the said Order dated 21.06.2023, the CGIT also remitted the matter to the Assistant Provident Fund Commissioner, Kolkata to pass a fresh order after taking into consideration the departmental circulars and by giving an opportunity of hearing to BBJ. Accordingly, the Assistant Provident Fund Commissioner – Mr. Ajay Kumar Singh, E.P.F.O., Kolkata heard BBJ on 27.12.2023, 17.01.2024, 12.02.2024 and 21.02.2024. In the said hearing BBJ has submitted that BBJ has never disobeyed any provision of Provident Fund Act and the fine imposed against BBJ by E.P.F.O. is wrong & unlawful. The matter is still pending and till date no further date has been fixed by E.P.F.O., Kolkata. 	Rs96.09 Lakhs	The matter was last heard on 21.02.2024 and after that no date has been fixed by the EPF Authority.	Mr. Ajay Kumar Singh, Regional Provident Fund Commissioner-I (C&R) Regional PF Office, Kolkata.
16.	<p>Arbitration Proceeding (Ref. - O.M.P. (T) (COMM.) 73 of 2022) (Jaunpur Project matter)</p> <p>Between – BBJ – Versus – Northern Railway</p>	2023	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : The dispute is related to the Project of Northern Railway in Lucknow – Zafrabad Section near Jaunpur. BBJ filed the present Arbitration Petition before the Hon'ble High Court at Delhi for formal termination of previous Arbitral Tribunal and appointment of new Arbitral Tribunal to adjudicate the matter neutrally. On 20.12.2023, the Hon'ble High Court of Delhi was pleased to appoint Hon'ble Ms. Justice Deepa Sharma (Retired) as the sole Arbitrator in this matter. On 22.01.2024, the first sitting of the present Arbitration proceedings between BBJ -Vs.- Northern Railway, before Hon'ble Sole Arbitrator. 	Rs.5.35 Crore + Interest	The matter is pending for final argument.	The Sole Arbitrator – Hon'ble Sole Arbitrator Ms. Justice (Retired) Deepa Sharma.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
17.	Execution Case (Cabon Project Arbitration matter) EC-COM No. 159 of 2025 E.C. No. 470 of 2023 Between Consultants Combine Private Limited. – Versus – BBJ	2023	<ul style="list-style-type: none"> • Facts in brief : The Learned Sole Arbitrator – Justice Ranjit Kumar Bag (Retired) passed a Final Arbitration award on 20.05.2023 allowing some amount to CCPL and BBJ. • On 16.11.2023, CCPL filed the present Execution Case against BBJ for enforcing the final Arbitration Award dated 20.05.2023. • BBJ appeared and now contesting the above mentioned Execution Case filed by CCPL. • In the meantime BBJ had complied the Arbitration Award dated 20.05.2024. • Presently CCPL is contesting the above mentioned Execution Case against BBJ for the post award interest on the principal Awarded sum. BBJ opposed the claims of CCPL. 	Rs.42.21 Lakhs	The matter is yet to be fixed by the Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side), Commercial Division.	The Hon'ble High Court at Calcutta (Original Side), Commercial Division.
18.	Writ Petition (Service Matter) W.P.A. 5789 of 2024 Between BBJ – Versus – 1. State of West Bengal, 2. Shri Tarun Ghosal.	2024	<ul style="list-style-type: none"> • Facts in brief : One Shri Tarun Ghosal was appointed as temporary employee in the post of "Gantry Operator" from 08.07.1996. By a notice dated 06.05.2000 of BBJ, the service of Shri Tarun Ghosal was terminated. Against the said termination the Shri Tarun Ghosal filed a complaint Letter dated 28.03.2001 before the Deputy Secretary, Govt. of W.B. • The matter was transferred to Labour Commissioner, Govt. of W.B. and lastly transferred to First Industrial Tribunal, West Bengal. • On 19.12.2023, the First Industrial Tribunal, West Bengal passed a final Order considering the termination of Shri Tarun Ghosal was unjustified and bad in law and the management of BBJ was directed to reinstate the workman with full back wages and benefit from the date of termination to the date of reinstatement if he does not attend the age of superannuation. • Being aggrieved, BBJ has filed the present Writ Petition against the Order dated 19.12.2023 before the Hon'ble High Court at Calcutta. 	Service matter	The matter is not appearing in the Cause List of the Hon'ble Court for hearing.	The Hon'ble High Court at Calcutta (Appellate Side).

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Sl. No.	Case Details	Year of Comment	Particulars	Amount Involved (In Rs.)	Present Status of The Case	Pending Before
19.	<p>Arbitration Proceeding (Project under NERSDS)</p> <p>Between – Aushta Consulting Engineers (I) Pvt. Ltd. – Versus – 1. Manipur Tribal Development Corporation, 2. BBJ</p>	2024	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : By an Order dated 07.02.2024 passed by the Hon'ble Delhi High Court of Delhi [in Arbitration Petition No. 1456 of 2022] BBJ has been added as Respondent No.2 in the present arbitration proceedings. Aushta filed this Arbitration against MTDC for non payment of bills of Rs.87.64 Lakhs for their work as Consultant for preparation of DPR for development of road & bridges at North East States under the NERSDS. BBJ appeared and submitted an Application before the Sole Arbitrator stating about the fact that BBJ is not a party to this Arbitration and has already paid all the bills of MTDC with regards to the project where Aushta was involved. 	Rs.87.64 Lakhs + Interest	The matter is pending for hearing.	The Sole Arbitrator – Learned Mr. Ramesh Singh, Advocate.
20.	<p>Arbitration Petition (Gandak Project of East Central Railway) Request Case No. 19 of 2025</p> <p>Between BBJ – Versus – East Central Railway</p>	2025	<ul style="list-style-type: none"> Facts in brief : This case is related to Gandak Project of East Central Railway. BBJ completed the project but till date East Central Railway failed to pay the total due amounts of BBJ is Rs.8.83 Crore plus Compensation @18% p.a. The present Petition has been filed by BBJ before Hon'ble Patna High Court for immediate appointment of an independent person as an Arbitrator to adjudicate the dispute properly & impartially. 	Rs.8.83 Crore plus Compensation @18% p.a.	The matter is pending for hearing.	The Hon'ble High Court at Patna, Bihar.

SUB.: TOTAL NUMBER OF PENDING LEGAL CASES OF BBJ (AS ON 31.03.2025).

Sl. No.	Name of the Court / Forum / Tribunal	Total Number of Cases Pending
1.	Supreme Court of India	1
2.	High Courts	10
3.	Lower Courts	8
4.	Arbitral Tribunal	3
5.	Any Other Authority or Forum	2
	Total	24

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

44 Disclosure Regarding analytical ratios:

Ratio	Numerator	Denominator	31st March 2025	31st March 2024	% Variance	Reason for >25%
Current Ratio (in times)	Current Assets	Current Liabilities	1.43	1.40	2.59%	-
Debt-equity ratio (in times)	Total Debt	Shareholder's Equity	0.26	0.29	-10.38%	-
Debt service coverage ratio (in times) - (Net Profit + Depreciation + Interest on long term loans) / Total amount of interest & principal of long term loan payable or paid during the year.	Earnings available for debt service	Debt Service	0.10	0.07	45.24%	Due to increase in profit
Return on equity ratio (%)	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	25.32%	17.07%	48.30%	Due to increase in profit
Inventory turnover ratio (in times)	Revenue from Operation	Average Inventory	5.49	5.87	-6.45%	-
Trade receivables turnover ratio (in times)	Net Credit Sales	Average Accounts Receivable	7.00	11.32	-38.17%	Due to decrease in revenue
Trade payables turnover ratio (times)	Net Credit Purchases	Average Sundry Creditors	13.09	12.33	6.16%	-
Net capital turnover ratio (%)	Revenue from Operation	Average Working Capital	88.24%	142.71%	-38.17%	Due to decrease in revenue
Net profit ratio (%)	Net Profit after tax	Revenue from operation/Net Sales	16.74%	8.25%	102.95%	Due to decrease in revenue
Return on capital employed (%)	Earning before interest and taxes	Capital Employed	14.51%	11.10%	30.74%	Due to increase in profit
Return on investment (%)	Net Profit after tax	Total Assets	3.69%	2.67%	38.03%	Due to increase in profit

45 The Property Plant and Equipment includes items, which are very old and have outlived their useful lives. Such assets have been fully depreciated in the books of accounts. During 2024-25 Company identified such items of Rs.49.35 Lakhs (Previous Year 2023-24 - NIL) (Prime cost) and disposed as scrap. The Company is in process to identify further such items which have outlives their useful lives for scrapping / writing-off.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

- 46 Trade Receivable – non-current assets of Rs.38.98 Lakhs (31 March 2024 :Rs.38.98 Lakhs) represents amount due from Bharat Heavy Electrical Ltd (BHEL) for Lakwa Project, which was closed in 2009-10 and Other current financial assets includes Retention Deposit Rs. 42.29 Lakhs (31 March 2024 :Rs. 42.29 Lakhs) and Security Deposit Rs.37.49 Lakhs (31 March 2024 :Rs.37.49 Lakhs) relating to above work. The amount has been considered as good because of corresponding aggregate liability of Rs.126.46 Lakhs (31 March 2024 : Rs.126.46 Lakhs) lying in the books against the contractor M/S Frontier Engineering Co. For Lakwa Project company has already provided Rs. 38.98 Lakhs (31 March 2024 :Rs.38.98 Lakhs) with respect to amount due from Bharat Heavy Electrical Ltd (BHEL).
- 47 Other Financial Assets – Current includes amounts Rs.45.41 Lakhs (31 March 2024- Rs.45.41 Lakhs) as Earnest Money and Other deposits, which are very old against which an amount of Rs.40.78 Lakhs (31 March 2024- Rs.40.78 Lakhs) is payable and is included in Other financial liabilities - Current, which have not been confirmed by the respected parties, however company has considered it as good because of corresponding liabilities.
- 48 Inventories for the year includes old and unused stocks Rs 119.85 Lakhs in Raw Material, Rs 2.78 Lakhs in Stores Spares and Cosumables which are lying for more than 8 years, and Rs 8.18 Lakhs in Loose Tools, which are lying for more than 10 years and accumulated provision of Rs.58.46 Lakhs against the same has been made in the accounts till the reporting period.
- 49 Other Financial Assets – Current includes amount deposited as advance to the following parties which are very old and the Company considered the same as current in nature.

SL. No.	Particulars	31 March 2025	31 March 2024
1	Sales Tax Recoverable from client-BBUNL	15.76	15.76
2	Salary Advance	10.45	10.45
Total		26.21	26.21

Sales Tax Recoverable from client-BBUNL represent amount deposited against appeals made before Joint commissioner of Commercial taxes Bihar for the year 2010-11 and 2011-12.

- 50 Other Current Assets includes amounts deposited as advance to the following parties for which no confirmation is available and are very old. The Company considers the same as good and realizable/ adjustable and hence considered the same to be current in nature.

SL. No.	Particulars	31 March 2025	31 March 2024
1	Family Pension Scheme- Contract Labour	15.02	15.02
2	Workmen’s Providend Institution	6.82	6.82
Total		21.84	21.84

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

- 51 Trade Payables – Non current and other liabilities non current includes following amounts against which goods and services were received in earlier years, and the Company is in the process of reconciling the same against other financial assets. However, Company considered the same as payable in long term and Non current in nature:

SL. No.	Particulars	31 March 2025	31 March 2024
1	Liabilities A/C-on completed contracts	1493.35	1493.35
2	Liabilities A/C	698.01	698.01
3	GOI Payable A/c - BBVL Liquid. & Interest	182.90	182.90
4	GOI P/E Payable (SUBS.) - BWEL	69.60	69.60
5	Interest on P/E Fund Payable to Subs.	357.65	357.65
6	Sundry Creditors - Misc. (Subsidiary)	2.33	2.33
7	IT Suspance (Others) (194) Payable - OCL	1.04	1.04
8	Sale Tax Payable -OCL	1.54	1.54
9	Interest payable to BBCC	2.37	2.37
10	Old Un-Reconciled Balance	6.36	6.36
Total		2815.15	2815.15

- 52 Physical verification of Inventories of Raw materials, stores, Consumables etc. have been carried out at the year end and discrepancies between physical and book stock, if any, not being significant, have been properly dealt with in the Books of Accounts during the year.
- 53 There is an uncontested Income-tax demand of Rs.31.85 Lakhs (31 March 2024 :Rs.15.08 Lakhs)as per the official portal of the Income-tax Department for which the company does not have appropriate documents or evidences for rebuttal. However, the company is of the opinion that no amounts are outstanding to be paid, which have not been contested and the amounts as displayed in the Income-tax portal may be erroneous. The Company will take effort in getting the same rectified. Accordingly, no liability has been provided for.
- 54 Balances of some of the trade receivables, trade payables, loans and advances etc. incorporated in the books as per balances appearing in the relevant subsidiary records, are subject to confirmation and reconciliation from the respective parties and consequential adjustments arising from reconciliation, if any. The Company however is of the view that there will be no material discrepancies in this regard.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

- 55 As per sanction of Govt.of India (GOI) in 2015, BBJ (Transferor company) amalgamated with BBUNL (Transferee company) under section 391(2) read with section 394 of the companies Act 1956. Before amalgamation The Braithwaite Burn & Jessop Construction Co Ltd (BBJ) was a subsidiary of Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd (BBUNL). ROC, by its order dated 18th Nov'2015 conveyed approval for change of name of the Company from Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd (BBUNL) to The Braithwaite Burn & Jessop Construction Co Ltd (BBJ), resultant from such amalgamation. Earlier BBUNL had subsidiaries in names Bharat Process and Mechanical Engineering Ltd (BPMEL), Burn Standard & Co Ltd (BSCL), Braithwaite & Co Ltd, Bharat Wagon and Engineering Ltd (BWEL), Jessop & Co Ltd.(JCL), Lagan Jute Machinery Co Ltd and The Braithwaite Burn and Jessop Construction Co Ltd (BBJ). Braithwaite & Co Ltd, BSCL and BWEL were assigned to Railways, Lagan Jute Machinery Co Ltd and Jessop & Co. were disinvested, BPMEL is under Liquidation.
- 56 Other Financial assets (Current) included Loans of Rs.5932.96 Lakhs (31 March 2024 :Rs.5932.96 Lakhs) in BPMEL, Rs.656.03 Lakhs (31 March 2024 :Rs.656.03 Lakhs) in Weighbird India Limited (subsidiary of BPMEL) and Rs.207.25 Lakhs (31 March 2024 :Rs.207.25 Lakhs) in Bharat Wagon and Engineering Company Ltd (earstwhile subsidiary) with interest receivable, Rs.33,656.29 Lakhs from BPMEL (31 March 2024 :Rs.33,656.29 Lakhs), Rs.350.26 Lakhs from WIL (31 March 2024 :Rs.350.26 Lakhs) are due as at the reporting date. Said loan were given by GOI through BBUNL to its subsidiaries BPMEL, WIL and BWEL for their different financial requirements. On date BPMEL under liquidation, WIL winded up (post liquidation) and BWEL was assigned to Railways. Notwithstanding the status of above entities, such loans are carried at cost.
- 57 The Company has investments of Rs.486.30 Lakhs (31 March 2024 :Rs.486.30 Lakhs) in Bharat Process and Mechanical Engineers Limited (BPMEL), Rs2558.01 Lakhs (31 March 2024 :Rs.2558.01 Lakhs) in Jessop & Co Ltd (JCL), earstwhile subsidiaries of BBUNL, are under liquidation and Rs.42.20 Lakhs (31 March 2024 :Rs.42.20 Lakhs) in Lagan Jute Machinery Co Ltd, (earstwhile subsidiaries of BBUNL) at the reporting date. Notwithstanding the status of the above entities, such investments are carried at cost.
- 58 The company has not considered any interest accrued for current financial year on loans of Rs. 6,588.99 Lakhs granted to Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd. ('BPMEL') and Weighbird India Ltd. ('WIL') in view of non-recoverability thereof as the aforesaid subsidiaries are under liquidation.

The company has not considered any interest payable for current financial year on loans of Rs.6588.99 Lakhs taken from the Government of India, which was used for granting loans to the aforesaid subsidiaries, because of non recoverability. Had the interest payable on such loans been provided for the finance cost for the current financial year would have been higher by Rs. 2153.03 Lakhs (31 March 2024 :Rs.2160.39 Lakhs) and the amounts payable to the Government of India towards the interest would have been higher by Rs.27070.09 (31 March 2024 :Rs. 24917.06 Lakhs). Accordingly, the profit for the current financial year would have been lower by Rs.2153.03 Lakhs, (31 March 2024 :Rs. 2160.29 Lakhs).

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

- 59 Consequent to clearance of GOI vide letter No.17(12)/2000-PE.III dated 26.08.2003 and in terms of the “Share Purchase Agreement” executed by and amongst the Company, Jessop & Co. Ltd. (Jessop) and Indo-Wagon Engineering Ltd., the Company sold/transferred 6,81,34,428 equity shares of Jessop & Co. (i.e. 72%) for a consideration of Rs. 1818.00 Lakhs to Indo-Wagon Engineering Ltd. on 29.08.2003 and entire sale proceeds of Rs. 1818.00 Lakhs as realised had been transferred to Government of India.
- 60 During the year 2005-06, Jessop & Co. Ltd applied to Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) for de-rating (reducing) the nominal value of its equity shares from Rs.10 to Re.1. BIFR vide directions issued on 31.08.2005 permitted Jessop & Co. Ltd. to proceed with reduction of their equity share capital in terms of the provisions under Sections 100, 101, 102 & 103 of the Companies Act, 1956.

The Company preferred an appeal under Section 25 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 before the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) against the aforesaid direction of BIFR. The Company also filed applications impleading itself in two other appeals preferred before AAIFR against the aforesaid direction of BIFR. While one of the appeals was earlier withdrawn, AAIFR vide Order dated 28.02.2008 dismissed the appeal preferred by the Company as well as the other appeal.

The Company has filed a writ petition in the Hon’ble High Court at Calcutta challenging AAIFR’s Order, which is pending disposal as on date. The Company has also referred the disputes to arbitration as provided in the “Shareholders Agreement” entered into by it with Indo-Wagon Engineering Ltd. (strategic partner in Jessop) on 29.08.2003. The resultant accounting effect will be considered in the books of account after final adjudication complying with the Accounting Standards and Government directives.

- 61 In the financial year 2005-06, an amount of Rs. 82.72 Lakhs was refunded to Jessop & Co. Ltd. on account of ‘Service Charges’ recovered in respect of the period October 2001 to August 2003. The Company has filed a suit for recovery of the amount together with interest and cost, which is pending disposal as on date.
- 62 During financial year 2008-09, the Company had entered into a consortium arrangement under the name and style of “BCD INGAB Consortium” for construction of Neighbourhood Unit at Bikele township in the Republic of Gabon. The value of services to be rendered by the Company (as per agreement with the consortium partner) was aggregated and limited to Rs. 2.75 crores, excluding actual expenses incurred on various heads such as on bank guarantee charges, travelling, establishment expenses, etc. As part of its defined roles & responsibilities, the Company has provided a performance bank guarantee of US\$ 725,000 (5% of project order value) in favour of Government of Gabon against Mobilisation Advance of an equivalent amount released to the Consortium. The Company has received margin money for such guarantee (validity period since expired) from the Consortium.

The progress in execution of the project not being satisfactory, the Company decided to seek an honourable exit there from, which is being pursued. In terms of extant agreement, the Company is not liable to compensate the Consortium partner in the event of any loss and/or deficit arising out of the project.

An Arbitration proceeding between BBJ and CCPL (Consortium Partner) was initiated before Hon’ble Arbitrator, appointed by Hon’ble High Court at Calcutta to resolve the various claim raised by both the parties against each other for the payment made from Consortium along with interest.

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

Award of the Arbitration proceedings, has been received in 2023-24 and advised BBJ to refund Rs. 3.64 Crore, the equivalent INR of US\$ 7,25,000 to the consortium and in turn to CCPL and ordered BBJ to retain the accumulated interest on the said amount. The Company has refunded the same as per direction of Hon'ble High Court to BCD INGAB Consortium. However, CCPL filed an execution suit claiming post award interest which is pending before Hon'ble High Court at Calcutta.

- 63 Bhagirathi Bridge Construction Company Limited (BBCCL), Joint Venture of BBJ and Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd (BPMEL), subsidiary of erstwhile BBUNL are defunct on date as BPMEL is under liquidation since 2004 and BBCCL substratum lost after completion of the purpose for which it was incorporated in 1971. As on date there is no business activities in both the companies and due to non availability of financial statements of defunct JV / subsidiary, consolidated financial statement is not prepared.
- 64 As per IND AS 116, there is no Operating Lease exist during the year and hence no disclosure is required in this respect.
- 65 **Other Statutory Information:**
- i) The Company do not have any Benami property, where any proceeding has been initiated or pending against the Company for holding any Benami property.
 - ii) The Company do not have any transactions with companies struck off.
 - iii) The Company do not have any charges or satisfaction which is yet to be registered with ROC beyond the statutory period.
 - iv) The Company has not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall:
 - a. directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
 - b. provide any security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries
 - v) The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall:

Notes forming part of the financial statements

(All amounts in Indian Rupees Lakhs, except share data and where otherwise stated)

- a. directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
- b. provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries,
- vi) The Company does not have any such transaction which is not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961.
- vii) The Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or any lender.
- viii) The Company is maintaining proper books of accounts in electronic mode and these books of accounts are accessible in India at all times and the back up of books and accounts has been kept in servers physically located in India on a daily basis.

66 Previous year's figures have been regrouped/rearranged, whenever necessary.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For BATLIBOI, PUROHIT & DARBARI
Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 303086E

Hemal Mehta

Partner

Membership No. 063404

UDIN : 25063404BMJMIE5079

for and on behalf of the Board of Directors of
**The Braithwaite Burn and Jessop Construction
Company Limited**

CIN: U70100WB1986GOI041286

N K Mishra

Company Secretary

PAN - AIQPM3388P

S K Ghosh

Director (Finance)

DIN - 10659781

Place: Kolkata

Date: 25.06.2025

Cmde. Rakesh Chhillar (Retd.)

Chairman & Managing Director

DIN - 09832486



खोंगसांग स्टेशन से नोनी स्टेशन, मणिपुर के बीच इरिंग नदी पर रेलवे ब्रिज नंबर 130।
Railway Bridge no.130 over river Iring in between
Khongsang Station to Noney Station, Manipur.



खोंगसांग स्टेशन से नोनी स्टेशन, मणिपुर के बीच इरिंग नदी पर रेलवे ब्रिज नंबर 164।
Railway Bridge no.164 over river Iring in between
Khongsang Station to Noney Station, Manipur.



कोलकाता में हुगली नदी पर विद्यासागर सेतु
Vidyasagar Setu over river Hooghly at Kolkata



दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड
जेसप कंस्ट्रक्शन कंम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता – 700001, पश्चिम बंगाल, भारत
दूरभाष : +91 33 22485841 – 44,

ईमेल : info.bbjconst@bbjconst.com, वेबसाइट : www.bbjconst.com
27, R. N. Mukherjee Road, Kolkata – 700001, West Bengal, India.
Phone : +91 33 22485841 – 44,
email : info.bbjconst@bbjconst.com, Website : www.bbjconst.com